POPULATION DYNAMICS AND FAMILY WELFARE : A CASE STUDY OF DISTRICT GHAZIPUR (U.P.)

THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF

Doctor of Philosophy

IN

Geography

Submitted by

Rana Pratap Yadav

M.A.

Under the Supervision of

Dr. Kumkum Roy

PROFESSOR IN GEOGRAPHY

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

ALLAHABAD UNIVERSITY

ALLAHABAD - 211002

Dedicated to
My Parents,
Bhaiya and Bhabhi

Allahabad University Allahabad
211002

Department of Geography

Dr. Kumkum Roy
PROFESSOR

Dated 7. Nov. 2002

This is to certify that Shri Rana Pratap Yadav has worked for the full period prescribed under D.Phil. ordinances of Allahabad University, Allahabad, under my supervision. It is recommended that his D.Phil. thesis entitled : "POPULATION DYNAMICS AND FAMILY WELFARE: A CASE STUDY OF DISTRICT GHAZIPUR (U.P.)" which embodies the results of his personal investigations, may be submitted for evaluation.

Roy

Prof. (Dr.) Kumkum Roy
(Supervisor)

अभारोक्ति

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की सम्पूर्णता का श्रेय शोध-निर्देशिका पूज्यनीया गुरू डॉ0 (श्रीमती) कुमकुम रॉय (प्रोफेसर भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) को है, जिनके कुशल निर्देशन एवं प्रोत्साहन ने ज्ञान की अभिनव दृष्टि द्वारा मेरा मार्ग प्रशस्त किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सविन्द्र सिंह के प्रति मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने शोध-कार्य हेतु विभागीय सुविधाएं प्रदान कीं।

मैं पूज्य गुरुवर डॉ. रामचन्द्र तिवारी (प्रोफेसर भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) के प्रति श्रद्धावनत हूँ जिन्होंने अत्यन्त व्यक्त क्षणों में भी मुझे प्रेरणा एवं सहयोग दिया। परम आदरणीय गुरुवर डॉ0 सन्तोष कुमार मिश्रा (प्रवक्ता भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) के प्रति शुद्ध हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अपने सक्रिय सहयोग से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण कराया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के कर्मचारियों— श्री केशव चन्द्र शुक्ल, श्री खेदूराम प्रजापति तथा श्री दिलीप कुमार दूबे को उनके सहयोग हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पूज्य गुरुओं विशेषतः प्रो0 बेचन दूबे, प्रो0 राणा पी.बी. सिंह एवं डॉ0 बनवारी राम यादव के प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया।

मैं अपनी पूज्यनीया माताजी श्रीमती रामदुलारी देवी, पूज्य पिताजी श्री रामअधार यादव, पूज्यनीया भाभी श्रीमती शीला यादव, भइया श्री रामजी यादव (एस.आई.) तथा गुरू तुल्य ज्येष्ठ भ्राता डॉ0 हरिश्चन्द्र सिंह यादव (वरिष्ठ प्रवक्ता-भूगोल, आर.एस.एम.पी.जी. कॉलेज धामपुर) डॉ0 नन्दलाल सिंह यादव एवं श्री श्याम जी यादव तथा पूज्य भाभी श्रीमती सुशीला यादव के प्रति आभार-प्रदर्शन की औपचारिकता में न पड़कर उनके आशीर्वाद का ही आकांक्षी हूँ, क्योंकि समस्त श्रेय आप पूज्य जनों को ही है।

सर्वेक्षण अवधि में अहर्निश मेरे साथ रहे प्रिय लघु-भ्राता श्री संजय कुमार यादव को मैं अन्तर्मन से साधुवाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवधि में हम दोनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर

आदरणीय श्री एस.एस. यादव, श्रीमती यादव एवं आपकी दोनों सुपुत्रियों श्रीमती ममता यादव एवं कु0 नीतू यादव ने तात्कालिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर हमें आश्रय दिया इस हेतु मैं आप सभी आदरणीय जनों के प्रति सहृदय कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ग्राम्य सर्वेक्षण हेतु मुझे ग्राम प्रधानों, विकास खण्ड अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों तथा मित्रों- श्री छेदी सिंह यादव, श्री चित्रसेन मिश्र, श्री अशोक कुमार राय, श्री दिवाकर यादव एवं समादरणीय बी.एस. राय से जो सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

जनपद एवं जनपद के विभिन्न भागों में स्थित कार्यालयों से आवश्यक अभिलेख एवं आंकड़े उपलब्ध कराने में जिलाधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, सूचना अधिकारी, जनगणना उपनिदेशक, चिकित्साधिकारी, कार्यालय राजकीय मुद्रणालय के श्री इन्द्रपाल, पुस्तकालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, पुस्तकालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, कार्यालय जनसंख्या निदेशालय लखनऊ, जनगणना निदेशालय लखनऊ, प्रकाशक पापुलेशन रिपोर्ट्स कोलकाता, के कर्मचारियों को उनके सहयोग एवं सहायता हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मानचित्रण हेतु डॉ0 राजमणि त्रिपाठी (उपाचार्य, पंत कृषि संस्थान झूँसी) एवं उन सभी विद्वानों तथा लेखकों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनके शोध-प्रबन्ध, शोध-प्रपत्र एवं पुस्तकों आदि का अनुशीलन करने का अवसर मिला, तथा उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुआ हूँ।

सर्वकालिक नैतिक समर्थन के लिए मैं अपने अभिन्न मित्र श्री लालजी यादव (एस.आइ.) श्री महेन्द्र प्रताप यादव, श्री भीम सिंह यादव एवं श्री सत्येन्द्र प्रसाद के प्रति आभार प्रदर्शित कर हार्दिक प्रसन्नता की सहज अनुभूति कर रहा हूँ। प्रिय मित्रों- डॉ0 (कुँवर) मुनचुन गोपाल, डॉ0 बिजय कुमार सिंह (एम.एससी. पीएच.डी. भूगोल बी.एच.यू.) श्री नरेन्द्र कुमार (प्रवक्ता भूगोल, आदर्श इण्टर कालेज बेलवार, गोरखपुर) श्री कृपाशंकर पाल, चौधरी शिवपाल श्री चन्द्रेश यादव, शैलेन्द्र गुप्ता (शोध छात्र रसायन शास्त्र, चौ0 चरन सिंह विश्वविद्यालय मेरठ) श्री बलजीत सिंह श्री अजय पाल तथा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्शों पर सुझाव देने के लिए आदरणीय एन.एल. पाल तथा भगवद्भक्ति में अनुरक्त महात्मन् श्री सी.बी. राय के प्रति मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने सहपाठियों (शोधार्थियों) श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय, कु0 नीलम कुशवाहा, कु0 मन्जू सिंह तथा गुरु-पुत्र संदीप रॉय, गुरु-पुत्री कु0 शिल्पी रॉय के सक्रिय सहयोग

के लिए धन्यवाद देता हूँ

मैं पूज्य नानाजी स्व0 श्री राम बदन सिंह यादव की दिवंगत आत्मा के प्रति नतमस्तक हूँ जिनका कर्मठ व्यक्तित्व एवं उदात्त विचार सदैव उत्तमोत्तम कृत्यों के लिए प्रेरणादायी रहेगा। आदरणीय चाचाजनों- श्री दुखन्ती यादव, श्री तिलक सिंह यादव (शिक्षक जूनियर हाई स्कूल सादात), डॉ0 के.डी. यादव (प्रवक्ता हिन्दी, केन्द्रीय विद्यालय सीधी म0प्र0) एवं आदरणीया चाचीजी श्रीमती हेमवती यादव (शिक्षिका प्राथमिक पाठशाला अकबरपुर) तथा प्रिय बहन श्रीमती हंसा यादव, श्रीमती इन्दू यादव एवं कु0 प्रतिभा यादव से मिले वैचारिक समर्थन एवं प्रेरणा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं अपनी धर्म-पुत्रियों- कु0 सञ्जू, कु0 आकांक्षा एवं धर्म-पुत्र-द्वय कुमार दिव्यांश एवं कुमार विवेक तथा भानजे इन्द्रेश, तथा अनुपम को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद सम्प्रेषित करता हूँ जिनका निर्विकार मानस प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने हेतु प्रेरित करता रहा। प्रिय अनुजों- दिनेश कुमार, शिवानन्द, मनोज कुमार, अभिषेक, देवेन्द्र कुमार, आशीष कुमार, एवं शैलेन्द्र कुमार के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में मेरा उत्साह सम्बर्द्धन किया।

अन्त में मैं सुरूचिपूर्ण एवं त्रुटिरहित कम्प्यूटर कम्पोजिंग के लिए ''साधना कम्प्यूटर्स'' के संचालक श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति एवं सहयोगियों को सधन्यवाद देता हूँ।

विजय दशमी

15 अक्टूबर 2002

Rana P Yadav

राणा प्रताप यादव

शोध छात्र (भूगोल)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद 211002

के लिए धन्यवाद देता हूँ

मैं पूज्य नानाजी स्व0 श्री राम बदन सिंह यादव की दिवंगत आत्मा के प्रति नतमस्तक हूँ जिनका कर्मठ व्यक्तित्व एवं उदात्त विचार सदैव उत्तमोत्तम कृत्यों के लिए प्रेरणादायी रहेगा। आदरणीय चाचाजनों- श्री दुखन्ती यादव, श्री तिलक सिंह यादव (शिक्षक जूनियर हाई स्कूल सादात), डॉ0 के.डी. यादव (प्रवक्ता हिन्दी, केन्द्रीय विद्यालय सीधी म0प्र0) एवं आदरणीया चाचीजी श्रीमती हेमवती यादव (शिक्षिका प्राथमिक पाठशाला अकबरपुर) तथा प्रिय बहन श्रीमती हंसा यादव, श्रीमती इन्दू यादव एवं कु0 प्रतिभा यादव से मिले वैचारिक समर्थन एवं प्रेरणा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं अपनी धर्म-पुत्रियों- कु0 सञ्जू, कु0 आकांक्षा एवं धर्म-पुत्र-द्वय कुमार दिव्यांश एवं कुमार विवेक तथा भानजे इन्द्रेश, तथा अनुपम को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद सम्प्रेषित करता हूँ जिनका निर्विकार मानस प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने हेतु प्रेरित करता रहा। प्रिय अनुजों- दिनेश कुमार, शिवानन्द, मनोज कुमार, अभिषेक, देवेन्द्र कुमार, आशीष कुमार, एवं शैलेन्द्र कुमार के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में मेरा उत्साह सम्बर्द्धन किया।

अन्त में मैं सुरूचिपूर्ण एवं त्रुटिरहित कम्प्यूटर कम्पोजिंग के लिए ''साधना कम्प्यूटर्स'' के संचालक श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति एवं सहयोगियों को सधन्यवाद देता हूँ।

Rana P Yadav

विजय दशमी

15 अक्टूबर 2002

राणा प्रताप यादव

शोध छात्र (भूगोल)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद 211002

विषयानुक्रम

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

LIST OF MAPS AND DIAGRAMS

तालिका-सूची

प्रस्तावना

दुनिया अपनी अनेक नयी एवं पुरानी जटिल समस्याओं के साथ इक्वीसवी सदी में प्रवेश कर चुकी है। इन समस्याओं के समाधान पर ही इक्वीसवीं सदी और सहस्राब्दि का भविष्य निर्भर करेगा। ऐसी ही एक समस्या है विश्व की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या लगभग चार दशक पूर्वक संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्पष्ट किया कि अगले पच्चीस वर्ष बाद बढ़ती जनसंख्या मानव अस्तित्व के लिए केन्द्रीय समस्या होगी। (यू0 एन0 1958V) 'परमाणु युद्ध, बढ़ती जनसंख्या तथा घनी-निर्धन के बीच बढ़ता अन्तराल हमारे सामने सर्वप्रमुख समस्या है। (स्नों सी0 पी0 1959) स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर शोधार्थियों, संचार माध्यमों, नीति निर्माताओ तथा प्रशासकों द्वारा अनियन्त्रित जनसंख्या संसाधन असन्तुलन से जनमानस को सचेत किया जाता रहा है। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन यथा— 'संयुक्त राष्ट्र संघ', 'संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सूचना तथा नीति विश्लेषण विभाग', 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग', तथा 'विश्व बैंक', प्रादेशिक एवं वैश्विक जनसंख्या समस्या के समाधान के लिए सहायता एवं सुझाव देते रहे हैं।

जनसंख्या का अध्ययन इसके तकनीकी, सांस्कृतिक एवं संसाधनात्मक विकास के अध्ययन से कम महत्व पूर्ण नहीं है। 1800 ई0 में संसार की जनसंख्या 90 करोड़ थी, जो 1900 में 160 करोड़, 1964 में 320 करोड़ एवं 2002 में यह 620 करोड़ है। यह वृद्धि मानव के संतुलित सामाजिक तथा आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए एक चुनौती है। इस वृद्धि ने सम्पूर्ण मानव समाज के सम्मुख भविष्य के प्रति एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया है जिसका समाधान अपेक्षित है। एक गंभीर प्रश्न सामने आता है कि विकास की वर्तमान गति के साथ हमारी पृथ्वी कितने दिनों तक बढ़ते हुए जनभार को पोषण प्रदान करती रहेगी (गार्नियर) विकसित देशों में तो स्थिति फिर भी नियन्त्रण में है, परन्तु विकासशील देश, जो विश्व जनसंख्या का 3/4 भाग धारण करते हैं में ऊँची जन्म एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विकास से निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं। परिणामतः इन्हें बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कुपोषण, कृषि संसाधनों का कुप्रबन्ध एवं मन्द औद्योगिक प्रगति इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या समस्या से उत्पन्न चुनौतियों का समाज वैज्ञानिक अध्ययन विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से करते हैं किन्तु क्षेत्रीय ईकाईयों की जनसंख्या-समस्या समाधान के लिए ये संकल्पनाएं अपर्याप्त हैं। कोई ऐसी सार्वत्रिक संकल्पना नहीं है जो क्षेत्रीय विकास के लिए जनसंख्या-समस्या

का समुचित समाधान प्रस्तुत कर सके। वर्तमान शताब्दी में विकासशील देश गम्भीर जनसंख्या दबाव को वहन करते हुए आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत हैं। विकसित राष्ट्रों द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जनसंख्या दबाव को ही केन्द्रीय बिन्दु मानकर सम्पूर्ण विद्वतापूर्ण तर्क को अभिकेन्द्रित करना समाज वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बन गया है।

विभिन्न जनसंख्या एवं विकास सम्बन्धी अध्ययन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश विद्वानों का ध्यान जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं की यथार्थता को सामने लाना है जबकि आज समाज वैज्ञानिक इस बात की आवश्यकता अनुभव करते हैं कि समस्याओं के क्रम बद्ध विवरण के साथ ही साथ तार्किक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाय।

■ जनसंख्या भूगोल की परिभाषा एवं अभिनव प्रवृत्तियाँ-

भूगोल के अध्ययन में भू-क्षेत्र तथा मानव दो प्रधान एवं महत्वपूर्ण अवयव हैं। भूगोल इन्हीं दो घटकों के परस्पर सम्बन्धों से उत्पन्न विविध परिवर्ती वितरणों तथा सम्मिश्र अर्न्तसम्बन्धों का विश्लेषण करता है।

भूगोल में जनसंख्या के अध्ययन में सन् 1953 का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी वर्ष जी० टी० ट्रिवार्था ने 'अमेरिकी भौगोलिक परिषद' के अध्यक्षीय भाषण में 'दि केस फॉर पापुलेशन ज्याग्रफी' पढ़ा तथा जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल की शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार—'पृथ्वी तल पर बसे लोगों की प्रादेशिक विभिन्नता सम्बन्धी ज्ञान में ही जनसंख्या भूगोल के तत्व निहित है। (जी० टी० ट्रिवार्था 1951) 'जनसंख्या भूगोल विद् जनसंख्या के भूविन्यासगत पक्ष का, स्थल की समुच्चयिक प्रकृति के सन्दर्भ में वर्णन करता है।'' (जेलिन्सकी डब्ल्यू० 1966 एप्रोलाग टू पापुलेशन ज्याग्रफी) बी० गार्नियर की फ्रांसीसी भाषा से आँग्ल भाषा में बीवर द्वारा अनुदित पुस्तक में जनसंख्या भूगोलं की निम्न परिभाषा दी गयी है--'जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के सम्बन्ध में जनसॉख्यिकीय तथ्यों का वर्णन है।' (गार्नियर जे० बी०, ज्याग्रफी ऑफ पापुलेशन) 'डेम्को' ने अपने द्वारा सम्पादित पुस्तक में 'जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन' अध्याय लिखा तथा जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा -- 'जनसंख्या भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसी क्षेत्र के जनसांख्यिकीय लक्षणों के क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय दशाओं के आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक प्रतिफलों का अध्ययन किया जाता है, समयानुसार जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय प्रारूप को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।' (डेम्को जी० जे० 1970 पापुलेशन ज्याग्रफी

ए रीडर, सम्पादित) 'जनसंख्या भूगोल न केवल जनसंख्या के विभिन्न लक्षणों के क्षेत्रीय तथा सामयिक विवरण तथा अन्तरों का वर्णन करता है बल्कि उनके कारण, परिणाम तथा उन प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जो इस प्रकार के वितरण व अन्तरों को जन्म देते है।' (चान्दना आर0 सी0 1997, जनसंख्या भूगोल) 'जनसंख्या भूगोल, धरातल पर जनसंख्या के संख्यात्मक व संरचनात्मक विशेषताओं के वितरण और उनमें क्षेत्रीय अन्तर उत्पन्न करने वाले गतिशील तत्वों के अध्ययन के साथ-साथ क्षेत्रीय विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों के जनसंख्या तथ्यो से अर्न्तसम्बन्धों की व्याख्या करता है।' (यादव हीरालाल, 1997)

जनसंख्या भूगोल विदों द्वारा दी गयी उपरोक्त परिभाषाएं जनसंख्या भूगोल का स्वरूप एवं प्रकृति इंगित करती हैं, परिभाषाओं के विश्लेषण से एक तथ्य साफ झलकता है कि यदि भौगोलिक अध्ययन का मूल विषय क्षेत्रीय अध्ययन प्रक्रिया है तो स्पष्टतः जनसंख्या एक गत्यात्मक तत्व है और उपरोक्त परिभाषाएं जनसंख्या भूगोल की प्रकृति के स्पष्टतः निकट हैं एवं उसे विश्लेषित करती है। परिभाषाओं के आधार पर जनसंख्या भूगोल के निम्न अध्ययन तथ्य हैं--

(1) जनसंख्या सम्बन्धी गुणों की स्थानिक, कालिक विशेषताओं का वर्णन करना।

(2) जनसंख्या की विविध स्थानिक एवं कालिक दशाओं का विवेचन करना।

(3) उपरोक्त स्थितियों को निर्मित करने वाली प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना।

अभिनव प्रवृत्तियाँ–

साठ व सत्तर के दशकों में जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण परिवर्तनशील सन्दर्भ में करना रहा है। फलतः इसमें क्षेर्त्रीय पक्ष के साथ-साथ समय का आयाम भी जुड़ं गया। क्यों? के उत्तर में यह पारिस्थितिकी के क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया। वस्तुतः आज भी पारिस्थितिकी उपागम महत्वपूर्ण है। पिछले दो दशकों में जनसंख्या भूगोल में अवधारणात्मक एवं सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग में वृद्धि हुई है, नये दृष्टिकोण तथा विधितन्त्रों के उपयोग से जनसंख्या भूगोल सकारात्मक और व्यवहारपरक होता जा रहा है। जनसंख्या भूगोल के कतिपय नवीन आयाम निम्न है--

(1) भौगोलिक सूचना प्रणाली के अभ्युदय से जनगणनाओं में अब छोटे क्षेत्रों के लिए जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत और विश्वसनीय आँकड़ें उपलब्ध कराये जा रहे हैं भारत में ग्राम विकासखण्ड व जिले स्तर पर आँकड़े उपलब्ध है फलतः जनसंख्या सम्बन्धी अधिक सूक्ष्म विश्लेषण सम्भव हुआ है।

(2) अनेक मानचित्रांकन तकनीक एवं साँख्यिकीय विधियों के प्रयोग के फलस्वरूप

अब जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों-- जन्मदर, मृत्युदर प्रवास को शुद्धता से ज्ञात किया जा सकता है। उन्नत प्रवास को शुद्धता से ज्ञात किया जा सकता है। उन्नत सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग अब कम्प्यूटर की सहायता से किया जा रहा है एवं बहुकारक विश्लेषणों से निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं।

(3) दो दशक पूर्व जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन और शोध कार्यों में जनसंख्या के प्रादेशिक प्रतिरूपों के अवलोकन और विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है तथा जनांकिकी प्रतिरूपों का वितरण एवं नियमितता की खोज पर ही ध्यान दिया जाता रहा है, परन्तु वर्तमान समय में जनाँकिकी प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।

(4) जनांकिकी आँकड़े अब विविध मापों में उपलब्ध कराये जा रहे हैं, फलतः विश्व स्तर से महाद्वीप, देश, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय विशिष्टताएं, कार्यकारण सम्बन्ध तथा जनांकिकी प्रक्रियाओं को समझने में सहायता प्राप्त हुई है।

(5) जनसंख्या के नीति-निर्धारण, क्रियान्वयन और परिवर्तन के नाभिकीय केन्द्र के रूप में छोटे क्षेत्रों की जनांकिकी विशेषताओं का अध्ययन अधिक उपयोगी प्रमाणित हो रहा है। वर्तमान में वृहद प्रदेशों की तुलना में लघु क्षेत्रों की जनांकिकी विशेषताओं पर शोध हो रहे हैं।

(6) जनसंख्या प्रारूप की अवधारणा भूगोल में नवीन विकास है, इसका अध्ययन वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक ह। इसमें जनांकिकी गुणों की पहचान कर अन्तर्सम्बन्धित व्याख्या की जा रही है। प्रारूपों का निर्धारण देश एवं काल के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं को समानता एवं असमानता के आधार पर किया जाता है।

■ जनसंख्या भूगोल का साहित्य-

जनसंख्या सम्बन्धी ज्ञान की जिज्ञासा मानव को उसके अस्तित्वकाल से रही होगी। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि समय की गति के साथ राज्य की रूचि जनसंख्या (जन्म, मृत्यु, आवास एवं प्रवास) में सर्वप्रथम सुरक्षा एवं करों के माध्यम से आय कमाने में रही होगी, जिसके कारण जनसंख्या का लेखा-जोखा रखना आवश्यक रहा होगा। इन उद्देश्यों ने ही जनसंख्या के

परिमाणात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करने को बाध्य किया होगा।

इस प्रकार के अध्ययन के लिए पंजीकृत जीवन समंको की आवश्यकता पड़ी होगी जो कि वास्तव में ईसा से 1250 वर्ष पूर्व मिश्र में रामसे द्वितीय के शासनकाल में पाया जाता है लेकिन समयानुसार विश्व के विभिन्न राष्ट्र अपने प्रशासन तथा सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के निराकरण के लिए जनसंख्या सम्बन्धी अभिलेख तैयार करते रहे। ईसा पूर्व 480 में यूनान एवं ईसा पूर्व 435 में रोम में जनगणना की गयी भारत में रामायण एवं महाभारत काल में जनगणना के प्रमाण उपलब्ध हैं। 'कौटिल्य' के 'अर्थशास्त्र' एवं 'अबुल फजल' के 'आइने अकबरी' में भी जनगणना के स्पष्ट उल्लेख हैं।

जनसंख्या सम्बन्धी बिखरे विचारों को वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करने का श्रेय जानग्राण्ट (1662) को है। जिन्होंने मृत्यु के समंकों पर आधारित 'नेचुरल एण्ड पोलिटिकल आब्जर्वेशन मेड अपान द बिल्स ऑफ मारिटेलिटी' नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसीलिए जॉनग्राण्ट को जनांकिकी का जनन माना जाता है। परन्तु जनसंख्या को वैज्ञानिकता तब प्रदान की गयी जब थॉमस राबर्ट माल्यस (1796) ने जनसंख्या सम्बन्धी विभिन्न प्रयोगों को प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था— 'एन एसे ऑन दि प्रिंसिपल्स ऑफ दि पापुलेशन एज इट्स इफेक्ट टू दि फ्यूचर इम्प्रूवमेन्ट ऑफ सोसाइटी' गुई लार्ड नामक फ्रांसीसी विद्वान ने जनांकिकी शब्द की रचना की। उन्नीसवीं शताब्दी में जोसिया, मिने, विलियन, फट, जानफिन्लेशन प्रभृति विद्वानों ने जनसंख्या अध्ययन को विशेष प्रोत्साहन दिया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कार्लसाण्डर्स, आइने ड्यूमट, पूलर लुडविंग, मोसर, एवं अल्फ्रेड लोटका ने जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन को आगे बढ़ाया। कैनन, वाइलेपर्ल, हेलपटन, बरहल्टर्स, आदि ने गणितीय एवं सांख्यिकीय रीतियों से जनांकिकी को महत्वपूर्ण बताया।

उपरोक्त सन्दर्श इस बात की ओर इंगित करते हैं कि प्राचीन काल से विभिन्न विद्वानों एवं विचारकों द्वारा जनसंख्या भूगोल का अध्ययन किया जाता रहा है। लेकिन भूगोल विद्वानों द्वारा जनसंख्या को अपने आधार विषय बनाने के सन्दर्भ में विवाद है। भौगोलिक अध्ययन में जिस प्रकार भौम्याकृति, जलवायु, कृषिभूमि आदि तत्वों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है, जनसंख्या अध्ययन उपेक्षित रहा। आर० सी० चाँदना एवं एम० एस० सिद्धू ने अपनी पुस्तक 'इन्ट्रोडक्शन टू पापुलेशन ज्याग्रफी' में स्वीकार किया है कि मानव भूगोलवेत्ताओं ने यद्यपि जनसंख्या वितरण एवं उसके स्वरूप को विविध रूपों में व्यक्त किया है फिर भी भूगोल मे मानव के स्थान निर्धारण में भूगोलविदों के ही विवाद का उल्लेख किया है। सन् 1933 तक प्रकाशित भूगोल के किसी भी प्रामाणिक अध्ययन ने जनसंख्या भूगोल का पूर्ण अभाव था हार्टशोर्न द्वारा

लिखित 'द नेचर ऑफ ज्याग्रफी' तथा 'परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्याग्रफी' में भी भौतिक भूगोल ऐतिहासिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल आर्थिक भूगोल आदि विविध शाखाओ का ही उल्लेख किया गया है। लेकिन जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध उपविभाग के रूप में भी उल्लिखित नहीं किया गया है। डिकिन्सन एवं होवार्थ ने भी 'द मेकिंग ऑफ ज्याग्रफी' में इसके स्वतंत्र अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया है। उल्ड्रीज एवं ईस्ट के 'द स्पिरिट ऑफ ज्याग्रफी' मे भी जनांकिकी अध्ययन अपर्याप्त है। हेटनर ने अपने शोध प्रबन्ध 'मेथडोलाजिकल रैम्बल्स' (जिसे आपने 'विधि बिहार' कहा) में मानव को भौगोलिक अध्ययन के रूप में विश्लेषित किया। कैमिले वैलो ने 'इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज' में मानव को भौगोलिक विश्लेषण का लक्ष्य तक नहीं माना है। एच0 एच0 बैरोज की 'ज्याग्रफी एज ह्यूमन इकोलाजी' में भी जनसंख्या अध्ययन का सन्दर्भ नहीं प्राप्त होता।

सन् 1923 में स्टेन डी ग्रीस ने अपने प्रपत्र— 'ऑन द डिफीनिशन मेथड एण्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ज्याग्रफी' में जनसंख्या भूगोल को एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया जी0 टी0 ट्रिबार्थ के अनुसार 'फ्रांस' के 'पियरे जार्ज' प्रथम भूगोल वेत्ता रहे जिन्होंने जनसंख्या भूगोल के विविध तथ्यों का प्रतिपादन सफलतापूर्वक किया।

वस्तुतः बीसवीं शताब्दी के मध्य तक कुछ महत्व पूर्ण अध्ययन प्रकाशित हो चुके थे लेकिन उनमें वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं के अध्ययन का सर्वथा अभाव था। आंग्लभाषी विश्व में इस विषय का इतिहास सन् 1953 से प्रारम्भ होता है। विस्कान्सिन विश्वविद्यालय के प्रो0 जी0 टी0 ट्रिवार्था ने 'एसोसियेशन ऑफ अमेरिकन ज्याग्रफर्स' के समक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण में जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक पृथक शाखा के रूप में विकास की पहल की। आपने जनसंख्या भूगोल का एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया तदुपरान्त यू0 एस0 ए0 एवं विश्व के अन्य देशों के विश्वविद्यालयों ने उनका अनुगमन किया। प्रो0 ट्रिवार्था ने जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि जनसंख्या भूगोल का मुख्य ध्येय बसे हुए पृथ्वी तल पर जो विभिन्नता एवं विविधता पाई जाती है, प्रादेशिक स्तर पर उसी का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ट्रिवार्था के विचारों को अधिक गति प्रदान करने का कार्य 'डेम्को' ने किया। इन्होंने जनसंख्या की विशिष्टता पर अधिक बल दिया। 1954 में पी0 ई0 जेम्स द्वारा सम्पादित पुस्तक 'अमेरिकन ज्याग्रफी इन्वेन्ट्री एम्ड प्रास्पेक्ट में ट्रिवार्था के अध्यक्षीय भाषण छपने के साथ ही जनसंख्या भूगोल को ठोस आधार प्राप्त हो गया। जे0 आई0 क्लार्क ने 'पापुलेशन ज्याग्रफी में जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करने के साथ ही साथ उसके विषय क्षेत्र की परिसीमा बताया। विलवर जेलिन्स्की ने अपनी पुस्तक 'ए प्रोलाग टू पापुलेशन ज्याग्रफी' में जनसंख्या भूगोल वेत्ताओं

हेतु जनसंख्या से सम्बन्धित विविध पहलुओ के अध्ययन की तरफ स्पष्ट संकेत किया। गार्नियर की पुस्तक 'ज्याग्रफी ऑफ पापुलेशन' से फ्रांस में जनसंख्या भूगोल को अधिक प्रोत्साहन मिला। पीटर्स तथा लारकिन (1979) ने 'पापुलेशन ज्याग्रफी प्राब्लम्स कान्सेप्ट एण्ड प्रास्पेक्ट' लिखा। डेम्को (1970) ने पापुलेशन ज्याग्रफी ए रीडर लिखा। इन प्रमुख भूगोल वेत्ताओं के अतिरिक्त डी0 किंग्सले ने 'पापुलेशन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, एफ0 जे0 मांकहाऊस ने 'पापुलेशन' (1958), ई0 ए0 एकरमैन ने 'ज्याग्रफी एण्ड डिमोग्रैफी इन द स्टडी ऑफ पापुलेशन' लिखा टी0 एल0 स्मिथ ने 'फण्डामेण्टल ऑफ पापुलेशन ज्याग्रफी (1960) ए0 मैलेजीन' ट्रेण्डस एण्ड इश्यूज सोवियत ज्याग्रफी ऑफ पापुलेशन (1969) , डब्ल्यू0 एस थाम्पसन ने 'पापुलेशन प्राब्लम' (1965) एल0 हेनरी ने 'पापुलेशन एनालिसिस एण्ड मांडल्स' (1976) तथा डी0 आई0 वैलेण्ट्री ने 'द थ्योरी ऑफ पापुलेशन' (1978) ने जनसंख्या भूगोल पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

भारत में जनसंख्या भूगोल का प्रारम्भ गुरुदेव सिंह गोसल (1956) के शोध प्रबंध से प्रारम्भ होता है। जिससे प्रभावित होकर एस0 पी0 चटर्जी ने भारत की जनसंख्या का मानचित्रण विविध पक्षों के आधार पर किया। के0 एस0 अहमद ने सम्पूर्ण देश के संदर्भ में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट किया। उ0 प्र0 में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को 1947 में प्रो0 आर0 एल0 सिंह द्वारा विश्लेषित किया गया। इसके अतिरिक्त जनसंख्या भूगोल पर अधिकाधिक पुस्तकें, शोध-प्रबन्ध एवं शोध-प्रपत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें प्रमुख रूप से सी0 बी0 मामोरिया द्वारा इण्डियाज पापुलेशन प्राब्लम, आर0 सी0 शर्मा द्वारा 'पापुलेशन ट्रेन्डस रिसोर्सेज एण्ड इनवार्मेण्टल हैण्ड बुक ऑफ पापुलेशन ज्याग्रफी', पी0 जी0 भट्टाचार्य द्वारा 'पापुलेशन प्राब्लम इन इण्डिया' (1961) एस0 एन0 अग्रवाल द्वारा 'इण्डियाज पापुलेशन प्राब्लम', (1977), हंसराज द्वारा फण्डामेण्डल ऑफ डिमोग्रैफी पापुलेशनः स्टडीज विथ स्पेशल रिफरेन्स टू इण्डिया'। (1978) ए0 भट्टाचार्या द्वारा पापुलेशन ज्याग्रफी इन इण्डिया। आर0 सी0 चान्दना द्वारा 'इण्ट्रोडक्शन टू पापुलेशन ज्याग्रफी आर0 एन0 मिश्र द्वारा 'द लोअर गंगा घाघरा दो आबः ए स्टडी इन पापुलेशन एण्ड सेटिलमेंट ज्याग्रफी'। ओम प्रकाश द्वारा 'पापुलेशन ज्याग्रफी ऑफ उ0 प्र0', सान्त्वना घोष द्वारा 'पापुलेशन ऑफ बिहार : ए ज्याग्राफिकल स्टडी', आई0 रिचर्डस द्वारा 'पापुलेशन एण्ड सेटिलमेंट इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट', राजेन्द्र प्रसाद गुप्त द्वारा 'पापुलेशन ज्याग्रफी ऑफ राजस्थान' इत्यादि शीर्षक पर जनसंख्या भूगोल का सम्यक् अध्ययन किया गया।

भारत में जनसंख्या भूगोल के अन्तर्गत जनसंख्या वितरण, घनत्व, एवं वृद्धि पर अधिक अध्ययन प्राप्त है लेकिन किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विविध पहलुओं का सम्यक् अध्ययन वहाँ

के भौगोलिक परिवेश में करने का सर्वप्रथम प्रयास कृष्णन एवं चान्दना द्वारा किया गया। गोपाल कृष्णन का अध्ययन क्षेत्र अमृतसर एवं गुरुदासपुर जनपद एवं चाँदना का अध्ययन रोहतक एवं गुडगाँव जनपद था। अण्डमान, नागालैण्ड एवं मुर्शिदाबाद के राढ़ मैदान पर एवं नेपाल का जनसंख्या अध्ययन क्रमशः पी0 के0 सेन, एल0 आर0 सिंह, बनर्जी, रे तथा एस0 के0 मेहता द्वारा किया गया। तारा कानित्कार द्वारा 'प्रिंसुपल ऑफ पापुलेशन स्टडीज' (1985) टी0 के0 राव व जी0 रामाराव द्वारा 'इन्ट्रोक्शन टू इवाल्यूशन ऑफ डिमोग्रैफिक इम्पैक्ट ऑफ फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम', के0 श्रीनिवास एवं एस0 मुकर्जी द्वारा 'डायनमिक्स ऑफ पापुलेशन एण्ड फेमिली वेलफेयर्स' आदि प्रमुख अध्ययन है जिसमें समग्र जनांकिकी विशेषताएं भी सम्मिलित की गयी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम संस्थान नई दिल्ली, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान मुंबई, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन संस्थान गांधीग्राम, मुख्य हैं जो जनसंख्या व परिवार नियोजन से सम्बद्ध अध्ययन में रत हैं।

■ जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम–

संयुक्त राष्ट्र संघ के स्रोतों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की जनसंख्या 1804 में एक अरब थी, 1927 में 2 अरब 1960 में 3 अरब, 1974 में 4 अरब 1987 में 5 अरब एवं 1999 में बढ़कर 6 अरब हो गयी। स्पष्टतः 1960 से 1999 में विश्व जनसंख्या दुगुनी हो गयी। यू0 एन0 ओ0 के 'सूचना एवं नीति विश्लेषण विभाग' के अनुसार जनसंख्या का यह बेलगाम काफिला 2030 तक 8.5 अरब हो जायेगा। जनसंख्या में अप्रत्याशित उच्च वृद्धि का कारण इस अवधि में विकासशील देशों की मृत्यु दर में हास है। लगभग 4.59 अरब जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है। विकसित देशों में कृषि व औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है तथा जनसंख्या न्यून गति से बढ़ रही है या स्थिर है जबकि विकासशील देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष, विकासशील देशों की 1.9 तथा भारत की 1.93 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि दर अपने जनांकिकी इतिहास के लिए अभूतपूर्व एवं चिन्ताजनक है। 1951 में राष्ट्र की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी जो 1991 में 84.30 करोड़ हो गयी तथा 2001 में 102.70 करोड़ रही। अर्थात् भारतीय जनंसख्या में 1951 से 2001 की अवधि में 184.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1991-2001 दशक में वृद्धि 21.34 प्रतिशत रही।

जब 1974 में विश्व की जनसंख्या 4 अरब पहुँच गयी तो अधिकतर देशों के प्रतिनिधियों का 'कैरो सम्मेलन' आयोजित किया गया तथा जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए अनेक

कार्यक्रम स्वीकार किये गये। यह प्रक्रिया साल दर साल चलती रही। इसी प्रकार 1994 में काहिरा में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन मील का पत्थर है। इसमें जनसंख्या के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर विकास के अनेक कार्यक्रमों के निर्माण क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन का अभिन्न अंग बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन और मानव संसाधन में निवेश को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा गया। भाग लेने वाले देशों ने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 0.7 प्रतिशत सूचना सुलभता, बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण जैसी परियोजनाओं में लगाने का निर्णय लिया। काहिरा सम्मेलन और उसके पहले के अन्य सम्मेलनों के निष्कर्षों तथा नीतिगत निर्णयों के सन्दर्भ में विचार करें तो स्पष्ट होता है अनेक देशों ने इससे लाभ उठाया है। यद्यपि भारत प्रथम विकासशील राष्ट्र है जिसने सन् 1951-52 में सकारात्मक जनसंख्या नीति लागू किया। भारत के सन्दर्भ में परिवार कल्याण कार्यक्रम एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मनुष्य की संख्या को कम करना है बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। (अग्रवाल एस0 एन0 इण्डियाज पापुलेशन प्राब्ल्मस 1978) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि के घटकों की व्याख्या कर परिवार कल्याण कार्यक्रम के विधियों के प्रति सकारात्मक अभिरूचि उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया गया। द्वितीय योजना में स्वेच्छा पूर्वक नशबन्दी पर जोर दिया गया। तृतीय योजना में औषधि उपगमन के स्थान पर शिक्षा प्रसार उपगमन पर विशेष बल दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों के प्रसार द्वारा परिवार कल्याण विधियों की सरलतम पहुँच पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 1966-69 तक तीन एक वर्षीय योजनाओं में कार्यक्रम में अधिक सक्रियता लाते हुए 'स्वास्थ्य मंत्रालय' को 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय' में परिवर्तित कर दिया गया लूप, बन्ध्याकरण आदि में तेजी लाई गयी। 'हम दो हमारे दो', 'छोटा परिवार सुख का आधार' इत्यादि का व्यापक प्रसार किया गया।

चतुर्थ योजना में 'छोटा परिवार' विकास का प्रतीक माना जाने लगा जन्म दर को 39 प्रति हजार से 1978 तक 23 प्रति हजार करने का समयबद्ध लक्ष्य रखा गया। पाँचवीं योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम में आधारिक परिवर्तन किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बाल एवं मातृत्व पोषण आदि आयामों को परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बद्ध किया गया। 16 अप्रैल, 1976 को अनिवार्य बन्ध्याकरण की नीति के साथ जनसंख्या नीति लागू की गयी जिसका दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1977 में जनता सरकार ने 'परिवार नियोजन' को 'परिवार कल्याण कार्यक्रम' में परिवर्तित कर स्वेच्छया बन्ध्याकरण की मुख्य प्रतिपाद्यता के साथ समग्र विकास वाली जनसंख्या नीति लागू की। छठीं योजना में श्रीमती गांधी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को 20 सूत्रीय योजना में प्रमुख महत्व दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण साधनों के विस्तार, वन्ध्याकरण कराने वालों को प्रोत्साहन राशि, परिवार

कल्याण केन्द्रों पर स्त्री कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। सातवीं योजना में 42 प्रतिशत दम्पतियों को परिवार कल्याण के अन्तर्गत लाभान्वित कराना, शिशु मृत्यु दर 90 प्रति हजार करना एवं स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया एवं स्त्रियों की वैवाहिक उम्र 20 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया। आठवीं योजना में मातृ शिशु स्वास्थ्य योजना को विशेषाधिकार परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया। 'हेल्थ फार अण्डर प्रिविलेज्ड' फलक को संगत बनाने पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जीवन में गुणात्मक सुधार किया जाना आवश्यक है ताकि मानव शक्ति उत्पादक पूँजी में परिवर्तित हो सके। इस नीति के तात्कालिक उद्देश्यों में गर्भनिरोध के उपायों के विस्तार हेतु स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढाँचे का विकास किया गया मध्यकालिक उद्देश्यों में 2010 तक कुल प्रजनन दर को घटाना। दीर्घ कालिक उद्देश्यों में सन् 2045 तक स्थाई आर्थिक विकास हेतु आवश्यक स्थिर जनसंख्या के उद्देश्य की प्राप्ति। इसके लिए शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, 14 वर्ष तक शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना, सार्वभौमिक टीकाकरण, प्रजनन विनियमन के लिए सूचना सलाह, तथा गर्भ निरोधक विकल्पों को विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने वर्ष 2002 तक जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष' को स्थापित करने की घोषणा 22 जुलाई, 2000 को की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सौ सदस्यीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया है। आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा, एवं तदनुरूप सुझाव एवं आवश्यक निर्देश देगा तथा व्यापक जनअभियान तैयार करने में मदद करेगा। दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि को 16.2 प्रतिशत करना, शिशु मृत्यु दर को 2007 तक 45 तथा 2012 तक 10 प्रति हजार जीवित जन्मों तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

आंकड़ों के स्त्रोत–

जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले अनेक घटक हैं। ये घटक जनसंख्या की निम्न एवं उच्चवृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने, जनसंख्या एवं परिवार कल्याण नियोजन हेतु सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त आंकड़ों की आवश्यकता होती है तथा इस सन्दर्भ में परिवार कल्याण कार्यक्रम का मूल्यांकन अनिवार्य होता है। प्रस्तुत अध्ययन में जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित, अप्रक़ाशित आँकड़े, जनपद अभिलेख, सांख्यिकी कार्यालय, जिला सूचना कार्यालय, जिला चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनसंख्या निदेशालय (लखनऊ), उ0 प्र0 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (लखनऊ), राजकीय प्रेस इलाहाबाद, शिक्षा एवं स्वास्थ्य बुलेटिनों एवं विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं कतिपय विद्वानों द्वारा प्रकाशित कृतियों से आंकड़े

संग्रहीत किये गये हैं।

प्रस्तुत अध्ययन— (i) जनगणना स्रोतों से एवं विभिन्न प्रशासकीय स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण एवं (ii) सर्वेक्षण द्वारा संग्रहीत प्राथमिक ऑकड़ें जो मर्त्यता, उत्पादकता, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रवृत्तियो के विश्लेषण के लिए प्रश्नावली विधि से प्राप्त किये हैं, की विवेचना पर आधारित है।

द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग अध्ययन क्षेत्र की भौतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया गया है। 1951-2001 तक विविध स्रोतों से प्राप्त जनगणना आंकड़ों का प्रयोग जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनांकिकी संरचना, प्रजनन दर, मृत्युदर एवं जनसंख्या स्थानान्तरण की प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की लक्ष्यानुरूप सफलता का विवेचन जिला चिकित्साधिकारी कार्यालय से प्राप्त आँकडों के आधार पर किया गया है।

मानचित्र तथ्यात्मक सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्थिति, विस्तार, उच्चावच, ढाल, प्रवाह, का विश्लेषण स्थलाकृतिक मान चित्र पर आधारित है। जिलाधिकारी कार्यालय से प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर जनपद की जलवायविक दशाओं की सम्यक विवेचना की गयी है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादकता, मर्त्यता, व्यवसाय एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बद्ध विश्लेषण के लिए द्वितीयक आँकड़ों की अपर्याप्तता है। अतः सामाजिक आर्थिक गत्यात्मकता के लिए उपरोक्त सन्दर्भित सूचनाएं चयनित 10 गाँवों के 500 उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त की गयी हैं। उत्पादकता, मर्त्यता, जनसंख्या वृद्धि, व्यवसायिक संरचना की प्रवृत्तियों की विवेचना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन तथा नीति नियोजन के लिए सूचनाओं का संग्रह प्रश्न सारणी विधि से किया गया है। सर्वेक्षण हेतु प्रत्येक तहसील से दो गाँवों का चयन वर्गबद्ध अनियत प्रतिचयन विधि पर आधारित है।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य–

प्रस्तुत शोध का आधार भूत उद्देश्य गाजीपुर जनपद की जनसंख्या समस्या को वर्तमान विकास की चुनौतियों के सन्दर्भ में प्रस्तुत करना है। जनसंख्या की भूवैन्यासिक गत्यात्मकता अध्ययन क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में प्रस्तुत करना तथा जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारका-जन्मता, मर्त्यता तथा प्रवास का परीक्षण करना है। प्रस्तुत शोध में उद्देश्यों से सम्बद्ध सन्दर्शों को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है—

(1) अध्ययन क्षेत्र के जनसंख्या प्रतिरूप का भूवैन्यासिक वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक विभिन्नताओं का विश्लेषण करना।

(2) जन्मदर तथा मृत्युदर प्रतिरुपों का विश्लेषण तथा प्रव्रजित तथा आव्रजित जनसंख्या प्रतिरूप का विवेचन करना।

(3) अध्ययन क्षेत्र की जनांकिकी संरचना— आयु लिंग संरचना, साक्षरता, शैक्षिक स्तर, वैवाहिक स्तर तथा व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन एवं सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करना।

(4) परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नीति की सफलता का मूल्यांकन एवं असफलता के कारणों का पता लगाना एवं प्रभावों का स्पष्टीकरण करना।

(5) उत्पादकता एवं सामाजिक आर्थिक कारकों के सम्बन्धों की व्याख्या यथा -- शिशु का आर्थिक महत्व, पुत्र को महत्व देने का कारण, पारिवारिक संगठन, महिला स्तर तथा उपरोक्त से सम्बद्ध कार्यक्रम एवं नीतियाँ सुझाना जिससे जन्म दर पर नियन्त्रण पाया जा सके।

जनपद गाजीपुर की जनसंख्या गत्यात्मकता एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का भौगोलिक विश्लेषण कतिपय परिकल्पनाओं के सत्यापन एवं परीक्षण के लिए किया गया है। परिकल्पनाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में जनसंख्या वृद्धि एवं गत्यात्मक सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवेश के विभिन्न घटकों पर निर्भर हैं। सम्बद्ध परिकल्पनाएं निम्नवत हैं—

(1) विकास प्रक्रिया एवं मानव संसाधन के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध एवं तज्जनित परिणाम ही किसी क्षेत्र की सामाजिक अवसंरचना को निर्धारित करता है।

(2) विकास के आधार भूत कारक के रूप में सम्भावनाएँ व्यापक एवं असीमित है।

(3) श्रमशक्ति की कारक जनसंख्या को विकास में बाधित करने के बजाय सहायक तत्व के रूप में परिभाषित किया जाय।

(4) अत्यन्त पिछड़े कृषिगत समाज में जहाँ मानव संसाधन के विकास को सामन्ती एवं औपनिवेशिक एवं ऐतिहासिक तत्वों ने अवरुद्ध कर रखा है, जनसंख्या बहुत हद तक गरीबी एवं पिछड़ेपन का कारण प्रतीत होती है।

(5) वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का तर्क संगत ढाँचा ही किसी पिछड़े खेतिहर समाज की जनसंख्या समस्या का हल प्रस्तुत करता है।

(6) सघन कृषित क्षेत्रों में स्थानान्तरण के लिए आकर्षण कारक की अपेक्षा प्रतिकर्षण कारण उत्तरदायी है, इस हेतु नगरीय आकार में अप्रत्याशित वृद्धि सर्वोत्तम मायक है।

(7) स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार से मृत्युदर घटती है, परन्तु जन्मदर में अनुकूल कमी नहीं आती है, इस हेतु परिवार कल्याण विधियों की उपलब्धता एवं अनेक सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी हैं।

(8) उच्च प्रजनन दर उच्च मृत्युदर से सम्बद्ध है। सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार छोटे परिवार की स्वीकार्यता में अन्तर है।

विधितन्त्र एवं शोध प्रबन्ध की संरचना-

जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं का समाधान, भौगोलिक दृष्टिकोण से करना तथा क्षेत्रीय प्रादेशिक अन्तर का स्पष्टीकरण जनपद गाजीपुर के विशेष सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जनसंख्या भूगोल में प्रचलित अध्ययन विधियों का यथासम्भव प्रयोग किया गया है। जनसंख्या विश्लेषण में क्रमबद्ध उपागम के साथ विधितन्त्र विश्लेषण एवं व्यावहारिक विधि का प्रयोगं किया गया है जिससे तथ्यों का विश्लेषण किया जा सके। विकासखण्ड को अध्ययन का आधार बनाया गया है क्योंकि यह जनपद के विकास की आधार भूत ईकाई है। जनसंख्या विश्लेषण की परम्परागत विधियों को ही अपनाया गया है तथापि सर्वत्र सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर तथ्यों की प्रामाणिकता में अभिवृद्धि की गयी है।

किसी भी आनुभविक अध्ययन में अभीष्ट कार्य निष्पादन के लिए समाज वैज्ञानिक शोधार्थियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण एवं प्रश्नावली विधि से सूचनाएं एकत्र की जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिदर्श 10 ग्रामों के 500 उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं द्वारा जनसंख्या वृद्धि, व्यवसायिक संरचना, परिवार कल्याण कार्यक्रम की यथार्थता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। सर्वेक्षण के लिए उत्तरदाताओं से उनकी सुविधानुसार सूचनाएं ग्रहीत की गयी हैं। उनकी योग्यता एवं समझ के अनुसार प्रश्नों को पूछा गया है। इस बात का सर्वथा ध्यान रखा गया है कि कहीं कोई सूचना छूट न जाय। उत्तरदाताओं से शिष्टता बनाये रखने का पूरा प्रयास किया गया है। कहीं भी अवांछित हस्तक्षेप का प्रयास नहीं किया गया है।

सम्पूर्ण अध्ययन आठ अध्यायों में विभक्त है। **प्रथम अध्याय** जनपद की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध है जिसमें जनपद की ऐतिहासिकता, स्थिति-विस्तार, उच्चावच,

अपवाह, जलवायविक विशेषताएं, भ्वाकृतिक विभाजन, प्राकृतिक वनस्पति, भूमि उपयोग, शस्य प्रतिरूप एंवं गहनता, शस्य-संयोजन प्रदेश, सिंचाई एवं सिंचाई गहनता, शैक्षिक संस्थाएं, परिवहन संचार तथा पर्यटन स्थलों का विवरण है।

द्वितीय अध्याय में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का विवेचन है जिसमें जनसंख्या वितरण का सामान्य प्रतिरूप बिन्दु विधि एवं वृत्त आरेख द्वारा, अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत वितरण एवं ग्रामों के आकार के अनुसार जनसंख्या वितरण, विकास खण्ड वार वर्गीकृत गाँवों का वितरण, अनधिवासित गाँवों का वितरण, विकास खण्डवार अनधिवासित गाँवों का वितरण प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या घनत्व के अन्तर्गत विकास खण्डवार आंकिक, कृषि, कायिक, एवं पोषण जनसंख्या घनत्व, तथा विकास खण्डवार ग्रामीण जनसंख्या घनत्व एवं नगरीय केन्द्रों का जनसंख्या घनत्व विवरित है।

तृतीय अध्याय में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण किया गया है। जनपद की जनसंख्या वृद्धि का प्रदेश एवं राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि के सन्दर्भ में तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय प्रारूप तहसीलवार एवं विकास खण्ड बार क्रमशः ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के विशेष सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसी अध्याय में धर्मानुसार जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन निर्देशांक, स्थानीयकरण लब्धि, स्थानीयकरण गुणांक, एवं जनसंख्या प्रक्षेपण का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

शोध-प्रबन्ध के **चतुर्थ अध्याय** में जन्मदर, मृत्यु दर एवं जनसंख्या स्थानान्तरण का विश्लेषण प्रभावित करने वाले कारकों के सन्दर्भ मे किया गया है। सर्वेक्षित गाँवों में जन्मदर एवं मृत्युदर, शैक्षणिक स्तर के अनुसार जन्मदर, आयु वर्गानुसार जन्मदर, आयवर्ग एवं आर्थिक स्तर के अनुसार जन्मदर, तथा व्यावसायिक संरचना के अनुसार जन्मदर का स्पष्टीकरण किया गया है। स्थानान्तरण के अन्तर्गत प्रभावित करने वाले कारक, प्रकार, स्थानान्तरण के वर्ग एवं सिद्धान्त तथा आव्रजन, प्रव्रजन का विवेचन क्रमशः ग्रामीण एवं नगरीय क्रम में किया गया है।

पाँचवें अध्याय में जनपद की जनांकिकी संरचना का विवरण है जिसमें लिंग संरचना, आयु संरचना, ग्रामीण एवं नगरीय आयु संरचना तथा जनसंख्या का संरचनात्मक अनुपात, वैवाहिक स्तर, साक्षरता तथा इसका क्षेत्रीय वितरण प्रारूप विकास खण्डवार सम्पूर्ण, स्त्री, पुरुष एवं ग्रामीण, नगरीय, आयुवर्गानुसार साक्षरता, अनुसूचित जाति, जनजाति साक्षरता एवं शैक्षिक स्तर के क्रम में विवेचन किया गया है। व्यावसायिक संरचना के अन्तर्गत कार्यरत जनसंख्या का तुलनात्मक विवरण प्रदेश एवं राष्ट्र के सन्दर्भ में दिया गया है। कार्यरत जनसंख्या का वितरण प्रारूप विकास खण्डवार कृषक; कृषक मजदूर, उद्योग एवं निर्माण कार्य, एवं अन्य व्यवसाय के

क्रम में व्यवस्थित कर विवेचित किया गया है। नगरीय केन्द्रों की व्यावसायिक संरचना का स्पष्टीकरण तथा सर्वेक्षित ग्रामों की व्यावसायिक संरचना का विवेचन भी उपरोक्त क्रम में दिया गया है।

छठाँ अध्याय परिवार कल्याण कार्यक्रम के संगठन एवं कार्यप्रणाली से सम्बद्ध है, जिसमें भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का इतिहास, परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता, बाधाएं एवं प्रगति का मूल्यांकन, राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं जिला स्तर पर संगठन, परिवार कल्याण की विधियाँ, तथा जनपद में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धि का क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति के सन्दर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं को आधार बनाया गया है तथा तद्नुरूप 1976, 1977, 1981, एवं 2000 की जनसंख्या नीतियों की समीक्षा की गयी है तथा दसवीं योजना के दृष्टि-पत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है।

सातवें अध्याय में परिवार कल्याण कार्यक्रम से सन्दर्भित अभिरुचियों का विवरण व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक, एवं जनांकिकी कारकों के विशेष सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। सांस्कृतिक कारकों में परिवार के आकार, पुत्र को वरीयता, पुत्री को वरीयता न देना, धर्म-जाति से सन्दर्भित परिवार कल्याण की अभिरुचियों का विवरण दिया गया है। सामाजिक आर्थिक कारकों में व्यवसाय, मासिक आय एवं शिक्षा तथा जनांकिकी कारकों में विवाह के समय पति-पत्नी की आयु, अंगीकरण के समय पति-पत्नी की आयु एवं जीवित बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ व्यवहृत हैं तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम न अपनाने के कारणों की समीक्षा की गयी है।

आठवें अध्याय में जनसंख्या एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बद्ध समस्याओं, नियोजन एवं उपयुक्त सुझाव दिये गये हैं। जनसंख्या दबाव, जनसंख्या दबाव एवं खाद्यपूर्ति, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, निर्भर जनसंख्या में वृद्धि, निम्न लिंगानुपात, अल्प साक्षरता, व्यावसायिक असन्तुलन आदि प्रमुख जनपद की जनसंख्या समस्याएं है। साधनों की अनुपलब्धता, सीमित आर्थिक सहायता, कर्मचारियों का अभाव, उदासीनता, जनस्वास्थ्य रक्षकों की उपेक्षा, यौन शिक्षा का अभाव, धार्मिक विरोध, अशिक्षा, परिवार व्यवस्था आदि प्रमुख परिवार कल्याण से सम्बद्ध प्रमुख समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए उपयुक्त नियोजन एवं सुझाव दिये गये हैं। अन्त में सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची एवं परिशिष्ट दिया गया है।

❑ **अध्याय 1**

भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

1.1 जनपद गाजीपुर की ऐतिहासिकता-

श्रुतिपरम्परा एवं पौराणिक गाथाओं के समानान्तर पूरे जनपद में ऐतिहासिक तथ्यों का एक जाल बिछा है। उन गाथाओं के अनुसार जनपद गाजीपुर का इतिहास आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं स्वाधीनता संग्राम में उर्जस्वित रहने के साथ ही साथ अपनी संस्कृति को आज भी अपने में समेटे हैं। सतत् प्रवाहिनी शस्यशालिनी मां गंगा इस जनपद की चार तहसीलों से स्पर्श करती हुई यूं गुजरती हैं मानों वह पौराणिक आख्यानों के महर्षियों एवं तपस्वियों को तारने के लिए बलखाती आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ती चली है।

गाजीपुर का नामकरण महाराज गाधि के नाम पर हुआ है। पुराणों में इसे काशी की बहन कहा गया है। पौराणिक काल से जितना आगे बढ़ा जाय गाजीपुर का अस्तित्व उतना ही अधिक स्पष्ट होता है। कहा जाता है कि ज्ञानप्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ से चलकर गाजीपुर में प्रवेश किये और यहां के निवासियों को उपदेश देते हुए वे उत्तर की ओर चले गये। उनके यहां आने के कारण मौर्य और गुप्त सम्राटों ने भी इस जनपद को महत्व दिया। गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त का बनवाया हुआ अभिलेख (सैदपुर भीतरी) में अब भी है जो इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ह्वेनसांग ने इस स्थान को चेन जूं नाम से उद्बोधित किया है जिसका अर्थ सम्राट की राजधानी अर्थात् युद्धपति से लगाया जाता है। इसे ही उधरनपुर या गजराजपतिपुर से जोड़ते हैं।

गाजीपुर के निर्माण की तिथि 730 हिजरी है। जो 1330 ए.डी. के आस-पास है। सैयद मसूद ने गाजी की पदवी धारण कर गाजीपुर नगर को बसाया (गजेटियर 1971) बुद्ध युगीन सिक्के जौहरगंज में तथा स्कन्दगुप्त के जाने के अवशेष भीतरी में गुप्तवंश से जनपद को जोड़ते हैं। लठिया जमानियां का अशोक लाट, प्रहलादपुर की ऐतिहासिकता विशिष्ट है। गाजीपुर शहर में स्थित पहाड़ खां का पोखरा, लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, गंगा पर निर्मित कराई गयी नवली की मशहूर मस्जिद, शेख अब्दुल्ला द्वारा बनवाये गये जलालाबाद एवं कासिमाबाद के किले,

युसुफपुर-मुहम्मदाबाद के शहीद-स्मारक पार्क, सादात का स्वतंत्रता सेनानियो से संबद्ध प्रस्तर लाट इत्यादि ऐतिहासिकता को बढ़ाने में सहायक हैं। (सूचना केन्द्र गाजीपुर 1999)

इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के पिता महाराजा गाधि द्वारा स्थापित और महर्षि यमदग्नि द्वारा पोषित यह भूखण्ड, ॠषियों, महर्षियों, राजाओं, महाराजाओं. संत-महात्माओं, चिन्तको, पराक्रमी, शूरमाओं और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की कर्म स्थली रहा है। महर्षि परशुराम, कण्व की भूमि जैसा कि किवदंती तथा श्रुति परम्परा है, राजा जनक तथा श्रवण कुमार के अलावा इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर स्कन्दगुप्त, पहाड़ खां की कथा को अपने आंचल में छिपाये जनपद की धुरी स्व. डा. शिवपूजन राय, स्व. डा. मुख्तार अहमद और परमवीर चक्र प्राप्त स्व. अब्दुल हमीद को पैदा करके इसे वीर वसुन्धरा बना देती है। सन् 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' मे सादात के अंग्रेज पुलिस थाने के सिपाहियों से, भारत को स्वंतत्र कराने के लिए स्व. कुलदीप सिह यादव एवं स्व. महीप सिंह यादव नामक भाइयों ने जो वीरतापूर्ण संग्राम किये उसके प्रमाण आज भी सादात के लघुशिला पट्ट पर अंकित हैं जो इन्हें भारत मां का अमर सपूत प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता के लिए संघर्षरत मां भारती के सपूतों का बलिदान आत्मोत्सर्ग से सम्बद्ध मुहम्मदाबाद युसुफपुर की घटना, नंदगंज की ह्रदय विदारक घटना, आंकुसपुर पिपरीडीह ट्रेन कांड यहां के क्रांतिकारियों के अपूर्व साहस का दिग्दर्शन कराते हैं।

1.2 स्थिति एवं विस्तार–

गाजीपुर जनपद (25°,19' से 25°,54' उत्तरी अक्षांश तथा 83°.4' से 83°.58' पूर्वी देशान्तर) मध्य गंगा मैदान में स्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल के उत्तरी भाग में स्थित है। जनपद का संपूर्ण क्षेत्रफल 3384.2 वर्ग किमी. है। इसके पश्चिम में आजमगढ़ एवं जौनपुर जनपद उत्तर पूर्व में बलिया जनपद, एवं दक्षिण में वाराणसी जो सभी उत्तर प्रदेश के जिले हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में बिहार प्रांत का शाहाबाद जिला जिसकी सीमा कर्मनाशा नदी बनाती है। स्थित है। जनपद की पूर्व-पश्चिम अधिकतम लम्बाई 90 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण अधिकतम चौड़ाई 64 किलोमीटर है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को पांच तहसीलों गाजीपुर, सैदपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां, जखनियां तथा विकास खण्ड की दृष्टि से 16 विकास खण्डों, गाजीपुर, करण्डा, बिरनों,मरदह, सैदपुर, देवकली, सादात, जखनियां, मनिहारी, मुहम्मदाबाद, भांवरकोल, कासिमाबाद, बाराचॅबर, जमानियां, भदौरा एवं रेवतीपुर में विभक्त कर जनपद का विकास किया जा रहा है।
(चित्र संख्या 1.1)

LOCATION MAP OF DISTT.
GHAZIPUR
UP
INDIA
Uttaranchal
U. P.
STUDY AREA
REFERENCE MAP
A Z A M G A R H
B A L L I A
J A U N P U R
V A R A N A S I
B I H A R
G A N G A
R I V E R
KARAMNASA NADI
Jakhania
Sadat
Manihari
Birno
Mardah
Qasimabad
Barachawar
Muhammadabad
Bhanwarkol
GHAZIPUR
Saidpur
Deokali
Reotipur
Karnda
Jamania
Bhadaura
Udanti N.
Gangi N.
Chhoti Sarju Nadi
From Jaunpur
From Varanasi
From Azamgarh
To Mau
To Rasra
To Ballia
To Buxar
From Mughal sarai
NH 29
BOUNDARY
H. Q.
STATE
DISTRICT
TAHSIL
BLOCK
RAILWAY LINE
SAMPLE VILLAGES
Km

Fig. 1.1

1.3 उच्चावच्च एवं संरचना–

गाजीपुर जनपद का संपूर्ण भाग सामान्यतः समतल है नदी तटीय क्षेत्रों में ही कटाव के फलस्वरूप तथा नालों के कारण असमतल भूभाग दिखाई पड़ता है। जनपद की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 70 मीटर है। उत्तर-पश्चिम में 73 मीटर तथा दक्षिण-पूर्व में 67 मीटर औसत ऊँचाई है। समूचे जनपद का औसत ढाल नदियों के सामान्य बहाव से उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। यत्र-तत्र प्राचीन अधिवासों के एवं किलों के अवशेष टीलों के रूप में पाये जाते हैं। जो पूरे जनपद के प्राचीन संस्कृति के प्रतीक हैं। प्रायद्वीप तथा वाह्य प्रायद्वीप के बीच में यह मैदान भूमि की पपड़ी के अवगमन को सूचित करता है। जो प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक युगों में बने हुए अवसादों द्वारा पाट दिया गया है। (वाडिया डी.एन. 1939) अध्ययन क्षेत्र का यह भाग दक्षिण में प्राय द्वीपीय भारत को उत्तर में स्थित हिमालय क्षेत्र से अलग करता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सिन्धु गंगा के धंसे भाग में जलोढ मिट्टी के निक्षेप द्वारा इस मैदान की उत्पत्ति हुई है। यह निक्षेप प्लीस्टोसीन युग में प्रारम्भ हुआ तथा आज भी निक्षेपण हो रहा है। (वाडिया 1961) इस सिन्धु गंगा के धंसे भाग की उत्पत्ति से सीधा संबंध रखती है। भूगर्भवेत्ता एडवर्ड स्वेस ने बताया है कि हिमालय केनिर्माण के समय उसके तथा पठार के बीच एक गर्त का निर्माण हो गया था, जिसका नामकरण उन्होंने 'विशाल खड्ड' किया है। यह खड्ड एक विस्तृत अभिनति के रूप में था, जिसकी तली असमतल होने के कारण एक समभिनति (विस्तृत अभिनति के अन्तर्गत छोटी-छोटी अभिनति का होना) के रूप में थी। हिमालय से आने वाली नदियों ने अपने साथ लाये हुए तलछट को जमा करके उसे भर दिया, जिससे विशाल मैदान का सृजन हुआ। इनके अनुसार विशाल खड्ड का तल असमान था जिसका ढाल उत्तर की ओर मन्द, परन्तु प्रायद्वीप की ओर खड़ा था। स्वेस न बताया कि मैदान के नीचे हिमालय तथा पठारी भाग कड़ी चट्टानों द्वारा सम्बद्ध है।

सतलज-गंगा-ब्रह्मपुत्र के पूर्वी मैदान में ही अध्ययन क्षेत्र का मुख्य भाग आता है। इस मैदान की गहराई बहुत अधिक है। प्रतिवर्ष गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गयी बारीक काप मिट्टी की तहें जमती जाती हैं। यह मैदान अपेक्षाकृत अधिक नम और निम्न भूमि वाला है। अध्ययन क्षेत्र में बांगर के मैदान पाये जाते हैं। इसमें चीका एवं रेत की प्रधानता है। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गयी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। गंगा का सारा मैदान ही बांगर और खादर नामक ऊंची-नीची भूमि से बना हुआ है। प्राचीन जलोढ़ अर्थात् बांगर क्षेत्र एक बड़े भूभाग पर विस्तृत हैं। नये जलोढ़ अर्थात् खादर प्रायः बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में ही मिलते हैं।

1.4 अपवाह एवं जलाशय–

अध्ययन क्षेत्र मध्य गंगा मैदानी भूभाग केगंगा अपवाह प्रणाली मे स्थित है। इस जनपद में दो महत्वपूर्ण नदियां गंगा एवं गोमती हैं। जो अपनी सहायक नदियों (कर्मनाशा, गांगी, मंगई, बेसू व छोटी सरयू) के साथ क्षेत्र मे प्रवाह प्रणाली को विकसित करते हैं। गंगा नदी ऊंचे कगार से युक्त प्राचीन ग्रंथों में पवित्र एवं स्वर्ग के समान मानी गयी है। यह बर्फीले हिमालय के क्षेत्र से निकल कर उत्तर काशी, हरिद्वार, बदायूं, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए इस जनपद के दक्षिण सीमा में प्रवेश करती है। पवित्र गोमती पीलीभीत से निकलकर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर तथा जौनपुर होते हुए गाजीपुर जनपद के पश्चिम भाग में प्रवेश कर कुछ ही दूर प्रवाहित होकर गाजीपुर वाराणसी की सीमा बनाते हुए कैथी में गंगा नदी से मुहाना नामक स्थान पर मिलती है।

जनपद में गंगा एवं गोमती की कुल लम्बाई क्रमशः 90 किमी. तथा 30 किमी. है। अनेक मौसमी नाले गंगा के दोनों ओर मिलते हैं। इस प्रकार ये दोनों नदियां उबड़-खाबड़ क्षेत्र का विकास करती हैं। वर्षा में इन नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है। कर्मनाशा नदी मिर्जापुर के कैमूर से निकल कर वाराणसी होती हुई शाहाबाद (बिहार) की सीमा से प्रवाहित होती है। कर्मनाशा नदी में बाढ़ अधिकतर आती रहती है, इसकी बाढ़ की विभीषिका का वर्णन डा. शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कहानी 'कर्मनाशा की हार' में किया है। इस नदी की औसत चौड़ाई 100 मीटर है। छोटी सरयू आज मगढ़ से बलिया होकर जनपद की सीमा बनाती हुई बहती है। गांगी नदी आजमगढ़ से होकर जनपद के पश्चिम भाग से प्रवेश करके मैनपुर में गंगा में मिल जाती है। वेसू नदी जनपद के पश्चिम भाग से प्रवेश करके शादियाबाद, युसुफपुर होते हुए घौसपुर में गंगा से मिल जाती है। 'मंगई' नदी भी आजमगढ़ से प्रवाहित होती हुई जनपद के उत्तर पश्चिम भाग से प्रवेश करके पूर्व की ओर बलिया जनपद में चली जाती है। जनपद गाजीपुर में प्रवेश करने से पूर्व मंगई नदी सुल्तानपुर से निकलकर 140 किमी. दूरी तक प्रवाहित होती है। (चित्र संख्या 1.4)

1.4.1 जलाशय–

अध्ययन क्षेत्र मुख्यतया गंगा नदी के बाढ़ से प्रभावित होता है। जब इसमें बाढ़ आती है तो इसकी सहायक नदियां विशेषकर गोमती और वेसू नदी का जल अवरूद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है। इन नदियों से वर्षा काल में बाढ़ की विभीषिका भयावह

DISTRICT GHAZIPUR
DRAINAGE
N
Bhainsahi Nadi
Daritol Jarotham Tal
Mangai Nadi
Nadah Tal
Besu Nadi
Udanti Nadi
Gunwa Tal
Gangi Nadi
Gomti River
GANGA RIVER
KARAMNASA NADI
8 4 0 8 16
Km

Fig 1.2

हो जाती है। अध्ययन क्षेत्र में इसके द्वारा खरीफ फसल अधिक प्रभावित हो जाता है। लेकिन खादर भूमि पर खेती करने वाले किसान बड़ी बाढ़ की अपेक्षा करते हैं। क्योंकि बाढ़ के द्वारा नई उपजाऊं मिट्टी जम जाता है जिससे अच्छी रबी फसल प्राप्त हो जाती है। नदियों के अतिरिक्त वर्षा के मौसम में बहुत सी झीले एं तालाब अधिकतम क्षेत्रों को जलमग्न कर देते हैं। 1774, 1784, 1797, 1830, 1891, 1894, 1955, 1961, 1974, 1980, 1987, 1993 की बाढ़ प्रमुख है। गाजीपुर शहर 1903, 1915, 1922, 1943, 1980, 1993 तथा 1998 में भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुआ है। जनपद में जलाशयों की मात्रा कम ही है। अत्यधिक वर्षा, अल्प ढाल, निष्कासन स्रोतों की कमी एवं अक्षमता तथा सामान्य प्रवाह में अवरोध इत्यादि तत्वों के परिणाम स्वरूप अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ भागों में जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। **(चित्र संख्या 1.4)**

1.5 जलवायु–

मानव जीवन को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। जलवायविक विशिष्टताएं, भूमि उपयोग के प्रकार, उसकी गहनता, फसलों के उत्पादन वितरण इत्यादि को प्रभावित करके क्षेत्र विशेष के जनसंख्या वहन क्षमता को बहुत अंशों तक निर्धारित करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत सन्दर्भ में जलवायविक तत्वों का विश्लेषण विशेषतः उनके ऋत्विक परिप्रेक्ष्य में किया गया है- **(चित्र संख्या 1.3)**

1.5.1 तापमान–

अध्ययन क्षेत्र का औसत तापमान (वार्षिक) 24.85 से.ग्रे. (2000) है। वर्ष के सबसे ठण्डे माह जनवरी का औसत तापमान 4.3 एवं सबसे गर्म माह मई का औसत तापमान 45.6° से.ग्रेट है। कभी-कभी ठण्डी हवाओं से तापमान इतना गिर जाता है कि रबी की फसल (दलहन, तिलहन) को बहुत हानि पहुंचती है। गर्मी की ऋतु में गर्म हवाओं (लू) एवं शीत ऋतु में ठण्डी हवाओं (शीतलहरी) के प्रभाव स्वरूप तापक्रम में आकस्मिक परिवर्तन होता है।

1.5.2 वायुभार-

शीत ऋतु के प्रारम्भ (अक्टूबर) में वायुमण्डलीय दाब 1001.5 मिलीबार तथा जनवरी का वायुदाब 1008.4 मिलीबार हो जाता है। फरवरी में तापक्रम के वृद्धि के पश्चात् वायुदाब

घटने लगता है तथा मई में यह 994.2 मिलीबार तक पहुंच जाता है। जून एवं जुलाई के महीने न्यूनतम वायुमण्डलीय दाब क्रमशः 990.2 एवं 991.1 मिलीबार प्रदर्शित करते हैं।

1.5.3 वायुदिशा-

वायुदिशा मौसम परिवर्तन के साथ-साथ बदलती रहती है। वर्षा ऋतु (जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के मध्य तक) में दक्षिण पूर्व मानसूनी हवाएं लती हैं। जबकि शीत ऋतु (मध्य अक्टूबर से फरवरी तक) में उत्तरी पूर्वी हवाओं की प्रधानता होती है। ग्रीष्म ऋतु (मार्च के प्रारम्भ से जून तक) में प्रायः पश्चिमी भाग से अत्यधिक गर्म हवायें चलती हैं। जिसे लू कहते हैं। कभी-कभी धूलभरी प्रचण्ड वायु (आंधी) भी अध्ययन क्षेत्र को प्रभावित करती हैं।

1.5.4 सापेक्षिक आर्द्रता-

मौसम में भारी परिवर्तन, क्षेत्र विशेष की सापेक्षिक आर्द्रता में परिलक्षित होता हैं। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता अगस्त (85.6%) वर्षा ऋतु में एवं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 36.7% ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है। दिसम्बर एवं फरवरी महीनों में औसत सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 73.1% एवं 66.0% रहती है। **(तालिका 1.1)**

1.5.5 वर्षा-

ज़लवायविक तत्वों में वर्षा अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून अध्ययन क्षेत्र की वर्षा का मुख्य स्रोत है। इसका आगमन यहां प्रायः जून के अंतिम सप्ताह में होता है तथा यह मध्य अक्टूबर तक वर्षा प्रदान करता है। कभी-कभी मानसून विलम्ब से प्रारम्भ होता है तो वह अपने सामान्य समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। सामन्यतया वार्षिक वर्षा (1007.8 मिमी.) का 75 प्रतिशत भाग मध्य जून से मध्य सितम्बर में प्राप्त होता है। शेष 25.0 प्रतिशत शीत ऋतु के दिसम्बर जनवरी एवं फरवरी माह में उपलब्ध होता है। जो रबी की फसल के लिए विशेष उपादेय होता है।

1.6 ऋतुएं-

तापमान, वायुदाब, वर्षा की मात्रा एवं वर्षा युक्त दिनों की संख्या के आधार पर वर्ष को तीन ऋतुओं में बांटा जा सकता है-

1.6.1 ग्रीष्म ऋतु-

ग्रीष्म ऋतु मार्च के महीने से प्रारम्भ होती है। क्रमशः तापमान बढ़ने लगता है तथा मई एवं जून के महीनों में गर्मी अत्यधिक तथा असहनीय हो जाती है। दोपहर में घर के बाहर काम करना असह्य हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु का उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 37.67° एवं 21.42° से0ग्रे0 होता है। इस ऋतु में तापान्तर 16.25° से0ग्रे0 रहता है। सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण धरातल वनस्पति विहीन होने लगता है। ग्रीष्म ऋतुओं में गर्म शुष्क हवा, जिसे 'लू' कहते हैं मई एवं जून में विशेष प्रभावकारी होती है। कभी-कभी लू के साथ आंधी भी चलती है। आंधी के बाद यदा-कदा वृष्टि भी हो जाती है जो हवा में ठण्डक ला देती है। गंगा घाटी में इसे 'नार्वेस्टर' कहते हैं तथा इससे कभी-कभी आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा हो जाती है। जब आंधी की गति 85-90 किमी. प्रतिघंटा तक हो जाती है तो वह विशालकाय वृक्षों एवं छप्पर की छतों का विनष्टीकरण कर देती हैं। इस ऋतु में हल्की वर्षा के पश्चात् दिन की तेज गर्मी से आराम मिलता है तथा कभी-कभी तत्काल ही खरीफ की तैयारी हेतु जुताई प्रारम्भ हो जाती है।

तालिका 1.1

जनपद गाजीपुर की औसत जलवायविक दशाएं (1911-2000)

	तापमान (से.ग्रे.)			सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत	वायुभार (मि.बार)	वर्षा (मिमी.)	वार्षिक वर्षा का प्रतिशत
	अधिकतम	न्यूनतम	औसत				
जनवरी	23.4	8.3	15.8	77.0	1008.4	14.7	1.45
फरवरी	27.2	11.4	19.3	66.0	1006.0	17.5	1.75
मार्च	33.3	16.7	25.0	47.8	1002.8	7.6	0.75
अप्रैल	38.4	22.3	30.3	38.7	998.9	7.6	0.75
मई	40.8	24.9	32.8	45.3	994.2	17.5	1.73
जून	38.2	22.0	30.3	59.5	990.2	123.9	12.29
जुलाई	33.8	26.0	29.9	80.2	991.1	273.6	27.21
अगस्त	32.7	22.1	28.9	85.6	996.6	181.4	17.99
सितम्बर	32.4	19.4	27.4	82.1	1001.5	95.7	5.92
अक्टूबर	29.4	14.5	25.9	73.0	1006.1	5.6	0.5
नवम्बर	26.3	18.5	21.8	66.5	1007.1	5.7	0.55
दिसम्बर	24.3	8.8	16.5	73.1	1009.5	4.3	0.44

स्रोत- जिलाधीश कार्यालय से प्रकाशित आंकड़ा।

1.6.2 वर्षा ऋतु-

जून के अंतिम सप्ताह से वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। किन्तु सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त के महीनों में होती है। इस ऋतु में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90 प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। इस समय सापेक्षिक आर्द्रता बहुत अधिक लगभग 86 प्रतिशत हो जाती हैं। तथा औसत तापक्रम 26^0 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के आगमन का समय एवं वर्षा की मात्रा एक समान नहीं रहती। इसमें प्रायः परिवर्तन होता रहता है। कभी-कभी तीव्र हवायें चलती हैं। जुलाई से मध्य अक्टूबर तक वायुदाब 991.12 मीलीबार से 1001.5 मिलीबार के मध्य घटता-बढ़ता रहता है।

1.6.3 शीत ऋतु–

शीत ऋतु में आकाश स्वच्छ एवं नीला रहता है। अक्टूबर में दक्षिण पूर्व मानसून की वापसी के साथ इसका आगमन होता है। सामान्यतः तत्काल ही तापक्रम में कमी प्रारम्भ हो जाती है। दिन के समय आकाश निर्मल रहता है। जिससे धरातल पर पर्याप्त सूर्यातप प्राप्त होता है किन्तु रात्रि में आकाश के निर्मल होने से विकिरण क्रिया द्वारा ताप का आसानी से ह्रास हो जाता है। परिणाम स्वरूप रात्रि ठंडी और दिन कुछ गर्म रहता है। नवम्बर में गाजीपुर का औसत सामान्य तापक्रम 14.5^0 सेन्टीग्रेड एवं अधिकतम तापमान 29.4^0 सेंटीग्रेट रहता है। दिसम्बर की रात्रि अधिक ठंडी और दिन मामूली गर्म होते हैं। जनवरी वर्ष का सबसे ठंडा माह (औसत 8.3^0 सेंटीग्रेट के आस पास) होता है।

फरवरी माह में मौसम में सूक्ष्म-परिवर्तन प्रारम्भ हो जाता है। वायुदाब एवं पवन की दिशा पूर्ववत रहती है लेकिन ताप में धीरे-धीरे वृद्धि होने लगती है। वायु महाद्वीपीय होने के कारण प्रधानतः शुष्क होती है। कभी-कभी उत्तरी पश्चिमी चक्रवात आ जाते हैं, अन्यथा मौसम साफ रहता है। उक्त चक्रवात से शरद ऋतु में कुछ वर्षा हो जाती है जिससे तापमान में गिरावट के साथ-साथ ठंडी पछुंवा की अनुभूति होती है। प्रायः दो एक दिन ही बदली का मौसम होता है अन्यथा आकाश स्वच्छ रहता है। शीत ऋतु की हल्की वर्षा का रबी की फसल पर अत्यंत लाभदायक असर होता है। इस समय शीत लहरी का प्रभाव मानव स्वास्थ्य तथा फसलों के लिए हानिकारक होता है। ऐसा प्रकोप बहुधा दिसम्बर एवं जनवरी के महीनों में देखा जाता है।

DISTRICT GHAZIPUR
AVERAGE CLIMATIC CONDITIONS
1911-2000
TEMPERATURE (°C)
RAINFALL (Cm)
RELATIVE HUMIDITY (%)
Max Temp.
Mean Temp.
Minim. Temp.
Relative Humidity
J F M A M J J A S O N D
CLIMOGRAPH
WET BULB TEMPERATURE (°C)
RELATIVE HUMIDITY (%)
HYTHERGRAPH
MEAN TEMPERATURE (°C)
RAINFALL (Cm)

Fig. 1.3

1.7 भौतिक विभाजन–

उच्चावच्च, अपवाह एवं मृदा के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को निम्म भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है— (चित्र 1.4)

1.7.1 उत्तरी गंगा मैदान-

छोटी सरयू और गंगा के मध्य स्थित इस भूभाग का क्षेत्रफल 2424 वर्ग किमी. जो संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का 69.9 प्रतिशत है। इस विभाग को निम्न उपविभागों में विभक्त किया गया है-

1.7.1.1 बेसू-छोटी सरयू के मध्य मैदानी भूभाग-

इस भूभाग का क्षेत्रफल 1240 वर्ग किमी. (35.9 प्रतिशत पूरे अध्ययन क्षेत्र का) है। इस भूभाग में अनेकों ताल एवं झील पायी जाती है। जिसमें हाथी, कुरावल, असली बूखर, तथा उज्जैन मुख्य हैं। इस भूभाग में ऊसर एवं अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टियों के छोटे-छोटे क्षेत्र फैले हैं। बेसू नदी के दाहिने किनारे वाला भूभाग ज्यादा ऊंचा नीचा एवं कटा हुआ है।

1.7.1.2 बेसू-गंगा मध्य मैदानी भूभाग-

कुल क्षेत्रफल के 34 प्रतिशत (1184 वर्ग किमी.) भूभाग पर फैला है। यह क्षेत्र अधिकांशतया खादर है। जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। परिणामतः नयी बाढ़ द्वारा लाई गयी मिट्टी का जमाव होता रहता है। इस क्षेत्र में कुसाताल तथा परना झील मुख्य जल संग्रहण क्षेत्र पाये जाते हैं।

1.7.2 गंगा के दक्षिण का मैदानी भूभाग-

गंगा एवं कर्मनाशा नदियों के मध्य स्थित इस भूभाग का क्षेत्रफल संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का 30.10 प्रतिशत (1040 वर्ग किमी.) बड़का ताल तथा गोहदा-वाला ताल इस क्षेत्र के मुख्य ताल हैं।

1.8 मिट्टियां-

अध्ययन क्षेत्र जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित है। नवीन जमाव के कारण मृदा परिच्छेदिका पूर्णतया विकसित नहीं है। स्थानीय उच्चावच्च एवं अपवाह में अंतर, मृदा संरचना में विभिन्नता दृष्टिगोचर करता है (मेहरोत्रा सी.एम. 1968) अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी को निम्नलिखित विभागों में विभक्त किया गया है। (चित्र 1.4)।

1.8.1 गंगा खादर मिट्टी-

यह मिट्टी अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंगा नदी के आस पास पाई जाती है। गंगा-गांगी के मध्य के अधिकांश भूभाग में इस प्रकार की मिट्टी है। मृदा संरचना बलुई एवं बारीक दोमट के बीच है इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक है। लवणता मध्यम एवं पी.एच.मूल्य 7.4 है।

1.8.2 गंगा-पार खादर मिट्टी-

यह मिट्टी अपेक्षाकृत दोमट संरचना वाली है एवं अध्ययन क्षेत्र के जमानियां एवं बाराचवर विकास खण्डों में पायी जाती है। कालान्तर में मिट्टी वनावट प्रक्रमों ने अत्यधिक विकसित मृदा परिच्छेदिका का निर्माण किया है। जो कहीं- कहीं चूने के संसाधनों से युक्त है। इसकी लवणता मध्यम एवं पी.एच. मूल्य 7.7 है। यह मिट्टी गेहूं, जौ एवं चना आदि फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।

1.8.3 उत्तरी उच्च-भूभागीय मिट्टी-

अध्ययन क्षेत्र के मध्य के अधिकांश भूभाग में इस प्रकार की मिट्टी है। गांगी नदी के किनारे का पतले भूभाग में भी इस प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। यह उपजाऊँ दोमट मिट्टी है जिसका पी.एच. मूल्य 7.0 है। इसका रंग पीले भूरे से गहरे भूरे के बीच है तथा मृदा परिच्छेदिका प्रौढ़ है।

DISTRICT GHAZIPUR
PHYSIOGRAPHIC DIVISION
SURFACE CONFIGURATION
CHHOTI SARJU
I-A
Mangai
Nadi
Besu
Nadi
Gangi
Nadi
I-B
RIVER
II
GANGA
I-North Ganga Plain
A-Besu Chhoti Sarju Plain
B-Besu Ganga Plain
II-South Ganga Plain
72
70
RIVER
68
66
72
GANGA
70
70 Contour (m.)
66
68
SOILS
Khadar karail Light Shllowclay
Northern Saune Alkali
Northern Low Land
Southern Low Lands
Trans Khader
Ganga Khadar
Northern Upland
Small Ravines Broken Lands Unclasified
Northern Low Land Alkali
Southern Low Lands Karail Deep Medium Clay
GANGA R.
5 0 5 10 15 20
Km

Fig. 1.4

1.8.4 उत्तरी निम्न भू-भागीय मिट्टी-

यह मटियार दोमट प्रकार की मिट्टी है जो अध्ययन क्षेत्र के निम्न भूभाग यथावाराचवर, गाजीपुर, देवकली, सैदपुर, मरदह, एवं विरनो विकास खंडों में पायी जाती है। सामान्यतया यह मिट्टी रेह से प्रभावित है। लगभग 0.5 मीटर की गहराई पर उपस्थित कटोर कंकड़ की परत वर्षा के पानी को अंदर जाने से रोक देती है। यह मिट्टी सामान्य से मध्यम स्तर की क्षारीय है। एवं इसका पी.एच. मूल्य 6.7 है।

1.8.5 दक्षिणी निम्न भूभागीय मिट्टी-

यह गहरे रंगवाली मटियार मिट्टी है। यह जब नम रहती है तब काफी मुलायम रहती है लेकिन सूख जाने पर अत्यधिक कठोर हो जाती है। फलस्वरूप दरारों का प्रादुर्भाव होता है। सामान्यतया यह जमाँनिया, रेवतीपुर, करण्डा एवं भदौरा विकास खंडों में पाई जाती है। कर्मनाशा नदी के आस-पास यह मिट्टी कुछ सीमा तक हल्की है। इसकी लवणता मध्यम एवं पी.एच. मूल्य 7.4 से 8.1 के मध्य है।

1.8.6 बीहड़ मिट्टी-

यह गांगी एवं बेसू नदियों के किनारे प्रमुखतया सैदपुर, सादात एवं मनिहारी विकास खंडो में पायी जाती है। यह अवर्गीकृत मिट्टी है एवं मृदा परिच्छेदिका पूर्ण विकसित नहीं है। इसकी लवणता मध्यम एवं पी.एच.मूल्य 8.2 है।

1.9 प्राकृतिक वनस्पति–

किसी भी भूभाग की वनस्पति वहां के जलवायु के विविध तत्वों विशेषकर तापक्रम, वर्षा, मिट्टी तथा भूपृष्ठ के वैज्ञानिक इतिहास से प्रभावित होती है। (सिंह जगदीश 1996) प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मानसून जलवायु के अन्तर्गत आता है। यहां उगने वाले वृक्ष ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिसके कारण इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। वनस्पति प्रधानतः चरागाह एवं

बगीचे के रूप में है। सामान्यतया वनस्पतियां अधिक सघन नहीं है तथा इनमें बड़े वृक्षों की ऊंचाई 30-35 मीटर तक पाई जाती है। आम, जामुन, शीशम, नीम, बेर, महुआ, पीपल, बरगद, बांस इत्यादि यहां के प्रमुख वृक्ष हैं। फलदार वृक्षों का वितरण प्रायः बगीचे के रूप में दृष्टव्य होता है। जिसमें नीम, शीशम एवं बांस भी लगे रहते हैं। अधिकांशतः बस्तियों में मकानों के सामने छाया के लिए नीम के वृक्ष तथा तालाब एवं बावलियों के किनारे बांस कुंज देखने को मिलता है। बरगद, पीपल तथा पकड़ी के वृक्ष कम संख्या में एवं सार्वजनिक स्थानों पर पाये जाते हैं। क्योंकि अन्य वृक्षों की तुलना में ये अधिक भूमि घेरते हैं तथा अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण इनकी लकड़ी अनुपयोगी होती है। हिन्दू धर्म-दर्शन में पीपल का वृक्ष काटना अपराध माना जाता है, क्योंकि भगवत् गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। फलतः पीपल के बहुत पुराने वृक्ष भी विद्यमान हैं। वर्तमान में सघन वृक्षारोपण के अन्तर्गत शीशम, यूकेलिप्टस, गुलमोहर के वृक्ष सड़कों के किनारे लगाये जा रहे हैं। सघन वनस्पति के अभाव के कारण वन्य जन्तुओं का सर्वथा अभाव है। सियार, लोमड़ी, नीलगाय (जिसे स्थानीय भाषा में 'घड़रोज कहा जाता है) पाये जाते हैं।

1.10 भूमि उपयोग प्रतिरूप-

भूमि एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर सभी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य घटित होते हैं। वस्तुतः मानव की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में भूमि अपनी क्षमता के अनुसार एक संसाधन के रूप प्रतिष्ठित हो जाती है। इस स्थिति में क्षेत्र विशेष के भूमि उपयोग प्रतिरुप का वहां की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान एवं क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बारलो (1961) ने भूमि संसाधन उपयोग को भूमि समस्या एवं उसके नियोजन की विवेचना की धुरी बताया है। कैरियल (1972) ने भूमि उपयोग, भूमि प्रयोग एवं भूमि संसाधन उपयोग को भूमि विकास की तीन विशिष्ट परिरिस्थितियों का द्योतक कहा है। सिंह द्वारा प्रस्तावित सारिणी में भूमि संसाधन उपयोग कृषि विकास की चौथी (व्यापारिक कृषि) अवस्था स्वीकार किया गया है। (सिंह बी.बी. 1979) इस अवस्था में कृषि अप्राप्य भूमि उपयोग में वृद्धि एवं कृषिगत क्षेत्र में ह्रास होने पर भी शस्यक्रम गहनता एवं कृषि गहनता में वृद्धि होती रहती है। तथा कृषकों का झुकाव यांत्रिक कृषि पद्धति तथा मांग एवं पूर्ति पर आधारित मुद्रादायिनी फसलों की ओर अधिक होता है। अध्ययन क्षेत्र में भूमि संसाधन उपयोग इसी अवस्था का द्योतक है।

'भूमि उपयोग' शब्द का प्रयोग 'सावर' (1919) तथा जोन्स एवं 'फ्रिन्च' (1925) द्वारा अपनी कृतियों में 20 वीं शताब्दी के प्रथम चरण में किया गया। परन्तु भूगोल में इसके अध्ययन को वास्तविक एवं व्यावहारिक महत्व 'डडले स्टाम्प के ग्रेट ब्रिटेन के भूमि उपयोग सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ। भारतीय विद्वानों में प्रो. एस.पी. चटर्जी, भाटिया, जसवीर सिंह, पी.एस.तिवारी, 'राव', 'अली', 'सिन्हा' मुनीस रजा, आर.पी. मिश्र, एन.पी. अय्यर, एम.एफ. सिद्दीकी के भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन उपयुक्त हैं।

भूमि उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल है। मानवीय सभ्यता और उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुसार भूमि उपयोग का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। जिसमें परोक्ष रुप से कृषि विकास की आवश्यकताएं अंकित रहती हैं। कृषि कार्य में विशिष्टता एवं विविधता भूमि उपयोग के विकास क्रम की द्योतक है तथा ये मानव जीवन यापन के प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करती हैं। अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित एवं ग्रामीण है। अतः क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विकास खंड स्तर पर भूमि उपयोग का सम्यक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

1.10.1 शुद्ध बोया गया क्षेत्र-

शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके उपयोग की विभिन्न दशाएं मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर की द्योतक है। सामान्यतः मानव कृषि कार्य से संबंधित विभिन्न सुविधाओं का विकास कर कृषित भूमि के विस्तार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। विकास खंड स्तर पर सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1984-85 में भाँवर कोल विकास खंड में 82.96 प्रतिशत तथा सबसे कम गाजीपुर विकास खंड में 71.28 प्रतिशत था। 1999-2000 में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र मुहम्मदाबाद विकास खंड में 84.04 प्रतिशत एवं सबसे कम गाजीपुर विकास खंड में 60.33 प्रतिशत रहा। अन्य विकास खंडों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1999-2000 में जखानियां 82.44, मनिहारी 81.78, सादात 76.94, सैदपुर 79.59, देवकली 78.78, बिरनो 81.33, मरदह 81.20, करण्डा 79.20, कासिमाबाद 79.25, बाराचँवर 81.41, भांवरकोल 81.90, जमानियां 77.86, रेवतीपुर 77.36 एवं भदौरा में 51.56 प्रतिशत रहा। (**परिशिष्ट** 1.1, 1.2 **चित्र सं0** 1.5)

1.10.2 कृषि योग्य बंजर भूमि-

1984-85 में कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वाधिक वितरण मनिहारी विकास खंड में 3.43 प्रतिशत एवं न्यूनतम भाँवरकोल विकास खंड में 0.37 प्रतिशत था। 1999-2000 में सर्वाधिक कृषि योग्य बंजर भूमि मनिहारी विकास खंड में 3.10 एवं सबसे कम जमानियां में 0.06 प्रतिशत रहा। अन्य विकास खंडों में कृषि योग्य बंजर भूमि का वितरण, यथा जखनियां 2.02, सादात 2.09, सैदपुर 1.40, देवकली 1.31, बिरनो 1.77, गाजीपुर 0.77, मरदह 1.99, करण्डा 0.44, कासिमाबाद 1.46, बाराचँवर 1.62, मुहम्मदाबाद 0.64, भाँवरकोल 0.43, रेवतीपुर 1.38, तथा भदौरा में 0.24 प्रतिशत रही। (**परिशिष्ट** 1.1, 1.2, **चित्र सं0** 1.5)

1.10.3 ऊसर एवं कृषि-अयोग्य भूमि-

आधुनिक संदर्भ में कृषि अयोग्य भूमि का अभिप्राय ऐसी भूमि से है जिसे वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं अभिनव तकनीकों द्वारा कृषि गत क्षेत्र में नहीं ला सके हैं। ऊसर भूमि में पर्याप्त सुधार लाया गया है। 1984-85 में सर्वाधिक ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि जमानियां विकास खंड में 4.70 प्रतिशत तथा न्यूनतम भाँवरकोल विकास खंड में 0.70 प्रतिशत थी। अन्य विकास खंडों में इस भूमि का प्रतिशत जखानियाँ में 1.96, मनिहारी में 1.77, सादात में 3.18, सैदपुर में 1.24, देवकली में 1.36, बिरनों में 1.54, गाजीपुर में 1.13, मरदह में 1.46, करण्डा में 4.04, कासिमाबाद में 1.65, बाराचँवर में 1.30, मुहम्मदाबाद में 0.90, रेवतीपुर में 3.27, तथा भदौरा में 1.10 प्रतिशत था। 1999-2000 में सर्वाधिक ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि 3.21 प्रतिशत जमाँनियां विकास खंड में एवं सबसे कम भाँवरकोल विकास खंड में 0.48 प्रतिशत रहा। अन्य विकास खंडों में ऊसर एवं कृषि-अयोग्य भूमि का वितरण प्रतिशत जखनियाँ 1.16, मनिहारी 1.89, बिरनों 1.17, गाजीपुर 1.22, मरदह 1.18, करण्डा 1.69, कासिमाबाद 1.48, बाराचँवर 1.66, मुहम्मदाबाद 0.78, रेवतीपुर 0.59 एवं भदौरा में 0.95 प्रतिशत रहा। (**परिशिष्ट** 1.1, 1.2, **चित्र सं0** 1.5)

1.10.4 कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गयी भूमि-

यह ऐसा गैर कृषि क्षेत्र है जहां इमारतें, औद्योगिक संस्थान, सड़के, रेलवे, जलमार्ग, नहरें आदि भूमि को घेरे हुए हैं। (हुसैन एम. 2000) जनपद में इस प्रकार की भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र 1984-85 में गाजीपुर विकास खंड में 19.23 तथा न्यूनतम 6.00 प्रतिशत मरदह विकास खंड में था। 1999-2000 में सर्वाधिक क्षेत्र गाजीपुर में 22.49 प्रतिशत तथा न्यूनतम मरदह विकास खंड में ही 8.20 प्रतिशत रहा। 1999-2000 में अन्य विकास खंडों में इस प्रकार की भूमि का वितरण प्रतिशत जखनियां 9.80, मनिहारी 8.35, सादात 10.13, सैदपुर 10.01, देवकली 10.75, बिरनों 9.96, करण्डा 18.13, कासिमाबाद 7.64, बाराचँवर 9.02, मुहमम्दाबाद 9.86, भाँवरकोल 9.93, जमानियां 15.47, रेवतीपुर 14.54 तथा भदौरा में 11.53 प्रतिशत रहा। (**परिशिष्ट** 1.1, 1.2, **चित्र सं0** 1.5)

1.10.5 परती भूमि-

परती भूमि वह भूमि होती है जो कभी कृषि के अधीन थी परन्तु वर्तमान समय में कतिपय कारणों से उस पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उत्तर दायी कारणों में किसान की असमर्थता, जलाभाव, मृदा अपरदन, अलाभजनक स्थिति, आदि। (हुसैन एम. 2000) जनपद में सर्वाधिक परतीभूमि 1984-85 में कासिमाबाद विकास खंड में 10.78 प्रतिशत, सबसे कम भदौरा विकास खंड में 3.30 प्रतिशत थी। 1999-2000 सर्वाधिक परती भूमि कासिमाबाद विकास खंड में 3.05 प्रतिशत तथा सबसे कम जमाँनियां में 0.43 प्रतिशत रही। (**परिशिष्ट** 1.1, 1.2, **चित्र संख्या** 1.5)

1.10.6 चरागाह, उद्यान एवं वृक्ष-

1984-85 में सर्वाधिक चरागाह सादात विकासखंड में 1.41 प्रतिशत था तथा न्यूनतम 0.003 प्रतिशत भाँवरकोल विकास खंड में था। 1999-2000 में सर्वाधिक क्षेत्र सादात में ही 0.92 प्रतिशत तथा मुहम्मदाबाद जमाँनियां, भदौरा चरागाह विहीन रहे।

DISTRICT GHAZIPUR
LAND USE PATTERN
1999 - 2000
Jakhania
Mardah
Qasimabad
Barachowar
Birno
Manihari
Muhammadabad
Sadat
Ghazipur
Bhanwarkol
Saidpur
Deokali
Karanda
Reotipur
Bhadaura
Zamania
GANGA RIVER
GANGA
Net Area Sown
Cultivable Waste
Area Not Available For Cultivation
Other Uncultivated Land
Fallow Land
Garden and Grazing
5 0 5 10 15
Km
(After prof. K. Roy)

Fig. 1.5

उद्यान वृक्ष तथा झाड़ियों का प्रतिशत 1984-85 में सर्वाधिक रेवतीपुर में 2.00 प्रतिशत तथा न्यूनतम 0.50 प्रतिशत गाजीपुर विकास खंड में रहा। (**परिशिष्ट** 1.1, 1.2, **चित्र संख्या** 1.5)

1.11 शस्य प्रतिरूप एवं क्षेत्रीय वितरण प्रारूप

क्षेत्र विशेष में फसलों के क्षेत्रीय वितरण प्रारुप को शस्य प्रतिरूप की संज्ञा दी जाती है। यह कुल फसलगत क्षेत्र अथवा सकल बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो भौतिक सामाजिक आर्थिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक आदि कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उपरोक्त कारकों में असमान वितरण के कारण ही शस्य प्रतिरूप में क्षेत्रीय एवं सामयिक अंतर पाया जाता है। भौतिक कारकों में वर्षा, तापक्रम, ढाल, आर्द्रता, जल स्तर का प्रभाव शस्य प्रतिरूप एवं फसल चक्र पर पड़ता है। कृषि अर्थशास्त्री लोकनाथन (1967) द्वारा फसल चक्र पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष अध्ययन किया गया है। डी. झा (1963) कृषक परिवारों के सिंचाई साधनों से संपन्न कार्य के शस्य स्वरूप के आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया। सी. रामलिंगन ने लघु स्तर पर शस्य स्वरूप तथा जोत-आकार, रैयतवारी, सिंचाई, शुद्ध लाभ, मिश्रित फसल व्यवस्था के आधार पर शस्य-प्रतिरूप का अध्ययन किया है। जोत आकार में वृद्धि के साथ-साथ व्यापारिक फसलों के क्षेत्र में वृद्धि होती है तथा खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में ह्रास होता है (जोगलेकर 1963) प्रस्तुत अध्ययन में शस्य प्रतिरूप की विवेचना विभिन्न प्रभावी कारकों के संदर्भ में विकास खंडवार की गयी है जिससे फसल वितरण संबंधी विशेषताएं सुगमता से स्पष्ट हो जाँय—

1.11.1 धान या चावल-

खाद्यान्नों में धान या चावल एक महत्वपूर्ण फसल है व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन जनपद के सभी विकास खंडों में होता है। 1984-85 में सकल बोये गये क्षेत्र का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र मरदह विकास खंड में 39.78 प्रतिशत तथा न्यूनतम 8.59 प्रतिशत भाँवरकोल विकास खंड में था। 1999-2000 में सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र मरदह 44.74 एवं न्यूनतम करण्डा 16.23 प्रतिशत रहा। (**परिशिष्ट** 1.3, 1.4)

1.11.2 गेहूं-

वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र में गेहूं सर्वप्रमुख फसल है। 1984-85 में सर्वाधिक सकल बोये गये क्षेत्र से मरदह विकासखंड में 39.78 प्रतिशत तथा सबसे कम भाँवरकोल विकास खंड में 27.08 प्रतिशत उत्पन्न हुआ था। 1999-2000 में सर्वाधिक गेहूं सैदपुर विकास खंड मे 51.11 प्रतिशत, तथा सबसे कम 24.18 प्रतिशत भोंवरकोल विकास खंड में उत्पादित हुआ है। सिंचाई सुविधाओं की अभिवृद्धि ने अधिक क्षेत्रों पर गेहूं की कृषि को विस्तीर्ण करने में सहायता की है। इसके साथ-साथ उन्नत बीजों एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग ने गेहूं की कृषि को प्रभावित किया है। (**परिशिष्ट** 1.3, 1.4)

1.11.3 मक्का-

मक्का की कृषि 1984-85 में सैदपुर में सर्वाधिक 3.30 प्रतिशत एवं सबसे कम भदौरा में 0.05 प्रतिशत भाग पर होती थी। धान की कृषि में उत्तरोत्तर विकास से मक्का क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है। 1999-2000 में सर्वाधिक मक्का उत्पादक क्षेत्र मुहम्मदाबाद विकास खंड में 0.81 प्रतिशत तथा सबसे कम 0.005 प्रतिशत जमाँनियां विकास खंड में रहा। (**परिशिष्ट** 1.3, 1.4)

1.11.4 जौ-

1984-85 में सर्वाधिक जौ उत्पादक क्षेत्र गाजीपुर में 4.36 प्रतिशत एवं सबसे कम मरदह में 1.73 प्रतिशत था। 1999-2000 में सर्वाधिक जौ उत्पादक क्षेत्र रेवतीपुर 4.26 प्रतिशत रहा। जबकि सबसे कम 0.78 प्रतिशत देवकली में रहा। (**परिशिष्ट** 1.3, 1.4)

1.11.5 ज्वार-बाजरा-

1984-85 में ज्वार-बाजरा के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भोवरकोल में 13.71 प्रतिशत तथा सबसे कम मरदह में 1.94 प्रतिशत था। 1999-2000 में सर्वाधिक क्षेत्रफल करण्डा में 14.23 प्रतिशत तथा सबसे कम मरदह में 0.46 प्रतिशत रहा। (**परिशिष्ट** 1.3, 1.4)

उपरोक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि जिन फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है उनका प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है। जबकि अल्प जल की आवश्यकता वाली फसलें जैसे जौ का प्रतिशत निरन्तर कम हो रहा है। इसका सीधा संबंध सिंचाई साधनों के विकास से है। तालिका

1.2 से स्पष्ट है वर्तमान में गेहूं 40.2 प्रतिशत, धान 33.90, जौ 2.4, बाजरा 3.4, दालें 11.1, तिलहन 0.2, आलू 2.3, गन्ना 4.4 एवं 2.0 प्रतिशत पर अन्य फसलें उगाई जा रही हैं। (तालिका 1.2)

तालिका 1.2

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (1999-2000)

फसल	क्षेत्रफल	
	हेक्टेयर	प्रतिशत
गेहूं	146065	40.2
धान	123270	33.9
जौ	8758	2.4
बाजरा	12387	3.4
कुल दालें	40360	11.10
कुल तिलहन	487	0.20
आलू	8585	2.30
गन्ना	15898	4.40
अन्य फसलें	7544	2.00

स्रोत- जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000

1.12 शस्य गहनता-

शस्य गहनता का अभिप्राय कृषि क्षेत्र में फसलों की आवृत्ति से है। अर्थात् एक निश्चित कृषि क्षेत्र पर फसल वर्ष में कितनी बार उगाई जाती है। फसलों की यही आवृत्ति उस क्षेत्र विशेष की शस्य गनहता कहलायेगी। शस्य क्रम गहनता वह सामयिक बिन्दु है जहां भूमि श्रम, पूंजी का सम्मिश्रण सर्वाधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। (स्टाम्प एल.डी. 1962)। इस प्रकार शस्य गहनता मुख्यतः प्राकृतिक, मृदा एवं जलवायु, तकनीकी, प्रबंधकीय, सिंचाई, मशीनीकरण, फसल चक्र तथा जैविक उन्नतशील बीज आदि कारकों का योग है। यदि इस संकल्पना का तात्पर्य एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलोत्पादन है तो यह निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है-

$$\text{शस्य गहनता} = \frac{\text{कुल फसलगत क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

उंपरोक्त सूत्र के आधार पर जनपद गाजीपुर की औसत शस्य क्रम गहनता 1974-75 में 126.31 प्रतिशत तथा 1984-85 में 142.72 प्रतिशत थी तथा 1989-90 में 147.83 तथा 1999-2000 में औसत शस्य क्रम गहनता 150.82 है। परन्तु विकास खण्ड स्तर पर इसमें पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। 1989-90 में एवं 1999-2000 में सबसे कम शस्य गहनता क्रमशः सादात (122.7 प्रतिशत), एवं सैदपुर में 114.9 प्रतिशत थी। शस्य गहनता विश्लेषण हेतु इसे पांच वर्गों में विभक्त किया गया है-

अतिनिम्न शस्य गहनता 1999-2000 में 2 विकास खण्डों सैदपुर एवं भाँवरकोल में थी। निम्न शस्य गहनता 1989-90 में 3 विकास खंडों में जो सादात, रेवतीपुर एवं भांवरकोल हैं। 1999-2000 में- निम्न गहनता में कोई भी

तालिका 1.3

जनपद गाजीपुर-शस्य गहनता

	1989-90			1999-2000		
विकास खण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे.)	सकल बोया गया क्षेत्र (हे.)	शस्य गहनता प्रतिशत	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे.)	सकल बोया गया क्षेत्र (हे.)	शस्य गहनता प्रतिशत
जखनियां	16361	23629	142.2	16795	25166	149.84
मनिहारी	17966	24228	134.85	18246	28036	153.65
सादात	18209	22357	122.7	17164	26632	154.13
सैदपुर	17328	24711	142.60	17278	19859	114.9
देवकली	17635	23758	134.7	17602	22913	130.82
बिरनो	12748	22257	174.5	12565	21152	168.34
मरदह	14787	25769	174.2	15057	24325	161.55
गाजीपुर	10898	19650	180.3	11037	19404	175.80
करण्डा	11884	16746	140.93	12210	17686	157.76
कासिमाबाद	1849	29851	161.80	17682	29392	166.22
बांराचंवर	15975	26118	163.49	15973	25782	161.40
मुहम्मदाबाद	24278	21449	150.22	15055	22023	146.28
भांवरकोल	20195	24750	12.55	20726	24749	119.4
जमानियां	21341	34867	163.38	21296	27608	176.59
रेवतीपुर	1744	21900	124.82	17330	22987	132.64
भदौरा	16722	25620	153.21	17783	27244	153.20

स्त्रोत- जिला सांख्यिकय पत्रिका 1991 एवं 2001

तालिका 1.4

शस्य गहनता

श्रेणी	समूह शस्य गहनता प्रतिशत	विकास खंडों की संख्या 1989-90	1999-2000
अतिनिम्न	120 से कम	-	2
निम्न	120 से 130	3	-
मध्यम	130 से 140	2	2
उच्च	140 से 150	3	2
अतिउच्च	150 से अधिक	8	11

विकास खंड नहीं है। मध्यम गहनता के अन्तर्गत 1989-90 में मनिहारी एवं देवकली विकास खंड हैं। जबकि 1999-2000 में इस श्रेणी में देवकली एवं रेवतीपुर विकास खंड है। उच्च गहनता के अन्तर्गत 1989-90 में 3 विकास खंड एवं 1999-2000 में 2 विकास खंड है। अति उच्च गहनता के अन्तर्गत 1989-90 में जहां 8 विकास खंड थे वहीं 1999-2000 में इसके अन्तर्गत कुल 11 विकास खंड आते हैं। (**तालिका** 1.4, **चित्र संख्या** 1.6)

1.13 शस्य-संयोजन प्रदेश–

किसी क्षेत्र विशेष में प्रमुख फसलों के साथ गौण फसलें भी बोई जाती हैं। कृषि क्षेत्र या प्रदेश में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को शस्य संयोजन कहते हैं। शस्य संयोजन से कृषि की क्षेत्रीय विशेषताओं को आसानी से समझा जा सकता है। शस्य संयोजन प्रदेशों का निर्धारण उन फसलों के स्थानिक वर्चस्व के आधार पर किया जाता है जिसमें क्षेत्रीय सहसंबंध पाया जाता है। फसलों के इस प्रकार के अध्ययन से जहां एक ओर क्षेत्रीय कृषि समस्याओं की जानकारी मिलती है वहीं वर्तमान कृषि समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित सुझाव दिये जा सकते हैं। शस्य–संयोजन प्रदेश का स्वरूप मुख्यतः क्षेत्र के भौतिक (जलवायु, जल प्रवाह, मृदा) तथा सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। यहां शस्य-संयोजन प्रदेशों का निर्धारण (दोई के0 1957-59) महोदय द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकी विधि के आधार पर किया गया है। इस विधि का प्रयोग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के शस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण में किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में चार शस्य संयोजन प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। (**चित्र संख्या** 1.7)

DISTRICT GHAZIPUR
CROPPING INTENSITY
1989-90
1999-2000
As percentage of Gross Cropped Area
130
150
170
190
G A N G A R.
CROP-COMBINATION REGIONS
W Wheat
J Jowar Bajra
R Rice
G Gram
P potato
S Sugarcane
B Barley
A Arhar
WRSG
RWSG
RWSJ
WRJG
RWSG
RWJP
WRJS
WRJP
WRJS
WJGR
WJRA
WGRJ
RWGCB
RWJC
First Rank
Second Rank
Third Rank
Forth Rank
5 0 5 10 15 20
Km
(After prof. R.L.Singh)

Fig. 1.6

1.13.1 प्रथम स्तरीय शस्य-संयोजन प्रदेश–

प्रथम स्तरीय शस्य-संयोजन प्रदेश के अन्तर्गत गेहूं 9 विकास खंडों में तथा धान 7 विकास खंडों में है। (**चित्र संख्या 1.7, परिशिष्ट 1.5**)

1.13.2 द्वितीय स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश-

इसमें धान गेहूं मुख्य सम्मिश्रण है जो 7 विकास खंडों में है। इसके अतिरिक्त 6 विकास खंडों में यह गेहूं-धान संयोजन के रूप में मिलता है। वस्तुतः समग्र जनपद में 13 विकास खंडों मे यह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इसका एकमात्र कारण क्षेत्र में सीमान्त एवं लघुकृषकों का बाहुल्य है। ये कृषक अपनी सीमित भूमि पर परिवार के सामान्य भरण पोषण के लिए केवल खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। जबकि दो विकासखंडों में गेहूं व ज्वार-बाजरा तथा एक विकासखंड में गेहूं व चना द्वितीय स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं। (**चित्र संख्या 1.7, परिशिष्ट 1.5**)

1.13.3 तृतीय स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश-

क्षेत्र के 5 विकास खंडों में गेहूं–धान-ज्वार-बाजरा का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। गेहूं-धान-गन्ना का भी सम्मिश्रण तृतीय स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश में आता है। गेहूं-धान- गन्ना जखनियां, गेहूं ज्वार- बाजरा व चना- भांवरकोल, गेहूं- ज्वार- बाजरा व धान- करण्डा, गेहूं-चना-धान रेवतीपुर, धान- गेहूं ज्वार-बाजरा- जमानियां, तथा धान-गेहूं चना-भदौरा विकास खंड में हैं। (**चित्र संख्या** 1.7, **परिशिष्ट** 1.5)

1.13.4 चतुर्थ स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश

अध्ययन क्षेत्र के तीन विकास खंडों–सैदपुर, देवकली, मुहम्मदाबाद में चतुर्थ स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश गेहूं- धान, ज्वार, बाजरा- गन्ना से निर्मित होता है। जखनियां में गेहूं- धान- गन्ना व चना, गाजीपुर में गेहूं-धान ज्वार-बाजरा व आलू, बाराचंवर विकास खंड में, गेहूं-धान-ज्वार-बाजरा व चना व धान करण्डा विकास खंड में, गेहूं-ज्वार-बाजरा-धान-अरहर- रेवतीपुर में, जबकि सादात-बिरनों, मरदह विकास खंडों में धान-गेहूं व गन्ना व चना, जमानियाँ विकास खंड में धान-गेहूं-ज्वार-बाजरा व चना, भदौरा में धान-गेहूं-चना-जौ तथा कासिमाबाद, मनिहारी विकास खंडों में धान-गेहूं-गन्ना व ज्वार बाजार चतुर्थ स्तरीय शस्य–संयोजन प्रदेश का निर्धारण करते हैं। (**चित्र संख्या- 1.7, परिशिष्ट 1.5**)

1.14 सिंचाई-

प्राचीनकाल से ही मानव जल का प्रयोग सिंचाई के लिए करता रहा है। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं सिंचाई की उपलब्धता पर ही विकसित होती रही है। सिंचाई के लिए अधिकतर सतह एवं भूमिगत जल का प्रयोग होता है। समग्र भूमिगत एवं सतही जल को कृत्रिम विधियों द्वारा कृषि क्षेत्रों में पहुंचाने को सिंचाई कहते हैं। वस्तुतः सिंचाई की आवश्यकता वहीं होती है जहां वर्षा का जल फसलोत्पादन के लिए अपर्याप्त होता है। स्वतः कृषि विकास एवं तद्नुरूप आर्थिकी के लिए सिंचाई अनिवार्य घटक है। अध्ययन क्षेत्र में जल का स्रोत वर्षा है। यह वर्षा वर्ष के कतिपय महीनों में ही होती है। इससे प्राप्त हुआ जल कुछ मात्रा में तालों एवं पोखरों में संचित रहता है तथा अधिकांश भाग बहता हुआ नदियों में चला जाता है। 'भारत में कुल वर्षा की मात्रा 3000 एकड़ फीट है जिसका 1000 मिलियन एकड़ फीट वाष्पीकृत हो जाता है। 650 मिलियन एकड़ फीट भूमिगत हो जाता है। शेष 1350 मिलियन फीट वाष्पीकृत हो जाता है।' (के.एल. राव)

जनपद में जल की सामान्य जल सतह लगभग 15-45 फीट है। भूमिगत जल का प्रयोग नलकूप, कुओं एवं हैंडपंप के रुप में होता है। सतह का जल जो ताल, पोखर में इकट्ठा होता है तथा नदियों के प्रवाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनपद में गंगा पर स्थापित की गयी 6 देवकली कैनाल से निकाली गयी नहरों का वर्ष भर सिंचाई के रूप में प्रयोग होता है। जल एकत्रित महत्वपूर्ण तालों में- बरकाताल, नवाहताल, गोहदावाला ताल, जरोथा ताल, गुनवा एवं केथियाताल हैं।

1.14.1 सिंचाई के स्रोत-

आधुनिक हरित क्रांति के युग में खाद्यापूर्ति के समुचित समाधान के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई के साधनों का प्रयोग अनिवार्य एवं निर्णायक है। अध्ययन क्षेत्र में नलकूप (राजकीय एवं निजी), नहरें, कूएं एवं तालाब अपने महत्व के क्रम में है। 1989-90 में कुल सिंचित क्षेत्र का 70.58 प्रतिशत नलकूपों द्वारा 29 प्रतिशत नहरों द्वारा, 0.10 प्रतिशत कूपों द्वारा एवं 0.55 प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित था। 1999-2000 में इन साधनों द्वारा क्रमशः 73.50 प्रतिशत, 29.02 प्रतिशत, 0.165 प्रतिशत तथा 0.059 प्रतिशत सिंचित था।

1.14.1.1 नलकूप-

नलकूप (सरकारी एवं निजी) अध्ययन क्षेत्र के प्रमुखतम सिंचाई के स्रोत हैं। 1999-2000 में अध्ययन क्षेत्र का 73.50 प्रतिशत मुहम्मदाबाद में है एवं सबसे कम रेवतीपुर में 18.28 प्रतिशत है। **(तालिका 1.5)**

1.14.1.2 नहरें-

नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र भदौरां में 78.16 प्रतिशत हैं। सबसे कम मुहम्मदाबाद मे कुल सिंचित क्षेत्र का 0.26 प्रतिशत हैं। जनपद के समस्त सिंचित क्षेत्र का 26.02 प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश भाग (99.52 प्रतिशत भाग) उपरोक्त साधनों द्वारा सिंचित है, जबकि अल्पमात्रा में कुएं, तालाब एवं अन्य साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र मनिहारी सादात, गाजीपुर एवं रेवतीपुर में है। (तालिका 1.5)

तालिका 1.5

जनपद गाजीपुर सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर एवं प्रतिशत में)

1999-2000

विकास खंड	कुल सिंचित क्षेत्र (हेक्टे)	नलकूप (निजी एवं राजकीय) हेक्टेयर	प्रतिशत	नहरें (हेक्टे0)	प्रति0	कुएं (हेक्टे0)	प्रति शत	तालाब हेक्टे	प्रति शत
जखनिया	15372	12957	84.20	2415	15.7	-	-	-	-
मनिहारी	15372	11555	75.16	3778	24.5	39	0.25	-	-
सादात	14767	9427	83.8	5043	34.16	297	2.01	-	-
सैदपुर	12608	6451	51.16	6157	48.83	-	-	-	-
देवकली	12617	9842	78.00	2775	21.99	-	-	-	-
बिरनो	11615	9940	85.57	1695	14.59	-	-	-	-
मरदह	13316	105060	78.90	2759	20.70	-	-	-	-
गाजीपुर	9509	9079	95.47	325	3.41	-	-	105	1.10
करण्डा	7750	7358	94.51	392	5.05	-	-	-	-
कासिमाबाद	14878	14178	95.29	700	4.70	-	-	-	-
बारांचंवर	14559	14383	98.79	226	1.55	-	-	-	-
मुहम्मदाबाद	11359	11329	99.73	30	0.26	-	-	-	-
भांवरकोल	10400	9262	89.05	1140	10.96	-	-	-	-
जमानियां	17550	3990	22.75	13560	77.26	-	-	-	-
रेवतीपुर	5975	1636	18.28	2428	27.10	-	-	17	0.18
भदौरा	11959	2611	21.83	9348	78.16	-	-	-	-
योग	203512	150085	73.50	52969	26.02	336	0.165	122	0.059

स्रोत- सांख्यिकीय पत्रिका जनपद गाउर 2000

तालिका 1.6

जनपद गाजीपुर- सिंचाई गहनता

विकास खंड	1989-1990			1999-2000		
	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	गहनता प्रतिशत	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हेक्टे)	गहनता (प्रतिशत)
जखनियां	16361	11746	71.79	16795	15373	91.53
मनिहारी	17966	14496	80.68	18246	15372	84.24
सादात	18209	15012	82.44	17164	14767	86.03
सैदपुर	17328	15630	90.20	17278	12608	72.97
देवकली	17635	13660	77.45	17602	12617	71.67
बिरनो	12748	10378	81.40	12565	11615	92.43
मरदह	14787	12539	84.79	15057	13316	88.43
गाजीपुर	10893	10055	92.30	11037	9509	86.15
करण्डा	11834	6843	57.82	11210	7750	69.13
कासिमाबाद	18449	14743	79.91	17682	14878	84.04
बाराचंवर	15975	12145	76.02	15973	14559	91.11
मुहम्मदाबाद	14278	10256	71.83	15055	11359	75.45
भांवरकोल	20195	7031	34.81	20726	10400	50.17
जमानियां	21341	18185	85.21	21296	17550	82.40
रेवतीपुर	17944	7443	41.47	17330	8957	51.68
भदौरा	16722	10924	65.32	16783	11959	71.25
योग	263330	189898	72.11	263010	203512	77.37

स्रोत- जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 1991, तथा 2000

1.15 सिंचाई गहनता-

किसी क्षेत्र के कृषि के विकास में सिंचाई गहनता का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सिंचाई गहनता फसल उत्पादकता में अभिवृद्धि तथा भूमि के मूल्य वृद्धि में सहायक है। सिंचाई गहनता के माध्यम से क्षेत्रीय विसंगतियों को कम करने, एवं अविकसित क्षेत्र को विकसित करने में इसकी निर्णायक भूमिका होती है (भाटिया एस0 एस0 1967)। सिंचाई गहनता को ज्ञात करने

DISTRICT GHAZIPUR
IRRIGATION INTENSITY
1989 - 90
G A N G A R.
As percentage of net Irrigated area
35
45
55
65
75
85
95
1999-2000
G A N G A R.
5 0 5 10 15 20
Km

Fig. 1.7

के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया गया है-

$$\text{सिंचाई गहनता} = \frac{\text{शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल}} \times 100$$

जनपद में 1989-90 में कुल सिंचाई गहनता 72.11 प्रतिशत थी जो 1999-2000 मे 77.37 प्रतिशत हो गयी। समस्त जनपद को मध्यम, उच्च एवं अतिउच्च सिंचाई गहनता में विभक्त किया गया है।

1989-90 में **मध्यम गहनता के अन्तर्गत (30-50 प्रतिशत)** भांवरकोल (34.81 प्रतिशत), रेवतीपुर (41.47 प्रतिशत) है। 1999-200 में कोई भी विकस खंड मध्यम गहनता में नहीं है। 1989-90 में **उच्च गहनता (50-70 प्रतिशत)** के अन्तर्गत करण्डा विकास खंड है जिसकी गहनता 57.82 प्रतिशत है। 1999-2000 में रेवतीपुर (51.68 प्रतिशत), भांवरकोल (50.17 प्रतिशत) तथा करण्डा (69.13 प्रतिशत) हैं।

1989-90 में **अति उच्च गहनता के अन्तर्गत** (70 प्रतिशत से अधिक) में कुल 13 विकास खंड हैं जिसमें सर्वाधिक गहनता गाजीपुर में 92.30 प्रतिशत है। 1999-2000 में इस वर्ग के अन्तर्गत 12 विकास खंड है जिसमें सर्वाधिक गहनता जखनियां की 91.53 प्रतिशत है। **(तालिका 1.6 चित्र संख्या 1.7)**

1.16 शैक्षिक संस्थाएं-

जनपद में 1999-2000 तक कुल जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 1830 है। जिसमें 1731 ग्राम्यांचलों में एवं 99 नगरीय क्षेत्रों में हैं। जूनियर बेसिक स्कूलों की सर्वाधिक संख्या देवकली में 148 है। सबसे कम 69 रेवतीपुर विकास खंड में है। सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 396 है जिसमें महिला सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 56 है। सबसे अधिक सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या देवकली में 36 है तथा न्यूनतम 11 भांवरकोल में है। महिला सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक मुहम्मदाबाद में 6 है। अधिकांश विकास खंडों में महिला सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 2-4 के बीच है। हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या 22 है। सर्वाधिक हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या 13 जखनियां में है। सादात, देवकली, मरदह, बाराचंवर, भाँवरकोल विकास खंडों में हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 12-12 है। जमानिया, रेवतीपुर, कासिमाबाद, मनिहारी विकास खंडों में यह संख्या 9-9 है। गाजीपुर, करण्डा में 6-6 हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं। सैदपुर विकास खंड में इनकी संख्या 10, मुहम्मदाबाद में 5 तथा भदौरा

एवं बिरनों विकास खंडों में हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की कुल संख्या 4-4 है। हायर सेकेण्ड्री बालिका स्कूलों की संख्या मनिहारी, सैदपुर, गाजीपुर में दो-दो तथा जखनियां, सादात, मरदह, कासिमाबाद, बाराचँवर, रेवतीपुर, भदौरा में एक-एक है। शेष विकास खंड इससे रहित हैं। जनपद में कुल महाविद्यालयों की संख्या 30 है जिसमें से जखनियां में 4, मनिहारी, सादात, देवकली, करण्डा, जमानिया विकास खंडों में 2-2, रेवतीपुर में तीन भांवरकोल में 1 महाविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को वाराणसी स्थित बी.एच.यू., इलाहाबाद वि.वि. इला. में आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ महाविद्यालयों में स्नात्कोत्तर कक्षाओं की स्थापना से कुछ सीमा तक उच्च शिक्षा प्राप्ति की सम्भावना बढ़ी है। सन् 1981 में जनपद की साक्षरता दर 27.62 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 34.0 प्रतिशत हो गयी तथा 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 60.06 प्रतिशत है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 में 57.36 हैं। यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि यदि जनपद की सामाजिक अव संरचना उत्तरोत्तर विकसित होती रही तो यह जनपद संपूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ेगा इसमें संशय नहीं।

जनपद में तकनीकी शिक्षा हेतु एक पालिटेक्नीक विद्यालय है, तथा दो औद्योगिक प्रशिक्षण संथान हैं।

1.17 उद्योग-

जनपद में 'ओपियम क्षारोद फैक्टरी' की स्थापना 1820 में की गयी थी। स्ततंत्रता के बाद कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की गयी। बहादुरगंज में पूर्वांचल विकास सहकारी कताई मिल कार्यरत है। इसके अतिरिक्त नंदगंज में नंदगंज सिहोरी सुगर मिल कार्यरत है। यहां शराब निर्माण की भी एक फैक्ट्री है। जिला उद्योग केन्द्र गाजीपुर द्वारा 31 मार्च 1999 तक 4658 लघु उद्योगों की स्थापना करायी गयी जिसके अन्तर्गत चावल मिल, खाद्य तेल, रेडीमेट गारमेन्टस, प्रिटिंग प्रेस, फर्नीचर, कृषि यंत्र, टी.बी. रिपेयरिंग, ऊनी, कालीन उद्योग महत्वपूर्ण है। (सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद गाजीपुर 1999) 1999 में कुल लघु उद्योगों की संख्या 16031 थी। ये कारखाने कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नामांकित किये गये हैं। लघु औद्योगिक इकाइयों में खादी, हस्तकला समितियां, लघु एवं हस्तकला की सहकारी समितियों की देख रेख में वित्तीय सहायता उद्योग निदेशालय, एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा की जाती है।

1.18 परिवहन तथा संचार-

परिवहन सभी यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग है जो व्यक्ति, वस्तुओं अथवा समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि कृषि और उद्योग किसी देश के आर्थिक जीवन का शरीर एवं हड्डियां मानी जायें तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली माननी चाहिए। (मामोरिया सी.बी.) जनपद में 1998-99 में सड़कों की कुल लम्बाई 2519 किमी. है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लंबाई 1617 किमी. है। लगभग 1773 गांव सड़कों से जुड़े हैं। जनपद में राजमार्ग वाराणसी - गोरखपुर है जो सैदपुर, देवकली, गाजीपुर, बिरनों, मरदह से गुजरता है। मुख्य जिला मार्ग बलिया- वाराणसी मार्ग, ताड़ीघाट- गहमर, जलालाबाद- मरदह, औड़िहार केराकत (जौनपुर मार्ग), सैदपुर-सादात, जंगीपुर-बहरियाबाद मार्ग। लगभग 500 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 के अनुसार मुख्य सड़क से 3 किमी. दूर स्थित गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की व्यवस्था है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवहन व्यवस्था सुचारू हो जायेगी।

जनपद में यातायात हेतु राजकीय एवं प्राइवेट दोनों प्रकार की बसों की सुविधा है। कुल 367 बस स्टैण्ड हैं। जनपद में उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेल.वे पर कुल स्टेशनों की संख्या 32 हैं।

जनपद में कुल 376 डाकघर है, कुल 7 तारघर, 668 पी.सी.ओ, तथा 5763 टेलीफोन कनेक्शन हैं। मनोरंजन हेतु कुल 19 छविगृह हैं। (सामाजिक आर्थिक समीक्षा (2000)

1.19 पर्यटन स्थल-

1.19.1 मौनी बाबा धाम-

यह धाम चोचकपुर बाजार के समीप गंगां जी के तट पर स्थित है। यहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक विशाल मेला लगता है। जहां लोग गंगा स्नान करके मौनी बाबा का दर्शन करते हैं।

1.19.2 कामाख्या देवी मंदिर-

यह मंदिर भदौरा ब्लाक में गहमर के पास स्थित है। यहां नवरात्रि में मेला लगता है। इसी के पास एक सुरम्य पार्क भी है जो मंदिर की छटा में वृद्धि का परिचायक है।

1.10.3 लार्ड कार्नवालिस मकबरा-

यह मकबरा गाजीपुर शहर में गोराबाजार में स्थित है। यहां पर जनपद के विभिन्न गांवों से लोग आते रहते हैं और आकर्षक पार्क में टहलते हैं।

1.19.4 बाराह मंदिर- औड़िहार-

यह मंदिर औड़िहार स्टेशन से 1 किमी दूरी पर स्थित हैं। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु इसी स्थान पर बाराह रुप धारण किये थे। जो गंगा के तट पर स्थित हैं यहाँ पर बाराह कुण्ड भी बना हुआ है।

1.19.5 चौमुख नाथ धाम मंदिर- धुवार्जुन-

यह मंदिर ऐतिहासिक स्थल भीतरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जहां शिवरात्रि के दिन एक मेला लगता है। यहां पर दूर-दूर से लोग पूजा करने आते हैं।

1.19.6 बाबा कीना राम मंदिर-

यह मंदिर भदौरा ब्लाक में कर्मनाशा नदी के किनारे स्थित है। यहां पर बाबा कीनाराम की सुन्दर मूर्ति स्थापित की गयी है। उनके अनुयायी आज भी प्रतिदिन दर्शन करते हैं।

1.19.7 बुढ़ना मंदिर सैदपुर-

यह मंदिर सैदपुर शहर में गंगा जी के बांये किनारे पर स्थित है। यहां पर शहरी एवं ग्रामीण अंचल से पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं।

1.19.8 शिवमंदिर देवकली-

यह मंदिर गाजीपुर जनपद के देवकली विकास खंड में स्थित है। यहां पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर महान मेला लगता है। इस मंदिर के विकास के लिए 4,00,000 रुपया व्यय किया गया है।

1.19.9 महाहर महोदय मंदिर-

यह मरदह विकास खंड में स्थित है। सूर्यवंशी राजा दशरथ शिकार करने के उद्देश्य यहा पधारे थे यहीं एक तालाब है जहां जल भरते समय श्रवण कुमार को तीर लगा था। यहां भी शिवरात्रि के पर्व पर विशाल मेला लगता है।

REFERENCES

1. Bhatia S.S. (1967) 'A New Messurment of Agricultural efficiency in U.P.' Economic Geography Vol. 43 P 244-260
2. Doi. K. (1957) 'The Industrial Structure of Japanese Prefectures' Proceeding of I.G.U. Regional conference in Japan P 310-316
3. Gazzettear: District Ghazipur U.P. (1971) P. 1
4. Hussain Mazid (2000) 'Agricultural Geography' (in Hindi) Rawal Publication Jawahar Nagar Jaipur P. 164-165.
5. Hussain Mazid (1970) 'Pattern of Crop Concentration in U.P.' Geographical review of India XXXII P. 87.
6. Information Centre District Ghazipur U.P. 1999.
7. Jha D. (1963) 'Economics of Crop Patterne of Irrigated forms in North Bihar', Indian Journal of Agricultural Economics Vol. XVIII No. 1 P. 168.
8. Jogelakar N. M. (1963) 'Study of Cropping Pattern On An Urban Fringe' Journal of Agri. Economics Vol. 18 No. 1 PP 97-100
9. Loknathan P.S. (1963) 'Cropping Patterne in Madhya Pradesh' National Council of Aplied Economic Research, New Delhi 18 March P. 6-20
10. Mehrotra C.L. (1968) 'Soil Survey and Soil Work in U.P.' Government Printing and Stationery, Allahabad P. 20
11. Ojha S.S. (2001) 'Geography of India' (in Hindi) Bhaugolic Adhyayan Sansthan Govindpur, Allahabad P. 81
12. Ramlingon C. (1963) 'Some Economic Aspects of Cropping Pattern' Vol. XVIII No. 1 P. 160
13. Singh J. (1996) 'Arthik Bhoogole' Gyanodaya Prakashan Gorakhpur P. 48

14. Singh B.B. (1979) Agricultural Geography Tara Publications Varanasi P. 128

15. Stamp L.D. (1962) 'The Land of Britain its Use and Misuse' P. 426 III edition.

16. Wadia D. N. and Auden J.B. (1939) 'Geography and Structure' of Northerne Memories of the G.S.I. Vol. 73 Delhi P. 134

17. Wadia D.N. (1961) 'Geography of India' London P.P. 388-390

अध्याय 2

जनसंख्या वितरण एवं घनत्व

जनसंख्या वितरण का भौगोलिक स्वरूप अनेक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक, एवं ऐतिहासिक कारकों का समेकित प्रतिरूप दर्शाता है। जनसंख्या-वितरण एवं घनत्व की विभिन्नताओं के यथोचित अध्ययन के निमित्त यह आवश्यक होता है कि सम्बद्ध क्षेत्र के जनसंख्या वितरण व घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किया जाए। वितरण प्रतिरूप के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनसमुदाय ने किस अंश तक भौतिक पर्यावरण से समायोजन किया है तथा उसमें संशोधन किया है और किन क्षेत्रों को निवास हेतु चयनित किया है, अथवा उसे छोड़ दिया है (ओझा रघुनाथ 1983)। जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में किसी स्थान विशेष की भूमि एवं उस पर विकसित जनसंख्या के परिज्ञान हेतु जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का अध्ययन आवश्यक होता है।

2.1 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक -

किसी विशिष्ट समय में किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण वहां के प्राकृतिक दशाओं के अतिरिक्त वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकी, राजनैतिक और ऐतिहासिक कारकों के सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल होता है। अतः इन कारकों को अलग-अलग नहीं अपितु समेकित रूप में देखा जाना चाहिए। जनसंख्या वितरण की गत्यात्मक प्रक्रिया मानव समूहों से सम्बद्ध होती है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं अतः पर्यावरण से सामूहिक अनुकूलन होता है। पर्यावरण से तात्पर्य केवल प्राकृतिक पर्यावरण ही नहीं वरन् उसका सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी है। जनसंख्या वितरण में प्रादेशिक अन्तर उसके संकेन्द्रण की मात्रा व पर्यावरण के अनेक तत्वों के समुच्चयिक प्रभाव का प्रतिफल होती है। अतः जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को पर्यावरण अवबोध तथा उसके प्रभाव से समझा जा सकता है। सम्पूर्ण रूप से हम उसे जनसंख्या परिस्थितिकी कह सकते हैं (पंडा बी० पी०), और इस परिस्थितिकी में असंतुलन से आप्रवास एवं उत्प्रवास होने लगता है। फलतः वितरण प्रभावित होने लगता है।

संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग का अध्ययन नं० 50, **'डिटरमिनेन्ट्स एण्ड कान्सीक्यून्सेस ऑफ पापुलेशन ट्रेन्ड'** के अनुसार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक,

सामाजिक एवं सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय हैं। (चान्दना आर.सी. 1997) अध्ययन क्षेत्र मे जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं--

(1) **भौतिक तत्व एवं प्राकृतिक संसाधन**–स्थिति, जलवायु धरातलीय स्वरूप, जल, खनिज, मिट्‌टी, वन आदि।

(2) **जनांकिकीय कारक**– जनसंख्या स्थानान्तरण, जन्मदर, मृत्युदर आदि।

(3) **सांस्कृतिक कारक**– कृषि का स्वरूप, सिंचाई, औद्योगिक विकास की अवस्था, आर्थिक उत्पादन, यातायात के साधन, तथा अन्य तृतीयक व्यंवस्थाओं का विकास एवं नगरीकरण

(4) **अन्य कारक**– ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक प्राकृतिक कारकों में धरातलीय स्वरूप, वर्षा की प्रकृति, जल स्तर, जलवायु की दशाएं, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति प्रमुख है।

किसी भी प्रदेश के जनसंख्या के वितरण पर उस प्रदेश के जातीय वर्ग की अपेक्षा मानव के आवासीय स्थानों पर परिस्थितिक नियन्त्रण मुख्य रूप से अधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है। (यू.एन. स्टडी नं. 50 डिटर मिनेन्टस एण्ड कान्सीक्यून्सेस ऑफ पापुलेशन ट्रेन्ड) जनसंख्या वितरण में सांस्कृतिक कारक अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। (क्लार्क जे.आई.) के अनुसार किसी भी क्षेत्र की आर्थिक दशा, आधुनिक प्राविधिक ज्ञान, सामाजिक संगठन सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वितरण को ऐतिहासिक एवं राजनैतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक परिदृष्टि का होना वर्तमान जनसांख्यिकीय प्रतिरुप को गहराई से समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। यही कारण है कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के विश्लेषण में समय-आयाम महत्वपूर्ण है।

2.2 जनसंख्या का वितरण-

जनपद गाजीपुर का क्षेत्रफल की दृष्टि से उ.प्र. में 34वाँ तथा जनसंख्या की दृष्टि से 19वाँ स्थान है। (सांख्यिकीय डायरी 1998 एवं जनगणना पुस्तिका 2001) 2001 में जनपद में प्रदेश की 1.84 प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही थी इसका मुख्य कारण अध्ययन क्षेत्र के भू-वैन्यासिक स्वरूप का मानव निवास के लिए उपयुक्त होना है। प्रसिद्ध भूगोलविद् स्टील (1955) के अनुसार- 'जनसंख्या का भू-वैन्यासिक वितरण क्षेत्र की सामान्य निवास्यता एवं ऐतिहासिक

परिप्रेक्ष्य में इसकी घटनाओं द्वारा नियन्त्रित होता है।' जनपद के जनसंख्या वितरण को चित्र 2.1 में प्रदर्शित किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरी, पश्चिमी सीमावर्ती, एवं दक्षिण में बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या विरल, मध्यवर्ती, पूर्वी एवं पश्चिमी भागो में जनसंख्या सघन वितरित है। जनसंख्या के सामान्य वितरण मानचित्र को सीमांकित प्राकृतिक प्रदेशों के मानचित्र पर अध्यारोपित करने पर प्राकृतिक प्रदेशों की विशिष्टताओं एवं जनसंख्या वितरण के मध्य सहसम्बन्ध पाया जाता है। जनपद में जनसंख्या वितरण के स्वरूप में अन्तर्क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र को निम्नांकित वितरण प्रदेशों में विभाजित किया गया है।— **(चित्र संख्या 2.1)**

2.2.1 विरल जनसंख्या के क्षेत्र-

अध्ययन क्षेत्र में विरल जनवितरण का सम्बन्ध कृषि दशाओं की अनुपयुक्तता से है। विरल क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती, दक्षिण बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। यहाँ प्राकृतिक वातावरण अनुकूल न होने के कारण जनसंख्या का वितरण अत्यन्त विरल है। **(चित्र संख्या 2.1)**

2.2.2 मध्यम जन वितरण क्षेत्र-

अकृषित भूमि को कृषि योग्य बनाने, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता, परिवहन एवं स्वास्थ्य-शिक्षा सेवाओं के विस्तार के कारण जनपद के पश्चिमी, दक्षिणी एवं गाँगी के उत्तरी भाग अपेक्षाकृत कम विरलहै। **(चित्र संख्या 2.1)**

2.2.3 सघन जन वितरण के क्षेत्र-

जनपद के मध्यवर्ती, पूर्वी, गांगी नदी के पूर्वी भाग सघन वितरित हैं। **(चित्र संख्या 2.1)**

उपरोक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि जनपद के सुदूर उ. भाग की अपेक्षा द. (गंगा का उ. एवं प. भाग) सघन वितरित है। जबकि पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम सघन है। चूँकि कृषि जनपद की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है अतः जहाँ इसके लिए उपयुक्त दशाएं हैं वहाँ जन वितरण में अल्प विषमता है। कुल मिलाकर जनपद में जनवितरण कृषि कारकों की पकड़ का परिचायक है।

DISTRICT GHAZIPUR
DISTRIBUTION OF POPULATION
2001
Jangipur
Ghazipur
Muhammadbad
Saidpur
Gahmar
Zamania
G A N G A R.
URBAN POP.
40,000
20,000
10,000
RURAL POP.
Each dot represent
500 Persons
5 0 5 10 15
Km

Fig. 2.1

2.3 ग्रामों के आकार के अनुसार जनसंख्या वितरण-

1. अति निम्न जनसंख्या के गाँव (200 से कम जनसंख्या)
2. निम्न जनसंख्या के गाँव (200-499 जनसंख्या)
3. साधारण जनसंख्या के गाँव (500-999 जनसंख्या)
4. मध्यम जसंख्या के गाँव (1000-1999 जनसंख्या)
5. उच्च जनसंख्या के गाँव (2000-4999 जनसंख्या)
6. अति उच्च जनसंख्या के गाँव (5000 से अधिक जनसंख्या)

तालिका 2.1

जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत ग्राम

	जनसंख्या का वर्गीकरण					
वर्ष	**200 से कम**	**200-499**	**500-999**	**1000 1999**	**2000 4999**	**5000 से से अधिक**
1961	600	1123	479	210	77	13
1971	818	802	520	260	95	15
1981	715	702	606	360	141	16
1991	586	674	640	446	219	28

स्रोत- जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000

तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि 200 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या में हस्रोन्मुख प्रवृत्ति है। इसके वितरीत निम्न, साधारण, मध्यम, उच्च एवं अति उच्च जनसंख्या वाले गाँवों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। यह स्थिति जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है।

आकार के अनुसार ग्रामों की संख्या से स्पष्ट है कि 1961-1991 में 200 से कम जनसंख्या के गाँवो की सं. क्रमशः 600 से 586 हो गयी है। इसी प्रकार 200-499 जनसंख्या वाले गाँवों की संख्या 1961 में 1123 थी जो 1991 में 674 हो गयी है। 500-999 जनसंख्या वाले गाँवों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1961 में इनकी संख्या 479 थी जो 1991 में 161 गाँवों की वृद्धि के साथ 640 हो गयी इसी प्रकार 1000-1999 जनसंख्या आकार वाले गाँवों में 236 की वृद्धि होकर 446 हो गयी। 2000-4999 आकार वाले गाँवों में 1961-1991 की अवधि में 142 ग्रामों की वृद्धि हुई। इस अवधि में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले

गाँवों की संख्या 13 से 28 हो गयी। जनसंख्या आकार के अनुसार गाँवों की संख्या में वृद्धि जनपद में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को इंगित करती है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के साथ ग्राम अधिक जनसंख्या वर्ग में परिवर्तित हो जाते है। 1991 में विकास खण्डवार जनपद में विभिन्न आकार की जनसंख्या वाले ग्रामों का वितरण इस प्रकार है—

200 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या जखनियों में 49, मनिहारी में 39, सादात में 31, सैदपुर में 67, देवकली में 46, विरनों में 35, मरदह में 23, गाजीपुर में 40, करण्डा में 18, कासिमाबाद में 61, वाराचँवर में 48, मुहम्मदाबाद में 52, भाँवरकोल में 37, जमानियां में 18, रेवतीपुर में 6 तथा भदौरा में 16 ग्राम हैं।

200-499 जनसंख्या वाले गाँवों की संख्या जखनियां में 59, मनिहारी में 54, सादात में 62, सैदपुर में 64, देवकली में 62, बिरनों में 35, मरदह में 23, गाजीपुर में 46, करण्डा में 14, कासिमाबाद में 60, बाराचँवर में 48, मुहम्मदाबाद में 56, भाँवरकोल में 43, जमानियां में 31, रेवतीपुर में 8 तथा भदौरा में 6 ग्राम है। इसी प्रकार **500-999 जनसंख्या वाले गाँवों की साख्या** जखनियाँ में 58, मनिहारी में 55, सादात में 41, सैदपुर में 67, देवकली में 58, बिरनों में 27, मारुह में 30, गाजीपुर में 42, करण्डा में 19, कासिमाबाद में 62, बाराचँवर में 42, मुहम्मदाबाद में 55, भाँवरकोल में 27, जमानियाँ में 27, रेवतीपुर में 17 तथा भदौरा में 13 ग्राम है। **1000-1999 जनसंख्या धाले ग्रामों की संख्या** जखनियाँ में 11, मानिहारी में 12, सादात में 16, सैदपुर में 17, देवकली में 12, बिरनों में 13 मरदह में 16, गाजीपुर में 14, करण्डा में 17, कासिमाबाद में 13, वाराचँवर में 8, मुहम्मदाबाद में 10, भाँवरकोल में 9, जमानियाँ में 24, रेवतीपुर में 14 तथा भदौरा विकास खण्ड में **2000-4999 जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या 13** है। 5000 से अधिक जनसंख्या वले ग्रामों की संख्या जखनियां, सादात, सैदपुर, देवकली, बिरनों, मुहम्मदाबाद में 1-1 ग्राम जबकि 2 की संख्या वाले विकास खण्ड मरदह, बारचँवर तथा गाजीपुर हैं। इस आकार वाले गाँवों की संख्या भाँवरकोल जमानिया में 3-3 तथा भदौरा में 8 है।

जिला, प्रान्त एवं राष्ट्र के विभिन्न आकार के ग्रामों, एवं जनसंख्या के तुलनात्मक अध्ययन इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि ग्रामों के आकार में वृद्धि के साथ ही साथ उनके प्रतिशत में भी वृद्धि होती है। वस्तुतः वह अवस्था निम्नश्रेणी तक ही सीमित हैं। इसके बाद जैसे-जैसे ग्रामों का आकार बढ़ता है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। उत्तर प्रदेश में 1961 में साधारण वर्ग के गाँव तथा 1971-81 में मध्यम वर्ग के गाँवों में जनसंख्या बढ़ती गयी है। इसके बाद जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से छोटे आकार के गाँवों को बड़ा आकार दिया है। यही स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर भी द्रष्टव्य होती है। देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग छोटे अथवा बड़े एकांकी गाँवों में रहता है। उत्तर प्रदेश, म.प्र. बिहार, उड़ीसा में सबसे छोटे आकार वाले गाँवों की संख्या सबसे अधिक है। (बंसल एस.सी.)

तालिका 2.2

विकास खण्ड वार वर्गीकृत गाँव 1991

विकसा खण्ड	जनसंख्या का वर्गीकरण					
	200 से कम	200-499	500-999	1000-1999	2000-4999	5000 से अधिक
जखनियां	49	59	58	29	11	1
मनिहारी	39	54	55	36	12	-
सादात	31	62	41	32	16	1
सैदपुर	67	64	67	35	17	1
देवकली	46	62	58	36	12	1
बिरनो	35	35	27	21	13	1
मरहद	23	26	30	26	16	2
गाजीपुर	40	46	42	30	14	2
करण्डा	18	14	19	21	17	-
कासिमाबाद	61	60	62	33	13	-
बाराचवर	48	48	42	33	08	2
मुहम्मदाबाद	52	56	55	34	10	1
भाँवरकोल	37	43	27	36	09	3
जमानियां	18	31	27	24	24	3
रेवतीपुर	06	08	17	14	14	4
भदौरा	16	06	13	06	13	8
योग	586	674	640	446	219	28

स्त्रोत- जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000.

अध्ययन क्षेत्र मध्य गंगा मैदान के समतल भाग में स्थित होने के कारण भूमि प्रबन्धन, वितरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण स्थितियों के कारण छोटे-छोटे गाँव समूहों में स्थित रहा है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि (26.18 प्रति 2001) के कारण बड़े ग्रामों का अस्तित्व द्रष्टव्य हो रहा है।

2.4 अनधिवासित गाँवों का वितरण-

अनेक गृहों का समूह जिसे हम अधिवास कहते हैं, मानव की निवास्यता को उजागर करता है। पृथ्वी तल का वह भाग जहाँ मानव की निवास्यता का प्रभाव है, अधिवासी क्षेत्र तथा जहाँ

मानव का बसाव नहीं है निरधिवासी कहते हैं। (राव बी0 पी0) अध्ययन क्षेत्र में अनधिवासित ग्रामों का तात्पर्य उन क्षेत्रों या पुरवों से है जो पहले अधिवासित थे लेकिन प्राकृतिक वातावरण की प्रतिकूलता एवं समूहन की भावना ने वर्तमान समय में उन्हें निरधिवासित स्वरूप प्रदान किया है लेकिन इन अधिवासों का प्रयोग अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। स्थानीय ग्रामीण भाषा में इन्हें 'बेचिरागी ग्राम' भी कहते हैं।

तालिका 2.3

अनधिवासित ग्रांमों की संख्या

अनाधिवासित गाँव		
वर्ष	उ.प्र.	जनपद
1961	12720	873
1971	12032	858
1981	11678	823
1981	-	823
1991	-	781
2001	-	-

स्रोत- जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1961, 1971, 1981, 1991

तालिका 2.3 से स्पष्ट है कि अनधिवासित गाँवों की संख्या में निरन्तर ह्रास हो रहा है। जनपद में जहाँ 1961 में इनकी संख्या 873 थी जो 1991 में 781 हो गयी इसमें 92 की कमी हुई है। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण है क्योंकि ये अधिवास अब धीरे-धीरे स्थायी निवास के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं।

जनपद में अनधिवासित गाँवों के प्रतिशत वितरण में विभिन्नताएँ हैं। 1991 में कुल ग्रामों में 23.21 प्रतिशत ग्राम अनधिवासित थे। विकास खण्डवार जखनियां में 15.16 प्रतिशत, मनिहारी में 17.99 प्रतिशत, सादात में 10.73, सैदपुर में 11.34, देवकली में 15.35, बिरनों में 8.30, मरदह में 9.62, गाजीपुर में 21.26, करण्डा में 28.80 कासिमबाद में 22.89 बाराचँवर में 27.01 मुहम्मदाबाद में 34.38, भाँवरकोल में 47.08, जमानियां में 31.35, रेवतीपुर में 34.37, तथा भदौरा में 36.73 प्रतिशत हैं। **(तालिका 2.4)**

तालिका 2.4

विकास खण्ड वार अनधिवासित ग्राम 1991

(प्रतिशत में)

विकासखण्ड	अधिवासित	अनधिवासित	योग	कुल ग्रामों में अनधि-वासित ग्रामों का प्रतिशत
जखनियां	207	37	244	15.16
मनिहारी	196	43	239	17.99
सादात	183	22	205	10.73
सैदपुर	250	32	282	11.34
देवकली	215	39	254	15.35
बिरनो	132	12	144	8.30
मरदह	122	13	135	9.62
गाजीपुर	174	47	221	21.26
करण्डा	89	36	125	28.80
कासिमाबाद	229	68	297	22.89
बाराचँवर	181	67	248	27.01
मुहम्मदाबाद	208	109	317	34.38
भाँवरकोल	145	129	274	47.08
जमानियां	127	058	185	31.35
रेवतीपुर	63	33	96	34.37
भदौरा	62	36	98	36.73
योग	2583	781	3364	23.21

स्रोत- जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2000

तालिका 2.5

जनपद में अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या

वर्षवार कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत

वर्ष	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	अनुसचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत
1961	13,21,578	2,38,268	18.02	-	-
1971	15,31,654	2,97,336	19.41	-	-
1981	19,44,669	4,00,350	20.58	73	0.0037
1991	24,16,617	4,97,100	20.57	404	0.016

स्रोत- जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000

2.5 अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या वितरण का क्षेत्रीय आयाम–

समाज में अनुसूचित जातियों-जनजातियों को अछूत के रूप में अपेक्षित किया जाता रहा है परन्तु सरकार की सक्रियता एवं विविध योजनाओं के क्रियान्वयन से इनका **सामाजिक-आर्थिक** स्तर उठा है। विगत समय एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा अभिग्रहीत राजनैतिक जागरूकता ने इन्हें समाज की मुख्यधारा की ओर उन्मुख किया है। शैक्षिक सुविधाएं एवं उनका अभिग्रहण प्रमुख उत्थानक कारक हैं। अध्ययन क्षेत्र में इनकी जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। तालिका 2.5 से स्पष्ट हैकि 1961 से 1981 तक अनुसूचित जाति की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1961 में इनकी संख्या कुल जनसंख्या में 18.02 प्रतिशत थी जो 1971 में 19.41 प्रतिशत तथा 1981 में 20.58 प्रतिशत एवं 1991 में 20.57 प्रतिशत हो गयी। ध्यातव्य है कि 1981 में इनकी जनसंख्या में ऋणात्मक कमी आयी है, जो जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं शैक्षिक स्तर में सुधार का स्पष्ट संकेत हैं। विकास खण्डवार अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या का वितरण प्रतिशत तालिका 2.6 एवं चित्र संख्या 2.2 में प्रदर्शित है। अनुसूचित जातियों का जनसंख्या प्रतिशत जखनियां विकास खण्ड में 25.28 प्रतिशत, मनिहारी में 23.63 प्रतिशत, सादात में 24.70 प्रतिशत, सैदपुर में 22.66 प्रतिशत देवकली में 23.47 प्रतिशत, बिरनों में 24.75 प्रतिशत, मरदह में 25.61 प्रतिशत, गाजीपुर में 21.41 प्रतिशत, करण्डा में 18.79 प्रतिशत, कासिमाबाद में 22.01 प्रतिशत, बाराचँवर में 19.95 प्रतिशत, भाँवरकोल में 18.82 प्रतिशत, जमनियाँ में 17.68 प्रतिशत,

DISTRICT GHAZIPUR
DISTRIBUTION OF S.C. POPULATION
1991
GANGA RIVER
As percentage of total Population
> 19
19 - 21
21 - 23
< 23
5 0 5 10 15
Km

Fig 2.2

रेवतीपुर में 18.74 प्रतिशत, भदौरा में 14.71 प्रतिशत है।

जनपद में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगण्य है। 1981 में यह कुल जनसंख्या का 0.0037 प्रतिशत थी (तालिका 2.5) तथा 1991 में 0.016 प्रतिशत थी। इनकी जनसंख्या कुल 5 विकास खण्डों - सादात, देवकली, बिरनों गाजीपुर तथा बाराचँवर में वितरित है। सादात में 0.04 प्रतिशत, सैदपुर में 0.03 प्रतिशत, बिरनों में 0.02 प्रतिशत, गाजीपुर में 0.03 प्रतिशत तथा बाराचँवर में 0.108 प्रतिशत है।

तालिका 2.6

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या

(प्रतिशत में) 1991

विकास खण्ड	कुल जनसंख्या	अनु. जाति की जनसंख्या	अनु. जाति की जनसंख्या प्रतिशत	अनु. जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत
जखनियां	1,46,251	36,978	25.28	-	-
मनिहारी	1,44,055	34,044	23.63	60	0.04
सादात	1,48,610	36,707	24.70	-	-
सैदपुर	1,68,637	38,219	22.66	59	0.03
देवकली	1,52,806	35,867	23.47	-	-
बिरनो	1,08,687	26,902	24.75	29	0.02
मरदह	1,23,233	31,572	25.61	-	-
गाजीपुर	1,37,016	29,339	21.41	50	0.03
करण्डा	1,01,847	19,146	18.79	-	-
कासिमाबाद	1,55,426	34,219	22.01	-	-
बाराचँवर	1,30,546	26,044	19.95	141	0.108
मुहम्मदाबाद	1,47,516	29,456	19.96	-	-
भाँवरकोल	1,35,519	25,518	18.82	-	-
जमानियाँ	1,68,926	29,883	17.68	-	-
रेवतीपुर	1,24,748	23,385	18.74	-	-
भदौरा	1,44,492	21,260	14.71	-	-

स्रोत- जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2000

2.6 जनसंख्या घनत्व–

जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से है। यह जनसंख्या जमाव की एक मात्रा का मापन है जिसे प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। (यादव हीरालाल 1997) मनुष्य एवं भूमि के मध्य अनुपात जो किसी क्षेत्र के प्रमुख तत्व हैं, ये सभी जनसंख्या अध्ययनों के मूल बिन्दु होते हैं। (डेम्को जी0जे0 1970)

क्षेत्र विशेष के संसाधनों के विदोहन के अभिनिर्धारण के लिए जनसंख्या घनत्व का मापन अनिवार्य है। सन् 2001 की जनसंख्या के अनुसार जनपद में जनसंख्या का घनत्व 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। जबकि इसी वर्ष उ.प्र. एवं भारत का जनसंख्या घनत्व क्रमशः 689 एवं 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। इस प्रकार जनपद का घनत्व प्रदेश से 1.48 गुना एवं देश से 2.78 गुना है। 1991 में जनसंख्या के अनुसार जनपद का घनत्व 741 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. था इस अवधि में प्रदेश एवं देश का घनत्व क्रमशः 471 एवं 267 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. था। 1981, 1971 एवं 1961 में जनपद का घनत्व क्रमशः 584, 453 एवं 392 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. था।

तालिका 2.7

जनपद गाजीपुर : जनसंख्या घनत्व

वर्ष	क्षेत्रफल वर्ग किमी.	जनसंख्या जनपद	जनपद का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी.	उ.प्र. का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी.	भारत का जनसंख्या घनत्व/ वर्ग किमी.
1961	3384	13,21,578	392	251	142
1971	3381	15,31,657	453	300	177
1971	3377	19,44,669	584	377	216
1991	3337	24,16,617	741	471	267
2001	3337	30,49,337	903	689	324

स्रोत- जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1971, 1991 तथा 1991, जनगणना पुस्तिका उ.प्र., एवं भारत 1971, 1981, 1991 एवं 2001

किसी क्षेत्र विशेष में भूमि तथा जनसंख्या दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं अतः इनका अनुपात सभी जनसंख्या अध्ययन में आधारभूत एवं विचारणीय होता है। वस्तुतः भूमि पर जनसंख्या के दबाव को आंकिक, कृषि, कायिक, एवं पोषाण घनत्व आदि रूपों में व्यक्त किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के इन प्ररूपों को दशकीय वृद्धि के साथ तालिका 2.8 में दिखाया गया है।

तालिका 2.8

जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 (1961-2001)

वर्ष	आंकिक घनत्व	कृषि घनत्व	कायिक घनत्व	पोषण घनत्व
1961	392	137.11	438.25	403.96
1971	453	134.02	551.95	403.71
1981	584	139.47	695.42	490.04
1991	741	181.38	845.17	1051.13
2001	903	-	-	-

2.6.1 आंकिक जनसंख्या घनत्व–

साधारणतः किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करके प्रतिवर्ग मील या प्रतिवर्ग किमी. जनसंख्या प्राप्त करते हैं इसको आंकिक या गणितीय जनसंख्या घनत्व कहते हैं। (यादव हीरालाल 1997) गणितीय घनत्व के उपयोग में निम्न कठिनाइयों का संकेत किया गया है। (क्लार्क जे0ई0 1972)

(1) जनसंख्या आँकड़ा आर्थिक एकरूपता में न प्राप्त होकर प्रशासनिक अथवा प्रयुक्त क्षेत्रीय इकाई के रूप में प्राप्त होता है।

(2) यह प्रशासनिक एकरूपता कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को अभिव्यक्ति नहीं दे पाती।

(3) यह औसत अभिव्यक्ति के अनेक पक्षों को नजरअन्दाज कर देता है।

(4) मानचित्र में वर्गीय अन्तराल का प्रयोग एकाकी स्वरूप को ही व्यक्त करता है।

(5) आंकिक घनत्व क्षेत्र के विभिन्न भौगोलिक तथ्यों से असम्बद्ध होता है।

उपरोक्त आपत्तियों के बावजूद समाज विज्ञानों में इस प्रकार के घनत्व का प्रयोग बहुतायत से होता है। क्योंकि यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं एवं वितरण के रूप को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आंकिक या गणितीय घनत्व ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है—

$$\text{आंकिक घनत्व} = \frac{\text{कुल जनसंख्या}}{\text{कुल क्षेत्रफल}}$$

तालिका 2.9

आंकिक जनसंख्या घनत्व

वर्ग	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी.	विकास खण्डों की सं.			
		1961	1971	1981	1991
निम्न घनत्व	350 से कम	02	-	-	-
साधारण घनत्व	350.500	12	13	02	-
मध्यम घनत्व	500-560	02	02	01	05
उच्च घनत्व	650-800	-	01	02	09
अति उच्च घनत्व	800 से अधिक	-	-	01	03

2.6.2 आंकिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय वितरण प्रारूप-

जनपद गाजीपुर में 1931 के बाद जनसंख्या घनत्व में निरन्तर वृद्धि हुई है। 2001 में यह घनत्व 903 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। 1961 में 392, 1971 में 453 तथा 1981 एवं 1991 में क्रमशः 584 तथा 741 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. रहा है। 1961 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजीपुर विकास खण्ड में 581.02 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. तथा न्यूनतम घनत्व रेवतीपुर विकास खण्ड में 328.36 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0। 1991 में भी यही स्थिति रही। गाजीपुर विकास खण्ड में 756.52 तथा रेवतीपुर में 365.52 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. था। 1981 में भी अधिकतम घनत्व गाजीपुर विकास खण्ड में 960.46 एवं न्यूनतम रेवतीपुर में 446 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.।

1991 में घनत्व वर्ग में वृद्धि होकर गाजीपुर अति उच्च वर्ग में एवं रेवतीपुर मध्यम वर्ग में आ गया। 1991 में सर्वाधिक घनत्व गाजीपुर विकास खण्ड में 1365.50 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. तथा न्यूनतम रेवतीपुर विकास खण्ड में 528.14 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. रहा है। (**तालिका 2.10, चित्र संख्या 2.3**)

तालिका 2.10

जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग किमी. 1991

विकास खण्ड	आंकिक	कायिक	कृषि	पोषण
जखनियाँ	716.21	828.38	174.74	1253.65
मनिहारी	641.09	743.97	181.88	1228.40
सादात	637.98	791.42	184.64	1125.40
सैदपुर	858.70	988.64	183.24	1339.23
देवकली	722.14	791.37	170.78	1300.80
बिरनो	762.84	865.41	189.90	1039.66
मरदह	660.41	722.54	169.76	1044.70
गाजीपुर	1365.70	1767.32	224.50	1467.92
करण्डा	658.00	785.49	167.30	1206.28
कासिमाबाद	727.32	821.89	185.99	1043.19
बाराचँवर	639.30	742.75	178.85	1413.66
मुहम्मदाबाद	1010.18	1110.83	219.25	1386.80
भाँवरकोल	516.26	620.05	159.32	1243.06
जमानियां	687.06	803.40	172.56	958.17
रेवतीपुर	528.14	645.79	159.87	923.71
भदौरा	728.07	867.48	165.12	965.06

स्रोत- जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1991 एवं सांख्यिकीय पत्रिका 1994, जनपद गाजीपुर।

2.6.2.1 निम्न घनत्व वर्ग (350 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 से कम)-

आंकिक जनसंख्या घनत्व के इस वर्ग में 1961 में दो विकास खण्ड मरदह (341.62 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.) एवं रेवतीपुर (328.36 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0) आते हैं। 1961 के बाद जनपद का कोई भी विकास खण्ड इस वर्ग में नहीं आता है। (**परिशिष्ट 2.1**)

DISTRICT GHAZIPUR

POPULATION DENSITY

1981

GANGA R.

PERSON / Km^2

< 550

550 - 700

700 - 850

850 - 1000

>1000

1991

GANGA R.

10 0 10 20

Km

Fig. 2.3

2.6.2.2 साधारण घनत्व वर्ग (350-500 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.)-

इस वर्ग के अन्तर्गत जनपद में 1961 में 12 विकास खण्ड, यथा करण्डा (364.50), बिरनो (360.00), सैदपुर (453), देवकली (364.20), सादात (360.59 व्यक्ति), जखनियाँ (381.84 व्यक्ति), मनिहारी (351.64), भाँवरकोल (351.58), कासिमाबाद (373.13 व्यक्ति), बाराचँवर (387.47 व्यक्ति), जमानियाँ (371.65 व्यक्ति), एवं भदौरा (402.15 व्यक्ति) आते हैं। 1971 में इस वर्ग के अन्तर्गत 13 विकास खण्ड सम्मिलित हो गये यथा करण्डा (427 व्यक्ति), बिरनो (430 व्यक्ति), मरहद (413 व्यक्ति), देवकली (411 व्यक्ति), सादात (448.00 व्यक्ति), जखनियाँ (446.00 व्यक्ति), मनिहारी (403 व्यक्ति), भँावरकोल (470 व्यक्ति), कासिमाबाद (457 व्यक्ति), बाराचँवर (396 व्यक्ति), जमानियाँ (414 व्यक्ति), भदौरा (469 व्यक्ति), जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण 1981 में इस वर्ग के अन्तर्गत मात्र दो विकास खण्ड भाँवरकोल (475 व्यक्ति) तथा रेवतीपुर (466 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) थे। 1991 के अन्तर्गत इस वर्ग में कोई विकास खण्ड नहीं था, यह जनघनत्व में तीव्र वृद्धि का ही परिणाम है। **(परिशिष्ट 2.1)**

2.6.2.3. मध्यम घनत्व वर्ग (500-650 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.)-

इसके अन्तर्गत 1961 में 2 विकास खण्ड गाजीपुर (581.02 व्यक्ति) एवं मुहम्मदाबाद (542 व्यक्ति) सम्मिलित हैं। 1971 में भी दो विकास खण्ड सैदपुर (523.80 व्यक्ति) एव मुहम्मदाबाद (628.20 व्यक्ति) रहे। 1981 में इस वर्ग के अन्तर्गत 11 विकास खम्ड-करण्डा (539 व्यक्ति) बिरनो (587.41 व्यक्ति), मरदह (522 व्यक्ति), देवकली (551 व्यक्ति), सादात (544.13 व्यक्ति, जखनियाँ (572 व्यक्ति), मनिहारी (511 व्यक्ति), कासिमाबाद (559.71 व्यक्ति), बाराचँवर (525 व्यक्ति), जमानियाँ (532.07 व्यक्ति) एवं भदौरा (605.26 व्यक्ति), सम्मिलित हो गये। 1991 में इस वर्ग के अन्तर्गत 5 विकास खण्ड थे मनिहारी (641.09 व्यक्ति), सादात 637.98 व्यक्ति), भाँवरकोल (516.29 व्यक्ति), रेवतीपुर (528.14 व्यक्ति), तथा बाराचँवर (639) आ गये। **(परिशिष्ट (2.1)**

2.6.2.4 उच्च घनत्व वर्ग (650-800 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)-

इस वर्ग के अन्तर्गत 1961 में एक भी विकास खण्ड नहीं था, 1971 में केवल गाजीपुर विकास खण्ड (756.52 व्यक्ति) था। 1981 में गाजीपुर इस वर्ग से बाहर हो गया एवं इसमे सैदपुर (667 व्यक्ति) तथा मुहम्मदाबादा (792 व्यक्ति) सम्मिलित हो गये। 1991 में इस वर्ग के अर्न्तगत जनपद के 9 विकास खण्ड यथा- जखनियाँ (716.21 व्यक्ति), देवकली (722 व्यक्ति), बिरनो (762.84 व्यक्ति, मरदह (660.41 व्यक्ति), करण्डा (658 व्यक्ति), कासिमाबाद (727.32 व्यक्ति, जमानियाँ (687.06 व्यक्ति) तथा भदौरा (728.07 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) सम्मिलित हो गये। (परिशिष्ट 2.1)

2.6.2.5 अति उच्च घनत्व - (800 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से अधिक)–

इस वर्ग में 1961, 1971 में कोई विकास खण्ड नहीं था 1981 में गाजीपुर विकास खण्ड (960.46 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी), इस वर्ग में आ गया। 1991 में अति उच्च वर्ग में 3 विकास खण्ड सैदपुर (858.70 व्यक्ति), गाजीपुर (1365.70 व्यक्ति) तथा मुहम्मदाबाद (1010.18 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) इस वर्ग में सम्मिलित हो गये। (परिशिष्ट 2.1)

2.6.3 कृषि जनसंख्या घनत्व-

कृषि घनत्व, कृषि प्रधान देशों के सन्दर्भ में कृषि संसाधन पर जनसंख्या दबाव मापने का सुन्दर तरीका माना जाता है। (ट्रिवार्थ जी.टी.) कृषि जनसंख्या घनत्व एक निश्चित समय पर प्रति ईकाई कृषिगत भूमि पर कृषि में संलग्न जनसंख्या का परिचायक है। (चान्दना) अर्थात् कृषि में लगी जनसंख्या और कृषित क्षेत्र का अनुपात कृषि जनसंख्या घनत्व है। उन देशों में जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हो, वहाँ मानव–क्षेत्रफल के अन्तर्सबंध को अभिव्यक्त करने का यह सुरुचिपूर्ण सूचकांक है। कृषि घनत्व की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है—

$$\text{कृषि घनत्व} = \frac{\text{कृषि में संलग्न जनसंख्या}}{\text{कृषिगत क्षेत्र}}$$

DISTRICT GHAZIPUR
DENSITY
1991
NUTRITIONAL
Persons/Km2
< 1000
1000 - 1100
1100 - 1200
1200 - 1300
> 1300
GANGA R.
AGRICULTURAL
PERSONS/Km2
150 - 165
165 - 180
180 - 195
> 195
GANGA R.
10 0 10 20
Km

Fig. 2.4

2.6.3.1 कृषि जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय वितरण प्रारूप–

जनपद में 1961 में कृषि जनसंख्या घनत्व 137.11 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी, 1971 मे 134.02 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 तथा 1981 में 139.47 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रहा। 1991 में यह जनसंख्या घनत्व 181.38 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रहा। 1991 में जनपद के विकास खण्ड में सर्वाधिक कृषि जनसंख्या घनत्व गाजीपुर विकास खण्ड में 224.50 व्यक्ति तथा सबसे कम भाँवरकोल विकास खण्ड में 159.32 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. रहा। इसी प्रकार अन्य विकास खण्डों का कृषि जनसंख्या घनत्व जखनियाँ (174.74 व्यक्ति), मनिहारी (181.88) व्यक्ति), सादात (184. 64 व्यक्ति), सैदपुर (183.24 व्यक्ति), देवकली (170.78) बिरनो (189.90) मरदह (169.76 व्यक्ति), करण्डा (167.30 व्यक्ति) कासिमाबाद (185.99) बाराचँवर (178.85 व्यक्ति), मुहम्मदाबाद (219.25 व्यक्ति), जमानियाँ (172.56 व्यक्ति), रेवतीपुर (159.87 व्यक्ति), भदौरा (165.12 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। जनपद के कृषि जनसंख्या घनत्व में 1961-71 की अवधि में ऋणात्मक वृद्धि हुई है जबकि 1981 के बाद घनत्व में घनात्मक वृद्धि हुई है। कृषि जनसंख्या घनत्व एवं आंकिक घनत्व की तुलनात्मकता इस बात की ओर संकेत करती है कि कृषि घनत्व में आंकिक घनत्व की तरह अल्प असमानता है। **(तालिका 2.10, चित्र संख्या 2.4)**

2.6.4 कायिक जनसंख्या घनत्व-

यह मानव–क्षेत्र गणना की अधिक परिष्कृत विधि है जिसमें कुल क्षेत्रफल की जगह कुल कृषिगत भूमि के क्षेत्रफल से जनसंख्या को विभाजित किया जाताहै। (यादव हीरालाल (1997 वस्तुतः कुल जनसंख्या का किसी क्षेत्र पर भार ज्ञात करना जिस पर वे भार नहीं डालते, वैज्ञानिक नहीं है। जब किसी ऐसे क्षेत्रफल जैसे पहाड़ी चट्टानी, रेगिस्तानी, नदी तालाब, को सम्मिलित करते है जिस पर मानव आधिवास सम्भव नहीं। अतएव वास्तविक भार ज्ञात करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि समस्त क्षेत्रफल को न लेकर केवल कृषि योग्य भूमि को ही लिया जाए। यह घनत्व सम्पूर्ण जनसंख्या तथा समस्त कृषिगत भूमि का अनुपात व्यक्त करता है। (चान्दना आर0सी0 1997) कायिक जन घनत्व ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$\text{कायिक जनसंख्या घनत्व} = \frac{\text{कुल जनसंख्या}}{\text{कृषिगत भूमि का क्षेत्रफल}}$$

तालिका 2.11

कायिक जनसंख्या घनत्व (1981-1991)

कायिक घनत्व वर्ग	कायिक जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	विकास खण्डों की संख्या 1981	1991
निम्न	600 से कम	03	-
साधारण	600-650	06	02
मध्यम	650-700	03	-
उच्च	700-750	00	03
अति उच्च	750 से अधिक	04	11

2.6.4.1 कायिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय वितरण प्रारूप—

1961 में जनपद का कायिक जनसंख्या घनत्व 438.25 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी था, जो 1971 में बढ़कर 551.95 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 हो गया। 1981 में 695.42 व्यक्ति, 1991 में 845.17 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 हो गया। स्पष्ट है कि 1961 के बाद कायिक घनत्व तीव्र गति से बढ़ा है।

1981 में **निम्न कायिक घनत्व वर्ग (600 से कम)** में 3 विकास खण्ड थे - रेवतीपुर 557.50 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी, भदौरा 581.60 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 तथा भाँवर कोल (553.09 व्यक्ति), 1991 में जनपद का कोई भी विकास खण्ड इस वर्ग में नहीं रहा।

1981 में साधारण कायिक घनत्व बर्ग में जनपद के 6 विकास खण्ड यथा मरदह (603.40), मनिहारी (602.22 व्यक्ति) बिरनो (644.32 व्यक्ति), कासिमाबाद (614.44 व्यक्ति), बाराचँवर (606.61 व्यक्ति), जमानियाँ (603.53 व्यक्ति) 1991 में इस वर्ग में 2 विकास खण्ड रेवतीपुर (645.79) और भाँवरकोल (620.05 व्यक्ति) आते थे।

1981 में मध्यम जनघनत्व वर्ग में 3 विकास खण्ड करण्डा (687.84 व्यक्ति), जखनियाँ (670.07 व्यक्ति), तथा सादात (682.90 व्यक्ति), आते थे। 1991 में इस वर्ग में कोई भी विकास खण्ड नहीं थी।

1981 में उच्च कायिक जनघनत्व वर्ग में कोई भी विकास खण्ड नहीं था, 1991 में इस वर्ग में 3 विकास खण्ड सम्मिलित हो गये। बाराचँवर (742.75 व्यक्ति), मरदह

DISTRICT GHAZIPUR
PHYSIOLOGICAL DENSITY
1981
GANGA R.
PERSONS/Km2
< 600
600 - 700
700 - 800
800 - 900
900 - 1000
> 1000
1991
GANGA R.
10 0 10 20
Km

Fig. 2.5

(722.54 व्यक्ति), मनिहारी (743.97 व्यक्ति) है। **अति उच्च कायिक जनघनत्व वर्ग** में 1981 में 4 विकास खण्ड मुहम्मदाबाद (791.34 व्यक्ति), सैदपुर (757.20 व्यक्ति), गाजीपुर (874.77 व्यक्ति) तथा देवकली (855.15 व्यक्ति), आते थे। 1991 में इस वर्ग के अन्तर्गत कुल 11 विकास खण्ड सम्मिलित हो गये, यह जन घनत्व में तीव्र वृद्धि के कारण हुआ। इन विकास खण्डों में - जखनियाँ (828.38) सादात (791.42), सैदपुर (988.64), देवकली (791.37 व्यक्ति), बिरनो (865.41), गाजीपुर (1767.32 व्यक्ति), करण्डा (785.49 व्यक्ति), कासिमाबाद (821.89 व्यक्ति), मुहम्मदाबाद (1110.83 व्यक्ति), जमानियाँ (803.40 व्यक्ति), भदौरा (867.48 व्यक्ति) रहे। **(मानचित्र संख्या 2.5)**

2.6.5 पोषण जनसंख्या घनत्व–

पोषण घनत्व ग्रामीण जनसंख्या एवं सकल बोये गये क्षेत्र के अनुपात को व्यक्त करता है (ओझा रघुनाथ) जिन देशों की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है तथा जहाँ आय और भोजन का मुख्य आहार कोई एक प्रमुख अनाज ही होता है, वहाँ इस प्रकार के घनत्व का अधिक महत्व होता है। (मामोरिया सी0बी0 1999) थाईलैण्ड, दक्षिण चीन, भारत के प. बंगाल राज्य में चूँकि चावल अधिक बोया जाता है, एवं प्रमुख भोज्य खाद्यान्न है, अतः यहाँ पोषण घनत्व की जनसंख्या के उपयोग का मापदण्ड कहा जा सकता है। पोषण जनघनत्व का परिकलन निम्न सूत्र की सहायता से किया गया है

$$\text{पोषण जनसंख्या घनत्व} = \frac{\text{ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{सकल बोया गया क्षेत्रफल}}$$

2.6.5.1 पोषण जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय वितरण प्रारूप-

1991 में जनपद का पोषण जनघनत्व 1051.13 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 था, यह 1981 में 490.04 व्यक्ति, 1971 में 403.71 व्यक्ति एवं 1961 में 403.96 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 था। स्पष्ट है कि 1971 से 1991 तक पोषण जनघनत्व में 2.60 गुना वृद्धि हुई है जो सकल बोये गये क्षेत्र पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव को ज्ञापित करती है। 1991 में विकास खण्डों में पोषण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1413.66 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 बाराचँवर विकास खण्ड में था तथा न्यूनतम 923.71 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रेवतीपुर विकास खण्ड में था। इसी

प्रकार अन्य विकास खण्डों का पोषण जनसंख्या घनत्व जखनियाँ 1253.65 व्यक्ति, मनिहारी 1228.40 व्यक्ति सादात 1125.40 व्यक्ति, सैदपुर 1339.23 व्यक्ति, देवकली 1300.80 व्यक्ति, बिरनो 1039.66 व्यक्ति, मरदह 1044.70 व्यक्ति, गाजीपुर 1467.92, करण्डा 1206.28, कासिमाबाद 1043.19 व्यक्ति, मुहम्मदाबाद 1386.80, भाँवरकोल 1243.06 व्यक्ति, जमानियाँ 958.17 व्यक्ति भदौरा 965.06 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रहा। **(तालिका 2.10, चित्र संख्या 2.4)**

2.6.6 ग्रामीण जनसंख्या घनत्व–

किसी स्थान का ग्रामीण जनसंख्या घनत्व वहाँ के भौतिक एवं आर्थिक दशाओं पर निर्भर करता है। उसके संसाधन की उपलब्धता पर ही जनसंख्या स्थानान्तरण अल्पाधिक्य होता है। (जेलिन्सकी डब्ल्यू0 बी0 1966)

जनपद में 1971 में ग्रामीण जनघनत्व 436 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 था, 1981 में 542 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 एवं 1991 में यह घनत्व 661 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 हो गया। 2001 में ग्रामीण जनघनत्व 845.10 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रहा। 2001 का सर्वाधिक घनत्व ग्रामीण जनसंख्या में अधिक औसत वृद्धि के फलस्वरूप परिलक्षित होता है।

तालिका 2.12

ग्रामीण जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या घनत्व वर्ग	ग्रामीण जनघनत्व प्रतिवर्ग किमी0	विकास खण्डों की सं0		
		1971	1981	1991
निम्न	400 से कम	01	-	-
साधारण	400-500	12	03	-
मध्यम	500-600	02	10	02
उच्च	600-700	-	03	08
अति उच्च	700 से अधिक	-	-	06

2.6.6.1 निम्न घनत्व वर्ग-

जनपद में 1971 में निम्न घनत्व वर्ग में मात्र दो विकास खण्ड बाराचँवर (396.00 व्यक्ति) तथा रेवतीपुर (365.52 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0) थे, 1981 में इस वर्ग में जनपद का कोई भी विकास खण्ड नहीं था। यही स्थिति 1991 में भी रही है। साधारण जनघनत्व वर्ग में

1971 में जनपद के 12 विकास खण्ड थे यथा-करण्डा (437.00 व्यक्ति), बिरनो (430), मरदह (413.00 व्यक्ति), सैदपुर (495.00 व्यक्ति), देवकली (411.00 व्यक्ति), सादात (448.00 व्यक्ति), जखनियाँ (446.00 व्यक्ति), मनिहारी (403 व्यक्ति), भाँवरकोल (470.00 व्यक्ति), कासिमाबाद (457.00 व्यक्ति), जमानियाँ (414 व्यक्ति), तथा भदौरा (469 व्यक्ति) प्रति वर्ग किमी0 थे। 1981 में इस वर्ग के अन्तर्गत 3 विकास खण्ड - भाँवरकोल (475.00 व्यक्ति), भदौरा तथा रेवतीपुर क्रमशः 495 एवं 466 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 थे। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण 1991 में इस वर्ग के अन्तर्गत जनपद का कोई भी विकास खण्ड नहीं था। **(परिशिष्ट 2.2 , चित्र संख्या 2.6)**

2.6.6.2 मध्यम ग्रामीण जनसंख्या घनत्व वर्ग-

इस वर्ग के अन्तर्गत 1971 में जनपद के 2 विकास खण्ड- गाजीपुर (538.00 व्यक्ति) तथा मुहम्मदाबाद (502.04 व्यक्ति) थे। 1981 में इस वर्ग के अन्तर्गत जनपद के 10 विकास खण्ड सम्मिलित हो गये यथा - करण्डा 539,·बिरनो 551, मरदह 522, देवकली 551, सादात 527, जखनियाँ 572, मनिहारी 511, कासिमाबाद 528, बाराचँवर 525, तथा जमानियाँ 500 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 थे। 1991 में इस वर्ग में केवल दो विकास खण्ड - भाँवरकोल 516 तथा रेवतीपुर 528 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रहे। **(परिशिष्ट 2.2 , चित्र संख्या 2.6)**

2.6.6.3 उच्च ग्रामीण जनघनत्व वर्ग-

1971 में इस वर्ग में जनपद का कोई भी विकास खण्ड नहीं था, 1981 में इस वर्ग में 3 विकास खण्ड आ गये जो सैदपुर (638 व्यक्ति), गाजीपुर (669 व्यक्ति) तथा मुहम्मदाबाद (688 व्यक्ति) थे। 1991 में इस वर्ग मे जनपद के 8 विकास खण्ड जुड़ गये जो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। ये विकास खण्ड - मनिहारी (641 व्यक्ति), सादात (631 व्यक्ति), मरदह (660 व्यक्ति), करण्डा (658 व्यक्ति), कासिमाबाद (673 व्यक्ति), बाराचँवर (639 व्यक्ति), जमानियाँ (609 व्यक्ति), भदौरा (685 व्यक्ति) रहे। **(परिशिष्ट 2.2 , चित्र संख्या 2.6)**

2.6.6.4 अति उच्च ग्रामीण जनसंख्या घनत्व-

इस वर्ग के अन्तर्गत 1971 एवं 1981 में कोई भी विकास खण्ड नहीं था, 1991 में इस वर्ग में 6 विकास खण्ड रहे यथा - जखनियाँ (716 व्यक्ति), सैदपुर (775 व्यक्ति), देवकली

DISTRICT GHAZIPUR
RURAL DENSITY
1981
1991
GANGA R.
GANGA R.
PERSONS/Km2
< 500
500 - 600
600 - 700
700 - 800
> 800
10 0 10 20
Km

(722 व्यक्ति), बिरनो (709 व्यक्ति), गाजीपुर (863 व्यक्ति) तथा मुहम्मदाबाद (872 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी) रहे। **(परिशिष्ट 2.4, चित्र संख्या 2.6)**

2.6.7 नगरीय जनसंख्या घनत्व–

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था, सामाजिक जीवन, तथा राजनैतिक जीवन काफी सीमा तक आपस में भिन्न होते हैं। (चान्दना 1997) इस विभिन्नता को स्पष्ट करने के लिए जनसंख्या घनत्व का स्पष्टीकरण अनिवार्य है, क्योंकि यह उन समग्र दशाओं का द्योतक है जिनके कारण नगरीय जनसंख्या घनत्व ग्रामीण जनसंख्या घनत्व से अधिक है। जनपद में 1961 मे नगरीय केन्द्र के रूप में सैदपुर एवं गाजीपुर नगर पालिका थे। 1971 में मुहम्मदाबाद नगरीय केन्द्र के रूप में विकसित हो गया। सन् 1971 में शहरी एग्लोमिरेशन की संकल्पना का प्रारम्भ हुआ जिसे 1981 की जनगणना में सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार नगर केन्द्र के बाह्य क्षेत्रों, एवं वाह्य वृद्धियों सहित दो या अधिक नगर जो विस्तीर्ण क्षेत्र का निर्माण करते हैं सम्मिलित किये गये। (भारतीय जनगणना 1981) इस संकल्पना के अनुसार वर्तमान में जनपद में कुल 9 नगरीय केन्द्र हैं - सादात, सैदपुर, जंगीपुर, गाजीपुर नगर पालिका, मुहम्मदाबाद, बहादुर गंज, जमानियाँ, दिलदार नगर फतेहपुर बाजार। **(तालिका 2.14)**

तालिका 2.13

जनपद गाजीपुर का नगरीय जनसंख्या घनत्व

वर्ष	घनत्व प्रतिवर्ग किमी.
1961	2339
1971	2693
1981	3110
1991	3910
2001	5118 (1991 के क्षेत्रफल पर आधारित)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका 1961, 1971, 1981, 1991 तथा अनन्तिम जनगणना 2001 जनपद गाजीपुर।

2.6.7.1 नगरीय केन्द्रों का जनसंख्या घनत्व–

तालिका 2.13 से स्पष्ट है कि नगरीय जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी हैं, जहाँ 1961 में यह घनत्व 2339 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 था जो 1991 में 3910 तथा 2001 में 5118 हो गया। 1961 से 2001 की अवधि में 2.18 गुना वृद्धि हुई है।

1961 में सैदपुर का जनसंख्या घनत्व 1445.30 व्यक्ति, गाजीपुर नगर पालिका का 2705.53 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी था 1971 में सैदपुर का 1813.17, गाजीपुर नगर पालिका का 3323. 74 व्यक्ति एवं मुहम्मदाबाद का 2097.63 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 था। 1981 में सादात का 2494, सैदपुर का 3288 व्यक्ति, जंगीपुर का 2705 व्यक्ति, गाजीपुर नगर पालिका का 4423 व्यक्ति, मुहम्मदाबाद का 2840 व्यक्ति, बहादुरगंज का 3512.00 व्यक्ति, जमानियाँ का 2463, दिलदारनगर फतेहपुर का 4236 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 था। 1991 में सर्वाधिक घनत्व दिलदार नगर फतेहपुर का 5743 व्यक्ति तथा न्यूनतम जमानियाँ का 2807 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी था। इसके अलावा अन्य केन्द्रों का जनसंख्या घनत्व सादात 3066 व्यक्ति, सैदपुर 3288 व्यक्ति, जंगीपुर 3574, मुहम्मदाबाद 3686 व्यक्ति, बहादुर गंज 4554 व्यक्ति, गाजीपुर का 5575 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 था।

2001 में सर्वाधिक घनत्व गाजीपुर नगर पालिका का 7522.43 व्यक्ति तथा न्यूनतम जमानियाँ का 3056 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रहा। सादात का 3830.37 व्यक्ति, सैदपुर का 3891.51 व्यक्ति, जंगीपुर का 4805.19 मुहम्मदाबाद का 4761.25 व्यक्ति, बहादुरगंज का 5925.64, दिलदारनगर फतेहपुर बाजार का 7175.47 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रहा। (**तालिका 2.14**)

तालिका 2.14

नगरीय केन्द्रों का जनसंख्या घनत्व

नगरीय केन्द्र	1961	1971	1981	1991	2001
सादात	-	-	2494	3066	3830.37
सैदपुर	1445.30	1813.17	2335	3288	389.51
जंगीपुर	-	-	2705	3574	4805.19
गाजीपुर नगर पालिका	2705.53	3323.74	4423	5575	7522.43
मुहम्मदाबाद	-	2097.63	2840	3686	4761.25
बहादुर गंज	-	-	3512	4554	5925.64
जमानियाँ	-	-	2463	2807	3056.61
दिलदार नगर फतेहपुर बाजार	-	-	4236	5743	7175.47

REFERENCES

1. Clark J.I. (1972) ``Population Geography" Tergaman Press Oxford P. 131
2. Chandana R.C. (1997) ``Population Geography" (in Hindi) Kalyanı Publishers New Delhi P. 50
3. Chandana R.C. (1997) ``Population Geography" (in Hindi) Kalyani Publishers New Delhi P. 253
4. Demko G.J. (1970) ``Population Geography: A Reader" McGrow Hill company New York P. 22
5. Mamoria C.B. (1999) "Human and Economic Geography" (In Hindi) Sahitya Bhawan Publication Agra P. 115
6. Ojha R. (1983) `Jansankya Boogol' Pratibha Prakashan Kanpur P. 84 (in Hindi)
7. Rao B.P. (1989) 'Human Geography' (in Hindi) Vasundhara Prakashan Gorakhpur P. 160-161
8. Steel R.W. (1955) ``Land and Population in British Tropical Africa" P. 40
9. Trewartha G.T. (1969) ``A Geography of Population World Pattern" Johon Wiley and sons New York.
10. Yadav H. L. (1997) ``Jansankhya Boogole" Vasundhara Prakashan Gorakhpur PP 33-35
11. Yadav Rana P.S. (1997) 'Population Study of Sadat Block District Ghazipur U.P.' Dissertation work for M.A. in Geography. B.H.U. P.P. 18-21
12. Zelinsky W.B. (1968) ``A Prologue to Population Geography" Prentice Hall Inc N.J. PP- 32-33

अध्याय 3

जनसंख्या वृद्धि

किसी भी स्थान के भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या एवं उसके विभिन्न तत्वों के अध्ययन का विशेष वैशिष्ट्य हैं। क्योंकि जहाँ मानव एक भौगोलिक तत्व हैं, वहीं एक संसाधन एवं कारक भी है। जनसंख्या भूगोल में मानव की संख्या वृद्धि, वितरण संस्कृति एवं अन्य जनांकिकीय विशेषताओं का क्षेत्रिय अध्ययन महत्वपूर्ण केन्द्रीय तत्व के रुप में किया जाता हैं क्योंकि मानव तरह-तरह के संसाधनों का प्रणेता, उपभोक्ता एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर्त्ता भी हैं।

मानव उपने विवेक का प्रयोग कर भौगोलिक वातावरण को निश्चित सीमा तक परिवर्तित कर व्यष्टि एवं समष्टि के लिए उपयोगी बनाता है तथा इस परिवर्तन से वह स्वंय भी प्रभावित होता है। परिणामतः प्रदेश की जनसांख्यिकीय विशेषताएं प्रदेश के भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, एवं संसाधनों के समन्वित रुप का प्रतिफल होती है।

किसी स्थान की जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि का अर्थ अधिकतर एक क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगो की संख्या में परिवर्तन से है। (चान्दना आर0सी0 1997) यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जनसंख्या समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यदि परिवर्तन वृद्धि में है तो धनात्मक एवं ह्रास में है तो ऋणात्मक वृद्धि होती है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों में रही है जहाँ विश्व की 75 प्रतिशत जनसंख्या निवसित है। (हुसैन माजिद 1999) वस्तुतः सार्वत्रिक जनसंख्या वृद्धि धीरे-धीरे कम हो रही है और अनेक राष्ट्रों विशेषकर विकसित संसार में जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या संतुलन के जनसांख्यिकी परिवर्तन का अनुभव किया है। फिर भी अनेक विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक है। अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर मध्य गंगा मैदान के ऊपजाऊँ क्षेत्र में आता है जहाँ जनसंख्या पर्याप्त होने के साथ-साथ जनसंख्या विकास की गति भी अधिक है।

3.1 जनपद गाजीपुर में जनसंख्या वृद्धि-

सन् 1901 क़ी जनगणना के अनुसार जनपद गाजीपुर की जनसंख्या 8,57, 830 थी जो 2001 में बढ़कर 30,49,337 हो गयी। इन दस दशकों में कुल जनसंख्या में 255.47

प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनपद की जनसंख्या में प्रतिदशक वृद्धि में असमानताएं है। बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है। 1921 के बाद के दशकों में यह वृद्धि धनात्मक होने के साथ-साथ आगे के वर्षो में क्रमशः तीव्र होती गयी (**तालिका 3.1**) जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से 1921 ई0 एक जनांकिकी विभाजक के रूप में है। क्योकि इसी जनगणना वर्ष के बाद प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होती रही है। यद्यपि जनपद मे 1921 के बाद प्रत्येक दशक में जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन वृद्धि की दर समान नहीं है। 1931-1941 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 19.44 प्रतिशत रही जबकि 1941-51 में जनसंख्या वृद्धि 15.67 प्रतिशत हो गयी।

जनपद गाजीपुर की जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए, पिछले 100 वर्षो के समग्र काल को दो भागों में बाँटा जा सकता है यथा-

(1) ऋणात्मक वृद्धि काल (1901-1921)

(2) धनात्मक वृद्धि काल (1921-2001)

तालिका 3.1

जनपद गाजीपुर में जनसंखया वृद्धि (1901-2001)

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि		प्रतिशत वृद्धि	
		प्रतिदशक	ग्रमीण	नगरीय	उ0प्र0	भारत
1901	8,57,830	-	-	-	-	-
1911	7,88,298	-8.11	-9.14	3.68	-0.97	5.73
1921	7,81,333	-0.88	-1.38	4.12	-3.08	-0.30
1931	8,24,721	5.55	3.83	21.56	6.66	11.00
1941	9,85,081	19.44	19.63	17.95	13.57	14.22
1951	11,00,932	15.82	15.67	17.04	11.82	13.31
1961	13,21,578	15.83	25.64	-25.17	16.66	21.51
1971	15,31,654	15.89	14.58	52 80	19.80	24.80
1981	19,44,669	26.96	22.40	123.60	25.52	24.75
1991	24,16,617	24.27	25.01	15.57	25.55	23.86
2001	30,49,337	26.18	25.82	30.67	25.80	21.34

स्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971, 1981 एवं सांख्यिकी पत्रिका 2000 तथा अनन्तिम जनगणना 2001

3.1.1 ऋणात्मक वृद्धि काल (1901-1921 ई0)-

जनपद में बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही। इन दो दशकों में यह ऋणात्मक वृद्धि (-8.11, तथा- 3.08 प्रतिशत) क्रमशः रही। बीसवीं शदी के दो दशकों में प्रदेश की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्रमशः -0.97 तथा -0.88 प्रतिशत रही तथा भारत में प्रथम दशक में धनात्मक (5.73) एवं द्वितीय दशक में ऋणात्मक (-0.30) जनसंख्या वृद्धि रही । उपरोक्त दोनों दशकों में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का कारण 1904 का दुर्शिक्ष तथा 1911ई. की महामारी रही।

3.1.2 धनात्मक वृद्धि का काल-(1921-2001)–

जनपद में 1921 के बाद जमसंख्या में अनवरत धनात्मक वृद्धि होती गयी है। 1921 में जनपद की जनसंख्या 7,81,333 थी। जो 1931 में बढ़कर 8,24,721 हो गयी, 1941 में 9,85,081, 1951में 11,00,932, 1961में 13,21,578, 1971में 15,31,654, 1981 में 19,44,669, 1991 में 24,16,617 तथा 2001 में 30,49,337 हो गयी। 1921 से 1931 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 5.55 प्रतिशत से बढ़कर 1931-41 में 19.44 हो गयी लेकिन इसके बाद के दशक 1941-51 में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से घटकर 15.82 प्रतिशत हो गयी। इसका मुख्य कारक प्रब्रजन रहा। पुनः 1951-61में जनसंख्या वृद्धि 15.83,1961-71 में 15.89,1971 तक आते-आते प्राचीन सामन्ती प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो गयी थी तथा मनुष्य के जीवन यापन की सुविधाएं धीरे-धीरे विकसित होने लगी थी। (थाम्पसन डब्ल्यु एस. 1951)। विकास प्रक्रिया के समारम्भ होने के साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि प्रारम्भ हो गयी। 1951 से 2001 में जनपद की जनसंख्या वृद्धि 177.03 प्रतिशत रही। जबकि इसी अवधि में उ.प्र.की जनसंख्या में-162.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि जनपद की वृद्धि से कम है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् के दशकों में न केवल दशक वृद्धि दर ज्यादा हो गयी है बल्कि वृद्धि दर अन्तराल में भी वृद्धि हुई है। 1951-1961 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 15.83 प्रतिशत तथा उ.प्र. एवं भारत की जनसंख्या वृद्धि 16.66 एवं 21.51 प्रतिशत रही जो विगत सभी दशकों से अधिक है। जनसंख्या में इस दशक में शुरु की गयी ग्रामीण विकास परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सांस्कृतिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। (बंसल एस.सी.1999) इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के विकास,अकृषित भूमि

को कृषि भूमि में बदलने की योजना ने कृषि प्रधान क्षेत्र की समृद्धि को निश्चिततः प्रभावित किया फलतः जनसंख्या में वृद्धि हुई।

छठे दशक के बाद जनसंख्या में तीव्रता से बृद्धि हुई। 1961-1971 में जनसंख्या में 15.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो उ.प्र.के 19.80 प्रतिशत से कम हैं। 1971-81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 26.96 प्रतिशत थी जो उ.प्र.की जनसंख्या वृद्धि 25.52 प्रतिशत से अधिक है। 1981-91 के दशक जनपद की जनसंख्या वृद्धि 24.27 प्रतिशत एवं उ.प्र. की जनसंख्या वृद्धि 25.55 प्रतिशत से कम है। इस अवधि में.उन्नतशील बीजों, सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए नहरों एवं नलकूपों का विकास किया गया। भूमिहीनों को भूमि वितरीत की गयी। संक्रामक बीमारियो पर नियन्त्रण कर लिया गया। 1991-2001के दशक में जनपद की जनसंख्या वृद्धि 26.18 प्रतिशत एवं प्रदेश एवं राष्ट्र की जनसंख्या बृद्धि 25.80 एवं 21.34 प्रतिशत रही। जनसंख्या वृद्धि की यह तीव्र प्रवृत्ति विभिन्न भागों में विकासजन्य क्रिया कलापों का ही प्रतिफल है। यथा-ग्रामीण विकास योजनाएं (आई.आर.डी.पी,सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास योजना, उन्नत किस्म के बीज की एचवाईवी सीड्स योजना) एवं अन्य सामाजिक योजनाओं जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि, इन्दिरा आवास, अन्नपूर्णा योजना आदि का जनसंख्या वृद्धि पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

3.2 जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय प्रारूप-

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की असमानता को स्पष्ट करने के लिए **तालिका 3.2** में तहसीलों की 1961 से 2001 तक की दशकीय जनसंख्या बृद्धि प्रदर्शित की गयी है।

तालिका 3.2

जनपद गाजीपुर -तहसीलवार जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में

	दशकीय जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)			
तहसील	1961-1971	1971-81	1981-91	1991-2001
जखनियाँ	-	-	-	-
सैदपुर	16.71	26.93	24.85	-31.73
गाजीपुर	20.67	20.10	26.37	26.29
मुहम्मदाबाद	13.41	32.75	22.96	25.27
जमानियाँ	12.53	21.18	22.56	25.53

स्रोत– जनगणना हस्त पुस्तिका 1961,1971,1981,1991 एवं अनन्तिम जनगणना 2001 जनपद गाजीपुर

DISTRICT GHAZIPUR
REGIONAL PATTERN OF POPULATION GROWTH-RATE
1971-81
1981-91
population Growth Rate in per cent
> 25
22-25
19 - 22
16 - 19
< 16
GANGA
GANGA R.
10 0 10 20
Km
POPULATION GROWTH
DECADAL POPULATION GROWTH(%)
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
11 31 41 51 61 71 81 91 2001
YEARS
INDIA
U.P.
Ghazipur
POPULATION IN (0000)
350
300
250
200
150
100
50
0
1901 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2001
YEARS
Total
Rural
Urban

3.2.1 तहसीलवार जनसंख्या वृद्धि-

तालिका 3.2 से स्पष्ट है कि 1961-1971 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि गाजीपुर तहसील में हुई जो 20.67 प्रतिशत दशकीय है। इसके अतिरिक्त सैदपुर में 16.71, मुहम्मदाबाद 13.41 तथा न्यूनतम जमानियाँ तहसील में 12.53 प्रतिशत है। 1971-1981 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मुहम्मदाबाद तहसील में 32.75 प्रतिशत तथा न्यूनतम गाजीपुर तहसील में 20.10 प्रतिशत थी। सैदपुर एवं जमानियाँ तहसीलों की जनसंख्या वृद्धि क्रमशः 26.93 एवं 21.18 प्रतिशत थी। 1981-1991 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि गाजीपुर तहसील में 26.37 प्रतिशत एवं न्यूनतम 22.56 प्रतिशत जमानियाँ तहसील में हैं सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तहसीलों की वृद्धि 24.85 एवं 22.96 प्रतिशत थी।

1991-2001 में सैदपुर तहसील में-31.73 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दिखाई गयी है इसका कारण सैदपुर तहसील की प्रशासनिक सीमा में परिवर्तन कर एक नयी तहसील जखनियाँ (1995) बनाई गयी जिसकी वर्तमान जनसंख्या 463605 है। फलतः ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में 26.29, मुहम्मदाबाद में 25.27 तथा जमानियाँ तहसील मे 25.53 प्रतिशत वृद्धि रही।

3.2.2 विकास खण्ड वार जनसंख्या वृद्धि-

1971-1981 की अवधि में यदि जनपद के विकास खण्डों पर दृष्टि डालें तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि भाँवरकोल विकास खण्ड में 27.40 प्रतिशत है तथा न्यूनतम जमानियाँ विकास खण्ड में 15.00 प्रतिशत है। अन्य विकास खण्डों में यथा जखनियाँ 26.80 प्रतिशत, मनिहारी 25.60 प्रतिशत, सादात 22.40 प्रतिशत, सैदपुर 27.00 प्रतिशत, देवकली 25.50 प्रतिशत, मरहद 25.70 प्रतिशत, गाजीपुर 23.64 प्रतिशत, करण्डा 22.60 प्रतिशत, कासिमाबाद 22.40 प्रतिशत, बाराचँवर 24.30, मुहम्मदाबाद 24.70 प्रतिशत विरनो 19.50 प्रतिशत, रेवतीपुर 21.70 प्रतिशत तथा भदौरा में 20.60 प्रतिशत थी। **(तालिका 3.3 मानचित्र संख्या 3.1)**

सन् 1981-1991 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भदौरा विकास खण्ड में 41.60 प्रतिशत रही तथा न्यूनतम वृद्धि भाँवरकोल विकास खण्ड में है (13.77 प्रतिशत) अन्य विकास खण्डो में जखनियाँ 25.40 प्रतिशत, मनिहारी 26.45 प्रतिशत, सादात 23.08 प्रतिशत, सैदपुर 23.38 प्रतिशत, देवकली 24.84 विरनों 28.44 प्रतिशत, मरहद 26.82 प्रतिशत, गाजीपुर 27.25 प्रतिशत, करण्डा 21.85 प्रतिशत, कासिमाबाद 28.62 प्रतिशत, बाराचँवर 24.90 प्रतिशत, मुहम्मदाबाद 24.05 प्रतिशत, जमानियाँ 24.64 प्रतिशत तथा रेवतीपुर 19.52 प्रतिशत, रही। **(तालिका 3.3, मानचित्र संख्या 3.1)**

तालिका 3.3

विकास खण्ड वार जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)

विकास खण्ड	जनसंख्या वृद्धि 1971-81	जनसंख्या वृद्धि 1981-1991
जखनियाँ	26.80	25.40
मनिहारी	25.60	26.45
सादात	22.40	23.08
सैदपुर	27.00	23.38
देवकली	25.50	24.84
बिरनो	19.50	28.44
मरदह	25.70	26.82
गाजीपुर	23.64	27.25
करण्डा	22.60	21.85
कासिमाबाद	22.40	28.62
बाराचँवर	24.30	24.90
मुहम्मदाबाद	24.70	24.05
भाँवरकोल	27.40	13.77
जमानियाँ	15.00	24.64
रेवतीपुर	21.70	19.52
भदौरा	20.60	41.70

स्रोत- जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1971,1981 एवं सांख्यिकी पत्रिका 2000 जनपद गाजीपुर।

3.3 ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि-

भारत का हृदय गाँवों में बसता है, जिसकों क्षेत्रीय की अपेक्षा स्थलीय दृष्टि से अच्छी तरह समझा जा सकता है। भारत सही अर्थों में गाँवों का देश है। (सिंह आर0एल0 1975) जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 1901 में 7,89,083 थी जो 2001 में 28,16,348 हो गयी। इस प्रकार 1901 से 2001 की अवधि में 256.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि इसी अवधि मे उ.प्र. की ग्रामीण जनसंख्या में 248.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 3.4 के विश्लेषण से स्पष्ट है किं 1901 से 2001 तक सम्पूर्ण जनसंख्या की भाँति ग्रामीण जनसंख्या में भी क्रमिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1901-1911के दशक में जनसंख्या

में -9.14 प्रतिशत तथा 1911-1921 के दशक में -1.38 प्रतिशत वृद्धि रही। 1921 महत्वपूर्ण जनाँकिकी विभाजक वर्ष है क्योंकि इसके बाद जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है। 1921-1931 में ग्रामीण जनसंख्या बढकर 7,34,160 हो गयी जिसकी प्रतिशत वृद्धि 3.83 थी। 1931-1941 के मध्य 19.63 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि रही। 1941 से जनसंख्या बढकर 1951 में 10,15,926 हो गयी। 1941-1951 के दशक में 15.67 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1951-1961 के मध्य जनसंख्या में 25.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1961 में ग्रामीण जनसंख्या 12,76,424 हो गयी। 1961-1971 के मध्य ग्रामीण जनसंख्या में 14.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1971 से 1981 के मध्य जनसंख्या में 22.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1981 में कुल ग्रामीण जनसंख्या 17,90,387 थी जो 1991 में बढकर 22,38,315 हो गयी। 1981-1991 के मध्य जनसंख्या में 25.01 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1991-2001 के मध्य जनसंख्या में 25.82 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2001 में ग्रामीण जनसंख्या 28,16,348 रही। **(तालिका 3.4 मानचित्र संख्या 3.1)**

तालिका 3.4

जनपद गाजीपुर ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि-

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय परिवर्तन (प्रतिशत में)
1901	7,89,083	-
1911	7,16,988	-9.14
1921	7,07,036	-1.38
1931	7,34,160	3.83
1941	8,78,268	19.63
1951	10,15,926	15.67
1961	12,76,424	25.64
1971	14,62,654	14.58
1981	17,90,387	22.40
1991	22,38,315	25.01
2001	28,16,348	25.82

स्रोत-जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000 एवं अनन्तिम जनगणना 2001

ध्यातव्य है कि स्वतन्त्रता के बाद ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है 1951-2001 में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 177.21 प्रतिशत हुई है।

3.3.1 ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय प्रारूप-

ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय प्रारुप को तालिक 3.5 में तहसीलवार ग्रामीण जनसख्या वृद्धि एवं तालिका 3.6 में विकास खण्ड वार ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि को दिखाया गया है।

तालिका 3.5

जनपद गाजीपुर-तहसीलवार ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)

	दशकीय ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)			
	1961-1971	1971-1981	1981-1991	1991-2001
जखनियाँ	-	-	-	-
सैदपुर	16.55	25.51	24.53	-31.19
गाजीपुर	20.45	22.97	26.33	24.75
मुहम्मदाबाद	9.33	29.92	22.55	22.05
जमानियाँ	12.53	8.56	27.75	25.20

स्रोत-जनगणना हस्त पुस्तिका 1961-1971,1981,1991 एवं अनन्तिम जनगणना 2001 जनपद गाजीपुर

3.3.1.1 तहसीलवार ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि-

तालिका 3.5 से स्पष्ट है 1961-1971 के बीच ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि गाजीपुर तहसील में 20.45 प्रतिशत थी। सैदपुर में 16.55 प्रतिशत,मुहम्मदाबाद में 9.33 प्रतिशत तथा जमानियाँ में 12.53 प्रतिशत वृद्धि अंकित की गयी। 1971-1981 में सबसे अधिक वृद्धि मुहम्मदाबाद तहसील में 29.92 प्रतिशत थी, सबसे कम वृद्धि जमानियाँ तहसील में 8.56 प्रतिशत थी। सैदपुर की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 25.51 प्रतिशत तथा गाजीपुर की 22.97 प्रतिशत थी।

1981-1991 में सर्वाधिक वृद्धि जमानियाँ तहसील में 27.77 प्रतिशत थी जबकि न्यूनतम मुहम्मदाबाद में 22.55 प्रतिशत थी। सैदपुर एवं गाजीपुर तहसील की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि क्रमशः 24.53 एवं 26.33 प्रतिशत रही। 1991-2001 में सैदपुर तहसील में -32.19 प्रतिशत वृद्धि का कारण इसकी प्रशासनिक सीमा में परिवर्तन कर जखनियाँ तहसील का बनाया जाना है। 2001 में जखनियाँ तहसील की कुल ग्रामीण जनसंख्या 4,53,263 रही। इस अवधि

में तहसील गाजीपुर की कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 24.75 प्रतिशत,मुहम्मदाबाद की 22.05 प्रतिशत तथा जमानियाँ की 25.20 प्रतिशत वृद्धि रही। (तालिका 3.5)

3.3.1.2 विकास खण्डवार ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि-

विकास खण्डवार ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि में 1961-1971,एवं 1971-1981 में पर्याप्त असमानताएं है। (तालिका 3.6) 1961-1971 में सर्वाधिक वृद्धि 54.78 प्रतिशत बिरनो विकास खण्ड में एवं न्यूनतम 6.88 प्रतिशत मुहम्मदाबाद विकास खण्ड में है। अन्य विकास खण्डो में यथा–जखनियाँ में 12.67 प्रतिशत,मनिहारी में 10.43 प्रतिशत, सादात 10.28 प्रतिशत, सैदपुर 14.59 प्रतिशत, देवकली 33.70 प्रतिशत, मरहद 13.47 प्रतिशत, गाजीपुर 13.53 प्रतिशत, करण्डा 12.21 प्रतिशत, कासिमाबाद 9.10 प्रतिशत, बाराचँवर 11.95 प्रतिशत, भाँवरकोल 15.35 प्रतिशत, जमानियाँ 9.13 प्रतिशत, रेवतीपुर 11.17 प्रतिशत तथा भदौरा 10.05 प्रतिशत थी। 1971-81 में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि भाँवरकोल विकास खण्ड में 46.48 प्रतिशत रही तथा न्यूनतम वृद्धि रेवतीपुर विकास खण्ड में 3.73 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त जखनियाँ 29.39 प्रतिशत,मनिहारी 32.50 प्रतिशत,सादात 29.50 प्रतिशत, सैदपुर 27.07 प्रतिशत, देवकली 12.95 प्रतिशत बिरनों 7.58 प्रतिशत, मरदह 14.28 प्रतिशत, गाजीपुर 6.91, करण्डा 29.59, कासिमाबाद 27.21 प्रतिशत, बाराचँवर 43.75 प्रतिशत, मुहम्मदाबाद 18.80 प्रतिशत, जमानियाँ 29.19 प्रतिशत तथा भदौरा विकास खण्ड में 10.21 प्रतिशत वृद्धि थी।

1981-91 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि भदौरा विकास खण्ड में 41.69 प्रतिशत रही। अन्य विकास खण्डों में यथा-जखनियाँ 25.41 प्रतिशत, मनिहारी 26.45 प्रतिशत,सादात 24.77 प्रतिशत,सैदपुर 21.75 प्रतिशत, देवकली 24.84 प्रतिशत, बिरनों 28.17 प्रतिशत, मरदह 26.83 प्रतिशत, कासिमाबाद 28.54 प्रतिशत,बाँराचँवर 24.91 प्रतिशत मुहम्मदाबाद 23.19 प्रतिशत, जमानियाँ 23.70 प्रतिशत तथा रेवतीपुर विकास खण्ड में 19.52 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि रही। **(तालिका 3.6)**

3.4 नगरीय जनसंख्या वृद्धि-

भारत में 3000 बी0सी0 हड़प्पा एवं मोहनजोदोड़ो में नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैन्धव सभ्यता में हुआ। (श्रीवास्तव के0 सी0 2000) नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के महत्वपूर्ण कारक, आर्थिक हैं। नगरों में रोजगार की सुविधाएं जनसंख्या को आकर्षित करती हैं। (डॉ0 हुसैन मा0 1998) नगरीय जनसंख्या में वृद्धि

DISTRICT GHAZIPUR
POPULATION GROWTH
(IN 000)
1961-91
Jakhania
Birno
Mardah
Qasimabad
Barachawar
Sadat
Manihari
Ghazipur
Muhammadabad
Saidpur
Deokali
Karanda
Bhanwarkol
Reotipur
Bhadaura
Jamania
RIVER
GANGA
Km

का सबसे प्रभावी कारक ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन है। (दुबे के0के0 तथा सिंह एम0बी0 2001)

तालिका 3.6

जनपद गाजीपुरः विकास खण्डवार ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि

	दशकीय ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)		
	1961-1971	1971-1981	1981-1991
जखनियाँ	12.67	29.39	25.41
मनिहारी	10.43	32.50	26.45
सादात	10.28	29.50	24.77
सैदपुर	14.59	27.06	21.75
देवकली	33.70	12.95	24.84
बिरनो	54.78	07.58	28.17
मरदह	13.47	14.28	26.83
गाजीपुर	13.53	06.91	27.94
करण्डा	12.21	29.59	21.86
कासिमाबाद	09.10	27.21	28.54
बाराचँवर	11.95	43.75	24.91
मुहम्मदाबाद	06.88	18.80	23.19
भाँवरकोल	15.35	46.48	13.78
जमानियाँ	09.13	29.19	23.70
रेवतीपुर	11.17	03.73	19.52
भदौरा	10.05	10.21	41.69

स्रोत- जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971, 1981 तथा साँख्यिकी पत्रिका 2000। जनपद गाजीपुर।

जनपद में 1901 से 2001 की अवधि में नगरीय जनसंख्या 69,007 से बढ़कर 2,32,989 हो गयी। अर्थात् 237.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1901 से 1951 तक लगातार नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती गयी है। 1951-1961 की अवधि में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक थी। जिसका मुख्य कारण नगरीय केन्द्रों की परिभाषा में परिवर्तन है, क्योंकि जहाँ 1951 में कुल 12 नगरीय केन्द्र थे वहीं 1961 में मात्र 2 केन्द्र रह गये। शेष 10 केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में सम्मिलित कर लिये गये। फलतः उसमें निवसित जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है। 1961-1971 के दशक में जनसंख्या 52.80 प्रतिशत बढ़ी है। 1971-1981 में नगरीय

जनसंख्या वृद्धि 123.60 प्रतिशत थी। 1981-1991 में यह वृद्धि 15.70 एवं 1991-2001 के मध्य जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 30.67 प्रतिशत रही हैं। (तालिका 3.1) (**मानचित्र संख्या 3.1**)

तालिका 3.7

जनपद गाजीपुर : तहसीलवार नगरीय जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत)

	नगरीय जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)			
तहसील	**1961-1971**	**1971-1981**	**1981-1991**	**1991-2001**
जखनियाँ	-	-	-	-
सैदपुर	25.45	95.82	34.46	-18.63
गाजीपुर	22.84	46.76	26.62	34.87
मुहम्मदाबाद	-	108.67	29.76	28.86
जमानियाँ	-	-	-22.35	30.25

स्रोत- जिला जनगणना पुस्तिका 1961, 1971, 1981, 1991 तथा अनन्तिम जनगणना 2001 से परिकलित।

3.4.1 तहसीलवार नगरीय जनसंख्या वृद्धि-

तहसीलवार नगरीय जनसंख्या वृद्धि तालिका 3.7 में प्रदर्शित की गयी है। 1961-1971 में सैदपुर एवं गाजीपुर तहसीलों की नगरीय जनसंख्या वृद्धि क्रमशः 25.45 एवं 22.84 प्रतिशत थी। 1971-1981 में मुहम्मदाबाद की नगरीय जनसंख्या वृद्धि 108.67 प्रतिशत, सैदपुर की 95.82 प्रतिशत तथा गाजीपुर तहसील की 46.76 प्रतिशत थी। 1981-1991 में जमानियां तहसील की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी, जबकि सैदपुर की 34.46 एवं गाजीपुर की 26.62 प्रतिशत, मुहम्मदाबाद की 29.76 प्रतिशत थी। 1991-2001 के दशक में जखनियां तहसील बनाये जाने से सैदपुर की नगरीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है, क्योंकि इस तहसील की 10,342 जनसंख्या जखनियां तहसील में निवसित हो गयी। गाजीपुर तहसील की नगरीय जनसंख्या वृद्धि 34.87 प्रतिशत, मुहम्मदाबाद की 28.86 प्रतिशत, तथा जमानियाँ की 30.25 प्रतिशत रही।

उपरोक्त विवेचनों से स्पष्ट होता है कि 1901 से 1951 तक जनपद की नगरीय जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। नगरीय परिभाषा में परिवर्तन के कारण नगर केन्द्रों के घट जाने से 1961 में नगरीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। पुनः 1961 से इसमें धनात्मक वृद्धि का समारम्भ होता है जो 2001 तक जारी है। ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय केन्द्रों की ओर

पलायन हो रहा है जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ग्रामीण विकास योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन एवं कृषि को उद्योग का दर्जा देकर इस प्रवृत्ति पर रोक लगायी जानी चाहिए।

3.5 धर्म के अनुसार जनसंख्या वृद्धि-

धर्म वह तत्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को धारण करता हैं। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। महाभारत में कहा गया है कि-

धारणात् धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः।
यस्याद्वारणं संयुक्तं स धर्म इति निश्चयः।।

महाभारत कर्णपर्व 109.58

ज़नसंख्या वृद्धि के सन्दर्भ में धार्मिक कारकों से जुड़ा एक और कारक है- मानव जाति। जब धार्मिक वर्ग या सामाजिक वर्ग अल्प संख्यक होता है तो उसकी उत्पादकता का स्तर उच्च हो सकता है (डे0एल0 1968) तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्युदर कम होने से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है।

तालिका 3.8

जनपदीय गाजीपुरः धर्म के अनुसार जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)

	धर्म के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)		
	1961-1971	1971-81	1981-1991
हिन्दू	14.20	26.09	24.23
मुस्लिम	35.31	34.96	24.19
ईसाई	314.09	45.05	11.13
सिख	1.61	130.15	-26.89
बौद्ध	100.00	150.00	516.66
जैन	-57.14	--	--
अन्य	--	--	--

स्त्रोत- जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1961, 1971, एवं उ0प्र0 सांख्यिकी डायरी 1993 तथा जिला सांख्यिकी पत्रिका 1994

जनपद में 1961-1971 के बीच **ईसाई समुदाय की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी।** 1961 में इनकी जनसंख्या 305 थी जो 1971 में 1263 हो गयी। **बौद्ध धर्मानुयायियों की**

जनसंख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1971 में इनकी कुल जनसंख्या 12 थी। हिन्दुओं की जनसंख्या में इस अवधि में 14.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस समुदाय की जनसंख्या 1961 में 12,12,666 थी जो 1971 में 1,38,44,934 हो गयी। मुस्लिम जनसंख्या मे 1961-1971 की अवधि में 35.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1971-1981 के दशक मे सर्वाधिक वृद्धि बौद्धों में 150.00 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण आप्रवास है, क्योंकि समीपवर्ती सारनाथ इत्यादि बौद्ध धर्म स्थल इनके आकर्षण का प्रमुख कारण है। इस अवधि में सिख समुदाय की जनसंख्या में 130.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। ईसाईयों की जनसंख्या में 45.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि का प्रमुख कारण दलित लोगों द्वारा धन के लालच में धर्म परिवर्तन है। हिन्दुओं की जनसंख्या वृद्धि 26.09 एवं मुस्लिम समुदाय की 34.96 प्रतिशत थी।

1981-1991 में सर्वाधिक वृद्धि बौद्धों में 516.66 प्रतिशत रही। सिखों की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि- 26.89 प्रतिशत रही जिसका कारण प्रवास है। ईसाइयों की जनसंख्या में 11.13 प्रतिशत वृद्धि रही। मुस्लिमों की जनसंख्या में 24.19 प्रतिशत एवं हिन्दुओ की जनसंख्या में 24.23 प्रतिशत वृद्धि रही।

3.6 जनसंख्या परिवर्तन निर्देशांक-

दशकीय जनसंख्या वृद्धि की भाँति जनसंख्या वृद्धि का ज्ञान जनसंख्या परिवर्तन निर्देशांक भी कराता है। यह विधि प्रदेश एवं देश से तुलना करने में सर्वाधिक उपयोगी प्रमाणित होती है। अन्तर्दशकीय जनसंख्या परिवर्तन ज्ञात करने के निमित्त इस विधि का प्रयोग (मांकहाउस 1972) 1971 तथा (महतो0के0 1974) द्वारा किया गया है। इसे निम्न सूत्र से परिकलित करते हैं-

$$\text{ज0प0नि0} = \frac{\text{ज1}}{\text{ज2}}$$

ज0प0नि0 = जनसंख्या परिवर्तन निर्देशांक

ज1 = जनसं0 1991

ज2 = जनसं0 1981

जनपद गाजीपुर का जनसं0 परिवर्तन निर्देशांक 1981-1991 में 1.24 प्राप्त हुआ तथा 1991-2001 में 1.26 रहा। जबकि उ0प्र0 का ज0प0 नि0 1981-1991 में 1.25 एवं 1991-2001 में 1.18 रहा। 1981-1991 में विकास खण्डों में सर्वाधिक जनसंख्या परिवर्तन निर्देशांक बिरनों विकास खण्ड में 2.28 है तथा सबसे कम भाँवरकोल विकास खण्ड में 1.13

रहा। अन्य विकास खण्डों में जखनियाँ 1.25, मनिहारी 1.26, सादात 1.23, सैदपुर 1.23, देवकली 1.24, गाजीपुर 1.27, करण्डा 1.21, कासिमाबाद 1.28, बाराचँवर 1.24, मुहम्मदाबाद 1.24, जमानियाँ 1.24 तथा भदौरा में 1.41 रहा। **(तालिका 3.9)**

3.7 स्थानीयकरणं गुणांक-

यद्यपि उपरोक्त विधियां जनसंख्या के क्षेत्रीय प्रतिरूप को अभिव्यक्त करती है फिर भी यदि प्रत्येक विकास खण्ड की जनसंख्या वृद्धि को जनपद की जनसंख्या वृद्धि के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाय तो ज्यादा समीचीन है। इस विधि को स्थानीयकरण गुणांक कहते हैं। इसका प्रयोग डॉ0 पाण्डेय ओ0 (1941) तथा शास्त्री जी.एम (1942) द्वारा किया गया। इसका अध्ययन निम्न सूत्र की सहायता से किया जाता है-

$$\text{स्थानीयकरण} = \frac{\dfrac{\text{ज}_1 - \text{ज}_2}{\text{ज}_2} \times 100}{\dfrac{\text{प}_1 - \text{प}_2}{\text{प}_2} \times 100}$$

ज_1 = विकास खण्ड की जनसंख्या 1991

ज_2 = विकास खण्ड की जनसंख्या 1981

प_1 = जनपद की जनसंख्या 1991

प_2 = जनपद की जनसंख्या 1981

यदि स्थानीयकरण गुणांक का मान एक (1) प्राप्त होता है तो विकास खण्ड की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत जनपद के समकक्ष होता है। एक से अधिक अथवा कम मान होने पर विकास खण्ड में जनसंख्या वृद्धि अधिक अथवा कम होती है। विकास खण्डों में एक से अधिक स्थानीयकरण गुणांक वाले विकास खण्डों की संख्या 11 है। ये विकास खण्ड जखनियां 1.04, मनिहारी 1.08, देवकली 1.02, बिरनों 1.17, मरदह 1.10, गाजीपुर 1.12, करण्डा 1.17, कासिमाबाद 1.02, जमानियाँ 1.01 तथा भदौरा का स्थानीयकरण गुणांक 1.71 है।

एक (1) से कम स्थानीयकरण गुणांक वाले विकास खण्डों की संख्या 5 है। जिसमें सादात का 0.95, सैदपुर का 0.96, करण्डा का 0.90, मुहम्मदाबाद का 0.99 तथा भाँवरकोल का स्थानीयकरण गुणांक 0.56 रहा है।

3.8 स्थानीयकरण लब्धि-

जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार के प्रतिशत सम्बन्ध को स्थानीयकरण लब्धि कहा जाता है। (चोर्ले एवं हैगेट 1970) ने इस विधि का प्रयोग किया है। वस्तुतः स्थानीयकरण लब्धि किसी प्रदेश विशेष में जनसंख्या के सापेक्षिक केन्द्रीयकरण का घोतक है। स्थानीयकरण लब्धि के 1.00 होने का तात्पर्य होता है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत एवं आधार वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत एक समान है।

1.00 मान से कम होने पर जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वितरण के प्रतिशत से कम होती है जैसा कि इस जनपद में नहीं है। यदि मान 1.00 से अधिक है तो क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत आधार वर्ष की जनसंख्या प्रतिशत से अधिक है। स्थानीयकरण लब्धि का मान निम्न सूत्र से परिकलित किया गया है-

$$\text{स्थानीयकरण लब्धि} = \frac{\frac{\text{ज}_1 - \text{ज}_2}{\text{ज}_2} \times 100}{\frac{\text{ज}_2}{\text{प}_2} \times 100}$$

ज1 = विकास खण्ड की जनसंख्या 1991

ज2 = विकास खण्ड की जनसंख्या 1981

प2 = जनपद के आधार वर्ष की जनसंख्या 1981

तालिका 3.9

जनसंख्या वृद्धि (1981-91)

विकास खण्ड	जनसंख्या परिवर्तन निर्देशांक	स्थानीयकरण गुणांक	स्थानीयकरण लब्धि
जखनियाँ	1.25	1.04	4.23
मनिहारी	1.26	1.08	4.52
सादात	1.23	0.95	3.56
सैदपुर	1.23	0.96	3.00
देवकली	1.24	1.02	3.94
बिरनो	2.28	1.17	6.07
मरदह	1.26	1.10	5.36
गाजीपुर	1.27	1.12	3.15
करण्डा	1.21	0.90	5.08
कासिमाबाद	1.28	1.17	4.25
बाराचँवर	1.24	1.02	5.58
मुहम्मदाबाद	1.24	0.99	3.39
भाँवरकोल	1.13	0.56	2.24
जमानियाँ	1.24	1.01	3.13
रेवतीपुर	1.19	0.80	3.63
भदौरा	1.42	1.71	7.48

स्रोत- जिला जनगणना पुस्तिका 1981, 1991 से परिकलित।

जनपद के किसी विकास खण्ड में स्थानीयकरण लब्धि मान 1.00 से कम नहीं है अर्थात् सभी विकास खण्डों में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 1981 से अधिक है। सबसे अधिक मान भदौरा विकास खण्ड में 7.48 है तथा सबसे न्यूनतम भाँवरकोल में 2.24 है। जनपद के अन्य विकास खण्डों की स्थानीयकरण लब्धि यथा- जखनियाँ 4.23, मनिहारी 4.52, सादात 3.56, सैदपुर 3.00, देवकली 3.94, बिरनों 6.07, मरदह 5.36, गाजीपुर 3.15, करण्डा 5.08, कासिमाबाद 4.25, बाराचँवर 5.58, मुहम्मदाबाद 3.39, जमानियाँ 3.13 तथा रेवतीपुर विकास खण्ड की स्थानीयकरण लब्धि 3.63 रही।

DISTRICT GHAZIPUR
POPULATION PROJECTION
PROJECTED POP.
POPULATION IN LAKH
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1901
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2001
11
21
31
YEARS

3.9 जनसंख्या प्रक्षेपण-

मानव संसाधन के समुचित अध्ययन हेतु क्षेत्र विशेष की विगत जनसंख्या सम्बन्धी तत्वों के विश्लेषण के साथ-साथ उसके भावी स्वरूप का अध्ययन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसकी जनसंख्या नीति-नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या वृद्धि के विगत अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह वृद्धि आगे भी जारी रहेगी। जनसंख्या प्रक्षेपण को निम्न सूत्र से परिकलित किया गया है—

$$\text{जनसंख्या प्रक्षेपण} = \text{वास्तविक जनसंख्या} \left(\frac{1 + \text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}}$$

तालिका 3.10

जनपद गाजीपुरः जनसंख्या प्रक्षेपण

वर्ष	प्रक्षेपित जनसंख्या
2001	30,49,337*
2001	40,73,914
2021	55,40,523
2031	75,37,311

* वास्तविक जनसंख्या

तालिका 3.10 एवं चित्र (3.3) से स्पष्ट है कि जनपद की जनसंख्या 2031 तक 75,37,311 होने का अनुमान है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावती क्रियान्वयन से इस बढ़ती हुई जनसंख्या के बेलगाम काफिले को रोका जाना चाहिए।

REFERENCES

1. Bansal S.C. (1999) 'Advanced Geography of India' (in Hindi) Minakshi Prakashan Mereth P. 437
2. Chandana R.C. (1997) 'Population Geography' (in Hindi) P 86 Kalyani Publishers B-I\1292 Rajendra Nagar, Ludhiyana.
3. Census of India (2001) 'Series 10 U.P. Provisional Population' Totals Paper I of 2001.
4. District Census Handbook (1951) Ghazipur.
5. Hussain M. (1999) 'Human Geography' (in Hindi) Rawat Publications Jawahar Nagar Jaipur P. 74
6. Hussain M. (1998) 'Urbanisation in India Appraisal' National Geographical Journal of India N.G.S.I. B.H.U. P. 1
7. Omprakash (1973) 'Population Geography of U.P.' Published Ph.D Thesis B.H.U. P. 16
8. Provisional Population Totals District Ghazipur U.P. Tables I and II 2001
9. Singh R.L. and Singh K.N. (1975) 'Readings in Rural Settlement Geography' N.G.S.I. B.H.U.
10. Singh M.B. and Dubey K.K. (2001) 'Jansankhya Boogole' Rawat Publications Jaipur and New Delhi P. 54
11. Srivastava K. C. (2000) 'Prachin Bharat Ka Itihas Tatha Sanskriti' United Book Depot 21 University Road Allahabad P. 31
12. Thompson W.S. (1951) Population Progress In Far East London P. 54

❑ **अध्याय 4**

जन्मदर, मृत्युदर एवं जनसंख्या-स्थानान्तरण

जन्मदर, मृत्युदर एवं जनसंख्या स्थानान्तरण, जनसंख्या वृद्धि के तीन मौलिक घटक के रूप में स्वीकार्य हैं। इन मौलिक घटकों में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार जनसंख्या में ह्रास एवं वृद्धि इन तत्वों से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। जन्मदर एवं मृत्युदर जनसंख्या अध्ययन के प्रमुख तत्व हैं ये तत्व जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या ह्रास के बीच गत्यात्मक सामज्जस्य स्थापित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं है, वस्तुतः जनसंख्या वृद्धि जन्मदर एवं मृत्युदर के बीच स्थापित एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। (बोग डी. 1969)

4.1 जन्मदर को प्रभावित करने वाले कारक-

जन्मदर को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं-

4.1.1 जैव शारीरिक कार्य-

प्रजाति, स्वास्थ्य, उर्वरता (स्त्री के जन्म देने की क्षमता)

4.1.2 जनांकिकी कारक-

आयु संरचना, लिंगानुपात, ग्रामीण-नगरीय आवास, क्रियाशील व अक्रियाशील स्त्रियाँ।

4.1.3 सामाजिक कारक-

विवाह की आयु, वैवाहिक जीवन की अवधि, धार्मिक नियंत्रण, शिक्षा, स्त्री की सामाजिक स्थिति, परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण।

4.1.4 आर्थिक कारक-

आय तथा जीवन स्तर, भोजन का प्रकार।

4.1.5 राजनैतिक कारक-

जनसंख्या नीतियाँ तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए किये गये प्रयास, आवास, प्रवास की नीति।

4.1.6 वातावरण के कारक-

अतिउच्च अथवा अतिनिम्न तापक्रम आर्द्रता व शुष्कता!

4.1.7 धार्मिक कारक-

जन्मदर पर नियंत्रण के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण।

वस्तुतः जन्मदर को प्रभावित करने वाले उपरोक्त सामाजिक–आर्थिक कारकों के अतिरिक्त अनेक कारक व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक है जिनका परिस्थिति विशेष में अवश्यम्भावी प्रभाव होता है।

जन्मदर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण जैव शारीरिक कारक उर्वरता अर्थात् स्त्री के जन्म देने की क्षमता है। सामान्यतः यह 14-44 वर्ष की आयु तक है। पुरुषों में संतानोत्पत्ति की क्षमता 8 वर्ष से प्रारम्भ होकर मृत्यु पर्यन्त चलती हैं। स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य होने की दशा में उत्पादकता उच्च होगी, परन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। क्योंकि खराब स्वास्थ्य से मर्त्यता उच्च होगी, फलतः लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

जनांकिकी कारकों में आयु संरचना से विवाहित जीवन काल कारक घनिष्ठ रूप से संम्बद्ध है क्योंकि विवाहित जीवन काल जितना लम्बा होगा उत्पादकता दर उतनी ही उच्च होगी। भारत में बाल विवाह के प्रचलन से प्रभावशाली विवाहित जीवन काल तथा उर्वरता में धनात्मक संबंध है। (स्मिथ 1983)

जन्मदर के सामाजिक नियंत्रकों में महत्वपूर्ण कारक है विवाह के समय आयु, जिस समाज में बाल विवाह है, वहां उत्पादकता दर उच्च है। भारत में यदि विवाह के लिए कानूनी रूप से व्यवहृत 18 वर्ष की उम्र में बालाओं की शादी की जाय तो निश्चित रूप से जन्मदर एक तिहाई कम हो जायेगी। शिक्षा-विशेषतः स्त्री शिक्षा का जन्मदर पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

हालांकि सामान्यतया शिक्षा जन्मदर को नीचे लाने में सहायक है, फिर भी शिक्षा का एक क्रांतिक स्तर होता है। भारत में लगभग 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा को क्रांतिक स्तर माना गया है। भारतीय प्रत्यादर्श के 16 वें चक्र के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के औसतन 2 बच्चे, 10 वर्ष की शिक्षा वाली स्त्रियों 4.6 बच्चे, 8 वर्ष की शिक्षा वाला स्त्रियों के 5 बच्चे, 5 वर्ष की शिक्षावाली स्त्रियों के 6.6 बच्चे होते हैं।

धार्मिक कारकों में एक मूल अवधारणा यह है कि जब धार्मिक वर्ग अल्प संख्यक होता है तो उसकी जन्मता उच्च होती है। भारत के अल्पसंख्यक वर्गों विशेषतः मुसलमानों में यह प्रवृत्ति पायी जाती है। भारत में यद्यपि मुस्लिम एवं हिन्दू एक ही वातावरण में रहते हैं लेकिन उनके जन्मदर में अंतर है जो इस्लाम धर्म की मान्यता के कारण है क्योंकि उनमें कृत्रिम नियंत्रण पर रोक है। उन सामाजिक वर्गों में जहां परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं उनके जन्मदर में भी भिन्नता है। उदाहरणतः भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य धार्मिक वर्गों की जन्म दर में विभिन्नता है। प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य के पालन से इस पर नियंत्रण किया जाता था। वर्तमान समय में विभिन्न गर्भ निरोधकों के प्रयोग से जन्मदर पर नियंत्रण किया जा सकता है।

भारतीय समाज में पुत्र के बिना परिवार अपूर्ण माना जाता है, इसके लिये उन पर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, फलतः पुत्र प्राप्ति की जीजिविषा जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी बन जाती है।

जन्मदर के नियंत्रण में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत में विगत जनसंख्या नीतियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फलतः जनसंख्या वृद्धि दर 1.93 वार्षिक हो गयी है (2001) विगत जनसंख्या नीतियों के नकारात्मक बिन्दुओं को ध्यातव्य रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 घोषित की गयी है। नवीन जनसंख्या नीति में 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिशु स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एवं अनेक बुनियादी परिवार कल्याण कार्यक्रम सुविधाओं के विस्तरण की योजना है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में सौ करोड़ की आरम्भिक पूंजी से राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की गयी है। निकट भविष्य में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जन्मदर नियंत्रक आर्थिक कारकों में परिवार का आय स्तर प्रमुख है। परिवार के आय स्तर तथा जन्मदर में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है। जिन परिवारों में आय स्तर उच्चतम है उनकी जन्मदर कम है। निम्न आय वाले परिवारों में जहां बच्चे को पूंजी समझा जाता है जन्मदर उच्च है।

तालिका 4.1

गाजीपुर जनपद में जन्मदर (1901 से 1991) 1000 जनसंख्या पर

दशक	जनपद	ग्रामीण	नगरीय
1901-1911	29.80	29.67	15.10
1911-1921	36.60	37.75	17.32
1921-1931	35..02	37.95	17.50
1931-1941	31.41	31.87	24.51
1941-1951	31.20	31.21	24.24
1951-1961	35.32	33.89	23.28
1961-1971	33.10	34.10	22.52
1971-1981	33.03	33.92	21.45
1981-1991	31.33	33.57	20.99

स्रोत– जनगणना पुस्तिका एवं जिला च्रिकित्सालय गाजीपुर।

4.2 जनपद गाजीपुर में जन्मदर–

तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि जन्मदर में 1901-1911, 1911-21, 1921-31, 1931-41, 194151, 1951-61, 1961-71, 1971-81, तथा 1981-91 में जन्मदर क्रमशः 29.80, 36.60, 35.02, 31.41, 31.20, 35.32, 33.10, 33.03 तथा 31.33 है। स्पष्ट है कि 1901 से 1921 तक सतत् वृद्धि हुई है जबकि 1931-1951 तक जनसंख्या जन्मदर में ह्रास की प्रवृत्ति है। पुनः 1951-61 के दशक में जन्मदर में वृद्धि देखी जा सकती है। 1961 के बाद जन्मदर में लगातार कमी आ रही है निश्चित रूप से यह कमी जनपद के सामाजिक आर्थिक विकास एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सूचक हैं। जन्मदर की यही प्रवृत्ति ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में दृष्टव्य होती है। ग्रामीण जन्मदर- 1901-11, 1911-21, 1921-31, 1931-41, 1941-51, 1951-61, 1961-71, 1971-81 , एवं 1981-91 में क्रमशः 29.67, 37.75, 37.95, 31.87, 31.21, 33.89, 34.10, 33.92 तथा 33.57 है। उपरोक्त अवधि में नगरीय जन्मदर क्रमशः 15.10, 17.32, 17.50, 24.51, 24.24, 23.28, 22.52, 21.45 तथा 20 .99 प्रति हजार रही। स्पष्टतः जन्मदर में कमी की प्रवृत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की

क्रियाशीलता का परिणाम है। विशेषकर स्त्री शिक्षा एवं बाल विवाह के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण ने जन्म दर को प्रभावित किया है। (**तालिका 4.1 एवं चित्र 4.1**)

4.3 मृत्युदर एवं निर्धारक कारक-

जनसंख्या वृद्धि के कारकों में मृत्युदर महत्वपूर्ण प्रभावकारी कारक है। ऐतिहासिक दृष्टि से मृत्यु दर ने जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मृत्युदर को प्रभावित करने वाले कारक स्थान एवं समयानुसार परिवर्तनशील होते है। ये कारक जनसांख्यिकीय, सामाजिक एवं आर्थिक हैं-

4.3.1 जनसांख्यिकी कारक-

आयु संरचना, लिंगानुपात, नगरीकरण की मात्रा।

4.3.2 सामाजिक कारक-

बाल हत्या, विधवा पुनर्विवाह, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तथा धार्मिक विश्वास।

4.3.3 आर्थिक कारक-

आय स्तर एवं अर्थव्यवस्था का प्रकार।

4.3.4 अन्य कारक-

युद्ध, संक्रामक बीमारियां, दुर्भिक्ष, प्राकृतिक आपदा आदि।

किसी जनसंख्या की मृत्युदर निर्धारण में आयु संरचना सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सामान्यतः बालक जैसे-जैसे बढ़ता है, मृत्यु का खतरा घटता जाता है परन्तु प्रौढ़ावस्था के बाद आयु वृद्धि के साथ मौत का खतरा बढ़ता जाता है। अतः जिन देशों में प्रौढ़ व वृद्ध अधिक होते हैं, वहां मृत्युदर अधिक होती है। विकसित देशों की मृत्युदर का यह प्रमुख कारण है। कैंसर, हृदय गति अवरोध आदि का संबंध भी इसी आयुवर्ग से है।

यह स्वीकार्य है कि पुरुषों तथा स्त्रियों की मृत्यु दर अलग-अलग होती है क्योंकि दोनो लिंगों में रोगों से लड़ने की क्षमता अलग-अलग होती है, प्रत्येक आयुवर्ग में स्त्रियों की मर्त्यता अल्प है। यह एक जनांकिकी तथ्य है कि स्त्रियों की जीवन संभाव्यता पुरुषों से अधिक है लगभग सभी देशों में पुरुष मर्त्यता स्त्रियों से कहीं अधिक है। (सं. रा. 1953 पृष्ठ 48) भारत में जीवन की सम्भाव्यता पुरुषों की 59.8 तथा स्त्रियों की 61.7 है।

ऐतिहासिक काल में ग्राम्य क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में मृत्युदर उच्च थी। यह अंतराल अब कम हो गया है बल्कि कहीं-कहीं अल्प हो गया है। विकासशील देशों में नगरीय मृत्युदर ग्रामीण मृत्युदर से कम है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त विकास हुआ है। यद्यपि नगरीय विकास के प्रथम स्तर पर जब ग्रामीण जनसंख्या प्रवासित होकर नगरों में जाती है तो कदाचित् वातावरण के साथ अनुकूलन न होने एवं संक्रमित बीमारियों के कारण मृत्यु दर अधिक होती है। नगरीय विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार इत्यादि से मृत्यु दर कम होने लगती है।

मृत्यु दर निर्धारक सामाजिक कारकों में बालहत्या, विधावा पुनर्विवाह पर रोक, स्वास्थ्य साक्षरता, धार्मिक मान्यताएं प्रमुख हैं। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धि में अंतर के कारण ही विकसित एवं विकासशील देशों की मृत्युदर में अंतर पाया जाता है। प्रति डाक्टर पर जनसंख्या मात्रा और मृत्युदर में सीधा धनात्मक सह संबंध है। पोषण, आवास, स्वच्छता संबंधी सुविधायें भी इससे संम्बद्ध है। इन सुविधाओं की सार्वत्रिक पहुंच के लिए साक्षरता महत्वपूर्ण तथ्य है। क्योंकि साक्षरता बढ़ने के साथ ही इन सुविधाओं की जानकारी होने से मृत्युदर में कमी आने लगती है।

मृत्युदर निर्धारित करने वाले आर्थिक कारकों में प्रति व्यक्ति आय महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता निर्भर है। अमीर- गरीब के बीच मृत्युदर में अंतर आय में असमानता के कारण है। जब स्वास्थ्य सुविधाएं सर्व सुलभ हो जाती है तो मृत्यु दर की असमानता में कमी आती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रदूषण, दुर्घटना इत्यादि के कारण कृषीय समाज की अपेक्षा मृत्यु दर उच्च होती है।

उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त प्राकृतिक- आपदा, युद्ध, महामारी, खाद्य पदार्थों की कमी इत्यादि के कारण भी मृत्यु दर उच्च होती है।

4.4 जनपद गाजीपुर में मृत्यु दर-

जनपद गाजीपुर की मृत्युदर प्रति हजार संगणित की गयी है जो तालिका 4.2 में प्रदर्शित है। तालिका से स्पष्ट है कि 1901-11 में मृत्युदर 31.45 थी जो 1911-21 में 37.10 हो

तालिका 4.2

जनपद गाजीपुरः मृत्युदर (1901-1991)

वर्ष	जनपद	ग्रामीण	नगरीय
1901-1911	31.45	32.42	10.51
1911-1921	37.10	35.86	13.10
1921-1931	31.23	34.37	11.98
1931-1941	27.45	27.42	10.97
1941-1951	19.21	24.25	10.49
1951-1961	18.12	22.95	10.52
1961-1971	14.22	19.32	10.21
1971-1981	7.72	15.15	8.92
1981-1991	7.24	13.93	8.54

स्रोत- वही तालिका 4.1

गयी क्योंकि 1915-18 तक के देशव्यापी अकाल, प्लेग, महामारी एवं मलेरिया के कारण मृत्युदर में वृद्धि हुई है। किन्तु 1921 के बाद मृत्युदर में अनवरत कमी आयी है। 1921-31, 1931-41, 1941-51, 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-91, में क्रमशः 31.23, 27.45, 19.21, 18.12, 14.22, 7.72 तथा 7.24 रही। इस क्रमिक गिरावट का प्रमुख कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का तीव्र प्रसार है। इस अवधि में सघन टीकाकरण, इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा संक्रामक रोगों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया है। **(चित्र 4.1)**

जनपद में ग्रामीण मृत्युदर 1901-11 में 32.42 थी 1911-21 में मृत्युदर 35.86 हो गयी क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्युदर में वृद्धि हुई है। 1921 के बाद ग्रामीण मृत्युदर में लगातार कमी आयी है। 1921-31, 1931-41, 1941-51, 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-91 में ग्रामीण मृत्युदर क्रमशः 34.27, 27.42, 24.25, 22.95, 19.32, 15.15 तथा 13.93 है जिसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास है। **(चित्र 4.1)**

नगरीय मृत्युदर 1901-11 में 10.51 थी जो 1911-21 में 13.10 हो गयी क्योंकि विपदाओं के कारण मृत्युदर में वृद्धि हुई। 1921 के बाद मृत्युदर में निरन्तर कमी आयी है। 1921-31, 1931-41, 1941-51, 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-91

DISTRICT GHAZIPUR

BIRTH & DEATH RATE OF POPULATION

में नगरीय मृत्युदर क्रमशः 10 .98, 10.97, 10.49, 10.52, 10.21, 8.92 तथा 8.54 रही। (**चित्र संख्या 4.1**)

तालिका 4.3

सर्वेक्षित ग्रामों में जन्मदर एवं मृत्यु दर (2002)

ग्राम	जन्मदर	मृत्युदर
अहिरपुरवा	34.15	12.26
किशुनीपुर	27.98	12.15
थनईपुर	31.21	10.41
धुवार्जुन	28.95	10.25
पवटा	30.25	11.35
शिकारपुर	29.25	10.59
सराय मुरादअली	29.27	9.80
सआदतपुर	28.59	11.91
हरदिया	29.23	9.80
हुरमुजपुर	28.49	8.52

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

4.5 सर्वेक्षित ग्रामों में जन्म एवं मृत्यु दर–

सर्वेक्षित ग्रामों में सबसे अधिक जन्मदर अहीरपुरवा (34.15) गांव में है तथा सबसे कम किशुनीपुर में (27.98) है। सबसे अधिक मृत्युदर अहीरपुरवा (12.26) तथा सबसे कम हुरमुजपुर में 8.52 है। रेलमार्गों के सहारे स्थित गांवों की जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। (सिंह सविन्द्र 2000) लेकिन हुरमुजपुर गांव के सामाजिक-आर्थिक विकास ने इस कारक को नगण्य कर दिया है सर्वेक्षित ग्रामों की जन्मदर के विवरण से स्पष्ट है कि जिन ग्रामों का सामाजिक आर्थिक विकास अधिक हुआ है वहां जन्मदर कम है परन्तु जिनका विकास कम है वहां जन्म दर अधिक है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक आर्थिक विकास की उन्नत अवस्था जन्मदर को विनियंत्रित करती है इसीलिए जेनेवा कान्फेंस में विकास सबसे बड़ा गर्भ निरोधक है का नारा दिया गया। (भूगोल के सिद्धान्त भाग II 2001) (**चित्र संख्या- 4.1**)

4.5.1 जाति एवं धर्मानुसार जन्मदर-

व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विविध जाति-धर्म की जन्मदर में वैभिन्य दृष्टिगोचर होता है। तालिका 4.4 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं यादवों की अपेक्षा अन्य में जन्म दर तुलनात्मक रुप से अधिक है। अनुसूचित जातियों में अधिक जन्म दर का प्रमुख कारण सामाजिक आर्थिक भिन्नता है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं ने इनके जन्मदर को प्रभावित किया है। हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों में जन्म दर अधिक है जिसके प्रमुख कारण बहुविवाह, दृढ़तर धार्मिक भोगाधिकार-मुसलमानों में परिवार वृद्धि के प्रति अधिक उदारता पाई जाती है। (यादव हीरालाल 1997) जाति एवं सम्प्रदाय विशेष की सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियां, तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति लोगों की धारणा ने भी जन्म दर में भिन्नता उत्पन्न की है। (**तालिका 4.4 चित्र 4.2 A**)

तालिका 4.4

जाति एवं धर्म के अनुसार जन्मदर

		जन्मदर
जाति	ब्राह्मण	3.90
	क्षत्रिय	4.12
	यादव	4.56
	चमार	5.13
धर्म	हिन्दू	4.42
	मुस्लिम	5.02

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

4.5.2 शैक्षणिक स्तर के अनुसार जन्मदर-

शिक्षा का जनन प्रतिरूप पर अवश्यम्भावी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। **भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण** द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण स्त्री के 2 बच्चे, हाई स्कूल के 4.6 बच्चे, मिडिल स्कूल के 5.0 बच्चें तथा निरक्षर या कक्षा 5 उत्तीर्ण स्त्रियों के 6.6 बच्चों का औसत आता है। (एन0एस0एस0 1964)। इस संदर्भ में प्रो. अमर्त्य सेन के विचार

ध्यातव्य है– महिला शिक्षा तथा जन्म दर के बीच संबंध बिल्कुल स्पष्ट है यह संबंध दूसरे देशों में व्यापक तौर पर दिखाई देता है, और ताज्जुब नहीं कि भारत में भी वैसा ही दिखाई पड़े। शिक्षित औरतों की बार-बार बच्चों के लालन-पालन में फंसने की अनिच्छा से जन्मदर पर असर पड़ता है। शिक्षा से सोचने समझने के दायरे का विस्तार होता है तथा परिवार नियोजन की जानकारी के प्रचार प्रसार में भी मदद मिलती है। (नवभारत टाइम्स मार्च 2001) चित्र 4.2 B तथा तालिका 4.5 से स्पष्ट है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने से जन्मदर कम हो रही है।

तालिका 4.5

शैक्षणिक स्तर के अनुसार जन्मदर

शैक्षणिक स्तर	जन्मदर
अशिक्षित	5.60
प्राथमिक	4.80
जूनियर	3.90
माध्यमिक	3.40
उच्च	2.90

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

4.5.3 आयु वर्ग के अनुसार जन्मदर-

जो बालाएं छोटी आयु में विवाह करती हैं उनकी उत्पादकता शीघ्र प्रभावित होती है। फलतः उन्हें अधिक बच्चे पैदा होने की संभावना रहती है। यू.एन.ओ. द्वारा मैसूर के जनसंख्या के अध्ययन में बताया गया कि ग्राम्य क्षेत्रों में 14-17 के मध्य जिन बालाओं की शादी हुई उनमें जन्मदर 5.9 बच्चे, परन्तु जिनके विवाह 19-21 वर्ष के मध्य हुए उनकी जन्मदर 4.7 बच्चे थी। सामान्यतः भारतीय स्त्री की प्रजजन क्षमता 14-44 वर्ष तक है। यदि विवाह की आयु स्त्री के लिए 19 वर्ष कर दी जाये तो जन्मदर निश्चिततः कम हो सकती है। सर्वेक्षित ग्रामों में आयु वर्ग के अनुसार जन्मदर का विवरण तालिका 4.6 में प्रदर्शित है। तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में जन्मदर 20-25 एवं 25-30 के मध्य सर्वाधिक है। 30 के बाद जन्मदर कम होती गयी है। **(चित्र 4.2 C)**

तालिका 4.6

आयु वर्ग के अनुसार जन्मदर 2002

आयुवर्ग	जन्मदर
15 से कम	1.10
15-19	2.15
20-24	3.12
25-29	2.42
30-34	1.85
35-39	1.23
40-44	0.82
45 से अधिक	0.17

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

4.5.4 आय वर्ग एवं आर्थिक स्तर के अनुसार जन्मदर-

जन्मदर एवं संधृत आर्थिक-विकास स्तर परस्पर अनिवार्य रूप से संम्बद्ध हैं। सामान्यतः उच्च आय वर्गों में जन्मदर कम पाई जाती है तथा निम्न आय वर्गों में अधिक होती है। जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक विकास में परिष्कार होता है जन्म दर कम होती है क्योंकि आर्थिक विकास से बच्चों के मृत्यु का भय कम होता है। (सिंह डी0एन0 1997)

तालिका 4.7 में आर्थिक स्तर के अनुसार जन्मदर का विवरण दिया गया है। सर्वेक्षित ग्रामों में जिन परिवारों की आय 1000 से कम है उनकी जन्मदर 5.8, 2000 तक की मासिक आय वाले परिवारों की जन्म दर 5.1 तथा 4000 से अधिक आय वाले परिवारों की जन्म दर 2.8 है। **(तालिका 4.7 चित्र 4.2 D)**

तालिका 4.7

आय वर्ग एवं आर्थिक स्तर के अनुसार जन्मदर 2002

मासिक आय वर्ग (रुपये)	जन्मदर
1000 से कम	5.8
1000-2000	5.1
2000-3000	4.5
3000-4000	3.3
4000 से अधिक	2.8

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

DISTRICT GHAZIPUR
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF FERTILITY
RELIGION CASTE
A
MEAN FERTILITY
Hindu
Muslims
Brahaman
Rajput
Yadav
Chamar
EDUCATIONAL LEVEL
B
Illiteate
Primary
Middle
High School
High Edu
AGE GROUP
C
<15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
> 45
MONTHLY INCOME
D
MEAN FERTILITY
<1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
>000
OCCUPATON
E
Cultivator
Agri Labourer
Survice
Other Survice
(On the basis of personal sample survey 2002)

4.5 व्यावसायिक संरचना के अनुसार जन्मदर-

व्यावसायिक संरचना के अनुसार जन्मदर में अंतर पाया जाता है। भारत में किये गये कुछ अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि कृषकों एवं श्रमिक वर्ग के मध्य जन्म दर अधिक है। जबकि नौकरी पेशा एवं अन्य सेवाओं में लगे लोगों की जन्मदर कम है। (मजूमदार डी.एम. 1980) तालिका 4.8 से स्पष्ट है कि काश्तकार, कृषक मजदूर, नौकरी पेशा, एवं व्यवसायी वर्ग की जन्म दर में अंतर है। सर्वेक्षित ग्रामों में काश्तकार एवं कृषक मजदूरों की जन्म दर क्रमशः 5.2 एवं 5.8 है, तथा नौकरी पेशा एवं व्यवसायी वर्ग की जन्मदर क्रमशः 3.4 एवं 4.1 हैं। (चित्र 4.2 E)

तालिका 4.8

व्यावसायिक संरचना के अनुसार जन्मदर 2002

व्यवसाय	जन्मदर
काश्तकार	5.2
कृषक मजदूर	5.8
नौकरी पेशा	3.4
व्यवसायी	4.1

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

उपरोक्त विश्लेषणों से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामों की जन्मदर, जातीय संरचना, धर्म, वैवाहिक स्तर एवं आर्थिक स्तर से प्रभावित है। आज भी जनपद की कुछ जातियों यथा लुहार, कुम्भकार, गोड़ तथा अनुसूचित जातियों में बाल- विवाह के कारण जन्मदर अधिक है परन्तु शिक्षा के विकास के साथ-साथ जन्मदर में कमी हो रही है।

4.6 जनसंख्या स्थानान्तरण-

जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तर दायी तीनों तत्वों- जन्मदर, मृत्युदर तथा जनसंख्या स्थानान्तरण में स्थानान्तरण महत्वपूर्ण है। मानव वर्गों के आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक या अन्य कारणों से एक स्थान, प्रदेश देश अथवा महाद्वीप में आव्रजन अथवा प्रव्रजन को जनसंख्या स्थानान्तरण कहते हैं। स्थानान्तरण मात्र स्थान परिवर्तन ही नहीं, बल्कि किसी क्षेत्र के क्षेत्रीय तत्व तथा क्षेत्रीय संबंधों को समझने का प्रमुख आधार है। (गोसल 1961) स्थानान्तरण द्वारा पृथ्वी पर

जनसंख्या का वितरण तथ्यपरक जाता है। प्रवास (स्थानान्तरण) सांस्कृतिक वितरण और सामाजिक एकता का यंत्र है। (बोग 1959) (गारनियर) ने आव्रजन एवं प्रव्रजन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया है। मानव इतिहास की भांति जनसंख्या के स्थानान्तरण का इतिहास भी विश्व व्यापी रहा है। कदाचित् यदि हम कहें कि स्थानान्तरण ही संसार की जनसंख्या के विकास का मूल है तो अत्युक्ति न होगी। ईसा से 1500 ई० पूर्व मध्य एशिया से आर्यभारत में आये। (श्रीवास्तव के.सी. 2000) यहूदी एवं अरबी लोग उत्तरी अफ्रीका एवं अरब से यूरोप में जा बसे। ऐसा ही प्रवास हमारे आर्य पूर्वजों को मध्य एशिया से भारत लाया था। मध्यकाल में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया को प्रवासित हुए। तत्कालीन यूरोप के राष्ट्रों के निर्माण तथा उत्थान में आवास–प्रवास के जातिगत संबंधों की झांकी मिलती है। अमेरिका का विकास यूरोपीय स्थानान्तरण की निरन्तर धाराओं एवं प्रतिधाराओं की ही देन है।

जनसंख्या स्थानान्तरण, जनसंख्या वृद्धि के एक प्रभावशाली कारक के रूप में किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं तद्नुरुप प्रतिरूप को प्रभावित करता है। स्थानान्तरण में मानव का मात्र स्थान परिवर्तन ही सम्मिलित नहीं किया जाता वरन् यह क्षेत्र की स्थानिक सम्बद्धता एवं तद्अन्य समझ का परिणाम होता है। जनसंख्या स्थानान्तरण से नई संस्कृतियों का उदय, संस्कृतियों में मिश्रण तथा सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है।

4.7 स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाले कारक-

जनसंख्या स्थानान्तरण के कारकों का विनिर्धारण सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जनसंख्या स्थानान्तरण की पीछे विकर्षण तथा आकर्षण के कारक साथ-साथ क्रियाशील रहते है। दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है यह निश्चित करना कठिन है। इन समस्त कारकों को कतिपय जनांकिकीविदों ने आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण कारकों के रूप में विभक्त किया है। वस्तुतः इन दो प्रधान कारकों के अतिरिक्त अन्य कारक भी प्रवासी के लिए महत्वपूर्ण होते है यथा सामूहिक सुरक्षा, जलवायु की अनुकूलता, धार्मिक स्वतंत्रता, आवागमन के साधन तथा सूचना प्राप्ति की सुलभता आदि।

4.7.1 आकर्षण कारक-

किसी स्थान के लाभों से आकर्षित होकर संपन्न स्थानान्तरण प्रक्रिया आकर्षण कारक जन्य होती है। यथा शहरों में रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरंजन, अधिक आय प्राप्ति के

अवसर, अच्छी जलवायु के प्रदेश, ईष्ट मित्रों का आकर्षण आदि से प्रेरित होकर व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास को छोड़कर चले जाते हैं।

4.7.2 प्रत्याकर्षण कारक-

प्रत्याकर्षण कारक का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिनसे परेशान होकर कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को परिवर्तित करने के लिए बाध्य हो जाता है। जब व्यक्ति को गांव मे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, रोजगार सुरक्षा इत्यादि के अवसर सुलभ नहीं होते तो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तित कर देता है। ये कारक आर्थिक ही नही वरन् सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक भी हो सकते हैं। स्थानान्तरण का सीधा संबंध सामाजिक–आर्थिक विकास में असमानता से है। प्रवास निर्धारक उपरोक्त कारकों को भली प्रकार स्पष्ट करने के लिए इन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय कारकों में विभक्त किया गया है। (चान्दना 1997)

4.7.3 आर्थिक कारक-

प्रवास (स्थानान्तरण) में अधिकांश आर्थिक उद्देश्य होते हैं। क्षेत्र विशेष की सामान्य आर्थिक दशा कृषि–भूमि की उपलब्धता, रोजगार.के अवसर आदि आकर्षण के रूप में होते हैं। ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मंदी बढ़ती है तथा लोगों को गैर कृषि कार्यों की ओर उन्मुख होना पड़ता है। (सिंह डी.के. 1993) सूचना क्रांति ने स्थानान्तरण की इस प्रवृत्ति को बढ़ाया है।

4.7.4 सामाजिक कारक-

कतिपय सामाजिक रीतिरिवाजों के फलस्वरूप भी स्थानान्तरण होता है यथा- विवाह के बाद बालाओं का अपने पतिगृह जाना, इस स्थानान्तरण में केवल सामाजिक प्रथा का ही योगदान है। धार्मिक स्वतंत्रता की भावना प्रवास को बढ़ावा देती है। भारी मात्रा में पिलग्रिम फादर्स का अन्ध महासागर के दूसरे छोर पर स्थानान्तरण इसी का सूचक है (गानियर 1969) द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यहूदियों का प्रस्थान तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों का विश्व के अनेक भागों से इजराइल आगमन धार्मिक भावना के प्रतिफल है।

अन्य सामाजिक नियंत्रकों में सामाजिक आर्थिक स्तर, सूचना तंत्र, सांस्कृतिक मेल मिलाप समाजोत्थान की इच्छा तथा राजनीति प्रमुखतम है। शिक्षा, सांस्कृतिक आदान–प्रदान स्थानान्तरण

की सम्भावनाओं में वृद्धि करते हैं। जहां धार्मिक एवं जातीय बंधन अधिक हैं वहां स्थानान्तरण संभावनाएं क्षीण होती है जबकि जहां उच्च सामाजिक जागृति है वहां स्थानान्तरण अधिक होता हैं।

4.7.5 जनसांख्यिकीय कारक-

तीव्र जनसंख्या वृद्धिदर क्षेत्र विशेष में जनसंख्या दबाव उत्पन्न करती है फलतः जनसंख्या –संसाधन अनुपात प्रभावित होता हैं। गंगा मैदान की जनसंख्या एवं संसाधन संतुलन में असमानता है परिणामतः यहां की जनसंख्या का प्रायद्विपीय पठार के खनिज उत्खनन केन्द्रों तथा खनिजों पर आधारित औद्योगिक केन्द्रों जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, कटनी, इत्यादि में यहां की जनसंख्या का स्थानान्तरण हो रहा है। (ओझा एस.एस. 2001)

जनस्थानान्तरण के लिए तीन कारकों को उत्तरदायी माना गया है- (ली0ई0एस0 1966)

(1) **धनात्मक कारक-** वे कारक जो जनसंख्या को किसी क्षेत्र में प्रवास के लिए आकृष्ट करते हैं धनात्मक कारक कहलाते हैं।

(2) **ऋणात्मक कारक-** वे कारक जो जनसंख्या को अपने निवास स्थान से अन्य स्थान को प्रवास के लिए बाध्य करते हैं ऋणात्मक कारक कहलाते हैं।

(3) **अन्य कारक-** इसमें कतिपय वे सामान्य कारक सम्मिलित हैं जो सभी क्षेत्रों मे विद्यमान रहते हैं।

स्थानान्तरण नियंत्रक उपरोक्त निर्धारक कारकों के विवेचन से स्पष्ट है कि स्थानान्तरण की प्रक्रिया से सम्बद्ध कारकों का विनिर्धारण अत्यंत दुष्कर है। भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न कारक सक्रिय है। संक्षेप में स्थानान्तरण उपरोक्त समस्त कारकों का समेकित परिणाम है।

4.8 जनसंख्या स्थानान्तरण के प्रकार-

जनसंख्या स्थानान्तरण एक खास आयु वर्ग का होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अक्रियाशील आयुवर्ग की अपेक्षा क्रियाशील आयुवर्ग में स्थानान्तरण अधिक होता है। क्योंकि तरुण वर्ग बच्चों एवंबूढ़ों की अपेक्षा अधिक स्थानान्तरण करते हैं। इस आयुवर्गीय असमानता में कहीं स्त्रियां अधिक स्थानान्तरण करती हैं तो कहीं पुरुष (1) भारत में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण स्त्रियों का स्थानान्तरण विवाह के बाद पति-गृह हो जाता है। यह पूर्णतः स्त्रीजन्य स्थानान्तरण कहलायेगा। कभी-कभी परिवार के मुखिया के साथ-साथ बच्चे व अन्य भी स्थानान्तरण करते हैं। व्यवसायी वर्ग अपने व्यवसाय के अनुरूप स्थानान्तरण करते हैं। यथा भूमिहीन कृषि मजदूर कृषकों की तुलना में अधिक स्थानान्तरण करते हैं। विकासशील विश्व

में रोजगार के लिए शहरों की ओर स्थानान्तरण हो रहा है। गाजीपुर जनपद में जनसंख्या स्थानान्तरण वैवाहिक तथा रोजगार प्राप्ति के लिए गांवों से शहरों की ओर हुआ है। वैवाहिक दृष्टि से स्त्रियों का स्थानान्तरण एवं रोजगार की दृष्टि से युवकों का स्थानान्तरण हुआ है।

स्थानान्तरण के निम्न प्रकार व्यवहर्य हैं-

4.8.1 समय के आधार पर-

(1) दैनिक स्थानान्तरण।

(2) ऋत्विक स्थानान्तरण।

(3) दीर्घ कालिक स्थानान्तरण।

4.8.2 दूरी के आधार पर-

(1) अन्तर्महाद्वीपीय स्थानान्तरण।

(2) देशान्तरिक स्थानान्तरण।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण।

(4) स्थानीय स्थानान्तरण—

(i) गांव से नगर की ओर।

(ii) नगर से नगर की ओर।

(iii) गांव से गांव की ओर।

(iv) नगर से गांव की ओर।

4.8.3 प्रवृत्ति के आधार पर-

(1) आर्थिक स्थानान्तरण।

(2) वैवाहिक स्थानान्तरण।

(3) क्षेत्रीय एवं (5) अन्य स्थानान्तरण।

4.9 स्थानान्तरण के वर्ग-

समाजशास्त्री पिटरसन (1969) ने स्थानान्तरण के चार वर्ग निर्धारित किये है-

4.9.1 आदिम स्थानान्तरण-

यह स्थानान्तरण पारिस्थितिकी दबाव का प्रतिफल है। इस वर्ग के स्थानान्तरण कर्ता ठीक वैसा ही पर्यावरण चाहते थे जैसा उन्होंने छोड़ा था। ये स्थानान्तरण शिकार एवं मत्स्य पकड़ क्षेत्रों की उपलब्धता के आधार पर होता था।

4.9.2 बलात प्रेरित स्थानान्तरण-

जब स्थानान्तण को उत्प्रेरित करने वाले कारक राज्य या सामाजिक संस्थाएं होती हैं तो इस प्रकार का स्थानान्तरण होता है। 1930 ई0 में नाजियों द्वारा विरोध करने वाली जनसंख्या को बलपूर्वक हटाया गया।

4.9.3 स्वतंत्र स्थानान्तरण-

इस प्रकार के स्थानान्तरण में स्थानान्तरण कर्ता की इच्छा प्रबल होती है। 19 वीं शताब्दी में यूरोप से अन्वेषिकी स्थानान्तरण हुए। वर्तमान में यह प्रभावहीन है।

4.9.4 अवांक्षित स्थानान्तरण-

अवांक्षित स्थानान्तरण लैटिन- अमेरिका तथा कैरेबियन सागरीय देशों की विशेषता है। यू.एस.ए., कनाडा, बेनेजुएला, अर्जेन्टीना, इत्यादि देशों में बोलिबिया, ब्राजील, चीली, कोलम्बिया, एल्साल्वेडोर, मैक्सिको आदि से अवांक्षित स्थानान्तरण होता है। इस प्रवास वर्ग से जुड़ी चिंतनीय समस्या शरणार्थियों की है। यू.एन. रिफ्यूजीज नेशन द स्टडीः प्राब्लम्स आफ माइग्रेशन की 1993 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी संख्या 18 मिलियन थी। भारत में पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है।

भारत में बंगलादेश से आने वाले चकमा शरणार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। जनगणना अधिकारियों के अनुसार बांगलादेश से गैरकानूनी रूप से आने वालों की संख्या 1961-71 एवं 1971-81 में क्रमशः 17,39,310 एवं 5,59,006 थी (नवभारत टाइम्स नवम्बर 2000) विदेशी घुसपैठ रोकने के लिए संसद द्वारा 1983 में आई.एम.डी.टी. (इल्लीगल

माइग्रेन्ट्स डिटरमिनेश ट्राइब्यूनल) पारित किया गया। भारत के हितों की रक्षा के लिए इन घुसपैठियों एवं शरणार्थियों पर प्रभावी रोक अनिवार्य है।

4.10 जनसंख्या स्थानान्तरण के सिद्धान्त-

वस्तुतः व्यक्ति विशेष के प्रभाव एवं व्यवहार को एक निश्चित सिद्धान्त में बांध पाना दुष्कर है इसीलिए हम्फ्रे ने कहा है कि स्थानान्तरण अपने नियम विहीनता न कि नियम बद्धता केलिए कुख्यात है। आधुनिक भूगोल में मात्रीकरण, विशिष्टीकरण, सिद्धान्त रचना, अनुप्रयोग तथा मॉडल निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जनसंख्या भूगोल पर भी इसका प्रभाव अवश्यम्भावी है। इसी के परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थानान्तरण से सम्बद्ध सिद्धान्त बनाये जा रहे हैं। जनस्थानान्तरण के संबंध में सिद्धान्त बनाने में निम्न कठिनाइयां हैं-

(1) जनसंख्या एक गतिशील कारक है तथा तेजी के साथ परिवर्तित होती है।

(2) मनुष्य का व्यक्तिगत व्यवहार किसी सुनिश्चित सिद्धान्त से आबद्ध नहीं है क्योंकि किसी तथ्य के पीछे मनुष्य के आचरण का विश्लेषण कठिन है।

(3) जनस्थानान्तरण के आंकड़े जिस रूप में प्राप्त होने चाहिए उस रूप में प्राप्त नही होते हैं।

पृथ्वी पर मानव से विलग जीवों का वितरण मानव से पूर्ववर्ती है परन्तु स्वाभाविक स्थानान्तरण जितना मानव का हुआ है उतना कदाचित किसी जींव का नहीं हुआ है। मानव आचरण की अनिश्चितता के बावजूद स्थानान्तरण से संबंधित सिद्धान्तो का विकास करने में विद्वानों का उत्साह कम नहीं हुआ है। आशा है कि यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। प्रारम्भ रैवेस्टीन (1885) के शोधपत्र '**द लॉ ऑफ माइग्रेशन** से हुआ है (चाँदना आर0सी0 1997), बुंगे डब्ल्यू0 तथा ली0ई0एस0 (1966) ने स्थानान्तरण से संबंधित सामान्य सिद्धान्तों एवं परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। पिटरसन (1958) ने स्थानान्तरण प्रकारों का विवेचन उसके नियमों के विशेष संदर्भ में किया। फ्रायर (1971) ने अपने शोध प्रबंध 'इंटरनल माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन में स्थानान्तरण प्रक्रिया में निवास दुबारा निर्धारित करने वाले व्यक्तिगत, समायोजनशील, संस्थागत, अनुकूलन, तथा सूचना प्रसारण कारकों पर बल दिया। इन्होंने इन कारकों का परीक्षण मलेशिया पर किया जो अधिकांशतः सत्य पाया गया। गेल (1973) ने रोसी के जीवन चक्र परिकल्पना की आलोचना की तथा स्पष्ट किया कि स्थानान्तरण निर्धारक घटकों में संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। जानवन्यू स्टेवर्ट ने जनसंख्या के स्थानान्तरण को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ

समाकृतिक संबंध स्थापित किया जो 'ग्रैविटी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दो नगरीय केन्द्रों के बीच स्थानान्तरण उनके जनसंख्या का प्रतिफल होता है तथा उनकी बीच की दूरी के विलोम अनुपात में होता है।

4.11 गाजीपुर जनपद में जनसंख्या स्थानान्तरण-

जनसंख्या स्थानान्तरण पर भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव निश्चिततः पड़ता है परन्तु जनपद में जन स्थानान्तरण पर सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव सर्वाधिक है। मानव अब प्राकृतिक आपदाओं, अकाल, महामारी, बाढ़ आदि के साथ अंशतः सामज्जस्य स्थापित करने में सक्षम हो गया है। मानव के लिए जीविकोपार्जन के साधनों का प्रबंध सर्वोपरि है। आर्थिक संकट के समय जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में स्थानान्तरित हो जाती है। जनपद में 1904 एवं 1917 में महामारी के कारण बहुत से लोग अन्य जिलों में जाने के साथ-साथ प्रदेश से बाहर चले गये। इसके बाद जनसंख्या जन स्थानान्तरण आर्थिक एवं सामाजिक कारकों से प्रभावित हुआ है। जनपद की प्रव्रजित जनसंख्या वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात एवं राजस्थान आदि प्रदेशों में स्थानान्तरित हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों पाकिस्तान, मलाया, वर्मा, नेपाल, त्रिनिनाड- टोबैको, आदि देशों में जनसंख्या प्रव्रजन हुआ है। शिक्षा, विज्ञान तकनीकी आदान-प्रदान हेतु अधिकांश स्थानान्तरण वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर इत्यादि शहरों की ओर हुआ है।

4.12 आव्रजन एवं प्रव्रजन-

आव्रजन एवं प्रव्रजन जनसंख्या स्थानान्तरण के प्रमुखतम आयाम हैं। एक दूसरे का अस्तित्व सम्मिलित स्वरूप से है। आव्रजन में मानव का किसी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र में आगमन होता है। भारत में विभाजन के समय पाकिस्तान से हिन्दुओं का एवं भारत से मुसलमानों का स्थानान्तरण आव्रजन का उत्तम उदाहरण है। जनपद में क्षेत्रीय आव्रजन–प्रव्रजन अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद आदि जिलों से जनसंख्या का स्थानान्तरण हुआ है। कानपुर, मिर्जापुर, पश्चिम बंगाल, मुंबई ,दिल्ली एवं पाकिस्तान, मलाया, वर्मा, नेपाल, त्रिनिनाड आदि स्थानों में जनपद से जनसंख्या का स्थानान्तरण हुआ है। 1951 में कुलियों का प्रव्रजन फिजी, मलेशिया में हुआ है।

4.12.1 आव्रजन-

जनपद गाजीपुर में सन् 1961 में कुल आने वालों में से 70.14 प्रतिशत गणना के जिले में ही अन्यत्र पैदा हुए थे। जबकि राज्य के अन्य जिलों में 22.56 प्रतिशत भारत के अन्य प्रांतो में 6.95 प्रतिशत तथा अन्य राष्ट्रों में 0.35 प्रतिशत लोग पैदा हुए थे। 1971 में गणना के जिले में 70.59 प्रतिशत, राज्य के अन्य जिलों में 22.36 प्रतिशत, भारत के अन्य प्रांतों में 7.01 प्रतिशत तथा अन्य देशों में पैदा हुए लोगों का प्रतिशत 0.04 था। 1981 एवं 1991 में क्रमशः

तालिका 4.9

जनसंख्या आव्रजन

मद	1961	1971	1981	1991
1- गणना के जिले में अन्यत्र पैदा हुए	242723 (70.13)	279664 (70.59)	329894 (69.32)	405566 (68.55)
2- राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए	78079 (22.56)	88516 (22.36)	112268 (23.60)	143806 (24.31)
3- भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए	24061 (6.95)	27780 (7.01)	33518 (7.04)	42059 (7.1)
4- अन्य देशों में पैदा हुए	1222 (0.35)	190 (0.04)	174 (0.03)	118 (0.02)
योग	346085	396150	475854	591549

स्रोत- जिला जनगणना पुस्तिका 1961, 1971, 1981, 1991 उत्तर प्रदेश (सोशल एवं कल्चरल टेबुल) (कल्चरल एवं माइग्रेशन टेबुल) भारत, उत्तर प्रदेश द्वारा परिकलित। 1961-1991।

गणना के जिले में अन्यत्र पैदा हुए लोग 69.32 एवं 68.56 प्रतिशत, राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए 23.60 एवं 24.31 प्रतिशत , भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए 7.04 एवं 7.11 प्रतिशत, तथा अन्य देशों में पैदा हुए 0.03 एवं 0.02 प्रतिशत स्थानान्तरित होकर आये। **(तालिका 4.9)**

4.12.1.1 ग्रामीण जनसंख्या आव्रजन- (1981 तथा 1991)

1981 में कुल ग्रामीण जनसंख्या का 71.02 प्रतिशत आव्रजन गणना के जिले में ही हुआ था। जिसमें 93.20 प्रतिशत स्त्रियों तथा 6.80 प्रतिशत पुरुषों का हुआ था। राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए लोगों का कुल आव्रजन 22.71 प्रतिशत जिसमें स्त्रियों का 90.12 एवं पुरुषों का 9.38 प्रतिशत था। भारत के अन्य प्रान्तों में पैदा हुए लोगों का कुल प्रतिशत 6.26 प्रतिशत था जिसका 91.72 प्रतिशत स्त्रियां एवं 8.27 प्रतिशत पुरुष वर्ग का था। 1991 में कुल आव्रजन का 70.25 प्रतिशत गणना के जिले में ही पैदा हुए थे जिसमें स्त्रियों एवं पुरुषों का प्रतिशत क्रमशः 93.54 एवं 6.46 प्रतिशत रहा।

तालिका 4.10

जनपद गाजीपुरः ग्रामीण जनसंख्या आव्रजन

मद	1981			1991		
	कुल	स्त्री	पुरुष	कुल	स्त्री	पुरुष
1. गणना के जिले में	319725	297992	21733	421407	394184	27223
अन्यत्र पैदा हुए	(71.02)	(93.20)	(6.80)	(70.25)	(93.54)	(6.46)
2. राज्य के अन्य	102233	92135	1098	142349	128128	14221
जिलों में पैदा हुए	(22.71)	(90.12)	(9.88)	(23.73)	(90.01)	(9.99)
3. भारत के अन्य	28220	25885	2335	36120	32634	3486
प्रान्तों में पैदा हुए	(6.26)	(91.72)	(8.27)	(6.02)	(90.35)	(9.65)
योग-	450178	416012	34196	599868	554938	44930
	(100.00)	(92.40)	(7.60)	(100.00)	(92.51)	(7.49)

स्रोत- वही तालिका 4.9

राज्य के अन्य जिलों का ग्रामीण आव्रजन 23.73 प्रतिशत रहा जिसमें स्त्रियों का 90.01 एवं पुरुषों का 9.99 प्रतिशत रहा। भारत के अन्य प्रान्तों में पैदा हुए लोग 6.02 प्रतिशत, इसमें भी स्त्रियों का स्थानान्तरण अधिकतम रहा । **(तालिका 4.10)**

4.12.1.2 नगरीय जनसंख्या आव्रजन- (1981 तथा 1991)

सन् 1981 में कुल नगरीय जनसंख्या का 15.97 प्रतिशत आव्रजन हुआ, 1991 में यह प्रतिशत 16.16 रहा है। जनपद की कुल आव्रजित नगरीय जनसंख्या का 38.26 प्रतिशत गणना के जिले में पैदा हुए थे जिसका 84.73 प्रतिशत स्त्री एवं 15.27 प्रतिशत पुरुष थे।

1991 में गणना के जिले में पैदा हुए लोगों का आव्रजन 39.31 प्रतिशत (85.02 प्रतिशत स्त्री तथा 14.98 प्रतिशत पुरुष। 1981 में राज्य के अन्य जिलों 40.48 प्रतिशत (77.30 स्त्री, 22.70 पुरुष) 1991 में राज्य के अन्य जिलों से 39.19 प्रतिशत (88.35 प्रतिशत स्त्री एवं 21.57 प्रतिशत पुरुष) भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए लोगों का आव्रजन 1981 में 21.36 प्रतिशत जो 1991 में 21.57 प्रतिशत हो गया। **(तालिका 4.11)**

तालिका 4.11

जनपद गाजीपुरः नगरीय जनसंख्या आव्रजन 1981, 1991

	1981			1991		
मद	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
गणना के जिले में	9430	1440	7990	11319	1698	9623
अन्यत्र पैदा हुए	(38.26)	(15.27)	(84.73)	(39.31)	(14.98)	(85.02)
राज्य के अन्य जिलों	9978	2265	7713	11265	2430	8835
में पैदा हुए	(40.48)	(22.70)	(77.30)	(39.12)	(21.57)	(78.43)
भारत के अन्य प्रांतों	5242	1182	4060	6211	1374	4837
मे पैदा हुए	(21.26)	(22.54)	(77.45)	(21.57)	(22.12)	(77.88)
कुल	24650	4887	19763	28795	5511	23284
	(100.00)	(19.82)	(80.17)	(100.00)	(19.14)	(80.86)

स्त्रोत- वही तालिका 4.9

4.13 ग्रामीणों की आव्रजित जनसंख्या-

4.13.1 ग्रामीण से ग्रामीण-

ग्रामीण आव्रजन का 1981 में गणना के जिले में ही अन्यत्र पैदा होने वालों में 94.90 प्रतिशत जनसंख्या ग्राम से ग्राम में ही आयी थी, जबकि 1991 में यह 94.31 प्रतिशत रही है। जबकि राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए लोगों में से 1981 में 91.57 प्रतिशत एवं 1991 में 92.19 प्रतिशत ग्राम से ग्राम में तथा भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए लोगों में से 1981 में 85.11 प्रतिशत एवं 1991 में 84.75 प्रतिशत ग्रामीण से ग्रामीण आव्रजन हुआ है। **(तालिका 4.12)**

DISTRICT GHAZIPUR
URBAN MIGRATION PATTERN 1991
IMMIGRATION
INDIA
U.P.
IN PER CENT
1·00
10·00
20·00
0·10
1·00
10·00
20·00
500 0 500
Km
50 0 50
Km
EMIGRATION
INDIA
U.P.
IN PER CENT
1·00
5·00
15·00
30·00
0·50
3·00
10·00
20·00
>20
500 0 500
Km
50 0 50
Km

तालिका 4.12

जनपद गाजीपुरः ग्रामीणों की आव्रजित जनसंख्या

	1981			1991		
	कुल	ग्रामीण से नगरीय	ग्रामीण से ग्रामीण	कुल	ग्रामीण से नगरीय	ग्रामीण से ग्रामीण
गणना के जिले में	319725	16300	303425	441047	25096	415951
अन्यत्र पैदा हुए	(71.02)	(5.10)	(94.90)	(72.31)	(5.69)	(94.31)
राज्य के अन्य	102233	8619	93614	136260	10642	125618
जिलों में पैदा हुए	(22.70)	(8.43)	(91.57)	(22.36)	(7.81)	(92.19)
भारत के अन्य	28220	4200	24020	32632	4972	27655
प्रांतों में पैदा हुए	(6.26)	(14.88)	(85.11)	(5.35)	(15.25)	(84.75)
योग	45178	29119	421059	609940	37691	572249
	(100.00)	(6.47)	93.53	(100.00)	(6.18)	(93.82)

स्रोत- वही तालिका 4.9

4.13.2 ग्रामीण से नगरीय-

गणना के जिले में ही अन्यत्र पैदा होकर आने वालों का 5.10 प्रतिशत ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या का आव्रजन 1981 में हुआ तथा 1991 में यह प्रतिशत 5.69 प्रतिशत रहा। राज्य के अन्य जिलों में पैदा होने वाले कुल लोग जो इस जिले में आये उसका 1981 में प्रतिशत 8.43 था, जो 1991 में 7.81 प्रतिशत रहा। जबकि भारत के अन्य प्रांतों से ग्रामीण आव्रजन का 1981 में 14.88 एवं 1991 में 15.25 प्रतिशत रहा है। कुल ग्रामीण आव्रजन का 1981 में 93.53 प्रतिशत, एवं 1991 में 93.82 प्रतिशत ग्रामीण से ग्रामीण तथा ग्रामीण से नगरीय 6.47 एवं 6.18 प्रतिशत हुआ है। **(तालिका 4.12)**

4.14 नगरीय आव्रजित जनसंख्या-

4.14.1 नगरीय से नगरीय-

1981 में गणना के जिले में ही अन्यत्र पैदा होने वालों का कुल आव्रजन 38.25 प्रतिशत था जो 1991 में 40.15 प्रतिशत रहा। 1981 में कुल आव्रजन का 34.27 प्रतिशत नगरीय से नगरीय तथा भारत के अन्य प्रांतों से आये कुल लोगों में से 43.54 प्रतिशत नगरीय से नगरीय आव्रजन हुआ जबकि राज्य के अन्य जिलों से आये कुल लोगों में से 52.54 प्रतिशत था।

1991 में गणना के जिले में अन्यत्र पैदा होने वालों के आव्रजन का 40.76 प्रतिशत नगरीय से नगरीय, राज्य के अन्य जिलों से आये लोगों का 54.25 प्रतिशत नगरीय से नगरीय एवं भारत के अन्य प्रांतों से आये हुए लोगों का 46.27 प्रतिशत रहा। **(तालिका 4.13)**

तालिका 4.13

जनपद गाजीपुरः नगरीय आव्रजित जनसंख्या

	1981			1991		
मद	**नगरीय से ग्रामीण**	**नगरीय से नगरीय**	**कुल**	**नगरीय से ग्रामीण**	**नगरीय से नगरीय**	**कुल**
गणना के जिले में	6197	3232	9429	7846	5398	13244
अन्यत्र पैदा हुए	(65.72)	(34.27)	(38.25)	(59.24)	(40.76)	(40.15)
राज्य के अन्य	4736	5243	9979	5707	6768	12475
जिले में पैदा हुए	(47.46)	(52.54)	(40.48)	(45.75)	(54.25)	(37.82)
भारत के अन्य	2959	2282	5241	3904	3363	7267
प्रांतों में पैदा हुए	(56.45)	(43.54)	(21.26)	(53.73)	(46.27)	(22.03)
योग	13892	10757	24649	17413	15573	32986
	(56.35)	(43.64)	(100.00)	(52.79)	(47.21)	(100.00)

स्रोत- वही तालिका 4.9

4.14.2 नगरीय से ग्रामीण-

1981 में गणना के जिले में ही अन्यत्र से आने वालों की कुल जनसंख्या का 65.72 प्रतिशत नगर से गांव में, राज्य के अन्य जिलों में पैदा होकर जनपद में आने वाली कुल जनसख्या का 47.46 प्रतिशत नगर से गांव में तथा भारत के अन्य प्रांतों में पैदा होकर जनपद में आने वाली कुल जनसंख्या का 56.45 प्रतिशत नगर से गांव में आयी थी। 1991 में गणना के जिले से आने वाले 59.24 राज्य के अन्य जिलों से आने वालो का 45.75 तथा भारत के अन्य प्रांतों से 53.73 प्रतिशत जनसंख्या नगर से गांव में आयी। **(तालिका 4.13)**

4.15 जनपद में भारत के अन्य प्रांतों से ग्रामीण आव्रजन–

सर्वाधिक बिहार प्रान्त से आव्रजन हुआ है (97.13) जबकि असम, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली से न्यून मात्रा में आव्रजन हुआ है। **(परिशिष्ट 4.1)**

4.16 भारत के अन्य प्रांतों से नगरीय आव्रजन-

जनपद में नगरीय आव्रजन भी बिहार (58.25 प्रतिशत) से हुआ है। इसके अतिरिक्त असम से 3.10 प्रतिशत पश्चिम बंगाल से 29.93 प्रतिशत नगरीय आव्रजन हुआ है। इसके अतिरिक्त हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा आदि प्रांतों से अल्प आव्रजन हुआ है। **(परिशिष्ट 4.2)**

4.17 ग्रामीण प्रव्रजन-

1981 में कुल ग्रामीण प्रव्रजन का 72.72 प्रतिशत गणना के ही जनपद में अन्यत्र हुआ था जिसका 91.54 स्त्रियों का तथा 8.45 प्रतिशत पुरुषों का था। 1991 में कुल 73.62 प्रतिशत का 93.15 प्रतिशत स्त्रियों का तथा 6.85 प्रतिशत पुरुषों का प्रव्रजन गणना के ही जनपद में अन्यत्र हुआ है। इसी प्रकार 1981 में कुल ग्रामीण प्रव्रजन का 21.16 प्रतिशत राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए लोगों का हुआ है। जिसका 92.42 प्रतिशत स्त्रियों का तथा 7.57 प्रतिशत पुरुषों का हुआ था। 1991 में 21.26 प्रतिशत का 91.12 एवं 8.88 क्रमशः स्त्रियों एवं पुरुषों का रहा है। भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए लोगों का कुल प्रव्रजन में 6.08 (1981)

एवं 5.10 प्रतिशत (1991) रहा है। इसमें भी स्त्रियों का प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। **(तालिका 4.14)**

तालिका 4.14

जनपद गाजीपुर में ग्रामीण जनसंख्या प्रव्रजन

	1981			1991		
मद	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
गणना के जिले में	291535	24650	266885	429264	29405	390859
अन्यत्र पैदा हुए	(72.72)	(8.45)	(91.54)	(73.62)	(6.85)	(93.15)
राज्य के अन्य	84850	6430	78420	123963	11008	112955
जिलों में पैदा हुए	(21.16)	(7.57)	(92.42)	(21.26)	(8.88)	(91.12)
भारत के अन्य	24370	1530	22840	29737	1701	28036
प्रांतों में पैदा हुए	(6.08)	(6.28)	(93.72)	(5.10)	(5.17)	(94.28)
अन्य राष्ट्रों में	140	80	60	117	65	52
पैदा हुए	(0.03)	57.14	(42.85)	(0.02)	(55.97)	44.03)
योग	400895	32690	368205	583081	45072	538009
	(100.00)	(8.15)	91.84	(100.00)	(7.73)	(92.27)

स्रोत- वही तालिका 4.9

4.18 नगरीय प्रव्रजन-

1981 में कुल नगरीय प्रव्रजन का 25.54 प्रतिशत गणना के जिले में ही हुआ है जिसमे 77.85 प्रतिशत स्त्रियां एवं 22.14 प्रतिशत पुरुषों का था। 1991 में कुल 23.47 प्रतिशत का 78.25 स्त्रियों का एवं 21.75 प्रतिशत पुरुषों का हुआ है। राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए लोगों का कुल प्रव्रजन 44.20 प्रतिशत (1981) था जिसमें 64.82 प्रतिशत स्त्रियों एवं 35.10 प्रतिशत पुरुषों का था। 1991 में 45.01 प्रतिशत का 66.21 प्रतिशत स्त्रियों का एवं 33.79 प्रतिशत पुरुषों का रहा है। 1981 में भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए लोगों का नगरीय प्रव्रजन 29.83 प्रतिशत था जिसमें स्त्रियों का 52.20 प्रतिशत एव पुरुषों का 47.80 प्रतिशत था, 1991 में कुल प्रव्रजन 31.02 का 55.01 प्रतिशत स्त्रियों एवं 44.99 प्रतिशत पुरुषों का रहा है। जनपद के कुल प्रव्रजन (1991) में 34.34 प्रतिशत पुरुषों एवं 65.66 प्रतिशत स्त्रियों का योगदान है। **(तालिका 4.15)**

(तालिका 4.15)

जनपद गाजीपुरः नगरीय जनसंख्या प्रव्रजन

	1981			1991		
मद	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
गणना के जिले में	4765	1055	3710	5963	1297	4665
अन्यत्र पैदा हुए	(25.54)	(22.14)	(77.86)	(23.47)	(21.75)	(78.25)
राज्य के अन्य	8245	2900	5345	11436	3864	7571
जिलों में पैदा हुए	(44.20)	(35.17)	(64.82)	(45.01)	(33.79)	(66.21)
भारत के अन्य	5565	2660	2905	7881	3546	4335
प्रांतों में पैदा हुए	(29.83)	(47.80)	(52.20)	(31.02)	(44.99)	(55.01)
अन्य राष्ट्रों में	80	35	45	128	54	74
पैदा हुए	(0.43)	(43.75)	(56.25)	(0.51)	(42.27)	(57.73)
योग	18665	6650	12005	24408	8725	16683
	(100.00)	(35.64)	(64.35)	(10.00)	(34.34)	(65.66)

स्रोत- वही तालिका 4.9

4.19 ग्रामीण प्रव्रजित जनसंख्या-

4.19.1 ग्रामीण से ग्रामीण-

1981 में कुल ग्रामीण प्रव्रजन का 96.22 प्रतिशत गणना के ही जिले में ग्रामीण से ग्रामीण हुआ है। 1991 में यह प्रतिशत 93.89 रहा है। राज्य के अन्य जिलों में कुल ग्रामीण प्रव्रजन का 95.16 (1981) प्रतिशत ग्राम से ग्राम एवं 1991 में 94.12 प्रतिशत रहा है। भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए लोगों का ग्राम से ग्राम प्रवजन 1981 में 96.59 प्रतिशत था जो 1991 में 95.28 प्रतिशत रहा है। **(तालिका 4.16)**

4.19.2 ग्रामीण से नगरीय-

जनपद में ही गणना के जिले में अन्यत्र पैदा हुए कुल ग्रामीण प्रव्रजन का ग्रामीण से नगरीय प्रव्रजन 1981 में 3.77 एवं 1991 में 6.11 प्रतिशत रहा। राज्य के अन्य जिलों में पैदा

हुए कुल ग्रामीण प्रव्रजन का ग्रामीण से नगरीय 1981 में 4.83 एवं 1991 में 5.88 प्रतिशत रहा। भारत के अन्य प्रांतों में कुल ग्रामीण प्रव्रजन का 3.97 (1981) एवं 4.72 प्रतिशत (1991) ग्रामीण से नगरीय रहा है। (तालिका 4.16)

तालिका 4.16

जनपद गाजीपुरः ग्रामीण प्रव्रजित जनसंख्या

मद	1981			1991		
	ग्रामीण से नगरीय	ग्रामीण से ग्रामीण	कुल	ग्रामीण से नगरीय	ग्रामीण से ग्रामीण	कुल
गणना के जिले में अन्यत्र पैदा हुए	10995 (3.77)	280540 (96.22)	291535 (72.73)	23114 (6.11)	355178 (93.89)	378292 (72.01)
राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए	4100 (4.83)	80750 (95.16)	84850 (21.16)	6951 (5.88)	111249 (94.12)	118200 (22.50)
भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए	830 (3.40)	23540 (96.59)	24370 (6.07)	1309 (4.72)	26428 (95.28)	27737 (5.28)
अन्य राष्ट्रों में पैदा हुए	—	—	140 (0.30)	—	—	1104 (0.21)
योग	15925 (3.97)	384830 (96.00)	400895 (100.00)	30102 (5.73)	495231 (94.27)	525333 (100.00)

स्रोत- वही तालिका 4.9

4.20 नगरीय प्रव्रजित जनसंख्या-

4.20.1 नगर से नगर-

1981 में कुल नगरीय प्रव्रजन का 25.57 प्रतिशत गणना के ही जिले में अन्यत्र होता था जिसका 23.40 प्रतिशत नगरीय से नगरीय होता था। 1991 में कुल नगरीय प्रव्रजन का (25.12 प्रतिशत) का 23.11 प्रतिशत गणना के ही जिले में अन्यत्र पैदा हुए लोगों का नगरीय से नगरीय प्रव्रजन रहा है। 1981 में राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए लोगों का कुल प्रव्रजन

DISTRICT GHAZIPUR
RURAL MIGRATION PATTERN 1991
IMMIGRATION
INDIA
U.P.
IN PER CENT
0·10
1·00
10·00
20·00
0·10
1·00
10·00
20·00
500
0
500
Km
50
0
50
Km
EMIGRATION
INDIA
U.P.
IN PER CENT
0·50
3·00
30·00
0·10
1·00
10·00
20·00
>20
500
0
500
Km
50
0
50
Km

(44.24) में 45.90 प्रतिशत था, 1991 (46.01) में यह प्रतिशत 47.65 प्रतिशत रहा। भारत के अन्य प्रांतों में नगरीय केन्द्रों से जितना कुल प्रव्रजन होता है उनकी 20.40 प्रतिशत (1981), 19.24 (1991) नगरों से नगरों को ही होता है। 1991 में कुल नगरीय प्रव्रजन का 21.72 प्रतिशत नगर से नगर रहा है। **(तालिका 4.17)**

4.20.2 नगरीय से ग्रामीण प्रव्रजन-

गणना के जिले में अन्यत्र कुल नगरीय प्रव्रजन का 1981 में 76.60 प्रतिशत नगर से गांव, 1991 में 76.89 प्रतिशत, राज्य के अन्य जिलों में होने वाले कुल नगरीय प्रव्रजन का 54.10 प्रतिशत (1981) एवं 52.35 प्रतिशत (1991) रहा है। भारत के अन्य प्रांतों में होने वाले कुल नगरीय प्रव्रजन का 74.60 (1981) तथा 80.76 प्रतिशत (1991) नगरीय से ग्रामीण होता है जबकि कुल नगरीय प्रव्रजन का 1991 में 78.28 प्रतिशत नगरीय से ग्रामीण रहा है। **(तालिका 4.17)**

तालिका 4.17

नगरीय प्रव्रजित जनसंख्या 1981, 1991

	1981			1991		
मद	**ग्रामीण से से ग्रामीण**	**नगरीय से नगरीय**	**कुल**	**ग्रामीण से ग्रामीण**	**नगरीय से नगरीय**	**कुल**
गणना के जिले	3650	1115	4765	4745	1427	6172
में अन्यत्र पैदा हुए	(76.60)	(23.40)	(25.57)	(76.89)	(23.11)	(25.12)
राज्य के अन्य	4460	3785	8245	5918	5387	11305
जिलों में पैदा हुए	(54.10)	(45.90)	(44.24)	(52.35)	(47.65)	(46.01)
भारत के अन्य	4430	1135	5565	5675	1352	7027
प्रांतों में पैदा हुए	(74.60)	(20.40)	(29.86)	(80.76)	(19.24)	(28.60)
अन्य राष्ट्रों में	—	—	60	—	—	66
पैदा हुए			0.32			0.28)
योग	12540	6035	18635	1933	5337	. 24570
	(79.60)	(32.38)	(100.00)	78.28)	(21.72)	(100.00)

स्रोत- वही तालिका 4.9

4.21 भारत के अन्य प्रांतों में ग्रामीण प्रव्रजन-

जनपद गाजीपुर से भारत के अन्य प्रांतों में सर्वाधिक ग्रामीण प्रव्रजन बिहार प्रांत में 97.00 प्रतिशत हुआ है। जबकि अन्य प्रांतों यथा आन्ध्र प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रव्रजित हुई है। (**परिशिष्ट 4.3**)

4.22 भारत के अन्य प्रांतों में नगरीय प्रव्रजन-

अन्य प्रांतों में नगरीय प्रव्रजन में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल 30.90 प्रतिशत हुआ है जो विशेषतः कलकत्ता महानगर के लिए है, इसके अतिरिक्त बिहार में 28.90 प्रतिशत, अन्य प्रांतों में महाराष्ट्र 23.36 प्रतिशत गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, इत्यादि में यहां की जनसंख्या प्रव्रजित हुई है। (**परिशिष्ट- 4.4**)

4.23 प्रदेश के अन्य जिलों से ग्रामीण आव्रजन-

प्रदेश के अन्य जिलों से कुल ग्रामीण आव्रजन का सर्वाधिक आजमगढ़ जनपद से 34.27 प्रतिशत, जबकि बलिया से 32.99 प्रतिशत, वाराणसी से 20.27, जौनपुर से 6.76 प्रतिशत, मिर्जापुर से 1.18, बस्ती से 1.05 प्रतिशत आव्रजन हुआ है। शेष जिलों से अल्प ग्रामीण आव्रजन हुआ है। (**परिशिष्ट 4.5**)

4.24 प्रदेश के अन्य जिलों से नगरीय आव्रजन-

प्रदेश के अन्य जिलों से कुल नगरीय आव्रजन का सर्वाधिक वाराणसी 28.72 प्रतिशत, आजमगढ़, 21.94 प्रतिशत, बलिया 19.99 प्रतिशत, जौनपुर से 7.01 प्रतिशत, इलाहाबाद से 3.24 प्रतिशत, गोरखपुर से 2.82 प्रतिशत तथा मिर्जापुर से 3.58 प्रतिशत नगरीय आव्रजन हुआ है। अन्य जनपदों से अत्यल्प नगरीय आव्रजन हुआ है। (**परिशिष्ट 4.6**)

4.25 प्रदेश के अन्य जिलों में ग्रामीण प्रव्रजन-

जनपद में अन्य जिलों में सर्वाधिक ग्रामीण प्रव्रजन आजमगढ़ में 29.31 प्रतिशत है बलिया में 20.45 प्रतिशत, जौनपुर में 9.16, प्रतिशत, वाराणसी में 15.57 प्रतिशत एवं इलाहाबाद में 5.23 प्रतिशत ग्रामीण प्रव्रजन हुआ है। शेष जिलों में ग्रामीण प्रव्रजन प्रतिशत अल्प है। (**परिशिष्ट 4.7**)

4.26 प्रदेश के अन्य जिलों में नगरीय प्रव्रजन-

जनपद से अन्य जनपदों में होने वाले नगरीय प्रव्रजन का सर्वाधिक वाराणसी में 27.00 प्रतिशत हुआ है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ में 11.21 प्रतिशत, कानपुर में 10.12 प्रतिशत, इलाहाबाद में 7.32 प्रतिशत, मिर्जापुर में 7.11 प्रतिशत, जौनपुर में 3.41 प्रतिशत, गोरखपुर में 5.13 प्रतिशत एवं लखनऊ में 5.25 प्रतिशत नगरीय प्रव्रजन हुआ है। अन्य जिलों में यह प्रतिशत अत्यल्प है। (**परिशिष्ट 4.8**)

REFERENCES

1. Archana Kumari and Mukherji S. ``Male Migration And Regional Disaparities in Bihar" Vol. 43, Dec. (1997) N.G.S.I. Varanasi P. 316
2. Boque D. (1969) ``Principle of Demography" New York John Wiley and Sons Ltd.
3. Boqu̇e D. `Internal Migration' In O. Duncan and Houser (eds) the Study of Population an Inventory and Appraisal Chicago Uni. Press.
4. Bhoogole ke Sidhant Bhage-2 NCERT P. 124
5. Chandna R.C. (1997) ``Jansankya Bhoogol" Kalyani Publishers P. 96, 160
6. Gosal G.S. (1961) ``Internal Migration in India"- A Regional Analysis Indian Geographical Journal Vol. 36 P. 160
7. Garnier Buajeu (1966) `Geography of Population' Longman London. P. 217
8. Indian Statistical Institute National sample Survey 16th Round June 1960-61 Table With Notes on Family Planning Calcutta 1964.
9. Lee E.S. (1966) `Theory of Migration' Demography, Vol. 3 P.P. (47-57)
10. Majumdar D.M. (1980) ``Ek Auoduogik Shahar Ka Samajik Contoor" ``Kanpur" Shivlal Agrawal and Co. A gara P. 160.
11. Ojha S.S. (2001) ``Bharat Ka Bhugole". Bhaugolic Adhyayan Sansthan Govindpur Allahabad P. 141
12. Panda B.P. (1995) ``Jansankya Bhoogole" M.P. Hindi Academy Bhopal P. 142
13. Smita (1983) fertility Correlates of Urban Population: A Case Study of U.P. Campus Residence M.Phil. Dissertalion Punjab University P. 71

14. Srivastava K.C. (2000) ``Prachin Bharat Ka Itihas Tatha Sanskriti" P. 66

15. Singh Savindra (2000) ``Paryavaran Bhoogole" Prayag Pustak Bhavan University Road Allahabad P 463

16. Singh D. K. (1993) ``Gramin Jansankya Ka Shaharon Ki Or Palayan" Geoscience Journal Vol. 8 Part I, II Jan-July 1993 N.G.S.I. B.H.U. Varanasi P. 46

17. Singh D.N. (1997) Rapid Population Growth and Sustainable Development with Particular Reference to Developing countries N.G.S.I. B.H.U. Vol. 43(1) March 1997 P. 19

18. U.N.O. (1985) The Mysore Population Study

19. Wong W. Lee E.S. ``General Theory of Movement Population Geography: A Reader".

20. Yadav H.L. (1997) ``Jansankya Bhoogole" Vasundhara Prakashan Gorakhpur P. 11

21. Yadav Rana P.S. (1997) Population study of Sadat Block District Ghazipur U.P. Dissertation Worke for M.A. B.H.U. P. 26.

❑ **अध्याय 5**

जनांकिकी संरचना

जनसंख्या सम्बन्धी ज्ञान की कामना मानव हृदय में उसके उद्‌भव काल से ही रही है वस्तुतः इसके प्रारम्भिक प्रयास अक्रमबद्ध एवं अवैज्ञानिक थे। जनांकिकी का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान एवं तकनीक के विकास का ही प्रतिफल है। वर्तमान विश्व की चुनौतियों में जनसंख्या की समस्या मानवता की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण समस्या बन गयी है। ऐतिसाहिक विकास का संचालक मानव स्वयं बढ़ती जनसंख्या के चलते बोझ साबित हो रहा है। साथ ही विकास के पथ पर मानव जनसंख्या से उत्पन्न प्रश्नों के घेरे में कैद हो गया है। उपरोक्त संदर्भ में जनसंख्या का अध्ययन सर्वाधिक महत्व का बन गया है। जनसंख्या संरचना का अध्ययन क्षेत्र विशेष के सम्यक् एवं तर्क संगत भौगोलिक ज्ञान के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे क्षेत्र विशेष की प्रमुख विशेषताओं का पूर्ण आंकलन हो जाता है। (सिंह एस.एन. 1970)। जनसंख्या संरचना भविष्य की जनसंख्या वृद्धि तथा विकास क्षमताओं एवं संभावनाओं को प्रभावित करती है। यह जनसंख्या वृद्धि को सुनिश्चित एवं प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख होती है। (ओझा आर. 1983) इससे स्थान विशेष के सामाजिक आर्थिक एवं जनांकिकीय स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है। (चान्दना आर.सी. 1997)

जनांकिकी संरचना में जनसंख्या का अध्ययन निम्न रुपों में किया जाता है-

(1) दो क्षेत्रों की जनांकिकी विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन।

(2) जनसांख्यिकीय संरचना का अध्ययन कर तद्नुरूप विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

(3) सिविल रजिस्ट्रेशन से जन्म-मृत्यु के आंकड़े अनुलब्ध होने पर जनगणना से प्राप्त आयु एवं लिंग के आंकड़े प्राप्त कर विश्लेषण किया जा सकता है।

(4) जनांकिकी संरचना के अध्ययन से जनसंख्या के सामाजिक संरचना के अध्ययन से जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक अवस्था के अध्ययन की सामग्री प्राप्त हो जाती है।

जनसंख्या संरचना की समग्र विशेषताओं को ध्यातव्य करते हुए जनांकिकीय संरचना के अन्तर्गत जनसंख्या के गुण, लिंग, आयु, शिक्षा, धर्म, भाषा, व्यवसाय, वैवाहिक स्तर आदि गवेषणीय बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है।

5.1 लिंग संरचना-

सामाजिक आर्थिक विकास में यौन या लिंग अनुपात की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जनसंख्या भूगोल में इसका अध्ययन अपरिहार्य होता है। (यादव हीरालाल 1997) लिंग अनुपात किसी क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का सूचक है तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए अत्यंत लाभदायक तत्व है। (फ्रैकलिन 1956) लिंग अनुपात का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि, विवाह-दर, व्यावसायिक संरचना पर पड़ता है। (ट्रिवार्था जी.टी. 1969) के अनुसार यह न केवल स्थल रूप का महत्वपूर्ण लक्षण है अपितु यह अन्य जनसांख्यिकीय तत्वों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अतः क्षेत्रीय स्थल रूप के विश्लेषण का यह एक अतिरिक्त माध्यम बन सकता है।

किसी निश्चित जनसंख्या में पुरुष एवं स्त्रियों के अनुपात को लिंगानुपात अथवा यौनानुपात कहते हैं। (पंत जे.सी. 1983) विभिन्न देशों के जनगणना विभाग यौन संरचना को एक दूसरे के समानुपातिक रूप में ही व्यक्त करते हैं वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रदर्शन की कोई सर्वमान्य विधि नहीं है- सामान्यतः निम्न तीन रूपों में इस अनुपात का अध्ययन होता है (हीरालाल यादव 1997)—

(i) प्रति 100 या 1000 स्त्री/पुरुष पर पुरुषों/स्त्रियों की संख्या।

(ii) स्त्री या पुरुष कुल जनसंख्या के प्रतिशत रूप में।

(iii) इकाई के दशमलव रूप में पुरुषों या स्त्रियों का अनुपात।

यू.एस.ए. में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या तथा न्यूजीलैंड में प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में लिंगानुपात की गणना की जाती है। सोवियत रूस में प्रतिशत रूप में यौन अनुपात ज्ञात करते हैं। भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या के रुप में लिंगानुपात दर्शाते हैं।

तालिका 5.1

विश्व के प्रमुख देशों का लिंगानुपात

देश	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या	देश	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या
समस्त विश्व	986	पाकिस्तान	938
इण्डोनेशिया	1004	बांग्लादेश	953
चीन	944	भारत	933
जापान	1041	रूस	1140
नाइजीरिया	1016	सं. रा.अ.	1029
		ब्राजील	1025

स्रोत- भारत की जनगणना 2001 पृष्ठ 24

जनपद में 1901-2001 के लिंगानुपात का विवरण तालिका 5.2 में विवरित है—

तालिका 5.2

लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या)

वर्ष	जनपद		उत्तर प्रदेश		भारत	
	कुल	वृद्धि	कुल	वृद्धि	कुल	वृद्धि
1901	1053	—	938	—	972	
1911	996	-57	916	-18	969	-08
1921	958	-38	908	-08	955	-09
1931	951	-07	903	-05	950	-05
1941	972	21	907	04	945	-05
1951	1000	28	908	-01	946	01
1961	1020	20	907	-01	941	-05
1971	977	-43	876	-31	930	-11
1981	988	11	882	06	934	04
1991	957	-31	876	-06	929	-05
2001	974	17	99,8	+22	933	04

स्रोत- जिला जनगणना पुस्तिका 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, एवं जनगणना पुस्तिका भारत उत्तर प्रदेश 1991 एवं भारत की जनगणना 2001 एवं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2001 से परिकलित।

जनपद गाजीपुर में 1901 से 2001 तक के लिंगानुपात से स्पष्ट होता है कि 100 वर्षों में यह घटता बढ़ता रहा है। यही स्थिति कतिपय विभिन्नताओं के साथ उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। लेकिन पूरे देश में लिंगानुपात जनपद तथा प्रदेश से भिन्न है। केवल 1951 में वृद्धि हुई है, इसके अतिरिक्त 1971 तक निरन्तर घटता रहा है। 1981 एवं 2001 में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।

जनपद में सबसे कम लिंगानुपात 1931 में 951 तथा सबसे अधिक लिंगानुपात 1901 में 1053 था। जनपद में 1911 में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 996 थी जो 1921 में घटकर 958 हो गयी। 1931 में घटकर 951 हो गयी जिसका प्रमुख कारण 1925 का दुर्भिक्ष तथा 1927 की महामारी थी जिससे बहुत से पुरुष अपने परिवारों की सेवा हेतु परदेश से घर आ गये थे। पुनः इनके बाहर चले जाने से 1941 में लिंगानुपात में वृद्धि हो गयी। तदुपरान्त 1951 एवं 1961 में आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक आत्म निर्भरता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी तथा अधिकांश लोगों द्वारा अपने नौकरी स्थान पर परिवार साथ न रखने के कारण स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरुषों पर 1000 एवं 1020 हो गयी। 1971 एवं 1981 में यह 977 एवं 988 रही तथा 1991 में 957 रही। जनपद की लिंगानुपात की घटती बढ़ती दरों का मुख्य कारण पुरुष वर्ग जीविकोपार्जन के लिए जनपद से बाहर जाना व आना है। 2001 में जनपद का लिंगानुपात कम रहा। जनपद और प्रदेश के लिंगानुपात से यदि तुलना की जाय तो यह स्पष्ट है कि जनपद का लिंगानुपात प्रदेश से सर्वदा अधिक रहा है। **(तालिका 5.2, चित्र 5.1)**

5.2 लिंगानुपात का क्षेत्रीय वितरण-

विकास खंड स्तर पर लिंगानुपात में 1981 की अपेक्षा 1991 में कमी आयी है। सर्वाधिक कमी सैदपुर विकास खंड में हुई है तथा सबसे कम कमी कासिमाबाद विकास खंड में हुई है। 1991 के लिंगानुपात के क्षेत्रीय वितरण में जनपद में अति निम्न श्रेणी (प्रति हजार पुरुषों पर 970 से कम स्त्रियां) में कुल 11 विकास खंड आते हैं जिसमें देवकली 969, मरदह में 954, गाजीपुर 915, करण्डा में 956, कासिमाबाद 954, बाराचँवर 955, मुहम्मदाबाद 927, भांवरकोल 957, जमानियां 948, रेवतीपुर 939 तथा भदौरा में 938 स्त्रियां प्रति हजार पुरुषों पर रही जबकि 1981 में इस श्रेणी में केवल 3 विकास खंड आते थे जिसमें गाजीपुर, मुहम्मदाबाद एवं रेवतीपुर विकास खंड थे।

निम्न श्रेणी (970-990) के अन्तर्गत 1991 में 8 विकास खंड आते हैं जिसमें जखनियां 990, सैदपुर 972 तथा बिरनों 979 हैं। 1981 में इस श्रेणी में 5 विकास खंड आते थे, जिसमें भांवरकोल, कासिमाबाद, बारांचंवर, जखनियां एवं भदौरा आते थे। **मध्यम श्रेणी**

(990-1010) में मनिहारी एवं सादात विकास खण्ड आते हैं जिसके लिंगानुपात क्रमशः 997 एवं 1005 हैं, 1981 में इस श्रेणी के अन्तर्गत करण्डा, मरदह, तथा देवकली विकासखंड आते थे। जनपद में 1981 में सर्वाधिक लिंगानुपात मनिहारी विकास खंड में (1041 स्त्रियां, 1000 पुरुष) तथा सबसे कम गाजीपुर विकास खंड में (960 स्त्रियां, 1000 पुरुष) था जबकि 1991 में सर्वाधिक लिंगानुपात सादात में 1005 तथा सबसे कम गाजीपुर विकास खंड में (915 स्त्रियां, 1000 पुरुष) रहा। **(तालिका 5.3, चित्र 5.1)**

तालिका 5.3

जनपद गाजीपुरः विकास खंड वार लिंगानुपात

(प्रतिहजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या)

विकास खंड	लिंगानुपात	
	1981	1991
जखनियां	1036	990
मनिहारी	1041	997
सादात	1037	1005
सैदपुर	1023	972
देवकली	1006	969
बिरनो	1011	979
मरदह	999	954
गाजीपुर	960	915
करण्डा	994	956
कासिमाबाद	978	954
बाराचंवर	984	955
मुहम्मदाबाद	964	927
भांवरकोल	989	957
जमानियां	971	948
रेवतीपुर	965	939
भदौरा	976	938

स्रोत- प्राथमिक जनगणना सार पुस्तिका 1981,1991

लिंगानुपात का उपरोक्त विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि प्रति हजार पुरुषों पर घटती हुए स्त्रियों की संख्या में वृद्धि के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार इस घातक प्रवृत्ति को रोकने के लिए धार्मिक, सामाजिक, नैतिक तथा

DISTRICT GHAZIPUR
SEX RATIO
1100
1000
900
800
700
1901 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2001
YEARS
UP
Ghazipur
INDIA
FEMALES/1000 MALES
< 970
970 – 990
990 – 1010
1010 – 1030
> 1030
1981
1991
GANGA R
10 0 10 20
Km

कानूनी स्तर पर प्रयास करने होंगे। दहेज की कुप्रथा लड़के के नाम पर वंश चलाने की परम्परा, संपत्ति उत्तराधिकार कानून तथा महिलाओं के प्रति संकीर्ण नजरिया आदि को बदलना होगा। सरकार को बालिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य तथा पोषण पर विशेष ध्यान देते हुए इस दिशा में सक्रिय पहल करनी चाहिए।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कुल 11 राज्यो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिवो तलब कर भ्रूण परीक्षण पर प्रभावी रोक लगाने का निर्देश दिया। भ्रूण हत्या के बढ़ते मामले तथा इसके परिणाम स्वरूप देश में घटते लिंगानुपात के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण व बालिका भ्रूण हत्या अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निम्न कदम उठाये जाने चाहिए।

(1) सभी चिकित्सालयों में यह सूचना लिखी जाये कि यहां भ्रूण परीक्षण नहीं होता।
(2) अल्ट्रासाउण्ड मशीनों का पंजीकरण किया जाये।
(3) राजनैतिक दबाव आने पर परिवार कल्याण विभाग को सूचित किया जाये।
(4) जनमानस को यह बोध कराया जाय कि लड़के-लड़की समान है ऐसी स्वीकारोक्ति आपका सामाजिक एवं नैतिक दायित्व है।

5.3 आयु–संरचना-

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वास्तविक अध्ययन के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या को उम्र के अनुसार वर्गीकृत करके अध्ययन करना आवश्यक होता है। आयु, जनसंख्या की संरचना को समझने का सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पक्ष है जिसके आधार पर भविष्य में जनसंख्या का अनुमान तथा विद्यमान आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। (यादव हीरालाल 1997) आयु मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। एक व्यक्ति किस उम्र में स्कूल जाता है, श्रमशक्ति में प्रवेश करता है, मताधिकारी बनता है, विवाह करता है, कार्यशील होता है आदि ऐसे महत्वपूर्ण विषय है, जिनकी जानकारी आयु संरचना के आधार पर ही संभव है। आयु संरचना से मृत्यु दरें एवं विवाह दरें प्रभावित होती हैं। इससे आर्थिक एवं व्यावसायिक ढांचे का ज्ञान होता है। संक्षेप में आयु संरचनाके निम्न पक्ष है-

(1) आयु संरचना किसी जनसंख्या में आश्रितों के अनुपात को बतलाती है।
(2) आयु संरचना के अध्ययन से श्रम शक्ति की औसत आयु, नयी प्रविधि सीखने, नये परिवर्तनों को आत्मसात् करने एवं परिश्रम की क्षमता को निर्धारित करती है।
(3) आयु संरचना सामाजिक क्रिया-कलापों का मार्गदर्शन करती है।

(4) आयु संरचना विवाह पद्धति को प्रभावित एवं निर्धारित करती है।

(5) आयु संरचना मृत्यु दर को भी निर्धारित करती है, जिस समाज में बच्चे और वृद्धों की संख्या अधिक होती है। वहाँ मृत्युदर अधिक तथा जहाँ युवा वर्ग की संख्या अधिक होगी वहाँ मृत्युदर कम होगी।

(6) आयु संरचना किसी देश के राजनैतिक चिन्तन को प्रभावित करती है।

(7) आयु संरचना विश्लेषण से बच्चों युवको तथा वृद्धों की संख्या का आनुपातिक वितरण ज्ञात होता है जिससे भावी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है।

अध्ययन क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। 1981 में सम्पूर्ण जनसंख्या में यह प्रतिशत 30.00 है, जिसमें बालकों एवं बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 30.90 एवं 29.09 है। 1991 में सम्पूर्ण प्रतिशत 29.56, जिसमें बालक एवं बालिकाओं का प्रतिशत 29.96 एवं 29.15 रहा। 10-19 आयु वर्ग का कुल प्रतिशत 21.35 जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 22.32 एवं 20.58 था। 1991 में यह प्रतिशत कुल 20.82, महिलाओं एवं पुरुषों का 20.26 एवं 21.35 प्रतिशत रहा। 20-29 एवं 30-39 आयु वर्ग का प्रतिशत 1981 एवं 1991 में क्रमशः 13.73, 14.28, 11.29 एवं 11.66 प्रतिशत था। 40-49 आयु वर्ग में जनसंख्या का कुल प्रतिशत 1981 में 9.17 जिसमें पुरुषों एवं स्त्रियों का 8.85 एवं 9.50 है। 1991 में इसमें ह्रास हुआ है जो 9.10 प्रतिशत है, यहां भी स्त्रियों का प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। 1981 एवं 1991 में 50-59 आयु वर्ग की जनसंख्या 6.43 एवं 6.25 प्रतिशत है, यहां महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से कम है जो क्रमशः 6.15 (पुरुष) एवं 5.90 (महिला) है। 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या का प्रतिशत 1981 में 6.60 जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत 8.36 एवं 4.85 है। 1991 में 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या का प्रतिशत 7.70 है, जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं के प्रतिशत में 1981 की अपेक्षा न्यून अंतर है यह प्रतिशत 8.29 (पुरुष) एवं 7.10 (महिला) है।

जनसंख्या के आयु वर्ग के उपरोक्त प्रारूप से स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे आयु वर्ग की श्रेष्ठता बढ़ती जाती है जनसंख्या के प्रतिशत में ह्रास होता जाता है। यह ह्रास प्रत्येक आयु वर्ग में भिन्न भिन्न है। **(परिशिष्ट 5.1 चित्र संख्या 5.2)**

5.3.1 ग्रामीण आयु–संरचना-

ग्रामीण क्षेत्रों की आयु संरचना में 1981 में 0-9 आयु वर्ग की जनसंख्या 30.37 प्रतिशत थी तथा 1991 में यह जनसंख्या 28.28 प्रतिशत रही। 1981 में 10-19 आयु वर्ग

की जनसंख्या 21.95 एवं 1991 में 19.63 प्रतिशत रही। 20-29 एवं 30-39 आयु वर्ग की जनसंख्या 1981 एवं 1991 में क्रमशः 12.77, 13.69, 10.54 एवं 10.08 प्रतिशत रही। 20-29 आयु वर्ग की जनसंख्या कम होने का कारण जीविकोपार्जन के लिए लोगों का नगरीय क्षेत्रों में प्रव्रजन है।

40-49 आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत 1981 एवं 1991 में क्रमशः 8.97 एवं 8.69 प्रतिशत था। 50-59 आयु वर्ग का प्रतिशत 1981 एवं 1991 में क्रमशः 6.75 एवं 5.98 था। 60 से अधिक आयु वर्ग का प्रतिशत 1981 में 7.55 एवं 1991 में 7.44 प्रतिशत रहा।

5.3.2 नगरीय—आयु-संरचना-

जनपद की ग्रामीण एवं नगरीय आयु संरचना के विभिन्न आयु वर्गों में अंतर दिखाई देता है। यह अन्तर 29 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्गों में अधिक है। 40-49 आयु वर्ग में भी यह अंतर अधिक है। 1981 एवं 1991 में 0-9 एवं 10-19 आयु वर्ग की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 27.79, 28.51, 23.00 एवं 23.67 प्रतिशत रही। 20-29 एवं 30-39 आयु वर्ग की जनसंख्या 15.27, 15.02, 11.63 एवं 12.26 प्रतिशत थी। 40-49 एवं 50-59 आयु वर्गों की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः 1981 एवं 1991 में क्रमशः 9.04, 6.13 एवं 5.58 प्रतिशत रही। 60 से अधिक आयुवर्ग का प्रतिशत 1981 एवं 1991 में क्रमशः 6.50 एवं 5.95 प्रतिशत रहा। **(तालिका 5.5 चित्र 5.2)**

तालिका 5.4

जनपद गाजीपुरः आयु-संरचना (प्रतिशत)

आयु- वर्ग	1981		1991	
	ग्रामीण	**नगरीय**	**ग्रामीण**	**नगरीय**
0-9	30.37	27.79	28.28	28.51
10-19	21.95	23.00	19.63	23.67
20-29	12.77	15.26	13.69	15.02
30-39	10.54	11.63	11.08	12.26
40-49	08.97	09.61	08.69	09.04
50-59	06.75	06.13	05.98	05.58
60+	07.55	06.50	07.44	05.95

स्रोत- जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1981, 1991

DISTRICT GHAZIPUR
AGE-SEX STRUCTURE OF POPULATION
1981 (TOTAL)
1991 (TOTAL)
MALE
AGE GPOUP
FEMALE
AGE GROUP
MALE
FEMALE
60+
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
40 30 20 10 0
0 10 20 30
40 30 20 10 0
0 10 20 30 40
IN PER CENT
IN PER CENT
IN PER CENT
IN PER CENT
RURAL & URBAN(1981)
RURAL & URBAN(1991)
AGE GROUP
AGE GROUP
MALE
FEMALE
MALE
FEMALE
RURAL
URBAN
40 30 20 10 0
0 10 20 30 40
30 20 10 0
0 10 20 30
IN PER CENT
IN PER CENT
IN PER CENT
IN PER CENT

Fig. 5.2

आयु संरचना के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद मे बाल आयु वर्ग जनसंख्या का अधिक होना जनपद को प्रथम या द्वितीय जनांकिकी संक्रमण अवस्था में होने को इंगित कर रहा है।

5.4 जनसंख्या का संरचनात्मक अनुपात-

मुख्यतया किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की आयु एवं लिंगानुपात, वैवाहिक स्तर, कार्यशील जनसंख्या, जनसंख्या, वृद्धि, वितरण एवं घनत्व प्रतिरूपों पर निर्भर करता है। जनपद की जनसंख्या विश्लेषण को पूर्ण रूपेण स्पष्ट करने केलिए वयस्क अनुपात, आयुदर सूचकांक तथा निर्भरता अनुपात ज्ञात किया गया है।

5.4.1 वयस्क अनुपात-

20-60 वर्ष के लोगों की जनसंख्या को वयस्क की श्रेणी में रखा जाता है। यह वह अनुपात होता है जो संपूर्ण जनसंख्या में वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत से संबंध रखता है। जनपद में 1971-1981 एवं 1991 का वयस्क अनुपात निम्न सूत्र से ज्ञात किया गया है-

$$\text{सूत्र व.अ.} \quad \frac{\text{क}}{\text{ख}} \text{X100}$$

व.अ. = वयस्क अनुपात

क = जनपद की वह जनसंख्या जो 20-60 वर्ष के मध्य हो।

ख = जनपद की संपूर्ण जनंसख्या

जनपद के संपूर्ण जनसंख्या के वयस्क अनुपात में 1971 से 1981 में कमी हुई है लेकिन 1991 में वृद्धि हुई है। ग्रामीण वयस्क अनुपात में 1971 में तुलना में 1981 में कमी हुई है, जबकि नगरीय वयस्क अनुपात में 1971 से 1991 तक निरन्तर वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण ग्रामीण वयस्क जनसंख्या का नगरीय केन्द्रों की ओर स्थानान्तरण है। **(तालिका 5.5)**

तालिका 5.5

जनपद गाजीपुर में वयस्क अनुपात

(प्रतिशत में)

मद	1971	1981	1991
संपूर्ण जनपद	41.31	41.28	41.38
ग्रामीण	41.32	41.27	41.24
नगरीय	34.82	38.36	41.43

5.4.2 निर्भरता अनुपात-

कार्यरत जनसंख्या के ऊपर भार स्वरूप जनसंख्या के मापक को जनसंख्या का निर्भरता अनुपात कहते हैं। (त्यागी एन. 1982) जनपद गाजीपुर में निर्भरता अनुपात 1971 के बाद निरन्तर कम हुआ है। यह 1971 में 142.99 था जो 1991 में 140.34 हो गया। निर्भरता अनुपात में सर्वाधिक ह्रास शहरी क्षेत्रों में हुआ है। निर्भरता अनुपात में ह्रास इस बात का सूचक है कि वयस्क लोगों पर निर्भर लोगों की संख्या कम हो रही है। प्रति 100 लोगों पर निर्भर लोगों की संख्या से संदर्भित निर्भरता अनुपात (तालिका 5.6) का परिकलन निम्न सूत्र की सहायता से किया गया है-

$$\text{निर्भरता अनुपात} = \frac{\text{अ} + \text{ब}}{\text{स}} \times 100$$

अ = जनपद में 20 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे।

ब = जनपद में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति।

स = जनपद के 20-60 वर्ष के मध्य के व्यक्ति।

तालिका 5.6

जनपद गाजीपुरः निर्भरता अनुपात

(प्रतिशत)

मद	1971	1981	1991
संपूर्ण जनपद	142.00	141.00	140.34
ग्रामीण	141.96	141.84	140.90
नगरीय	174.02	158.41	122.55

स्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका सोशल एंड कल्चरल टेबुल 1971, 1981 एवं जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000

5.4.3 आयु दर सूचकांक-

आयु दर सूचकांक द्वारा बच्चों एवं वृद्धों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। गाजीपुर जनपद की जनसंख्या का आयुदर सूचकांक निम्न सूत्र से परिकलित किया गया है-

$$\text{निर्भरता अनुपात} = \frac{\text{म1}}{\text{न1}} \times 100$$

म1= जनपद की 60 वर्ष से अधिक लोगों की जनसंख्या।

न1= 20 वर्ष से कम उम्र के लोगों की संख्या।

तालिका 5.7

जनपद गाजीपुरः आयुदर सूचकांक

मद	1971	1981	1991
सम्पूर्ण जनपद	15.92	15.58	15.28
ग्रामीण	16.10	15.71	15.60
नगरीय	15.78	13.64	12.80

तालिका 5.7 से स्पष्ट है कि संपूर्ण जनपद का आयु दर सूचकांक 1971 में 15.92 था जो 1991 में 15.28 हो गया। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या का आयुदर सूचकांक 16.10 से 15.60, एवं नगरीय 15.78 से 12.80 हो गया। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है उद्यमशील जनसंख्या का प्रतिशत किंचित ही बढ़ा है। वहीं 20 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में 1981, 1991 में अल्प कमी वस्तुतः शुभ संकेत है, लेकिन जब तक अकार्यशील जनसंख्या (20 वर्ष से कम) का दबाव कम नहीं होगा तब तक सामाजिक आर्थिक विकास में द्रुत गति नहीं आयेगी।

5.5 वैवाहिक स्तर-

जनसंख्या की वैवाहिक स्थिति-अविवाहित-विवाहित, विधवा और विधुर व्यक्तियों के अनुपात को इंगित करता है। इन अनुपातों को आयु संरचना और यौनानुपात दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, किन्तु सामाजिक संस्थाओं एवं आर्थिक दशाओं का भी समान प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार किसी जनसंख्या की वैवाहिक स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती। दुर्भाग्यवश वैवाहिक स्थिति की भौगोलिक विभिन्नता को प्रदर्शित करने वाले अध्ययन कम ही हुए हैं। (यादव हीरालाल 1997)

विवाह, पृथक्करण, तलाक एवं वैधव्य आदि जनांकिकीय घटनायें जनसंख्या विकास को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करती हैं। इसका प्रजनता एवं स्थानान्तरण से प्रत्यक्ष संबंध है किन्तु मृत्यु क्रम से अप्रत्यक्ष। विवाह पुनरुत्पादन ईकाई का प्रारम्भिक बिन्दु है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को संसार में लाकर उनके स्वावलंबी बनने तक उनके पालन-पोषण का ध्यान रखना है जिससे मानव जाति की निरन्तरता बनी रहे।

वैवाहिक संरचना जनसंख्या की एक ऐसी महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषता है जो जनांकिकी तथ्यों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करती है विभिन्न जनसंख्या समूहों में अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक स्तर के कारण वैवाहिक संरचना भी अलग-अलग होती है। भारत के संदर्भ में यह सत्य है कि अपेक्षाकृत निम्न सामाजिक स्तर के कारण अल्प वयस्कों का विवाह हो जाता है जबकि उच्च शैक्षणिक स्तर और विकसित अर्थव्यवस्था वाले समूहों में अपेक्षाकृत अधिक आयु में विवाह

DISTRICT GHAZIPUR
MARITAL STATUS

1971
AGE GROUPS
70 +
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
100 80 60 40 20 0
MALE (%)
0 20 40 60 80 100
FEMALE (%)

1981
AGE GROUPS
70 +
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
100 80 60 40 20 0
MALE (%)
0 20 40 60 80 100
FEMALE (%)

1991
AGE GROUPS
70 +
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
100 80 60 40 20 0
MALE (%)
0 20 40 60 80 100
FEMALE (%)

UNMARRIED
MARRIED
WIDOWED DIVORCED AND OTHERS

Fig. 5.3

होता है। क्षेत्रीय आधार पर भी विभिन्न वर्गों में वैवाहिक संरचना अलग-अलग होती है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रजननता पर पड़ता है जिस समाज में विवाहित स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है वहां जन्मदर भी उच्च है जबकि जनसंख्या में अपेक्षाकृत कम विवाहित स्त्रियों और पुरुषों दोनों में जो विवाहित है उनमें मृत्युदर कम है जबकि अविवाहित-विधवा और तलाक प्राप्त लोगों में मृत्यु दर अधिक है।

भारत में विवाह सामान्यतः कम उम्र में ही हो जाता है। कम उम्र में विवाह, निम्न जीवन स्तर एवं अल्प विकसित सामाजिक अव संरचना के कारण होता है। किन्तु उत्तरोत्तर सामाजिक आर्थिक विकास (साक्षरता एवं उच्च जीवन स्तर) के फलस्वरूप कम उम्र में विवाह की आवृत्ति निरन्तर कम हो रही है।

सन् 1971 में 0-9 आयु वर्ग में अविवाहित पुरुष एवं स्त्रियों का प्रतिशत 100 है। 10-19 आयु वर्ग में अविवाहित स्त्री-पुरुष क्रमशः 54.86 एवं 78.24 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग में विवाहित पुरुष एवं स्त्री क्रमशः 21.74 एवं 44.85 प्रतिशत थे। विधवा, विधुर का प्रतिशत 0.14 एवं 0.06 प्रतिशत तथा तलाक शुदा पुरुष स्त्री 0.01 एवं 0.01 प्रतिशत थे। अविवाहित पुरुष, स्त्रियों का सबसे कम प्रतिशत 30-90 आयु वर्ग में है जो क्रमशः 3.38 एवं 0.26 प्रतिशत है, इसी आयु वर्ग में विवाहित पुरुष एवं स्त्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक 93.22 एवं 95.05 प्रतिशत है। विधवा/विधुर का सर्वाधिक प्रतिशत 60-69 आयुवर्ग में 21.43 एवं 49.36 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि इस आयुवर्ग में पुरुषों की मृत्युदर सर्वाधिक है। **(परिशिष्ट 5.2 चित्र 5.3)**

सन् 1981 में 0-9 आयुवर्ग में सभी स्त्री-पुरुष अविवाहित हैं। 10-19 आयु वर्ग में अविवाहित पुरुष, स्त्री 85.23 एवं 62.16 प्रतिशत थे। जबकि इस आयुवर्ग में विवाहित पुरुष, स्त्रियों का प्रतिशत 14.63 एवं 34.10 था। सर्वाधिक विवाहित पुरुष स्त्रियों का प्रतिशत 30-39 आयुवर्ग में क्रमशः 93.21 एवं 96.62 प्रतिशत था। विवाहित स्त्रियों का प्रतिशत 20-29 आयु वर्ग में 95.47 प्रतिशत था उम्र की ज्येष्ठता में वृद्धि के साथ-साथ पुरुषों व स्त्रियों दोनों ही वर्गों में यह प्रतिशत विधवा/विधुर होने तथा तलाक होने आदि के कारण कम होता जाता है। विधवा/विधुर का सबसे कम प्रतिशत 10-19 आयुवर्ग में एवं सर्वाधिक 70 से अधिक उम्र में है। **(परिशिष्ट 5.3 चित्र 5.3)**

सन् 1991 में सर्वाधिक अविवाहित पुरुष-स्त्री 0-9 आयुवर्ग में 100 प्रतिशत है। 10-19 आयु वर्ग में अविवाहित पुरुष, स्त्री 87.19 एवं 71.09 प्रतिशत रहे। 1981 की तुलना में 10-19 आयु वर्ग की स्त्रियों में वैवाहिक प्रतिशत कम हुआ है जो विकसमान सामाजिक अवसंरचना का प्रतिफल है। 20-29 आयुवर्ग के पुरुष-स्त्रियों में विवाहितों का प्रतिशत क्रमशः 81.88 एवं 96.84 है। 20-29 एवं 30-39 आयुवर्ग में स्त्रियों की बढ़ती वैवाहिक प्रतिशतता विवाह के प्रति लोगों की परिवर्तित मनोदशा का सूचक है। जीवन संभाव्यता में वृद्धि के कारण

विधवाओं का प्रतिशत 70 से अधिक आयु वर्ग में सर्वाधिक है। विधुरों की तुलना में विधवाओं का अधिक होना पुरुष-स्त्री विवाह आयु में अंतर का होना है। **(परिशिष्ट 5.4, चित्र 5.3)**

5.6 साक्षरता-

मानव संसाधन राष्ट्रीय निधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मानवीय कुशलता एवं ज्ञान के विकास हेतु साक्षरता एक अनिवार्य तत्व है। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षरता जनसंख्या का एक ऐसा सामाजिक पक्ष है जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदंड निश्चित किया जाता है। साक्षरता का गरीबी उन्मूलन, मानसिक एकाकीपन का समाप्तिकरण, शांतिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण तथा जनसांख्यिकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र क्रियाशीलता में भारी योगदान है। (चाँदना, सिद्धू 1980) किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास का साक्षरता पर अवश्यम्भावी प्रभाव होता है। (महापात्रा ए.सी. 1998) प्राथमिक वर्ग से सम्बद्ध अर्थ व्यवस्था वाले क्षेत्रों में न्यून साक्षरता पायी जाती है। जिस परिवार के रहन सहन का स्तर उत्कृष्ट होता है, उसमें बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत निम्न रहन-सहन स्तर वाले परिवारों में साक्षरता की दर निम्न होती है क्योंकि ये साधन विहीन होते हैं तथा परिवार के बालक, वृद्ध, स्त्री पुरुष कार्य करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करते हैं। 1951, 1961, 1971 की जनगणना में साक्षरता दर की गणना करते समय पांच वर्ष या उससे ऊपर की आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। जबकि 1981, 1991 तथा 2001 की जनगणना में साक्षरता दर के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है अर्थात् 7 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को निरक्षर माना गया है चाहे वे किसी भी स्तर की शिक्षा ग्रहण किये हों। 2001 की जनगणना में उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है जो किसी भाषा को पढ़ लिख अथवा समझ सकता है, साक्षर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है या कोई परीक्षा पास की है। (भारत की जनगणना 2001)।

नगरों की अर्थव्यवस्था गांवों की तुलना में भिन्न होती है। नगरों में शिक्षा के अधिक अवसर मिलते हैं। जो साक्षर लोगों के लिए ही सम्भव है। जिन देशों का जितना अधिक नगरीकरण हुआ है उनकी साक्षरता तद्नुरुप अधिक है। परिवार की आर्थिक स्थिति इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

समाज में स्त्रियों की दशा का साक्षरता पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि विकासशील तथा पिछड़े राष्ट्रों एवं मुस्लिम देशों में स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनमें पहले से ही अल्प साक्षरता रही है। इसके विपरीत ईसाई समुदाय में स्त्रियों की उच्च साक्षरता संपूर्ण साक्षरता परिदृश्य को प्रभावित करती है। हमारे देश में वर्तमान में महिला साक्षरता एवं विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2001 को नारी सशक्तीकरण वर्ष के रुप में मनाना महिलाओं के प्रति बदलते दृष्टिकोण का द्योतक है। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा आपके द्वारा (राजस्थान), स्कूल चलो अभियान (उत्तर प्रदेश) आदि महिला साक्षरता के विकास में सकारात्मक योगदान करेंगे, इसमें संशय नहीं।

नगरों में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की अधिकता होने के कारण शिक्षा प्राप्ति की सुविधाएं अधिक रहती है, इसलिए वहां साक्षरता अधिक पाई जाती है। गांवों में इस प्रकार की संस्थाएं कम हैं या दूर-दूर हैं इसके अतिरिक्त आर्थिक दशाएं ग्रामीण साक्षरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसीलिए सरकार प्रत्येक गांव में शिक्षण संस्था खोलने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। संसद के 93वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में एक नया उपबंध जोड़ा गया है जिसके अनुसार माता-पिता व अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करायें।

जनपद में 1961 एवं 1971 में कुल साक्षरता 18.00 एवं 20.14 प्रतिशत थी जब इस अवधि में उत्तर प्रदेश की साक्षरता 21.70 एवं 27.38 प्रतिशत थी। इन अवधियों में जनपद एवं उत्तर प्रदेश की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता 28.30 एवं 34.45 से कम है।

1981 में जनपद की कुल साक्षरता 27.60 जिसमें पुरुष साक्षरता 41.50 एवं स्त्री साक्षरता 13.60 थी। 1991 में कुल साक्षरता 43.30 जिसमें पुरुष साक्षरता 61.40 एवं महिला साक्षरता 24.40 प्रतिशत थी। 1991 में ही उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 41.60 एवं राष्ट्रीय साक्षरता 52.19 प्रतिशत रही। 2001 में जनपद की साक्षरता 60.06 प्रतिशत रही जो प्रदेश की साक्षरता 57.36 प्रतिशत से अधिक है। जनपद में महिला साक्षरता 44.39 एवं पुरुष साक्षरता 75.45 प्रतिशत रही। अनुसूचित जातियों में जागरुकता में वृद्धि के साथ हीं साक्षरता पर सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। **(तालिका 5.8)**

तालिका 5.8

साक्षरता प्रतिशत

वर्ष	जनपद			उत्तर-प्रदेश			भारत		
	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
1961	18.00	28.90	7.20	21.70	31.50	10.50	28.30	40.40	15.35
1971	20.14	30.70	9.30	27.38	38.87	14.42	34.45	45.96	21.97
1981	27.60	41.50	13.60	33.30	45.09	21.06	43.67	56.37	29.75
1991	43.30	61.40	24.40	41.60	51.40	29.70	52.19	64.20	29.20
2001	60.06	75.45	44.39	57.36	70.23	42.98	65.38	75.85	54.16

स्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971, 1981 एवं सांख्यिकी पत्रिका 2000 तथा उत्तर प्रदेश एवं भारत की जनगणना 1991 प्राविजनल पापुलेशन टोटल्स 2001, उत्तर प्रदेश एवं भारत

5.7 साक्षरता का स्थानिक वितरण प्रारुप-

जनपद गाजीपुर में साक्षरता का अध्ययन विकास खण्ड स्तर पर करने के लिए साक्षरता को 5.00 प्रतिशत के अन्तराल पर विभाजित करके किया गया है। इससे स्थानीय शैक्षिक सुविधाओं के ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है।

साक्षरता के अति निम्न वर्ग में 1971, 1981 एवं 1991 में कोई विकासखण्ड नहीं थे।

साक्षरता के निम्न वर्ग (15-20 प्रतिशत) में 1971 में 8 विकास खण्ड थे, यथा- मरदह 18.30, सैदपुर 18.20, देवकली 18.60, सादात 17.80, जखनियाँ 15.50, मनिहारी 19.70, कासिमाबाद 17.10 एवं बाराचँवर 19.40 आते थे। 1981 एवं 1991 में साक्षरता में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण इस वर्ग में कोई विकास खण्ड नहीं था।

साक्षरता के मध्यम वर्ग (20-25 प्रतिशत) 1971 में इस वर्ग में 5 विकास खंड थे जो करण्डा 24.00, बिरनों 21.90, मुहम्मदाबाद 22.40, भांवरकोल 21.10 तथा जमानियां 22.10 आते थे। 1981 में इस वर्ग में 6 विकास खंड- बिरनो 21.11, मरदह 23.73, जखनियां 22.04 मनिहारी 22.29, कासिमाबाद 21.25 तथा बारांचँवर 22.50 प्रतिशत आते थे। 1991 में इस वर्ग में कोई विकास खंड नहीं था।

साक्षरता के मध्यम उच्चवर्ग (25-30 प्रतिशत) में 1971 में कोई विकास खंड नहीं था, 1981 में इस वर्ग में 6 विकास खंड आते थे जो करण्डा 28.40, सादात 29.00, मुहम्मदाबाद 26.52 भांवरकोल 27.84, सैदपुर 26.93, देवकली 26.27 तथा जमानियां 28.25 प्रतिशत थे। 1991 में इस वर्ग में कोई विकास खंड नहीं थे।

साक्षरता के उच्च वर्ग (30 प्रतिशत से अधिक) में 1971 में कोई विकास खंड नहीं था। 1981 में इस वर्ग में 3 विकास खंड आ गये यथा गाजीपुर 34.56 प्रतिशत, भदौरा, 33.35 तथा रेवतीपुर 32.50 प्रतिशत आ गये। 1991 में इस वर्ग में सभी 16 विकास खंड आते हैं- जखनियां 38.00, मनिहारी 38.60, सादात 39.30, सैदपुर 42.70, देवकली 41.00, बिरनो 39.10, मरदह 37.03, गाजीपुर 39.40, करण्डा 46.90, कासिमाबाद 38.40, बाराचँवर 37.30, मुहम्मदाबाद 40.70, भांवरकोल 45.60, जमानियां 44.10, रेवतीपुर 45.90 तथा भदौरा 49.40 प्रतिशत। **(परिशिष्ट 5.5, 5.6, 5.7 तालिका 5.9, चित्र 5.4)**

DISTRICT GHAZIPUR
LITERACY RATE
1971
1981
1991
GANGA R.
AS PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION
> 40
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
<20
10 0 10 20
Km

Fig. 5.4

तालिका 5.9

जनपद गाजीपुरः साक्षरता

	विकास खंडों की संख्या		
वर्ग प्रतिशत	1971	1981	1991
15 से कम	—	—	—
15-20	8	—	—
20-25	5	7	—
25-30	3	6	—
30 से अधिक	—	3	16

5.7.1 पुरुष साक्षरता का वितरण प्रारुप-

जनपद गाजीपुर में 1961, 1971, 1981, 1991 एवं 2001 में पुरुष साक्षरता क्रमशः 28.90, 30.70, 41.50, 61.40 तथा 75.45 प्रतिशत रही है। पुरुष साक्षरता का विकास खंड स्तर पर वितरण प्रारुप पांच विभिन्न वर्गों में विभाजित कर स्पष्ट किया गया है-

पुरुष साक्षरता के **अतिनिम्न वर्ग में (30 प्रतिशत से कम)** 1971 में आठ विकास खंड आते थे यथा मरदह 28.70, सैदपुर 28.30, देवकली 28.40, सादात 29.10, जखनियां 24.50, मनिहारी 28.40, कासिमाबाद 24.00 प्रतिशत तथा बाराचंवर 28.70 प्रतिशत थे। जबकि 1981 एवं 1991 में इस वर्ग में जनपद का कोई विकास खंड नहीं रहा इसका कारण साक्षरता में उत्तरोत्तर वृद्धि है।

निम्न साक्षरता वर्ग (30-35 प्रतिशत) में 1971 में पांच विकास खंड आते थे जो करण्डा 33.40, बिरनो 34.40, मुहम्मदाबाद 30.40, भांवरकोल 30.20 तथा जमानियां 34.00 प्रतिशत थे। 1981 में इस वर्ग में केवल कासिमाबाद विकास खंड था तथा 1991 में इस वर्ग में जनपद का कोई भी विकास खंड नहीं था।

मध्यम वर्ग (35-40 प्रतिशत) में 1971 में कोई विकास खंड नहीं था जबकि 1981 में 6 विकासखंड सम्मिलित हो गये यथा बिरनो 35.76, मरदह 38.18, मुहम्मदाबाद 35.97, मनिहारी 36.18, जखनियां 35.93 तथा भांवरकोल 38.58 प्रतिशत थे। 1991 में इस वर्ग में कोई विकास खंड नहीं था।

मध्यम उच्च वर्ग (40-45 प्रतिशत) में 1971 में इस वर्ग में 3 विकासखंड थे यथा गाजीपुर 40.00 रेवतीपुर 43.30 तथा भदौरा 42.40 प्रतिशत आते थे। 1981 में इस वर्ग में कुल 6 विकास खंड थे यथा सादात 43.86, सैदपुर 42.77, देवकली 41.46, जमानियां

DISTRICT GHAZIPUR
MALE LITERACY
1971
1981
1991
GANGA R.
AS PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION
>60
50 - 60
40 - 50
30 - 40
<30
10 0 10 20
Km

Fig. 5.5

42.57, रेवतीपुर 46.95 तथा भदौरा 47.37 प्रतिशत थे। 1991 में इस वर्ग में कोई विकास खंड नहीं था।

उच्च वर्ग (45 से अधिक) में 1971 में इस वर्ग में जनपद का कोई भी विकास खंड इस वर्ग में नहीं था 1981 में इस वर्ग में कुल 3 विकास खंड आते थे। 1991 में इस वर्ग में जनपद के सभी विकास खंड आते थे। जखनियां 56.50, मनिहारी 57.50, सादात 58.30, सैदपुर 62.60, देवकली 59.60, बिरनो 58.20, मरदह 55.20, गाजीपुर 58.70, करण्डा 66.80, कासिमाबाद 56.30, बाराचंवर 54.30, मुहम्मदाबाद 59.00, भांवरकोल 62.90 जमानियां 63.90, रेवतीपुर 63.30 तथा भदौरा में 67.10 प्रतिशत पुरुष साक्षरता रही। **(परिशिष्ट 5.5, 5.6, 5.7 तालिका 5.10 चित्र 5.5)**

तालिका 5.10

जनपद गाजीपुरः पुरुष साक्षरता

	विकास खंण्डों की संख्या		
वर्ग प्रतिशत	**1971**	**1981**	**1991**
30 से कम	8	—	—
30-35	5	1	—
35-40	—	7	—
40-45	3	5	—
45 से अधिक	—	3	16

5.7.2 स्त्री साक्षरता का वितरण प्रारुप-

जनपद में स्त्री साक्षरता धीमी प्रगति के साथ निरन्तर बढ़ती गयी है जो 1961, 1971, 1981, 1991 एवं 2001 में क्रमशः 7.20, 8.40, 13.63, 24.40, एवं 44.39 प्रतिशत रही।

अतिनिम्न (3 प्रतिशत से कम) साक्षरता 1971, 1981, 1991 में किसी भी विकास खंड में नहीं रही।

निम्न साक्षरता (3-6 प्रतिशत) वर्ग में 1991 में 3 विकास खंड थे, यथा, जखनियां 5.80, सादात 4.80 तथा देवकली 6.00 प्रतिशत रहे। जबकि 1981 एवं 1991 में जनपद का कोई भी विकास खण्ड इस वर्ग में नही था।

मध्यम वर्ग (6-9 प्रतिशत) की साक्षरता वर्ग में 1971 में पाँच विकास खण्ड- मरदह 7.90, सैदपुर 6.40, देवकली 6.00, मनिहारी 6.10 तथा कासिमाबाद 8.10 प्रतिशत थे। 1981 में इस वर्ग में 4 विकास खण्ड- बिरनों 8.60, जखनियाँ 8.63, मनिहारी 8.95 एवं

कासिमाबाद 8.70 प्रतिशत सम्मिलित थे। 1991 में इस वर्ग जनपद का कोई भी विकास खंड नहीं रहा।

मध्यम उच्च वर्ग (9-12 प्रतिशत) की स्त्री साक्षरता में 1971 में 6 विकास खंड - गाजीपुर 11.40, करण्डा 9.70, बिरनो 9.10, मुहम्मदाबाद 9.80, बांराचंवर 9.50 तथा जमानियां 9.00 प्रतिशत थे। 1981 में स्त्री साक्षरता के इस वर्ग में जनपद के पांच विकास खंड, मरदह (9.00, सैदपुर 11.45, देवकली 11.19, मुहम्मदाबाद 10.60 तथा बारंचंवर 10.55 प्रतिशत इस वर्ग में सम्मिलित थे। 1991 में इस वर्ग में कोई विकास खंड नहीं था।

स्त्री साक्षरता के **उच्च वर्ग (12-15 प्रतिशत)** में 1971 तीन विकास खंड भांवरकोल 12.60, भदौरा 14.40 तथा रेवतीपुर 12.20 प्रतिशत थे। 1981 में इस वर्ग में दो विकास खंड करण्डा 13.46 एवं सादात 14.66 प्रतिशत सम्मिलित थे। 1991 में इस वर्ग में कोई भी विकास खंड नहीं था।

स्त्री साक्षरता के **अति उच्च वर्ग (15 प्रतिशत से अधिक)** में 1971 में कोई भी विकास खंड नहीं था, जबकि 1981 में इस वर्ग में 4 विकासखंड सम्मिलित हो गये यथा गाजीपुर 20.32, भांवरकोल 16.99, भदौरा 19.00 एवं रेवतीपुर 17.52 प्रतिशत थे। 1991 में जनपद के सभी विकास खंड इस साक्षरता वर्ग में सम्मिलित हो गये। 1991 में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता भदौरा विकास खंड में 30.70 प्रतिशत एवं सबसे कम मरदह विकास खंड में 18.70 प्रतिशत रही। अन्य विकास खंडों में सादात 20.90, मनिहारी 19.90, सैदपुर 22.90, देवकली 21.90, बिरनो 19.90, जखनियां 19.30, गाजीपुर 18.70, करण्डा 18.70, कासिमाबाद 26.60, बाराचँवर 19.60, मुहम्मदाबाद 20.90, भांवरकोल 27.60, जमानियां 23.40 तथा रेवतीपुर में 27.70 प्रतिशत स्त्री साक्षरता रही **(परिशिष्ट 5.5, 5.6, 5.7 चित्र 5.6 तालिका 5.11)**

तालिका 5.11

जनपद गाजीपुरः स्त्री साक्षरता

	विकास खंडों की संख्या		
साक्षरता वर्ग	1971	1981	1991
3 से कम	—	—	—
3-6	3	—	—
6-9	4	5	—
9-12	6	5	—
12-15	3	2	—
15 से अधिक	—	—	16

DISTRICT GHAZIPUR
FEMALE LITERACY
1971
1981
1991
GANGA R.
AS PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION
> 25
20 – 25
15 – 20
10 – 15
< 10
10 0 10 20
Km

Fig. 5.6

5.8 ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता-

विकासशील देशों में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है क्योंकि गांवों की तुलना में शहरों की सामाजिक संरचना विकसित होती है, एवं वहां शिक्षा सुविधाएं भी पर्याप्त होती है। जनपद में ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत 1961, 1971, 1981, 1991 एवं 2001 में क्रमशः 17.1, 19.06, 25.95, 41.5, एवं 47.40 प्रतिशत रही। इन्हीं जनगणना वर्षों में नगरीय साक्षरता 39.26, 42.90, 46.97, 65.60 तथा 61.66 प्रतिशत रही। नगरीय क्षेत्रों की अधिक साक्षरता का मुख्य कारण शिक्षा केन्द्रों की सुविधा उच्च आर्थिक एवं सामाजिक स्तर, इसके विपरीत ग्राम्यांचलो मे अल्प सुविधाएं एवं यह सोचना कि जब तक बालक पढ़ेगा तब तक धनोपार्जन करेगा। वस्तुतः राजनीतिक, सामाजिक जागरुकता एवं सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन से ग्रामीण साक्षरता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। (**तालिका** 5.12)

तालिका 5.12

जनपद गाजीपुरः ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता

मद	1961	1971	1981	1991	2001
ग्रामीण	17.10	19.06	25.95	41.50	47.10
नगरीय	39.29	42.90	46.97	65.60	61.66

स्रोत- प्राथमिक जनगणना डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैण्डबुक 1961, 1971, 1981, 1991 एवं प्राविजनल पापुलेशन टोटल्स 2001 सीरीज 10 पेपर 1, 2001।

5.9 आयु वर्गानुसार साक्षरता-

2001 की मतगणना के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र की सम्पूर्ण जनसंख्या को निरक्षर मान लिया गया है, परन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, आधुनिक समाज में बच्चे 5 वर्ष तक लिखना एवं बोलना जानने लगे हैं। शहरों एवं नगरीय केन्द्रों में पब्लिक विद्यालयों में धनोपार्जनहेतु लोग के.जी. 1 एवं के.जी. 2 कक्षाओं में अल्प आयु बच्चों का प्रवेश लेते हैं, यद्यपि इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष है एक ओर तो बच्चों की मेधा का विकास होता है वहीं दूसरी ओर अल्प वय में ही उन्हें बाल्यावस्था को स्वाभाविक मनोरमता से किंचित दूर ले जाकर भारवान्वित कर दिया जाता है। सन् 1971 मं जनपद में 10-14 आयु वर्ग में सर्वाधिक 44.47 प्रतिशत साक्षर है, जिसमें पुरुष 57.45 एवं महिला 22.63 प्रतिशत साक्षर है। 1981 में इस आयु वर्ग में 45.68 प्रतिशत साक्षर थे जिसमें पुरुष 66.32 एवं महिला 24.37 प्रतिशत थी। 1991 में इस आयु

वर्ग में कुल साक्षरता 61.16 प्रतिशत जिसमें पुरुष 76.89 एवं महिला 44.14 प्रतिशत साक्षर रहीं। इसके बाद के आयु वर्गों में यह प्रतिशत घटता गया है। सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन से किशोर एवं नवयुवक समुदाय अधिक साक्षर है जबकि वृद्ध एवं प्रौढ़ समुदाय तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक साक्षर नहीं हो पाया था। सन् 1971 में 5-9 आयु वर्ग में 15.10 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिसमें 19.68 प्रतिशत पुरुष तथा 9.40 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर थी। 1981 में इस आयु वर्ग की कुल साक्षरता 16.45 प्रतिशत थी जिसमे पुरुष 22.23 प्रतिशत, स्त्रियाँ 10.45 प्रतिशत थी। 1991 मे 5-9 आयु वर्ग में कुल साक्षरता 23.61 प्रतिशत रही जिसमें 28.77 प्रतिशत पुरुष एवं 17.95 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर रहीं। 15-18 आयु वर्ग में 1971 में कुल साक्षरता 39.85 थी जिसमें पुरुष 61.07 एवं स्त्रियों की 18.14 प्रतिशत रही। इस आयु वर्ग में 1981 में 44.63 प्रतिशत साक्षरता थी जिसमें पुरुष 65.02 एवं स्त्रियों की 24.12 प्रतिशत थी। 1991 में इस आयु वर्ग की कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता क्रमशः 59.58, 78.88 तथा 37.95 प्रतिशत रही। 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 1971 में साक्षरता 15.19 थी जिसमें पुरुष 25.58 तथा स्त्रियाँ 4.10 प्रतिशत साक्षर थी। 1981 में इस आयु वर्ग में 16.28 प्रतिशत साक्षर थे जिसमें 28.23 प्रतिशत पुरुष एवं 3.67 प्रतिशत स्त्रियाँ थीं। 1991 में इस आयु वर्ग की साक्षरता 28.85 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 46.48 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता 7.90 प्रतिशत रही। (**परिशिष्ट 5.8, चित्र 5.7**)

5.10 अनुसूचित जाति/जनजाति साक्षरता-

जनपद गाजीपुर में 1971 मं अनुसूचित जाति, जनजाति की साक्षरता 11.78 प्रतिशत थी। सर्वाधिक साक्षरता गाजीपुर तहसील में 14.91 प्रतिशत रही, सबसे कम सैदपुर तहसील में 6.59 प्रतिशत थी। मुहम्मदाबाद एवं जमानियाँ में साक्षरता 7.78 एवं 10.55 प्रतिशत थी। 1981 में अनुसूचित जातियों मं सर्वाधिक साक्षरता गाजीपुर तहसील में 17.90 प्रतिशत थी। सैदपुर में 15.64 मुहम्मदाबाद 13.83 एवं जमानियां 15.81 प्रतिशत साक्षरता थी। 1991 में कुल साक्षरता 22.36 प्रतिशत रही। गाजीपुर तहसील में साक्षरता 22.86, सैदपुर 18.67, मुहम्मदाबाद 22.85 एवं जमानियां में 22.36 प्रतिशत रही। अनुसूचित जातियाँ भारतीय समाज में अछूत मानी जाने के कारण समाज की मुख्य धारा में देर से सम्मिलित हुई फलतः सामान्य जातियों एवं इनके बीच साक्षरता में अन्तर होना स्वाभाविक है (महोपात्रा 1998)। सरकार द्वारा नीतियों का कार्यान्वयन एवं वर्तमान में इनमें आयी सामाजिक एवं राजनीतिक जागरुकता से इनके साक्षरता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। (**तालिका 5.13**)

तालिका 5.13

जनपद गाजीपुरः अनुसूचित जाति/ जनजाति साक्षरता

तहसील	साक्षरता (प्रतिशत में)		
	1971	1981	1991
कुल	11.78	15.78	22.36
गाजीपुर	14.91	17.90	22.86
सैदपुर	6.59	15.64	18.67
जखनियाँ *	—	—	—
मुहम्मदाबाद	7.78	13.83	22.85
जमानियाँ	10.55	15.81	25.04

* सैदपुर तहसील की सीमा में परिवर्तन कर 1995 में जखनियाँ तहसील अस्तित्व में आई इसकी साक्षरता सैदपुर तहसील में सम्मिलित है।

स्त्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1971, 1981, 1991

5.11 शैक्षिक स्तर-

सन् 1971 में कुल 20.14 प्रतिशत लोग शिक्षित थे जिसमें 43.55 प्रतिशत लोग बिना किसी शैक्षिक स्तर के शिक्षित थे। अर्थात उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की थी। जबकि कुल साक्षर व्यक्तियों के 29.89 प्रतिशत लोग प्राइमरी तक शिक्षित थे जिसमें पुरुष 21.98 एवं महिला 7.81 प्रतिशत थें। 14.45 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल तक, जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 12.85 एवं 1.60 था। हाईस्कूल तक साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत 10.95 जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत 10.13 एवं 0.82 था। स्नातक एवं उससे अधिक लोगों का प्रतिशत 1.14 था। 1981 में कुल जनसंख्या का 27.77 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिसमें 34.60 बिना किसी शैक्षिक स्तर के, 28.64 प्रतिशत प्राइमरी तक जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 10.66 प्रतिशत था। 16.27 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल तक, 16.91 प्रतिशत हाईस्कूल तक जिसमें पुरुषों एवं स्त्रियों का प्रतिशत क्रमशः 14.96 एवं 1.95 प्रतिशत था। स्नातक एवं उससे अधिक का प्रतिशत 3.42 था। 1991 में सम्पूर्ण जनसंख्या की 43.30 प्रतिशत साक्षरता रही जिसमें बिना शैक्षिक स्तर के शिक्षित लोगों का प्रतिशत 30.23 प्रतिशत रहा, प्राइमरी तक शिक्षित लोगों का प्रतिशत 23.10 प्रतिशत जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 14.44 एवं 8.66 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल तक 19.70 जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत 14.53 एवं 5.17 प्रतिशत रहा। हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त लोगों का प्रतिशत 21.83 रहा जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत 17.85 एवं 3.98 प्रतिशत रहा। स्नातक एवं उससे अधिक लोगों का

DISTRICT GHAZIPUR
LITERACY
(BY AGE-GROUPS)
1971
TOTAL
MALE
FEMALE
PER CENT
AGE GROUPS
1981
1991
EDUCATIONAL LEVEL
1981
1991
Technical Gradu.
High School
Middle
Primary
Literate with out educational level
T-TOTAL
M-MALE
F-FEMALE
T
M
F
LITERACY IN SAMPLE VILLAGES(2002)
Ahirourwa
Kishunipur
Thanipur
Dhuwarjun
Pawata
Shikarpur
Sarai Muaji
Saadatpur
Hardia
Hurmujpur

Fig. 5.7

प्रतिशत 4.64 प्रतिशत रहा जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 3.99 एवं 0.65 प्रतिशत रहा। **(परिशिष्ट 5.9 चित्र 5.7)**

तालिका 5.14

सर्वेक्षित ग्रामों में साक्षरता प्रतिशत (2002)

ग्राम	साक्षरता प्रतिशत		
	कुल	पुरुष	स्त्री
अहीरपुरवा	26.52	37.92	20.41
किशुनीपुर	39.14	45.55	31.21
थनईपुर	35.19	39.09	30.81
धुवार्जुन	61.94	72.22	30.31
पवटा	43.70	49.32	37.86
शिकारपुर	33.33	39.69	28.48
सरायमुरादअली	29.49	30.36	28.48
सआदतपुर	43.23	54.71	31.18
हरदिया	34.11	35.71	28.75
हुरमुजपुर	39.26	38.54	40.11

स्त्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

5.12 सर्वेक्षित ग्रामों में साक्षरता प्रतिशत-

सर्वेक्षित ग्रामों में सर्वाधिक साक्षरता धुवार्जुन गाँव में 61.94 प्रतिशत है जबकि सबसे कम अहीर पुरवा में 26.52 प्रतिशत है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता धुवार्जुन में 72.22 प्रतिशत एवं सबसे कम सरायमुरादअली में 30.36 प्रतिशत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता हुरमुजपुर ग्राम में 40.11 प्रतिशत है जबकि न्यूनतम अहीरपुरवा में 20.41 प्रतिशत है। **(चित्र 5.7, तालिका 5.14)**

साक्षरता के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में शैक्षिक सुविधा की उपलब्धि, उसकी गुणवत्ता तथा जनसंख्या द्वारा उसके उपयोग सेसम्बन्धित शैक्षिक विकास में पर्याप्त विषमता है। शैक्षिक विकास एवं नियोजन को राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानते हुए शिक्षा के प्रसार एवं आधुनिकीकरण के लिए शिक्षानीति क्रियान्वित की जा रही है। औपचारिक शिक्षा के साथ ही प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, एवं दूरस्थ शिक्षा के कार्य क्रमों को सुदृढ़ किया

जा रहा है। कमजोर वर्गों, पिछड़े क्षेत्रों तथा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान और शिक्षण कार्य हेतु विविध स्तरों पर उच्च प्राविधिकी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। शैक्षिक विकास स्तर में क्षेत्रीय विषमता कमोवेश सामाजिक आर्थिक विकास के भूवैन्यासिक आयाम से सम्बद्ध होती है। शैक्षिक प्रगति आर्थिक विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करती है, अतः आर्थिक विकास एवं शैक्षिक संस्थानों के विकास की महती आवश्यकता है।

5.13 व्यावसायिक संरचना-

मनुष्य द्वारा जीविकोपार्जन हेतु किया जाने वाला कार्य उसका व्यवसाय कहलाता है। जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना उसके आर्थिक विशेषताओं को स्पष्ट करती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था एवं उसके आर्थिक विकास का पता चलता है। इसके अध्ययन से ही ज्ञात होता है कोई देश कृषि प्रधान, पशुपालन अथवा उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था वाला है। व्यक्ति की व्यावसायिक स्थिति, उसके विचार, सामाजिक दृष्टिकोण, व्यक्तित्व तथा राजनैतिक सम्बद्धता को प्रकट करता है।

व्यवसायिक संरचना का अध्ययन जनसंख्या की आर्थिक संरचना के ज्ञान हेतु अत्यन्त आवश्यक है। व्यवसाय देश की परिष्कृति एवं आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। उदाहरणतः इंग्लैण्ड एवं वेल्स में 40,000 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है जबकि भारत में 1000 व्यवसाय ही जनगणना अधिकारियों द्वारा पाये गये हैं। (सिंह एम.बी. एवं दूबे के.के. 2001) जनसंख्या समबन्धी अध्ययन में कार्यशील जनसंख्या को जानना आवश्यक है। सम्पूर्ण जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है—

(1) कार्यरत जनसंख्या

(2) अकार्यरत जनसंख्या

कार्यरत जनसंख्या के अन्तर्गत उन लोगों को शामिल किया गया है, जो किसी व्यवसाय, उद्योग, एवं नौकरी आदि में लगे हैं। इसके विपरीत अकार्यरत जनसंख्या में उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी प्रकार का उत्पादक कार्य नहीं करते जैसे- बच्चे, वृद्ध, निराश्रित आदि। चिकित्सालयों, अनाथाश्रमों तथा जेलों में रहने वाले व्यक्तियों को अकार्यरत जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है।

भारत में जनगणना वर्ष 1901 में 46.61 प्रतिशत लोग कार्यरत थे। 1931 में इनका प्रतिशत 46.92, 1951 में 39.10, 1961 में 42.97, 1971 में 33.06, 1981 में 33.45 एवं 1991 में 37.68 प्रतिशत था। कार्यरत जनसंख्या में कमाधिक्य होता रहा है। **(तालिका 5.15)**

तालिका 5.15

कार्यरत जनसंख्या (प्रतिशत)

वर्ष	कार्यरत जनसंख्या	वर्ष	कार्यरत जनसंख्या
1901	46.61	1971	33.06
1931	46.92	1981	33.45
1951	39.10	1991	37.68
1961	42.97		

स्रोत- सेन्सस ऑफ इण्डिया प्राविजनल पापुलेशन टोटल्स, वर्कर्स एण्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन पेपर 3 ऑफ 1991

तालिका 5.15 से स्पष्ट है कि 1961 के बाद कार्यरत जनसंख्या में कमी आयी, इसका कारण जनसंख्या में वृद्धि से रोजगार के अवसरों का सीमित होना है। 1981 में कार्यशील जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए समस्त जनसंख्या को दो भागों में बाँट दिया गया- पूर्णकालकि एवं सीमांतिक, जिन लोगों ने वर्ष में 6 माह तक काम किया उन्हें सीमांतिक कहा गया 1981 में पहली बार सीमान्तिक कहा गया 1981 में पहली बार सीमान्तिक शब्द का प्रयोग किया गया (यादव राना पी0 एस0 1997)

जनपद गाजीपुर में आयु वर्ग एवं क्रियाशीलता में शत- प्रतिशत सहसम्बन्ध स्थापित न होने के कारण कार्यरत जनसंख्या की अपेक्षा अकार्यरत जनसंख्या अधिक है। फलतः निर्भरता अनुपात भी अधिक है।

तालिका 5.16

जनपद गाजीपुरः कार्यरत-अकार्यरत जनसंख्या (प्रतिशत)

वर्ष	कार्यरत जनसंख्या	अकार्यरत जनसंख्या
1961	35.42	64.56
1971	29.59	70.41
1981	27.43	72.57
1991	27.01	72.99

स्रोत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971, 1981 एवं जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000

5.14 जनपद गाजीपुर में कार्यरत एवं अकार्यरत जनसंख्या-

जनपद में कार्यरत जनसंख्या एवं अकार्यरत जनसंख्या के विश्लेषण से स्पष्ट है कि रोजगार के अवसर तो बढ़े हैं परन्तु जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण अकार्यरत जनसंख्या भी तद्नुरूप बढ़ी है। 1971 में कार्यरत एवं अकार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 27.43 एवं 72.57 प्रतिशत था। 1991 में यह 27.01 एवं 72.99 प्रतिशत रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मौसमी मजदूर, खेतों में काम करने वाले, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले तथा कुछ विद्यार्थी भी जो पढ़ाई के साथ अन्य कार्य भी करते हैं, सम्मिलित है।

प्राथमिक व्यवसाय में लगे लोग, कृषि, वन मत्स्यपालन, पशुपालन, आदि आते हैं जो विकास के प्रथम चरण से सम्बद्ध हैं। द्वितीयक व्यवसाय भारी मशीन, निर्माण उद्योग वाले क्षेत्र विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में आते हैं। ये विकास के द्वितीय चरण में आते हैं। इसमें कृषि पर आधारित उद्योग तीव्र गति से विकसित होते हैं। भारतीय जनसंख्या में 1981 में कृषकों का प्रतिशत 46.30 1991 में यह प्रतिशत 40.80 रहा। 1981 में खेतिहर मजदूर जनसंख्या का प्रतिशत 26.30 एवं 1991 में 26.09 प्रतिशत रहा। उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे लोगों का प्रतिशत 9.6 एवं 11.96 प्रतिशत रहा। **(तालिका 5.17)**

तालिका 5.17

भारतीय जनसंख्या के व्यवसायिक ढाँचे में परिवर्तन (प्रतिशत)

व्यवसाय	1971	1981	1991
कृषक	52.80	46.30	40.81
खेतिहर मजदूर	16.70	26.30	26.09
उद्योग एवं निर्माण कार्य	10.10'	9.60	11.96
अन्य	20.40	17.90	21.14

स्रोत— वही, तालिका 5.15

5.15 जनपद गाजीपुर की व्यवसायिक संरचना-

व्यवसायिक संरचना सामान्यतया क्षेत्र के विकास स्तर एवं मिट्टी तथा अन्य संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का घोतक है। गाजीपुर जनपद में प्राथमिक व्यावसायिक वर्ग के अन्तर्गत कृषि

सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कृषि अत्यन्त जटिल व्यवसाय है। इसमें एक तरफ तो कुछ ऐसे देश शामिल हैं जो पूँजीकृत कृषि करते हैं, जो यन्त्रीकृत हैं, जहाँ आधुनिक सुविधाएं हैं एवं कृषि पूर्णतः नवीनतम प्रविधियों पर आधारित हैं। (सिंह जे. 1996) दूसरी तरफ कतिपय अविकसित एवं अल्प विकसित क्षेत्रों की कृषि है जहाँ कृषक मिट्टी से जुड़ा होता है एवं जीवन निर्वाह के लिए कृषि करता है तथा पुराने कृषि यन्त्रों से खेती करता है।

व्यावसायिक संरचना सामान्यतया क्षेत्र के विकास स्तर एवं मिट्टी तथा अन्य संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का घोतक है। जनपद के कृष्य क्षेत्रों की सामाजिक सरचना में विभिन्नताएं हैं। जनपद में कुछ कृषकों के पास अपनी निजी भूमि होती है, जिस पर वे स्वयं खेती करते हैं। दूसरे ऐसे भी कृषक हैं जो कृषि तो करते हैं परन्तु भूमि पर उनका कोई स्वामित्व नहीं होता। प्रथम प्रकार के कृषक बाहर के मजदूरों के द्वारा अथवा स्वयं इस कार्य को सम्पन्न करते हैं, बाहर के वे मजदूर होते हैं जो दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं किन्तु ये अस्थाई होते हैं। जनपद में कार्यरत की अपेक्षा अकार्यरत जनसंख्या अधिक है। चार जनगणना वर्षों 1961, 1971, 1981 एवं 1991 में सर्वाधिक कार्यरत जनसंख्या 1961 में 35.42 प्रतिशत थी। तदुपरान्त यह निरन्तर घटती गयी है जो 1971 में 29.60, 1981 में 27.43 तथा 1991 में यह बढ़कर 29.20 प्रतिशत हो गयी है। 1981 एवं 1991 में सीमांतिक कर्मकरों की संख्या भी सम्मिलित है।

गाजीपुर जनपद में अकार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 1961 से 1981 तक बढ़ा है 1961 में यह 64.56 प्रतिशत था जो 1981 में 72.57 प्रतिशत हो गया तथा 1991 में घटकर 70.79 प्रतिशत रहा। इस अल्प कमी का मुख्य कारण कतिपय रोजगार अवसरों की वृद्धि है। जनपद की कार्यरत जनसंख्या को चार व्यवसायिक वर्गों में बाँटा गया है- कृषक, कृषक मजदूर, उद्योग एवं निर्माण तथा अन्य। अन्य के अन्तर्गत पशुपालन, जंगल लगाना, वृक्षारोपण, खान खोदना, व्यापार तथा वाणिज्य, यातायात संग्रहण एवं संचार को सम्मिलित किया गया है। जनपद की सर्वाधिक जनसंख्या कृषक है। कृषकों का सर्वाधिक प्रतिशत 1961 में 62.63 था जो 19991 में निरन्तर कम होकर 53.17 प्रतिशत हो गया। सर्वाधिक कृषक मजदूर 1971 में 30.52 प्रतिशत रहे, जो 1961, 1981 एवं 1991 में क्रमशः 16.52, 19.60 एवं 25.95 प्रतिशत थे। उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे लोगों का प्रतिशत 1961 में 8.22, 1971 में 6.50, 1981 में 4.25 एवं 1991 में 5.32 प्रतिशत रहा। अन्य व्यवसाय में लगे लोगों का प्रतिशत 1961 में 12.60, 1971 में 11.46, 1981 में 22.64 एवं 1991 में अन्य व्यवसाय में लगे लोगों का प्रतिशत 15.56 प्रतिशत था। इस वर्ग में लगे लोगों की प्रतिशत वृद्धि का मुख्य कारण पशुपालन, वृक्षारोपण एवं व्यापार आदि में रोजगार अवसरों की वृद्धि है। **(तालिका 5.18)**

तालिका 5.18

जनपद गाजीपुर में व्यवसायिक संरचना (प्रतिशत)

व्यवसाय	1961	1971	1981	1991
कार्यरत जनसंख्या	35.42	29.60	27.43	29.20
कृषक	62.63	51.52	52.51	53.17
कृषक-मजदूर	16.22	30.52	19.60	25.95
उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे लोग	8.22	6.50	4.24	5.32
अन्य कार्य	12.60	11.46	22.64	15.56
अकार्यरत जनसंख्या	64.56	70.40	72.57	70.79

स्त्रोत– जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971, 1981 एवं 1991

5.16 कार्यरत जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप-

जनपद में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 1961 में 35.42 था, 1971, 1981 में यह प्रतिशत क्रमशः 29.60 एवं 27.43 था। 1991 की जनगणना के अनुसार सीमांतिक कार्यरत सहित कुल कार्यरत जनसंख्या 29.20 प्रतिशत रही। कार्यरत जनसंख्या के आधार पर जनपद के विकास खण्डों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है- **(तालिका 5.19)**

तालिका 5.19

कार्यरत जनसंख्या का श्रेणीगत वितरण

श्रेणी	कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत	विकास खण्डों की संख्या 1971	1981	1991
अति निम्न	25 से कम	--	01	01
निम्न	25-30	09	12	07
मध्यम	30-35	07	03	08
उच्च	35 से अधिक	--	--	--

कार्यरत जनसंख्या के **अतिनिम्न वर्ग (25 प्रतिशत से कम)** में 1971 में कोई विकास खण्ड नहीं था। 1981 में भदौरा विकास खण्ड (24.00 प्रतिशत) इस वर्ग में आ गया। 1991 में भी यही विकास खण्ड (17.98 प्रतिशत) था।

DISTRICT GHAZIPUR
WORKING POPULATION
1981
GANGA R.
AS PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION
> 30
27 - 30
24 - 27
< 24
1991
GANGA R.
10 0 10 20
Km

Fig. 5.8

निम्न वर्ग (25 से 30 प्रतिशत) में 1971 एवं 1981, 1991 में क्रमशः 9, 12 तथा 7 विकास खण्ड थे। 1971 में 9 विकास खण्ड - गाजीपुर 19.09, जखनियाँ 27.91, बिरनो 29.28, सैदपुर 26.33, देवकली 29.69, करण्डा 27.27, मनिहारी 28.90, भदौरा 27.53, रेवतीपुर 28.77 थे। 1981 में इस वर्ग में 12 विकास खण्ड - गाजीपुर 28.96 करण्डा 25.90, सैदपुर 27.00, देवकली 27.16, सादात 27.54, जखनियाँ 27.09, मनिहारी 27.68, मुहम्मदाबाद 28.05, भाँवरकोल 28.01, कासिमाबाद 28.08, जमानियाँ 26.38 एवं रेवतीपुर 26.92 प्रतिशत थे। 1991 में इस वर्ग में 7 विकास खण्ड रहे यथा- जखनियाँ 28.47 सैदपुर 28.53, देवकली 28.39, गाजीपुर 25.40, करण्डा 29.35, मुहम्मदाबाद 28.46 तथा रेवतीपुर 29.64 प्रतिशत रहे।

मध्यम वर्ग (30-35 प्रतिशत) में 1971 में 7 विकास खण्ड थे- मरदह 30.59, सादात 31.06ए मुदम्मदाबाद 34.45, भाँवरकोल 30.78, कासिमाबाद 31.19, बाराचँवर 33.90 एवं जमानियाँ 30.07 प्रतिशत। 1981 में इस वर्ग में 3 विकास खण्ड - बिरनों 30.15, मरदह 31.54 एवं बाराचँवर 30.55 थे। 1991 में इस वर्ग में 8 विकास खण्ड रहे यथा - मनिहारी 31.16, सादात 30.33, बिरनो 32.33, मरदह 31.57 कासिमाबाद 30.30, बाराचँवर 30.05, भाँवरकोल 30.32 तथा जमानियाँ 30.59 प्रतिशत रहे। रोजगार की तुलना में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण कार्यरत जनसंख्या के **अति उच्च वर्ग (35 से अधिक)** में 1971, 1981 एवं 1991 में कोई विकास खण्ड नहीं था। **(परिशिष्ट 5.10, 5.11, 5.12 चित्र 5.8)**

5.16.1 कृषकों का वितरण प्रतिरूप-

जनपद की कार्यरत जनसंख्या में कृषक सर्वाधिक है। 1961, 1971, 1981 एवं 1991 में इनका प्रतिशत क्रमशः 62.63, 51.52, 53.51 एवं 53.17 प्रतिशत था। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा भूमि में कोई सुधार न होने के कारण, तथा भरण पोषण हेतु अन्य व्यवसायों- मत्स्यपालन, व्यापार, एवं अन्य सीमांतिक कार्यों की ओर आकर्षण से कृषकों के प्रतिशत में कमी आयी है।

सन् 1971 में जनपद के कृषकों के प्रतिशत 51.52 से अधिक प्रतिशत वाले विकास खण्डों की संख्या 8 थी यथा- सैदपुर 62.60, मरदह 55.57, बिरनों 56.84, गाजीपुर 60.57, देवकली 72.39, जखनियाँ 67.80, मनिहारी 66.45 तथा कासिमाबाद 55.25

प्रतिशत। शेष विकास खण्डों में कृषकों का प्रतिशत जनपद से कम था यथा भदौरा 38.00, रेवतीपुर 40.69, जमानियाँ 43.46, भाँवरकोल 40.24, मुहम्मदाबाद 48.67, बाराचँवर 46.24, करण्डा 48.46 तथा सादात 50.56 प्रतिशत थे।

1981 में जनपद के सभी विकास खण्डों में सर्वाधिक कृषक मनिहारी विकास खण्ड में 71.57 तथा सबसे कम रेवतीपुर विकास खण्ड 40.13 प्रतिशत थे। सात विकास खण्डों में कृषकों का प्रतिशत जनपद के कृषक प्रतिशत से कम रहा यथा- करण्डा 52.99, मुहम्मदाबाद 53.28, भाँवरकोल 40.81, बाराचँवर 49.45, जमानियाँ 51.83, भदौरा 45.78 एवं रेवतीपुर 40.13 प्रतिशत थे। शेष 9 विकास खण्डों में कृषकों का प्रतिशत जनपद से अधिक था जिसमें कासिमाबाद 62.09, जखनियाँ 69.59, मनिहारी 71.57, सादात 71.20, सैदपुर 59.50, देवकली 64.41, बिरनो 65.38, गाजीपुर 54.58 तथा मरदह 66.77 प्रतिशत थे।

1991 में सर्वाधिक कृषक सादात विकास खण्ड में 65.27 प्रतिशत एवं सबसे कम रेवतीपुर विकास खण्ड में 38.11 प्रतिशत रहे। 1991 में जनपद के प्रतिशत 53.17 से अधिक कृषकों का प्रतिशत जनपद के 8 विकास खण्डों में रहा यथा- जखनियाँ 62.60, मनिहारी 61.57, सादात 65.27, सैदपुर 57.00, देवकली 62.35, बिरनो 57.05, गाजीपुर 53.35 तथा मरदह 60.32 प्रतिशत रहे। शेष 8 विकासखण्डों में कृषकों का प्रतिशत जनपद के प्रतिशत से कम रहा जिसमें करण्डा 50.00, कासिमाबाद 51.50, बाराचँवर 47.84, मुहम्मदाबाद 48.18, भाँवरकोल 38.44, जमानियाँ 45.73, रेवतीपुर 36.26 तथा भदौरा 38.11 प्रतिशत रहे। (**परिशिष्ट 5.10, 5.11, 5.12 चित्र 5.9A**)

5.16.2 कृषक मजदूरों का वितरण प्रतिरूप-

कृषक मजदूरों से अभिप्राय उन ग्रामीण मजदूरों से है जो कृषि में मजदूरी का कार्य करते हैं और जिनमें से अधिकांश के पास कोई भूमि नहीं होती है। गाँव में इनकी दशा वास्तव में दयनीय है। इन मजदूरों के आर्थिक, सामाजिक जीवन का अध्ययन करने से ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई बेकारी व अर्द्ध-बेकारी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर कृषि पर जनसंख्या का भार आदि का आसानी से ज्ञान हो जाता है। (मुकर्जी आर.एन. 1998)

कृषक मजदूर जनपद की कार्यरत जनसंख्या में द्वितीय स्थान पर हैं। 1971 में कृषक मजदूरों का सर्वाधिक प्रतिशत भाँवरकोल विकास खण्ड में 44.75 प्रतिशत एवं सबसे कम देवकली विकास खण्ड में 15.79 प्रतिशत था। 1971 में गाजीपुर 20.05, बिरनो 28.02,

DISTRICT GHAZIPUR
OCCUPATIONAL STRUCTURE
IN PER CENT
>70
65-70
60-65
55-60
<55
1981
CULTIVATORS
1991
A
GANGA R.
IN PER CENT
>40
30-40
20-30
10-20
<10
AGRICULTURAL LABOURERS
1981
1991
B
10 0 10 20
Km

Fig. 5.9

सैदपुर 23.79, जखनियाँ 21.00, मनिहारी 20.64, एवं कासिमाबाद में 30.51 प्रतिशत कृषक मजदूर थे, जो जनपद के कृषक मजदूरों के प्रतिशत से कम है तथा करण्डा 32.13, मरदह 32.12, सादात 31.17, मुहम्मदाबाद 35.94, बाराचँवर 42.92, जमानियाँ 36.67, भदौरा 40.80, एवं रेवतीपुर 43.48 प्रतिशत जनपद के कृषक मजदूरों (30.52 प्रतिशत) के प्रतिशत से अधिक हैं।

वर्ष 1981 में सर्वाधिक कृषक मजदूर भाँवरकोल विकास खण्ड (39.09 प्रतिशत, जो जनपद के प्रतिशत 19.60 से बहुत अधिक) तथा सबसे कम जखनियाँ विकास खण्ड में 7.18 प्रतिशत कृषक मजदूर थे। मनिहारी 12.09, सादात 10.53, सैदपुर 12.85, देवकली 9.29, बिरनों 12.92, गाजीपुर 13.57, मरदह 11.80, करण्डा 20.63, कासिमाबाद 16.64, बाराचँवर 30.08, मुहम्मदाबाद 24.69, जमानियां 35.88, रेवतीपुर 38.87, तथा भदौरा में 33.32 कृषक मजदूर थे।

1991 में सबसे अधिक कृषक मजदूर रेवतीपुर विकास खण्ड में 47.27 प्रतिशत जनपद के कृषक मजदूरों के प्रतिशत (25.95 प्रतिशत) से अधिक है। सबसे कम कृषक मजदूर जखनियाँ विकास खण्ड में 11.99 प्रतिशत रहे। मनिहारी 16.09, सादात 17.73, सैदपुर 18.06 देवकली 13.67, बिरनो 13.15, गाजीपुर 22.80, भरदह 13.13, करण्डा 23.22, कासिमाबाद, 29.76, बाँराचँवर 31.75, मुहम्मदाबाद 32.88, भाँवरकोल 47.06 जमनियाँ 36.87 तथा भदौरा में 39.63 प्रतिशत कृषक मजदूर थे। (**परिशिष्ट 5.10, 5.11, 5.12 चित्र 5.9B**)

5.16.3 उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों का वितरण प्रतिरुप-

कार्यरत जनसंख्या का तीसरा प्रमुख वर्ग उद्योग एवं निर्माण कार्य में संलग्न जरसंख्या का है। जनगणना वर्ष 1971, 1981 एवं 1991 में क्रमशः 6.50, 4.25 एवं 5.32 प्रतिशत जनसंख्या उद्योग एवं निमार्ण कार्य में लगी थी। 1971 में उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत सादात विकास खण्ड में 7.80 प्रतिशत था तथा सबसे कम देवकली विकास खण्ड में 3.23 प्रतिशत था। 1971 में गाजीपुर में 6.32, करण्डा में 6.27, बिरनो में 5.63 मरदह में 5.16, सैदपुर में 6.40 जखनियाँ में 4.45, मनिहारी में 4.45, मुहम्मदाबाद में 5.58, भाँवरकोल में 4.45, कासिमाबाद में 7.36, बाराचँवर में 3.95, जमानियाँ में 6.39, भदौरा में 7.00, एवं रेवतीपुर में 6.17 प्रतिशत व्यक्ति उद्योग तथा निर्माण कार्य में लगे थे।

DISTRICT GHAZIPUR
OCCUPATIONAL STRUCTURE
HOUSEHOLD INDUSTRIES
A
1981
1991
IN PER CENT
>6.00
5.00 – 6.00
4.00 – 5.00
3.00 – 4.00
<3.0
GANGA R.
OTHER WORKERS
B
1981
1991
IN PER CET
>21
18 – 21
15 – 18
12 – 15
<12
GANGA R.
10 0 10 20
Km

Fig. 5.10

1981 में उद्योग एवं निर्माण कार्य में सर्वाधिक प्रतिशत करण्डा विकास खण्ड में 4.95 प्रतिशत एवं सबसे कम जमानियाँ विकास खण्ड में 1.50 प्रतिशत थे। जनपद के 4 विकास खण्ड- गाजीपुर 4.80, करण्डा 4.95, मुहम्मदाबाद 4.50 तथा भाँवरकोल 4.27 प्रतिशत जनपद से अधिक उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत रखते थे।

1991 में सर्वाधिक उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत गाजीपुर विकास खण्ड में 13.94 प्रतिशत तथा सबसे कम रेवतीपुर में 2.71 प्रतिशत रहा। जनपद के 5 विकास खण्ड जनपद से अधिक उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे लोगों का प्रतिशत रखते हैं यथा- जखनियाँ 6.47, सैदपुर 6.88, गाजीपुर 13.94, मुहम्मदाबाद 9.02 तथा जमानियाँ में 6.83 प्रतिशत व्यक्ति उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे थे। शेष 11 विकास खण्ड जनपद के प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले रहे यथा- मनिहारी 5.24, सादात 4.45, देवकली 4.71, बिरनो 4.01, मरदह 3.88, करण्डा 4.96, कासिमाबाद 3.70, बाराचँवर 4.11, भाँवरकोल 2.37, रेवतीपुर 2.71 तथा भदौरा 3.84 प्रतिशत रहे। **(परिशिष्ट 5.10, 5.11, 5.12 चित्र 5.10 A)**

5.16.4 अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों का वितरण प्रतिरूप-

चतुर्थ एवं अन्तिम वर्ग अन्य व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का है। 1971, 1981 एवं 1991 के जनगणना वर्षों में अन्य व्यवसायों में लोगों का प्रतिशत क्रमशः 11.46, 22.64 एवं 15.56 प्रतिशत था। जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ अन्य व्यवसाय में लगी जनसंख्या का प्रतिशत 1981 तक बढ़ा है, क्योंकि जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप अधिकांश जनसंख्या अन्य व्यवसायों में संलग्न होती गयी। 1991 में अन्य व्यवसायों में लगी जनसंख्या के प्रतिशत में कमी आयी है, इसका कारण लोगों का रोजगार की तलाश में अन्यत्र चले जाना, एवं आई बेरोजगारी की व्यापकतर दशाएं हैं। अन्य व्यवसायों में लोगों का प्रतिशत 1971 में सर्वाधिक भदौरा विकास खण्ड में 14.20 प्रतिशत था एवं सबसे कम जखनियाँ में 6.75 प्रतिशत था। गाजीपुर में 13.04, करण्डा में 13.14, बिरनो में 9.51, मरदह में 7.15, सैदपुर में 7.20, देवकली में 8.57, सादात में 9.93, मनिहारी में 6.94, मुहम्मदाबाद में 9.80, भाँवरकोल में 8.47 कासिमाबाद में 6.88, बाराचँवर में 6.87, जमानियाँ में 13.48 एवं रेवतीपुर में 9.65 प्रतिशत व्यक्ति अन्य व्यवसायों में संलग्न थे।

1981 में सर्वाधिक व्यक्ति गाजीपुर विकास खण्ड में 27.29 प्रतिशत एवं सबसे कम जमानियाँ में 10.79 प्रतिशत जो जनपद के प्रतिशत 22.64 से क्रमशः अधिक एवं कम है। जनपद से अधिक प्रतिशत वाले विकास खण्ड मरदह 28.32 तथा सैदपुर 23.35 थे। अन्य सभी विकास खण्ड जनपद के प्रतिशत से कम थे।

1991 में अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत गाजीपुर विकास खण्ड में 22.00 एवं सबसे कम सादात विकास खण्ड में 13.90 प्रतिशत रहा। जनपद के 8 विकास खण्ड जनपद के प्रतिशत 15.56 से अधिक व्यक्तियों का प्रतिशत रखते हैं- जखनियाँ 19.06, मनिहारी 16.91, सैदपुर 18.13, करण्डा 17.29, बाराचँवर 15.82, मुहम्मदाबाद 16.57 तथा भदौरा 20.23 प्रतिशत रहे। शेष विकास खण्डों में अन्य व्यवसाय में लगे लोगों का प्रतिशत जनपद के प्रतिशत से कम रहा यथा- सादात 13.23, देवकली 13.90, बिरनो 14.67, मरदह 14.43, कासिमाबाद 14.21, भाँवरकोल 14.01, जमानियाँ 15.45 तथा रेवतीपुर 15.12 प्रतिशत रहे। **(परिशिष्ट 5.10, 5.11, 5.12, चित्र 5.10 B)**

5.17 नगरीय केन्द्रों की व्यावसायिक संरचना-

कार्यरत जनसंख्या- जनगणना वर्ष 1981 में कार्यरत जनसंख्या को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया मुख्य कर्मकर एवं सीमांतिंक कर्मकर। 1991 में जनपद के नगरीय केन्द्रों में सर्वाधिक मुख्य कर्मकर बहादुरगंज 25.79 प्रतिशत तथा सबसे कम गाजीपुर में 21.77 प्रतिशत रहे। जबकि सर्वाधिक सीमांतिक कर्मकर बहादुरगंज में 2.54 एवं न्यूनतम 0.07 प्रतिशत गाजीपुर नगरपालिका में रहे।

कृषकों का वितरण- 1991 में सर्वाधिक कृषक जंगीपुर नगरपालिका में 20.95 एवं न्यूनतम गाजीपुर में 4.25 प्रतिशत रहे। इसी प्रकार सैदपुर में 14.15, सादात में 19.62, मुहम्मदाबाद में 10.21, बहादुरगंज में 13.32, जमानियाँ में 16.74 एवं दिलदारनगर में कृषकों का प्रतिशत 5.94 रहा।

कृषक मजदूर- सर्वाधिक कृषक मजदूरों का प्रतिशत जमानियाँ में 11.89 एवं सबसे कम गाजीपुर नगरपालिका में 1.68 प्रतिशत रहा। अन्य नगर केन्द्रों में सैदपुर 11.29, सादात 4.67, जंगीपुर 5.95, मुहम्मदाबाद 8.55, बहादुरगंज 8.58 तथा दिलदार नगर में कृषक मजदूरों का प्रतिशत 8.46 रहा।

उद्योग एवं निर्माण कार्य- 1991 की जनगणनानुसार उद्योग एवं निर्माण में लगे व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत बहादुरगंज में 45.09 तथ सबसे कम दिलदारनगर में 11.51 प्रतिशत रहा। जबकि सैदपुर 18.39, सादात 27.89, गाजीपुर 18.63, जंगीपुर 18.41, मुहम्मदाबाद 17.95, बहादुरगंज 45.09 तथा जमानियाँ में 16.85 प्रतिशत व्यक्ति उद्योग एवं निर्माण कार्य में संलग्न रहे।

अन्य व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या- अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत गाजीपुर नगर पालिका में 75.09 एवं सबसे कम बहादुरगंज में 23.95 प्रतिशत रहा। सैदपुर में 55.10, सादात में 51.85, जंगीपुर में 44.32, मुहम्मदाबाद में 63.70 बहादुर गंज में 23.95, जमानियाँ में 52.78 तथा दिलदार नगर में 72.68 प्रतिशत जनसंख्या अन्य व्यवसायों में संग्लग्न थे। नगरीय केन्द्रों में प्राथमिक कार्य गौण होता है फलतः इस वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है। (**परिशिष्ट 5.13**)

5.18 सर्वेक्षित ग्रामों की व्यवसायिक संरचना-

सर्वेक्षित ग्रामों में सबसे अधिक कार्यरत जनसंख्या थनईपुर ग्राम में 38.36 प्रतिशत तथा सबसे कम हुरमुजपुर गाँव में 30.21 प्रतिशत है। कृषक जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत शिकारपुर ग्राम में 64.36 एवं सबसे कम किशुनीपुर ग्राम में 44.56 प्रतिशत है। कृषक मजदूर सर्वाधिक सरायमुरादअली में 36.12 एवं सबसे कम हुरमुजपुर गाँव में 12.01 प्रतिशत है। उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे लोगों का सर्वाधिक एवं न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः सआदतपुर 14.25 एवं किशुनीपुर 5.82 प्रतिशत है। अन्य व्यवसायों में लगे लोगों का सर्वाधिक प्रतिशत थनईपुर में 20.34 एवं न्यूनतम सरायमुरादअली में 9.54 प्रतिशत रहा। (**तालिका 5.20, चित्र 5.11**)

सर्वेक्षित ग्रामों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषक तथा कृषक मजदूर दोनों मिलकर कार्यरत जनसंख्या का 70 प्रतिशत से अधिक भाग आवरित करते हैं। अधिकांश कृषक परम्परावादी है एवं खाद्यानों की ही कृषि करते हैं। अतः इनके विकास हेतु सिंचाई व्यवस्था में सुधार बहुफसली कृषि, एवं जनसंख्या वृद्धि की तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने की महती आवश्यकता है।

DISTRICT GHAZIPUR

OCCUPATIONAL STRUCTURE OF SAMPLE VILLAGES

Shikarpur
Hurmujpur
Saadatpur
Ahirpurwa
Thanaipur
Hardia
Dhuwarjun
Pawata
GANGA RIVER
Saraimuadali
Kishunipur

Cultivators
Agricultural Labourers
Household Industries
Others

8 0 8
Km

Fig. 5.11

तालिका 5.20

सर्वेक्षित ग्रामों में व्यवसायिक संरचना (प्रतिशत) 2002

ग्राम	कार्यरत जनसंख्या	कृषक	कृषक मजदूर	उद्योग एवं निर्माण कार्य	अन्य व्यवसाय	अकार्यरत जनसंख्या
अहिरपुरवा	35.72	55.28	23.80	6.73	14.21	64.28
किशुनीपुर	36.39	44.56	35.37	5.82	14.28	63.61
थनईपुर	38.36	55.98	16.78	6.88	20.36	61.64
धुवार्जुन	33.77	54.75	20.23	8.34	16.68	66.23
पवटा	34.33	63.46	14.85	8.71	12.97	65.72
शिकारपुर	36.18	64.36	19.87	5.87	10.00	63.82
सरायमुरादअली	35.87	47.35	36.12	7.01	9.54	64.13
सआदतपुर	32.05	51.85	21.79	14.25	12.14	67.95
हरदिया	33.54	46.86	31.92	8.56	12.65	66.46
हुरमुजपुर	30.21	61.78	12.01	7.52	18.70	69.89

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

REFERENCES

1. Chandana R.C. (2001) ``Population Geography" (in Hindi) Kalyani Publishers New Delhi P. 181.
2. Chandana R.C. and Sidhu M.S. (1980) ``Introduction to Population Geography" Kalyani Publications New Delhi P 98
3. Franklin S.H. (1956) ``The Pattern of Sex Ratio in Newzealand" ``Economic Geography" Vol 32.
4. Mohapatra A.C. Nazarene V.M. (1998) ``Litracy And The Poor: Study of Selected Slum of Shillong National Geographical Journal of India N.G.S.I., B.H.U. vol 44 (1-4) March Dec. 1998 P 12
5. Mishra J.P. (2001) Censces of India 2001 (In Hindi) Sahitya Bhawan Publications Agra P. 17
6. Mukerjee R.N. and Kulshrestha G.C. (1998) "Indian Rural Sociology" Prakash Book Dipot Bada Bazar Bareilly P. 187
7. Ojha R. (1983) ``Jansankhya Bhoogol" Pratibha Prakashan Kanpur P. 172
8. Pant J.C. (1983) `Janankikee' Goyal Publishing House Subhash Nagar Meerut PP 338-339
9. Singh S.N. (1970) ``Demographic Structure of Surrounding Area of Varanasi City UTTAR BHARAT Bhugol Patrika Vol VI No. 1 June P. 63
10. Singh M.B. and Dubey K.K. (2001) "Population Geography" Rawat Publications Jaipur P. 206
11. Singh J. (1996) ``Economic Geography" (In Hindi) Gyanodya Prakashan Gorakhpur P. 241

12 Trewartha G.T. (1969) ``A Geography of Population World Pattern" Johan Wiley and Sons New York.

13. Tyagi N. (1982) "A Geographical Study of Hill Resorts of U.P. Himalaya" Ph. D. Thesis University of Gorakhpur P. 151.

14. Yadav H.L. (1997) `Jansankhya Bhoogol' Vasundhara Prakashan Gorakhpur pp. 167, 168, 177, 195

15. Yadav Rana P.S. (1997-98) Population Study of Sadat Block District Ghazipur U.P. Dissertation Work For Master of Arts in Geography B.H.U. P. 49

❑ अध्याय 6

परिवार कल्याण कार्यक्रमः संगठन एवं कार्यप्रणाली

निरन्तर बढ़ती जनसंख्या एवं सीमित संसाधनों में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, जिस प्रकार शरीर के लिए आवश्यकता से कम तथा अधिक भोजन दोनों हानिकारक हैं, उसी प्रकार देश के त्वरित आर्थिक विकास हेतु समुचित जनसंख्या का होना आवश्यक है। विकासशील राष्ट्र जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं फलतः परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्वीकारोक्ति अनिवार्य हो गयी है। 'परिवार कल्याण कार्यक्रम एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, परिवार की भलाई समाज का सुधार तथा देश की उन्नति करना है। (कौल एच.एन., ओझा आर. 1983) परिवार का चतुर्दिक विकास तभी सम्भव है जब शिशु के गर्भ में आने से पूर्व ही ध्यान दिया जाये इसीलिए गर्भधारण तथा गर्भिणी के भारतीय शास्त्रों में वर्णित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाये। जब गर्भवती स्त्री के गर्भावस्था के समय तथा बाद में प्रसव तथा प्रसव के बाद रोगों के संरक्षण की उचित व्यवस्था आयरन फोलिक एसिड इत्यादि दवाइयां रक्ताल्पता से बचाने के लिए समय पर मिलेंगी तभी माताओं और बच्चों को सुखी रखा जा सकता है। यही आधार भूत तथ्य है। यह सर्वविदित है कि प्रभावसाली ढंग से लागू किये गये परिवार कल्याण कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ, विनियोग की मात्रा से अधिक होते हैं। (यादव हीरालाल 1997) 'परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य न सिर्फ मनुष्य की संख्या को कम, अधिक या स्थिर रखना होता है, प्रत्युत संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या के बड़े भाग के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि का प्रयास करना होता है। (अग्रवाल एस.एन. 1978)

6.1 भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का इतिहास-

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम बहुत पुराना नहीं है। सन् 1916 में प्यारे किशन वात्तल ने जनसंख्या वृद्धि तथा संदर्भित परिणामों का विवरण देते हुए अपनी पुस्तक 'द पापुलेशन प्राब्लम आफ इंडिया' प्रकाशित की। 1925 में प्रो. रघुनाथ सी. कार्वे ने महाराष्ट्र में 'संतति निग्रह चिकित्सालय' स्थापित किया। कदाचित् किसी को कल्पना भी नहीं रही होगी कि संतति निग्रह का यह अभिनव प्रयोग कालान्तर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लेगा। तदुपरान्त (चेन्नई) में 'नव

माल्थसवादी संघ' की स्थापना की गयी। 11 जून 1930 में मैसूर (कर्नाटक) में शासन द्वारा संसार की प्रथम 'बर्थ कण्ट्रोल क्लिनिक' की स्थापना की गयी जो भारत के लिए गर्व का विषय रहेगा। सन् 1930 से ही देश के शिक्षित जनमत ने परिवार कल्याण के विचार का स्वागत किया। सन् 1933 में मद्रास सरकार ने अपनी प्रेसीडेंसी में संतति निग्रह चिकित्सालय प्रारम्भ किया। इसी वर्ष 'आल इंडिया वीमेंस कान्फ्रेंस लखनऊ में संतति निग्रह के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे, एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की इस समिति ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता स्वीकार करते हुए इसे योजना का अभिन्न अंग बना दिया। 'अखिल भारतीय महिला सभा' के विशेष निमंत्रण पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की विशेषज्ञा श्रीमती मार्गरेट सेंगर 1935-36 में भारत आयीं। उनका कथन था कि- 'रिप्रोडक्शन इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट' अपने संतति निग्रह के कार्यक्रम के व्यापक अनुभवों के आधार पर परिवार कल्याण को लोकप्रिय बनाने की सलाह दी। सितम्बर 1935 में 'फेमिली हाइजीन' संबंधी अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया गया। डा. एस.पी. पिल्लई ने जो संतति निग्रह के प्रबल समर्थक थे, सन् 1936 में कई स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की। सन् 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में परिवार कल्याण कार्यक्रम का समर्थन किया। सन् 1939 में रैना साहब ने उज्जैन में एक 'मातृ सेवा मंदिर' प्रारम्भ किया। 1940 में श्री पी.एन.सप्रू 'कौंसिल आफ स्टेट्स' में बर्थ कण्ट्रोल क्लिनिक चलाये जाने का प्रस्ताव रखा जो बहुमत से पारित हुआ। इसी समय 'फेमिली प्लानिंग लंदन' की ओर से श्रीमती रीना दत्त ने भारत का भ्रमण किया। 1940 में ही बंबई (मुम्बई) में 'भगिनी समाज संतति निग्रह चिकित्सा केन्द्र' को सम्मिलित करते हुए 'स्टडी एण्ड प्रमोशन हाइजीन समिति', ने 'फेमिली प्लानिंग सोसाइटी' के रूप में कार्य प्रारम्भ किया। सन् 1943 में 'हेल्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेंट' कमेटी की स्थापना की गयी जिसके अध्यक्ष श्री जोसेफ भोर थे। सन् 1946 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें केवल माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार कल्याण के अपनायें जाने के संबंध में सुझाव दिये गये।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में अपने विचार व्यक्त किये। तथा परिवार कल्याण की आवश्यकता को स्वीकार किया। सन् 1948 में श्रीमती धन्वतरी रामाराव की अध्यक्षता में 'भारतीय परिवार नियोजन संघ', की स्थापना की गयी। भारत वर्ष में इस दिशा में यह एक अग्रगामी कदम था। सन् 1951 में 'योजना आयोग' ने परिवार कल्याण के महत्व को ध्यान में रखकर एक विशेष समिति का गठन किया इस समिति की अध्यक्षा डा. सुशीला नायर थीं। इसके सदस्य डा. आर.ए.गोपाल स्वामी, डा. ज्ञानचन्द्र एवं डा. ए.सी.बसु

थे। इसके अतिरिक्त इसकी महत्वपूर्ण सदस्या श्रीमती धन्वन्तरी राय थी। इस समिति ने अध्ययन का जो लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या समस्या पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। इसी काल में 'प्लांट पेरेण्ट हुड' के माने हुए अमेरिकी विशेषज्ञ डा. अब्राहम स्टोन भारत वर्ष आये और उन्होंने 'रिदिम विधि' के आधार पर देश के दिल्ली, मैसूर, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पांच केन्द्रों की स्थापना की। इन केन्द्रों में महिलाओं के लिए 'रिदिम विधि' अथवा सुरक्षित प्रसव काल संबंधी प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया।

सन् 1953 में 'पापुलेशन कौंसिल' के नियंत्रण पर दो विशेषज्ञ डा. फ्रेंक नाइस्टीन एवं डा. ल्युनावामगार्टनर भारतीय जनसंख्या संबंधी समस्या पर सलाह देने हेतु आये इनके सुझाव पर 'परिवार कल्याण अनुसंधान एवं कार्यक्रम समिति' ने यह सुझाव सर्वानुमति से लिया कि अपने देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम तत्काल प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। इसके लिए दो उप समितियों का गठन भी किया गया। इस समिति ने अपनी पहली ही बैठक में इस बात पर बल दिया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम संतति निग्रह अथवा दो बच्चों के जन्म के बीच उचित अंतर तक ही न सीमित रखा जाय, जहां तक संभव हो सके समाज में परिवार की ईकाई को उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए जिससे व्यक्ति को विकास का पूर्ण अवसर मिले, उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा प्रत्येक सदस्य स्वस्थ शिक्षित तथा समृद्ध बन सके। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम की रूपरेखा बनायी जानी चाहिए।

6.2 परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता-

भारत में भारी जनसंख्या वृद्धि तथा परिवारों के बढ़ते आकार को देखते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम आवश्यक है। भारत में यह परिवार आकार 12.3 करोड़ परिवारों के संदर्भ में औसत परिवार आकार 5.5 का आता है। अर्थात् एक परिवार में औसतन 4 बच्चे हैं। (यादव हीरालाल 1997) यह परिवार आकार उच्च जन्मदर एवं निम्न मृत्युदर का प्रतिफल है। यदि जन्मदर में कमी नहीं लाई गयी तो, देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोका नहीं जा सकता। इस हेतु संतति निरोध की उचित विधियों को अपनाना आवश्यक है। पाश्चात्य देशों में दीर्घकाल से ही परिवार कल्याण कार्यक्रम उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता का विश्लेषण परिवार कल्याण के विविध पक्षों के माध्यम से किया गया है—

6.2.1 आर्थिक पक्ष-

आर्थिक कारणों के आधार पर जन्मदर में ह्रास आना आवश्यक है, किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उन्नत होता है तो जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है इसीलिए जेनेवा कान्फ्रेंस में 'विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है', का नारा दिया गया था। जनसंख्या तभी कम हो सकती है जब प्रत्येक दम्पत्ति परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा अपने बच्चों की संख्या सीमित करने का प्रयास करे। बालको के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की समुचित व्यवस्था करे।

भारत की पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कुल राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी। इस अवधि में प्रति व्यक्ति में औसत वार्षिक वृद्धि 1.25 प्रतिशत रही। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधे से भी अधिक भाग को जनसंख्या वृद्धि ने अपहरित कर लिया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में राष्ट्रीय उत्पाद में 3.3 एवं प्रतिव्यक्ति आय में केवल 1.1 प्रतिशत की वृद्धि रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5.2 प्रतिशत एवं प्रति व्यक्ति आय में 3.1 प्रतिशत वृद्धि रही। छठीं पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5.2 एवं प्रतिव्यक्ति आय में 3.0 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त की गयी। सातवीं योजना में यह वृद्धि क्रमशः 5 एवं 3.6 प्रतिशत वृद्धि दर रही तथा आठवीं योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही तथा नवीं योजना का लक्ष्य 6.5 प्रतिशत है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2002- 31 मार्च 2007 तक) के दृष्टिकोण पत्र में 8 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अल्प प्रवृत्ति से, एवं तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी तथा खाद्य समस्या को गंभीर बना दिया है। 87 प्रतिशत परिवार केवल जीवन निर्वाह के बराबर आय पाते हैं। अतः रहन-सहन का स्तर अत्यन्त शोचनीय है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की समस्या शोचनीय होती जा रही है। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने, खाद्य तथा बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकना होगा।

6.2.2 सामाजिक पक्ष-

परिवार व समाज तथा राष्ट्र के हित एक दूसरे से पृथक नहीं है। 'हैवलाव एलिस' के शब्दों में 'विवाह करने का अधिकार संतान उत्पन्न करने के अधिकार का पूरक नहीं है क्योंकि विवाह करने का अच्छा या खराब प्रभाव उन्हीं दो व्यक्तियों पर पड़ता है, जिनमें यह गठबंधन हुआ है।

राज्य पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। 'परन्तु सन्तानोत्पत्ति का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। क्योंकि भावी संतानें भावी समाज का निर्माण करती हैं'। परिवार कल्याण का उद्देश्य केवल परिवार के आकार को सीमित करना नहीं है, वरन् युवक युवतियों का विवाह, पितृत्व अथवा मातृत्व के योग्य बनने, काम संबंधी शिक्षा, विवाह संबंधी सलाह आदि देना है। अतः परिवार कल्याण से महत्वपूर्ण सामाजिक उत्थान होगा, विशेष रूप से महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन एवं वासना की तुष्टि का साधन मात्र ही नहीं समझी जायेंगी, अभी तक यह नारी जीवन की दुःखद समझ का ही परिणाम है कि आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा सुविधाओं के मामले में संवैधानिक समानता की गारण्टी के बावजूद इनकी साक्षरता 54.16 है। स्त्री साक्षरता में वृद्धि होने से स्त्रियां सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती है जिसका परिवार कल्याण कार्यक्रम पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

6.2.3 नैतिक पक्ष-

परिवार कल्याण कार्यक्रम मात्र कुछ जानकारी एवं दुष्परिणामों को समझ लेने से ही पूर्णता को नहीं प्राप्त होगा। अपितु प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह संतति निग्रह के आधुनिक तरीकों का प्रयोग कर परिवार के आकार को छोटा करे।

6.2.4 राजनैतिक पक्ष-

लोकतंत्रीय योजना की एक बड़ी बाधा है अनिवार्यता या जोर जबर्दस्ती का अभाव। इसीलिए एक ओर जहां चीन जैसे देश में 'प्रति दंपत्ति एक बच्चा' का सिद्धान्त लागू करके, जनसंख्या के आकार को नियन्त्रित करने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। हम अपनी नौ पंचवर्षीय योजनाओं में से किसी एक में भी सामान्य जन्मदर के निर्धारित लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। मध्य प्रदेश अपनी जनसंख्या नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है तथा महाराष्ट्र दूसरा मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति में पंचायत प्रतिनिधियों को दो बच्चों से अधिक होने पर पदमुक्त करने का प्रावधान, महाराष्ट्र में तो तीन बच्चों वाले दम्पतियों के राशन कार्ड भी न बनाने के निर्देश दिये गये हैं। लेकिन विधायकों एवं सांसदों के लिए ऐसे प्रावधान क्यों नहीं? यह नीति निर्माताओं के पूर्वाग्रह का ज्वलन्त प्रमाण है। अतः परिवार कल्याण कार्यक्रम की अनिवार्यता सबके लिए अनिवार्य बनायी जाये।

6.2.5 स्वास्थ्य पक्ष-

बच्चों के समुचित पालन पोषण, माताओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम आवश्यक है। भारत में प्रसव के दौरान एक लाख में से 407 माताओं की मृत्यु हो जाती है (भारत 2000)। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर.सी.एच. कार्यक्रम में सुधार कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेफरेल यूनिटें तय कर प्रजनन सुविधायें प्रदान कर इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त कानूनी गर्भपात, जन्म से पहले लिंग निर्धारण पर रोक, गर्भनिरोधकों की सामाजिक बिक्री, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

6.3 परिवार कल्याण कार्यक्रम में बाधाएं-

परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है तथा लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां कम हैं। हाल के वर्षों में यह कार्यक्रम प्रशासकों, योजनाकारों, तथा जनसंख्या विशेषज्ञों के लिए बहस का विषय रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार कल्याण को विशेष प्रमुखता दी जाये एवं जनमानस का पूर्ण सहयोग लिया जाये। क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो सकती। परिवार कल्याण कार्यक्रम में धार्मिक, नैतिक, आर्थिक एवं अल्प साक्षरता विशेषतः महिला साक्षरता मुख्य बाधाएं हैं। (खरे पी.सी. 1985)

6.3.1 धार्मिक बाधाएं-

संसार के प्रमुख धर्म उपदेशक, धर्म गुरु, संतति-निरोध को एक अधार्मिक कृत्य कहकर विरोध करते हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का सार परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में ही निहित है। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति जीवन के चार लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद होती है। ये चार लक्ष्य ही पुरुषार्थ हैं। मनुष्य को इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जीवन के चार आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास से होकर गुजरना पड़ता है। हिन्दू धर्म शास्त्रों में जहां एक ओर अधिक संतान उत्पन्न करने को कहा गया है, वहीं कुछ धर्मग्रन्थों जैसे ऋग्वेद तथा युजुर्वेद में इस बात का भी उल्लेख है कि एक निश्चित सीमा के पश्चात् अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। हिन्दू धर्म संतति निरोध का विरोध नहीं करता है, यदि हम आज भी हिन्दू धर्मानुसार आश्रम व्यवस्था से जीवन यापन करें तो संभवतः परिवार कल्याण की समस्या स्वतः हल हो जायेगी।

मुस्लिम सम्प्रदाय में भी यह भ्रम विद्यमान है कि परिवार कल्याण मजहब के खिलाफ है। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जब खुदा के बंदे शादी करते हैं तो वे इस्लाम धर्म में अर्द्ध पारंगत हो जाते हैं। इस्लाम में अल्लाह को यह कहते हुए बताया गया है कि विवाह करों तथा वंश वृद्धि करो, ताकि अन्य जातियों की अपेक्षा अपनी जाति को तथा मुझे गौरव प्राप्त होसके। दिल्ली की इस्लामिक रिसर्च सोसाइटी, ने मुसलमानों में परिवार कल्याण को लोकप्रिय बनाने के लिए 'खानदानी मंसूबा बंदी कुरान' और 'हरीश की रोशनी', शीर्षक से उर्दू में एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें मुसलमानों की इस धारणा का खंडन किया गया है कि परिवार कल्याण उनके धर्म के विरूद्ध है। इस पुस्तिका में परिवार कल्याण को कुरान सम्मत सिद्ध किया गया है।

परिवार कल्याण या संतति निरोध के बारे में रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध दसवें पोप पायस के विवाह के संबंध में जारी किये गये पत्र के आधार पर हैं। पोप पायस ने सन् 1930 में विवाह के संबंध में यह पत्र जारी किया था। इस पत्र में कहा गया है कि गर्भाधान की प्राकृतिक क्रिया को जान बूझकर विभिन्न उपायों द्वारा रोकना उसका विरोध करना ईश्वर तथा प्रकृति के नियम के विपरीत है, और जो लोग यह कृत्य करते हैं, वे भयंकर पाप करते हैं।

इस प्रकार रोमन कैथोलिक धर्मावलम्बी परिवार को गर्भ निरोध के विभिन्न साधनों द्वारा नियोजित करना अपराध समझते हैं फिर भी यह सत्य है कि रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध परिवार कल्याण के गर्भ निरोधक साध्य से नहीं है अपितु साधन से है, अर्थात् वे लोग गर्भाधान को वैज्ञानिक साधनों से रोककर परिवार कल्याण करने के पक्ष में नहीं है। उन्हें साध्य के रूप में परिवार कल्याण से कोई विरोध नहीं है। वास्तव में रोमन कैथोलिक धर्मालम्बी परिवार कल्याण को नैतिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यक समझते हैं। किन्तु इस कार्य हेतु गर्भ-निरोध के वैज्ञानिक साधनों की अपेक्षा आत्मसंयम का संहारा लेना उचित समझते हैं।

6.3.2 नैतिक बाधाएं-

संतति निरोध के बारे में यह आम धारणा है कि यह कृत्य अनैतिक है। नैतिकता सदाचार एवं शील संबंधी मनुष्य की आस्थाएं प्रत्येक युग में परिवर्तित तथा विकसित होती गयी हैं, मनुष्य के नैतिक सिद्धान्त इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनसे समाज का हित होता है या नहीं मनुष्य की आवश्यकताएं बदल गयी हैं। परिणामतः हमारे नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है। भारत में सतीप्रथा, बहुपत्नी प्रथा, तत्कालीन समाज में उचित लगती थी लेकिन आज वे हेय समझी जाती है। भले ही संतति निरोध को आज कुछ व्यक्ति अनैतिक कहें, किन्तु यह निर्विवाद है कि यह प्रक्रिया सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है, इसलिए आज नहीं तो कल लोग इसे नैतिक कहेंगे।

6.3.3 सामाजिक बाधाएं-

कतिपय आलोचकों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवार कल्याण द्वारा समाज में यौन–दुराचार फैलेगा। परिणाम स्वरुप हमारा सामाजिक संगठन छिन्न-भिन्न होने लगेगा, चूंकि संतति-निरोध द्वारा नये बच्चे के आगमन का भय नहीं रहेगा। इसलिए युवक- युवतियों में चारित्रिक दुराचार बढ़ेगा। वस्तुतः भारतीय समाज में यह भावना भी लुप्त हो रही है कि परिवार में अधिक लोगों के रहने से परिवार अधिक शक्तिशाली होता है। पुरातन समाज में सुधार एवं कल्याण परिवार के कर्तव्य थे, पर अब वे राष्ट्र के कर्तव्य बन गये है। जो आगे चलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम में साधक होगा। इसलिए यह बात निश्चित सत्य है कि आधुनिक समाज प्राचीन रूढ़ियों को परिवर्तित कर रहा है।

6.3.4 आर्थिक बाधाएं-

समाज वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि निम्न आय वाले लोगों के अधिक बच्चे होते हैं, अपेक्षाकृत उनके जो उच्च आय वाले होते हैं। इसलिए परिवार कल्याण के कार्यक्रम निम्न आय वाले लोगों तक पहुंचाये जाने चाहिए। फलतः जनसंख्या वृद्धि राष्ट्र के विकास के अनुकूल होगी।

6.3.5 निम्न साक्षरता-

निम्न साक्षरता विशेषतः महिलाओं की निम्न साक्षरता का जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी के लिए हायर सेकेण्डरी तथा इंटरमीडियट तक की शिक्षा महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी अवस्था के बाद लड़कियां प्रजनन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। जो लड़कियां पढ़ती हैं उनका बिवाह देर से होना स्वाभाविक है। अतः साक्षरता हेतु दृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे परिवार कल्याण कार्यक्रम सकारात्मक सफलता की ओर अग्रसर हो।

देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम में अन्य बाधाएं भी हैं जैसे राजनीतिक सीमाएं जिनके अन्तर्गत कार्यक्रम चलाया जाता है, दोषपूर्ण कार्यक्रम नीति जिसमें आपरेशन पर अनावश्यक जोर, चिकित्सा कर्मचारियों पर आत्मनिर्भरता आदि। इसके अतिरिक्त प्रचार के साधनों में कमी, गर्भ

निरोधकों की अज्ञानता, स्वास्थ्य गिरने की मिथ्या डर आदि। स्त्रियों की साक्षरता बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था जैसे चुने हुए कार्यक्रम राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ चलाये जायें। साथ ही ऐसी स्त्रियों के लिए मातृ-शिशु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम सेवाओं पर ध्यान दिया जाये। जन्म आधारित परिवार कल्याण कार्यक्रम का जन्मदर पर अधिक कारगर असर पड़ने की संभावना है।

6.4 प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सिफारिश करते हुए प्रथम योजना में कहा गया कि- उत्पादकता की दर उस सीमा तक कम करने से ही जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार जनसंख्या को एक स्तर तक रखने के लिए आवश्यक है, जब बड़े पैमाने पर जनता परिवार सीमित रखने की आवश्यकताओं को समझे तभी यह कार्य हो सकता है। परिवार कल्याण की आवश्यकता का मुख्य कारण परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण का ही विचार है। माता को स्वस्थ रखने तथा बच्चों को उचित पालन पोषण के लिए परिवार सीमित रखना अथवा बच्चों के जन्म के बीच काफी अंतर रहना आवश्यक तथा वांछनीय है। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्पन्न किये जाने वाले कार्य जनस्वास्थ्य कार्यक्रम का ही अंग होना चाहिए।

उक्तनीति के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ही एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया था। योजना आयोग के अनुसार परिवार-कल्याण के क्षेत्र में सफलता दो बातों पर निर्भर करती है, प्रथम परिवार कल्याण के प्रति जनता में सहानुभूति उत्पन्न करना और द्वितीय इस संबंध में उन्हें उचित परामर्श और साधन प्रदान करना, जो सर्वग्राह्य, मितव्ययी, कुशल और लाभदायक हो। प्रथम योजनाकाल में केन्द्रीय सरकार ने परिवार कल्याण के लिए 65 लाख रुपये व्यय करने का आयोजन किया था किन्तु वास्तविक व्यय केवल 18.5 लाख रुपये ही हुए। यह धनराशि जनसंख्या की विशालता एवं विकट समस्या की दृटि से अत्यंत कम थी। इस योजना में निम्न बातों पर विशेष महत्व दिया गया-

(1) देश में तीव्र जनवृद्धि के वैज्ञानिक कारणों को पता किया जाय।

(2) उन विधियों की खोज की जाय जिनके माध्यम से भारतीय जनता में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरुकता पैदा की जाये।

(3) प्रजनन संबंधी तथ्यों को ज्ञात कर उसके नियमन के कारगर उपायों का पता लगाना।

(4) शिक्षा के प्रचार द्वारा जनता में परिवार कल्याण कार्यक्रम और उसकी आवश्यकता की अनुभूति को जाग्रत करना।

(5) स्वास्थ्य सेवाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम का अंग बनाकर, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्रों की सुविधा से जनता को परिवार कल्याण की सलाह दी जाये विशेषतः ऐसी माताओं को जिनका स्वास्थ्य खराब है या अधिक संतानोत्पत्ति के कारण जो अधिक सन्तानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।

(6) देश के विभिन्न भागों व समुदायों की सामाजिक सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति का पता कर तद्नुरुप परिवार कल्याण की विधि अपनाने का सुझाव देना। साथ ही पुनरूत्पादन के संबंध में उनकी मनोवृत्ति क्या है इसका अध्ययन किया जाये।

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रारम्भिक तैयारी तथा जानकारी की अवधि रही। कुल मिलाकर 1956 तक 147 परिवार कल्याण क्लिनिक खोले गये। 126 नगरीय क्षेत्रों में तथा 21 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये।

6.5 द्वितीय पंचवर्षीय योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने जनसंख्या नियन्त्रण को राष्ट्रीय कल्याण तथा राष्ट्रीय नियोजन की दृष्टि से आवश्यक समझा। योजना आयोग के अनुसार- 'राष्ट्रीय कल्याण एवं राष्ट्रीय नियोजन के लिए भारत वर्ष की जनसंख्या के आकार एवं गुण दोनों का नियन्त्रण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया गया-

(1) परिवार कल्याण के संबंध में जनता को शिक्षित करना।

(2) परिवार कल्याण के संबंध में जनता को परामर्श एवं सहायता देने वाली सुविधाओं का प्रसार करना।

(3) कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिएं उचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

(4) जनसंख्या की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान करना।

(5) जिन संस्थाओं को केन्द्रीय समिति द्वारा अनुदान तथा सहायता दी जाये उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाये।

(6) विकास कार्य का प्रतिवेदन एवं विवरण तैयार करना।

(7) एक सुसंगठित केन्द्रीय संगठन की स्थापना करना।

परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा जनसंख्या संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन एक परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गयी। यह बोर्ड कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी करता है। द्वितीय योजना के अन्त में परिवार कल्याण क्लिनिक की संख्या शहरी क्षेत्रों में 827 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1379 हो गयी। अन्य परिवार कल्याण सेवाएं 300 शहरी तथा 1886 ग्रामीण चिकित्सा तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराई गयी। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और त्रिवेन्द्रम में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये। दूसरी योजना के अंत तक लगभग एक लाख बन्ध्याकरण करा लिया गया। इस योजना काल में परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर 5 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

6.6 तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का सर्वाधिक प्रसार वस्तुतः 1961 के बाद आरम्भ हुआ। 1961 की जनगणना के परिणामों ने सरकार तथा विचारशील व्यक्तियों को इस दिशा में कार्य करने के लिए विवश कर दिया। इसके पूर्व की दो योजानाओं में इस कार्यक्रम की विशेष प्रगति नहीं हुई। साथ ही विभिन्न समुदायों की विशेष प्रगति नहीं हुई। साथ ही विभिन्न समुदायों में परिवार कल्याण के प्रति विशेष अभिरुचि भी नहीं थी और अनेक समुदायों के नेता राजनैतिक आधार पर कार्यक्रम का विरोध करते थे। जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए योजना आयोग ने परिवार कल्याण को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का अभिन्न अंग स्वीकार किया। परिवार कल्याण के लिए 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा परिवार कल्याण को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का रूप दिया गया। योजना की कार्यनीति में निम्न बातों का समावेश किया गया-

(1) शिक्षा के प्रसार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण को तैयार करना।

(2) जनसंख्या की सेवाओं के साथ-साथ परिवार कल्याण की सुविधाओं को सुलभ करना तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

(3) गर्भ नियंत्रण की सामग्रियों का वितरण करना तथा जनसमुदाय को उपयोग -विधि समझाना।

(4) मेडिकल कालेजों तथा शिक्षण संस्थानों में परिवार कल्याण की सुविधाएं प्रदान करना।

(5) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए स्थानीय नेताओं तथा अन्य सेवा संस्थाओं के सहयोग को प्राप्त करना।

(6) परिवार कल्याण संबंधी आवश्यक सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना।

(7) स्त्री शिक्षा का प्रसार करना तथा विलम्ब से विवाह को प्रोत्साहन देना।

तीसरी योजना में अनुसंधान का पहले से अधिक विस्तृत कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। अन्य पहलुओं सहित निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान पर बल दिया गया-

(i) मानव उत्पत्ति संबंधी अध्ययन तथा सन्तानोत्पत्ति के प्राकृतिक नियमों का अध्ययन।

(ii) अधिक कारगर एवं उपयोग योग्य गर्भ निरोधक उपकरणों का विकास।

(iii) खाने योग्य उपयोगी गर्भ निरोधकों का विकास तथा बन्ध्याकरण के बाद स्त्री-पुरुष के स्वास्थ्य की जांच तथा बाद में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

तृतीय योजना की उपलब्धि- तृतीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्रम विविध उपकरण तथा नवीन भाव जागरण के कारण 5.8 लाख लोगों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु नसबंदी करायी। परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु 27 करोड़ रुपये में से 25 करोड़ रुपया विविध परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च किया गया तथा 5075 परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना की गयी तृतीय योजना की समाप्ति तक लगभग 15 लाख लोगों ने नसबंदी करायी तथा 8 लाख स्त्रियों ने लूप लगवाये तथा 6 लाख लोगों ने अन्य परम्परागत विधियां यथा कण्डोम आदि का प्रयोग किया।

6.7 एक वर्षीय योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रम-

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पूर्व 1966-1969 तक के लिए तीन एक वर्षीय योजनाएं संचालित की गयी ताकि तृतीय योजना के अपूर्ण लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम में और अधिक सक्रियता लाते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। यथा–स्वास्थ्य मंत्रालय को 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' में परिवर्तित कर दिया गया। अब परिवार कल्याण विभाग को एक पृथक सचिव की देख रेख में रखा गया। केन्द्रीय व राज्य स्तर पर अनेक परिवार

कल्याण परिषदें स्थापित की गयीं। इस अवधि में कुल परिव्यय 8293 लाख रुपये था, लेकिन 7046.40 लाख रुपये व्यय किये गये। 1342.60 लाख रुपये 1966-67 में, 2652.30 लाख रुपये 1967-68 में तथा 3051.50 लाख रुपये 1968-69 में व्यय किये गये। एक वर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नवत थीं-

(1) जहां स्वतंत्र कल्याण केन्द्र नहीं थे, वहीं अस्पतालों, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जच्चा-बच्चा घरों आदि में व्यापक पैमाने पर इनकी शाखाएं, परिवार कल्याण व जन्म नियन्त्रण संबंधी उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं एवं उपचार के लिए खोले गये।

(2) इस समय तक देश में 10 जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र तथा 14 परिवार कल्याण संचार केन्द्र तथा अनुसंधान केन्द्र कार्यरत थे।

(3) लूप और बन्ध्याकरण की शल्य क्रिया की निःशुल्क सुविधाओं के साथ मजदूरी हानि, यात्रा व्यय तथा आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया।

(4) बन्ध्याकरण आपरेशन जैसे स्थाई नियंत्रण पर व्यापक पैमाने पर ध्यान दिया गया।

(5) लूप लगाने का व्यापक कार्यक्रम जो 1965 से ही आरम्भ था, उसमें तेजी लाई गयी। 1970 तक 31 लाख स्त्रियों को लूप लगाये गये।

(6) व्यापक प्रचार एवं प्रदर्शनी का कार्य आरम्भ किया गया, 'हम दो हमारे दो', 'छोटा परिवार सुख का आधार', अगला बच्चा अभी नहीं , दो के बाद कभी नहीं, इत्यादि नारे सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों, चिकित्सालयों, वाहनों में लगाये गये।

(7) कण्डोम व्यापारिक वितरण योजना को संपूर्ण देश में तीन प्रमुख योजनाओं के द्वारा लागू किया गया-

A. **व्यापारिक वितरण योजना-** सितम्बर 1968 से प्रारम्भ की गयी इस स्कीम के तहत व्यापारिक कंपनियों के द्वारा उनके सेल्समैन, थोक विक्रेता आदि के द्वारा व्यापक पैमाने पर वितरण किये गये।

B. **निःशुल्क पूर्ति योजना-** इसके द्वारा कण्डोम के साथ अन्य गर्भ निरोधक साधनों को, दम्पत्तियों को निःशुल्क वितरित किया गया। जेली क्रीम, ट्यूब, फोम टेबलेट डायाक्रम, गर्भाशय की टोपी आदि का निःशुल्क वितरण किया गया।

C. **हिपो सोल्डर्स योजना-** 1969 से प्रारम्भ की गयी इस योजना द्वारा

3300 चयनित डाकघरों द्वारा निःशुल्क तथा 5 पैसे प्रति कण्डोम वितरित किये गये।

6.8 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

चतुर्थ योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम अधिक सकारात्मक हुआ एवं मुख्य लक्षण जन्मदर को 1978-79 तक 39 प्रति हजार से 23 प्रति हजार लाने का समयबद्ध लक्ष्य रखा गया। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसके साथ मातृत्व व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने के लिए कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किये गये। स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का नाम दिया गया। चौथी योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर लगभग 284.4 करोड़ रुपये व्यय किये गये। पूर्ण समग्रीकृत परिवार नियोजन व मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार आधारभूत ढांचा तैयार करने में प्रयत्नशील हो गयी। राज्य सरकारों द्वारा परिवार कल्याण के राज्य संगठनों से उचित संपर्क स्थापित करने के लिए प्रादेशिक निदेशकों सहित परिवार कल्याण कमिश्नरों की नियुक्ति की गयी। प्राविधिक सहायता के लिए केन्द्रीय परिवार कल्याण संस्थान स्थापित किया गया। 1971 में एर्नाकुलम के वृहद कैम्प में 31 दिनों में 62 हजार बन्ध्याकरण के आपरेशन हुए।

इस योजना में परिवार कल्याण पर परिव्यय की धनराशि 286 करोड़ की गयी। योजना के अंत तक 87 लाख दम्पत्तियों की नसबंदी की गयी तथा 60 लाख दम्पत्तियों को परिवार कल्याण के अन्य उपकरण उपलब्ध कराये गये। चतुर्थ योजना के अंत तक 22826 ग्रामीण तथा 4326 शहरी परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत थे।

6.9 पांचवीं पंचवर्षीय योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

इस योजना अवधि में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 500 करोड़ रुपये व्यय किये गये। परिवार कल्याण कार्यक्रम में आधारभूत परिवर्तन किये गये- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 'परिवार कल्याण' तथा 'जनकल्याण सेवा' को समन्वित किया गया। इस योजना में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, बाल-आहार एवं मातृत्व पोषण को परिवार कल्याण से सम्बद्ध किया गया। इस योजना के नवीन आयामों में - आवश्यक परिवार, आर्थिक प्रलोभन, दण्ड प्रावधान एवं गर्भपात बैधता थे।

6.10 आपाताकाल एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम (1976)-

1976 में कांग्रेस सरकार ने अनिवार्य बन्ध्याकरण विधान बनाने का निर्णय किया। 16 अप्रैल 1976 को भारत के संसद में स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्रालय की अनुशंसा पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावकारी ढंग से कम करना था जिसे छठी योजना के अन्त तक 25 प्रति हजार करना था किन्तु इस अनिवार्य बन्ध्याकरण का प्रभाव उत्तर भारत के हिन्दी भाषी राज्यों पर ही पड़ा दक्षिण भारत एवं मध्य भारत पर इसका न्यूनतम प्रभाव द्रष्टव्य हुआ।

6.11 जनता सरकार एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

1977 के चुनाव में परिवार कल्याण कार्यक्रम महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक पराजय हुई। इसने उत्तर भारत के बड़े प्रांतों में अपनी सरकारें खो दी जहां परिवार कल्याण कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किये गये थे। 1977 में केन्द्र में जनता सरकार बनने के बाद परिवर्तित जनसंख्या नीति लागू की गयी। 28 मार्च 1977 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डा. नीलम संजीव रेड्डी ने कहा- 'परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है, यह विस्तृत रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु सुरक्षा, महिला कल्याण एवं अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी वर्ष इसका नाम 'परिवार नियोजन' से परिवर्तित कर 'परिवार कल्याण कार्यक्रम' किया गया। 'परिवार कल्याण कार्यक्रम, नामकरण परिवार के समग्र विकास का अर्थावबोध कराता है।

6.12 छठीं पंचवर्षीय योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

जनवरी 1980 में श्रीमती गांधी की सत्ता में वापसी हुई, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया लेकिन जनवरी 1982 में घोषित 'नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम' में इसे विशेष प्रावधानों के साथ सम्मिलित किया गया जिसमें इसे स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाना था। मार्च 1982 में 'जनसंख्या सलाहकार समिति' का गठन किया गया। इस योजना में कुल परिव्यय 1010 करोड़ था लेकिन वास्तविक व्यय 1,42,573 करोड़ रुपये हुआ। कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार ने परिवार कल्याण केन्द्रों पर अधिकाधिक स्त्री

कर्मचारियों की नियुक्तियां करने, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्यण सुविधाओं का विस्तार करने तथा बन्ध्याकरण कराने वालों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने का निश्चय किया तथा सामान्य जनता यह अनुभव करने लगे कि परिवार कल्याण में उसकी भलाई है।

6.13 सातवीं पंचवर्षीय योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम में नीतिगत परिवर्तन हुआ, जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य स्थापित करने का विस्तार हुआ। इस योजना में निम्न विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया- (1) स्त्रियों की विवाह आयु सीमा 20 वर्ष करना।

(2) 42 प्रतिशत लक्षित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत लेआना तथा 'हम दो हमारे दो' नामक परिवार को प्रोत्साहन देना।

(3) गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को टीकाकरण में समाहित कर शिशु मृत्युदर को 90 प्रति हजार ले आना।

(4) अपरिष्कृत जन्म दर तथा मृत्युदर में कमी करना, जिससे वे क्रमशः. 29.1 तथा 10.4 प्रतिहजार तक सीमित रहे।

(5) विभिन्न प्रकार के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों की सहायता से ऐसा वातावरण विकसित करना, जिससे उत्पादकता पर नियन्त्रण पाया जा सके।

(6) स्त्रियों की साक्षरता तथा उनके कार्य अवसरों में सुधार करना।

(7) 11-15 वर्ष के सभी बच्चों को जनसंख्या शिक्षा प्रदान करना, प्रौढ़ शिक्षा एवं अन्य माध्यमों से शिक्षा देना।

उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति जनता के सहयोग से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में शोध का मुख्य विषय परिवार नियोजन की उस तकनीकी को रखा गया, जिसे लोग स्वीकार कर सकें। सातवीं योजना में 1357 करोड़ रुपये सेवाओं एवं आपूर्ति के लिए तथा 888 करोड़ रुपये मातृत्व एवं शिशु कल्याण के लिए व्यय किया गया (भारत सरकार 1985)

6.14 आठवीं पंचवर्षीय योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

आठवीं योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम दृढ़ आधार पर कार्यान्वित किया गया। इसके लिए 3700 करोड़ रुपये के परिव्यय का लक्ष्य था लेकिन वास्तविक व्यय 2385.21 करोड़

रुपये रहा (भारत सरकार 1992-97) मानव विकास, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नियंत्रण मुख्य प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित किये गये।

इस योजना में स्वास्थ्य एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य विशेषाधिकार के परिप्रेक्ष्य में लागू करने का लक्ष्य रखा गया। 'हेल्थ फार अण्डर प्रिविलेज्ड' फलक को संगत चेतना के साथ विकसित किया गया। यह तभी संभव है जब जनसमुदाय सकारात्मक प्रयास करे।

6.15 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.)-

6.15.1 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम-

सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास को द्रुत करने एवं ग्रामीण स्वास्थ्य में आधार भूत विकास के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन स्तरीय स्वास्थ्य, कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन में भवनों, दवाओं की आपूर्ति, तथा अन्य साज-सामानों का अभाव प्रमुख समस्याएं थीं, जिन्हें आठवीं योजना में दूर कर ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को गति प्रदान की गयी।

(1) स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संगठन एवं कार्यान्वयन किया गया।

(2) भौतिक सुविधाएं यथा भवन निर्माण, कर्मचारी आवास आदि निर्मित किये।

(3) कर्मचारियों के रिक्त पदों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया तथा उनके प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की गयी।

(4) आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी।

(5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी तथा स्वास्थ्य प्रबंधन तंत्र विकसित किया गया।

6.16 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1977-

28 अप्रैल 1977 को चुनाव के बाद जनता सरकार ने यह घोषणा कर दी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम जोर जबरदस्ती समाप्त की जाये तथा दम्पत्ति को स्वैच्छिक चुनाव का अवसर दिया जाये। इस तथ्य को ध्यातव्य करते हुए 'परिवार नियोजन' का नाम 'परिवार कल्याण कार्यक्रम' किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के अनुसार 'जन्म नियन्त्रण

कार्यक्रम के अभाव में विकास की सभी योजनाएं बेकार हो जायेगी।' स्वास्थ्य मंत्री ने वक्तव्य दिया कि परिवार कल्याण के लिए आवश्यक है कि जनता कार्यक्रम को समझे, अपने आप आकर्षित हो तथा अपने इच्छानुसार परिवार सीमित करने के उपाय अपनाये। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न थीं-

6.16.1 पूर्णतः स्वैच्छिक नीति-

इस नीति में यह व्यवस्था दी गयी कि कोई भी दम्पत्ति अपनी इच्छा एवं आवश्यकतानुसार किसी विधि को अपना कर परिवार को सीमित रख सकता है। नसबंदी कराने वाले दम्पत्तियों को उत्तम सेवा सुविधा उपलब्ध कराई गयी। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लूप एवं अन्य परिवार नियोजन के तरीकों का लक्ष्य सरकार की ओर से अभि निर्धारित किया गया जबकि नसबंदी का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया।

6.16.2 प्रोत्साहन धन का प्रावधान-

नसबंदी कराने वाले दम्पत्तियों को 70 रुपये प्रोत्साहन राशि संस्तुत की गयी। यह धनराशि नसबंदी कराने वाले दम्पत्तियों पर होने वाले चिकित्सा व्यय के अतिरिक्त होगी।

6.16.3 बालिकाओं की शिक्षा एवं जनसंख्या शिक्षा का प्रबंध-

विभिन्न शोध इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि लड़कियों की शिक्षा के साथ परिवार में बच्चों की संख्या कम हो जाती है। इसका कारण स्त्री शिक्षा से बालिकाओं का विवाह देर से होना बताया जाता है। साथ ही बच्चों के जन्म तथा भरण-पोषण की जानकारी शिक्षित दम्पत्तियों को रहती है। इसे ध्यातव्य करते हुए प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।

स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालय में जनसंख्या शिक्षा का प्रबंध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम में संलग्न कर्मचारियों द्वारा किया गया। कर्मचारी जनसंख्या वृद्धि द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, जनसंख्या नियन्त्रण के साधनों मातृ शिशु स्वास्थ्य इत्यादि की जानकारी जनता को देते हैं।

6.16.4 स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग-

परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों से सहयोग की अपील की गयी। जो संस्थाएं इसमें धन दान के रूप में देती थीं उन्हें आयकर से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सहयोग मिल सके, इसके लिए इसे अन्तर्विभागीय कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया।

6.16.5 केन्द्रीय सहायता एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धि-

राज्य सरकारों की रुचि परिवार कल्याण कार्यक्रम की ओर बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का 8 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रमों की उपलब्धियों से जोड़ दिया गया है। अर्थात् यह 8 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारों को तभी देय होगी जब परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धि संतोष प्रद होगी।

6.16.6 विवाह की आयु में वृद्धि-

शारदा एक्ट के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु क्रमशः 16 एवं 15 वर्ष थी। 1977 की जनसंख्या नीति में भावी पीढ़ियों को जनसंख्या शिक्षा देने तथा दम्पत्ति के जीवन काल में प्रजनन की अवधि में कभी लाने के विचार से यह निर्णय लिया गया कि लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 एवं 18 की जाय। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया तथा विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। इस आयुवृद्धि से जन्मदर में 8 से 12 प्रतिशत कभी का अनुमान लगाया गया।

6.16.7 अनुसंधान कार्य में तेजी-

परिवार कल्याण कार्यक्रमों की विधियाँ अपनाने से दम्पत्ति की संतुष्टि हो सके, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो तथा अपनाने में कम से कम खर्च हो, इन सभी तथ्यों पर कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुसंधान कार्य में तेजी लाने पर बल दिया गया। शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया ताकि अधिक से अधिक शोध उपरोक्त तथ्यों से सन्दर्भित हों। दूसरी ओर यह भी अनुभव किया गया कि इन शोधों से 'कैफेटेरिया उपागम' को बल मिलेगा।

6.16.8 जनस्वास्थ्य रक्षक एवं दाई प्रशिक्षण योजना-

परिवार कल्याण कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जनस्वास्थ्य रक्षक योजनान्तर्गत उन व्यक्तियों को चुना गया जिन्हें कार्यक्रम में रुचि थी, जो जनता में मान्य थे, गाँव के रहने वाले थे तथा निकट भविष्य में तीन साल तक गाँव में रहने वाले हों। इस योजना में 5 लाख जन स्वास्थ्य रक्षकों को नियुक्ति की गयी। ऐसे व्यक्तियों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया गया। तथा साधारण बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ दी गयी। जनस्वास्थ्य रक्षकों को 50 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, वस्तुतः वर्तमान समय में यह धनराशि इतनी कम है कि परिवार कल्याण में इनकी रुचि कम होती जा रही है आवश्यकता इस बात की है इनके पारिश्रमिक में वृद्धि की जाय एवं ग्रामीण स्वास्थ्य में इनके योगदान को सुनिश्चित किया जाए।

दाई प्रशिक्षण योजना में 5 लाख दाइयों को सफाई एवं सुविधापूर्ण ढंग से प्रसव की, प्रसव के बाद माँ-शिशु के देखरेख करने का प्रशिक्षण दिया गया। शिशुओं को रोग प्रतिरोधक टीके कब और कहाँ लगाये जायँ इसकी जानकारी भी दी गयी।

6.17 1981 में जनसंख्या नीति में किये गये कतिपय संशोधन एवं विशेष लक्ष्य-

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद तथा केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद जून 1981 में सम्पन्न अधिवेशन में जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन के लिए कुछ विशेष लक्ष्य रखे गये जो निम्न है (मिथिलेश साहनी एन. 1985)

(1) सन् 2000 तक जन्मदर एवं मृत्युदर क्रमशः 2.1 एवं 9 प्रति हजार लाना।

(2) शिशु मृत्यु दर को 125 प्रति हजार से 2000 तक 60 प्रति हजार तक लाना।

(3) लोगों को छोटे परिवार के लाभ समझाना, तथा परिवार कल्याण साधनों की सुगम पहुँच सुनिश्चित करना।

(4) महिलाओं के शिक्षा, रोजगार पर विशेष ध्यान देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

(5) परिवार कल्याण सलाहकार बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया, तथा चिकित्सकीय गर्भ समापन की सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया गया।

(6) माताओं तथा शिशुओं को रोग प्रतिरोधक टीकों की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गयी।

(7) प्रत्येक राज्य द्वारा जन्मदर एवं मृत्युदर के आँकड़े पर यदि आवश्यक हो तो जिला स्तर पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाए तथा आवश्यकतानुसार विशेष ध्यान दिये जाएँ।

(8) परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्य सामाजिक कार्यक्रमों से पृथक नहीं है, इसे सभी पात्र दम्पत्तियों तक पहुँचाने के लिए दूसरे विकासात्मक उपायों के साथ सम्मिलित किया जाए। प्रशासन एवं संचालन के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, साक्षरता स्थिति, युवाओं के कार्यकलापों एवं अन्य दूसरे कार्यों के साथ जोड़ा जाए।

(9) पुरुषों के नशबन्दी आपरेशन के बारे में फैली भ्रान्तियों एवं गलत फहमियों को दूर करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किये जाएँ।

(10) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार के साधनों का आवश्यकतानुरूप मूल्यांकन किया जाए, तथा पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में शिविर आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

6.18 1994 का काहिरा सम्मेलन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में आधारिक परिवर्तन

5 सितम्बर 1994 के अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन के बाद भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम में कतिपय आधारिक परिवर्तन किये -

(1) अलग-अलग गर्भ निरोधकों के लक्ष्य निर्धारण को 1996 से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(2) 15 अक्टूबर 1997 से एक व्यापक प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया।

अलग-अलग गर्भ निरोधकों के लक्ष्य निर्धारण को समाप्त करने का निर्णय निम्न कारणों से किया गया - (योजना अप्रैल 2002)

(i) इस लक्ष्य नीति में उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते थे कि किस प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रचार किया जाए, जिसमें प्रयोगकर्ता की अभिरुचि का ध्यान नहीं रखा जाता था।

(ii) लक्ष्य निर्धारित हो जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों का उद्देश्य सांख्यिकीय आंकड़ों को प्राप्त करना होता है अनेक स्वास्थ्य कर्मी आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताये थे।

उपरोक्त कर्मियों को ध्यातव्य करते हुए राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञों से गहन विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने अलग-अलग गर्भ निरोधकों के लक्ष्य को समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा सम्पूर्ण देश में लक्ष्यमुक्त नीति लागू की गयी। इस नीति की मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य निम्नवत है -

(i) लक्ष्य मुक्त नीति का वास्तविक उद्देश्य जनसंख्या को स्थिर करने में पहले से अधिक प्रगति करने का है इस परिवर्तित नीति को प्रारम्भ में 'लक्ष्य नीति दृष्टिकोण' कहा गया, 1997 में इसे 'सामुदायिक आवश्यकताओं पर आधारित दृष्टिकोण' कर दिया गया ताकि यह नीति को अधिक सकारात्मक ढंग से परिलक्षित कर सके।

(ii) स्वास्थ कर्मियों में नई सोच पैदा करने के लिए उन्हें पुनः प्रशिक्षित किया गया ताकि उन्हें 'सामुदायिक आवश्यकताओं पर आधारित दृष्टिकोण' (सी.एन.ए.) के अन्तर्गत ठीक से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(iii) सी.एन.ए. के दिशा निर्देश एक मैनुअल के रूप में तैयार कर स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराये गये।

(iv) सी.एन.ए. के अन्तर्गत फरवरी मांर्च में ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्र के परिवारों, महिला स्वास्थ्य संघों, आंगनबाड़ियों और पंचायतों से विचार विमर्श कर अगले वर्ष के लिए आवश्यकताएं तय की जाती है।

15 अक्टूबर 1997 से एक व्यापक कार्यक्रम 'प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य' (आर.सी.एच.) लागू किया गया। आर.सी.एच. को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- "लोगों में प्रजनन करने तथा अपनी प्रजनन शक्ति नियंत्रित करने की शक्ति है। महिलाएं गर्भावस्था एवं प्रसव सुरक्षित रूप से पार कर सकती हैं, गर्भावस्था का, सुरक्षित माता एवं जीवित शिशु के रूप में सफल समापन होता है तथा दम्पत्ति गर्भाधान एवं संसर्ग-जन्य रोगों के भय के बिना यौन सम्बन्ध रख सकते हैं।" प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं -

(1) पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिंए प्रजनन और मात्र तथा शिशु स्वास्थ्य के सभी कार्यकलापों का एकीकरण, सुरक्षित मातृत्व एवं एकीकरण की जानकारी।

(2) जनसंख्या स्थिर करने की प्रक्रिया में लोगों की पसन्द व आवश्यकतानुसार गर्भनिरोधक साधनों को उपलब्ध कराना।

(3) लैंगिक पहचान एक्ट 1994 के अनुसार गर्भस्थ शिशु का लिंग पता करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध की व्यवस्था की गयी।

(4) जमीनी स्तर पर कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अधिकतम मदद करने का प्रावधान है ताकि वह योजना तैयार करने उसके कार्यान्वयन तथा उक्त सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। नई जनसंख्या नीति 2000 में भी उपरोक्त प्रावधान किये गये हैं।

6.19 राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम-

'एक्वायर्ड इम्यूनों डिफिसिएंशी सिंड्रोम' अर्थात् एड्स रोग 'ह्यूमन डिफिसिएंशी वायरस' (एच.आई.वी.) नामक विषाणु के कारण होता है। इस रोग का पता सर्वप्रथम अमरीका में 1981 में लगा था (भारत 2000)। 1986 में जैसे ही एड्स के पहले मामले का भारत में पता चला, एक राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया गया ताकि देश में एच.आई.वी. संक्रमण की महामारी की स्थिति का जायजा किया जा सके। 1987 में 'राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया जिसमें मुख्य रूप से इस असाध्य रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने, रक्त जांच, तथा लोगों की आदतों के बारे में पता करने पर बल दिया गया। 1992 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन' बनाया गया जिससे विश्व बैंक से 8.4 करोड़ डालर के ऋण एवं डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा 15 करोड़ की तकनीकी सहायता द्वारा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। चूँकि एच.आई.वी. संक्रमण का मुख्य कारण रतिज रोग हैं अतः इसे एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया जिसमें यौन जन्य रोगों के बारे में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, रोगों के फैलाव और स्वास्थ्य तथा सामूहिक शिक्षा पर बल दिया गया। इस समय देश में मेडिकल कालेजों, जिलाम्युनिसिपल, स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर 504 रतिज रोग क्लिनिक चलाये जा रहे हैं। उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर एड्स से सम्बद्ध निम्न तथ्य हैं -

(1) सबसे अधिक संक्रमित लोग क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं मणिपुर में हैं।

(2) एड्स संक्रमण का प्रमुख कारण एक से अधिक के साथ लैंगिक सम्बन्ध, संक्रमित व्यक्ति का रक्त असंक्रमित को चढ़ाया जाना, तथा नशीले दवाओं के इन्जेक्शन लेना।

(3) एड्स से ग्रस्त 15-49 आयु वर्ग वालों में 78.6 प्रतिशत पुरुष तथा 21.4 प्रतिशत महिलाएं हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम का दूसरा चरण 1999 में पाँच वर्षों के लिए शुरू किया गया इसके दो मूल उद्देश्य हैं - भारत में एच.आई.वी. संक्रमण की विकास दर में कटौती तथा भारत की एच.आई.वी. से जूझने की क्षमता मजबूत करना। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्न है - (भारत 2002)

(i) सर्वाधिक जोखिम वाले समूहों को लक्ष्य करने में प्राथमिकता (ii) आम जन समुदाय को बचाव की सावधानियाँ समझाना-यथा डिस्पिजिबल सिंरिज युक्त इन्जेक्शन लेना, केवल अपने जीवन साथी के साथ ही लैंगिक सम्बन्ध रखना, कण्डोम का प्रयोग, जाँच के बाद रक्त चढ़ाना, रक्त सुरक्षा तथा उचित रख-रखाव, (iii) एच.आई.वी. से पीड़ित व्यक्तियों की कम कीमत पर चिकित्सा (iv) अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग।

जुलाई 2002 में वार्सिलोना में 14वें अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन के अनुसार अफ्रीकी देशों में हर तीसरा वयस्क एच.आई.वी. से संक्रमित है, पूरी दुनियां में 80 लाख से ज्यादा एड्स के शिकार हैं, अफ्रीका के बाद भारत में सबसे ज्यादा संक्रमण है। यहाँ वर्तमान में 38 लाख एड्स के शिकार हैं। (नवभारत टाइम्स 13 जुलाई 2002) 1990 में यह संख्या सिर्फ 4 लाख थी। स्वैच्छिक संस्थाएं यह संख्या और अधिक बताती हैं। यह प्रवृत्ति खतरे का संकेत ही नहीं परिस्थिति की गम्भीरता को भी ज्ञापित करती है। इस मोर्चे पर हमें सरकारी तौर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी कमर कस कर उतरना पड़ेगा। बार्सीलोना में आशा की जो छोटी सी किरण नजर आई, वह है एड्स की रोकथाम के लिए नई दवाएं खोजने के मामले में हुई प्रगति, जिन्हें वैक्सीन की तरह प्रयोग किया जा सकेगा। ये दवाएं अगले साल तक बाजार में आयेंगी। सवाल उठता है कि क्या यह गरीब तथा अशिक्षित लोगों के आर्थिक सामर्थ्य में होगी?

6.20 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000-

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को अनुमोदित की थी। इसे संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2000 के बजट सत्र के दौरान स्वीकृत के लिए पटल पर रखा गया था। यह नीति सरकार की नागरिकों के लिए स्वैच्छिक और सूचना के विकल्प पर आधारित है। इस नीति के अनुसार सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जीवन में गुणात्मक सुधार किया जाना आवश्यक ताकि मानव शक्ति समाज के लिए उत्पादक पूंजी में परिवर्तित हो सके। इस नीति के तीन उद्देश्य हैं। (भारत की जनगणना 2001)

6.20.1 तात्कालिक उद्देश्य-

गर्भ निरोधक उपायों के विस्तार हेतु स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढाँचे का विकास।

6.20.2 मध्य कालिक उद्देश्य-

सत् 2010 तक कुल प्रजननता दर को घटाना

6.20.3 दीर्घकालिक उद्देश्य-

सन् 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास हेतु आवश्यक स्थिर जनसंख्या के उद्देश्य की प्राप्ति।

6.20.4 सामाजिक एवं जनांकिकी लक्ष्य-

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न सामाजिक जनांकिकी लक्ष्य भी घोषित किये गये हैं -

(1) बुनियादी प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, आपूर्तियों तथा आधार भूत ढाँचे से सम्बन्धित अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना।

(2) 14 वर्ष तक की विद्यालयी शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना ध्यातव्य है कि 93वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार घोषित किया जा चुका है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्तरों पर छात्र और छात्राओं दोनों में ही विद्यालय छोड़ने में 20 प्रतिशत तक कमी लाना। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 30 से नीचे लाना।

(3) मातृत्व मृत्यु दर 100000 प्रति जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।

(4) टीकों द्वारा रोकथाम वाली बीमारियों के विरुद्ध सार्व भौमिक टीकाकरण लाना।

(5) कन्याओं के विवाह में देरी को प्रोत्साहित करना जो 18 वर्ष से पहले तथा 20 वर्ष के बाद करने को तरजीह देना।

(6) केन्द्र सरकार उन पंचायतों को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियन्त्रण के उपाय को अधिकाधिक अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

(7) इस नीति के अन्तर्गत बाल विवाह निरोधक अधिनियम तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जायेगा।

(8) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को पांच हजार रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जायेगी। जिनके सिर्फ दो बच्चे हों तथा बन्ध्याकरण करा लिया हो।

(9) ८० प्रतिशत प्रसव संस्थानों द्वारा तथा 100 प्रतिशत प्रसव प्रशिक्षित दाइयों द्वारा होना। जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भावस्था का 100 प्रतिशत पंजीकरण कराना।

(10) एड्स के प्रसार को रोकना तथा प्रजनन अंग संक्रमण तथा यौन संचारी रोगों तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के बीच अपेक्षाकृत अधिकाधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

(11) टी एफ आर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने हेतु छोटे परिवार के मानदण्डों को ठोस रूप से बढ़ाना तथा सम्बन्धित सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को एकीकृत करना जिससे परिवार कल्याण कार्यक्रम एक जनकेन्द्रित कार्यक्रम बन सके।

6.20.5 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग-

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के कार्यान्वयन पर निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में केन्द्रीय परिवार कल्याण मंत्री, अन्य सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होंगे। इनके अतिरिक्त जनसंख्या विशेषज्ञों जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इस आयोग में शामिल करने का प्रावधान है।

6.20.6 राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष-

प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने वर्ष 2002 तक जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न कार्य समूह के गठन तथा सौ करोड़ की आरम्भिक पूँजी से 'राष्ट्रीय जनसंख्या

स्थिरता कोष' की स्थापना की 22 जुलाई 2000 को घोषणा की उन्होंने अबाध गति से बढ़ती जनसंख्या पर नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय अभियान प्रारम्भ करने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष में कम्पनी क्षेत्र, उद्योग, व्यापारिक संगठनों एवं आम जनता से योगदान करने का आह्वान किया जिससे जनसंख्या स्थिरता कार्यक्रम को तेज किया जा के।

6.21 प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-

यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर 1997 से प्रारम्भ हुआ था, जिलों को उनकी अशोधित जन्मदर तथा महिला साक्षरता दर के आधार पर ए (58), बी (184) तथा सी (263) श्रेणियों में बांटा गाय। वर्ष 2001 में इसकी समीक्षा की गयी कार्यक्रम में वित्तीय आच्छादन, दाईयों के प्रशिक्षण, आरसीएच शिविरों, आरसीएच दूरवर्ती सेवाएं प्रारम्भ कर कार्यक्रम को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

6.22 सार्वभौमिक टीकाकरण-(यूआईपी)-

सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम 1985 में चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किया गया जिसका उद्देश्य इसे 1990 तक सभी जिलों तक पहुँचाना था। कार्यक्रम का उद्देश्य शिशुओं को बीसीजी, डीवीटी 3, ओपीबी 3 तथा खसरे के टीके लगाकर प्रसव एवं प्रसव के बाद होने वाली बीमारियों से मातृ-शिशु की मृत्यु रोकना है। वर्ष 2000-2001 में टीकाकरण से लाभान्वित जनसंख्या का प्रतिशत 53 हो गया है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक मणिपुर, उ.प्र. बिहार में टीकों का प्रसार घट रहा है।

6.23 पल्स पोलियो अभियान-

1995 में इस अभियान के शुभारम्भ होने के बाद पोलियो मलाइटिस के उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0-5 वर्ष के शिशुओं को छह सप्ताह के अन्तराल से पोलियो टीके की बूँदे पिलाई जाती है। अब तक प्रत्येक चरण में औसत 16 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया है। पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए अतिरिक्त चरण 2001 में चलाये गये फलतः 1998 में 1934 पोलियो मामले सामने आये थे जो 2001 तक 43 रह गये। (भारत 2002)

6.24 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम

(1 अप्रैल 2002-31 मार्च 2007) इस योजना में 8 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य के साथ निर्धनता घटाने, प्राथमिक शिक्षा का दायरा बढ़ाने, बाल मृत्यु एवं प्रसूतिकाल में मृत्युदर में कमी, रोजगार में वृद्धि, साक्षरता में वृद्धि , स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता आदि को प्राथमिकता दी गयी है। परिवार कल्याण के निम्न प्रमुख लक्ष्य हैं -

(i) 2011 तक जनसंख्या वृद्धि को 16.2 प्रतिशत करना।

(ii) शिशु मृत्यु दर को 2007 तक 45 तथा 2012 तक 10 प्रति हजार जीवित जन्मों तक लाना।

(iii) 2012 तक सभी गांवों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करना।

6.25 परिवार कल्याण कार्यक्रम का संगठन-

6.25.1 राष्ट्रीय स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का संगठन-

राष्ट्रीय स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की संरचना केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के अधीन परिवार कल्याण विभाग के रूप में प्रारम्भ होती है। इस विभाग की दो शाखाएं हैं प्रथम सचिवालयी या प्रशासनिक शाखा के अन्तर्गत दो विभाग है- नीति एवं बजट विभा। केन्द्रीय संगठन में सर्वोच्च पद पर सहायक सचिव (कमिश्नर) होता है। इसके अधीन संयुक्त सचिव एवं कई अन्य उप सचिव होते हैं जो कार्यक्रम संचालन में अपना योगदान देते हैं।

तकनीकी विभाग में निम्न पाँच उपविभाग होते हैं -

(1) कार्यक्रम अनुश्रवण विभाग।

(2) तकनीकी कार्यान्वयन विभाग।

(3) मूल्यांकन एवं सूचना विभाग।

(4) शिक्षा एवं संचार विभाग।

(5) मातृ–शिशु-स्वास्थ्य विभाग।

Organisation of Family Welfare Programme
Ministry of Health and Family Welfare
Department of Family Welfare (Additional Secretary)

Administrative Wing (Joint Secretary)

Policy Division (Dy Secretary)

Budget Division (Dy Secretary)

Technical Wing (Joint Secretary)

Programme Appraisal Division (Dy Secretary)

Technical Div. (Dy Secretary)

Mass Education & Media Division (Dy Secretary)

Evaluation Divison (Dy Secretary)

Maternity and Child Health Divi. (Dy Secretary)

Organisation of Family Wel Fare in State
State Cabinet Committe

State family Wel Fare (Council and Board)

Depasrtment of Health Services (Director of Health Service)

Action Implementation Committee

Directorate of Health Services (Director of Health Service)
State Family Wel Fare Bureau Additional Joint Departy Director of Health Services in Charge of M.C.H. anf F.P.

Programme Section (Deputy Director)

Training Section (Deputy Director)

Demographic and Evaluation Section (Deputy Director)

Education and Information Section (Deputy Director)

M.C.H. (Deputy Director)

Organisation of Family Wel Fare in a District State Directorate of Health Services Director of Health Service
State Family Wel Fare Bureau Dy. Director of Health Services

District Action Implementation Committee

District Family Wel Fare BureauDistrict Family Welfare Officers

Administrative Division

Evaluation and Informatin Divi.

Field operation and Evaluation Division

Organisation of Family Wel Fare at a Block District Health Organisation Chief Medical Officer of Health

District Family Wel Fare Bureau District Family Wel Fare Officer

District Health Officer

Primary Health Centre Medical Officer Asstt Surgeon

Block Action Implementation Committee

Block Extension Educator

Health Visitor

Health Asstt.

Health Asst.

Health Asst.

Health Asst

ANM ANM ANM ANM ANM ANM ANM ANM ANM ANM ANM ANM ANM

Fig. 6.1

तकनीकी शाखा में पाँच सहायक सचिवों सहित असिस्टेंट कमिश्नर एवं शोध अधिकारी होते हैं, जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यक्रम संचालन में सहयोग देते हैं। (जगनाधम बी. 1973) केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम संगठन का मुख्य दायित्व संगठन की संस्थापना, नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रम योजना, बजट सहयोग, तकनीकी सुझाव, प्रचार एवं संचार माध्यमों का सहयोग अभिनिर्धारण तथा विविध सहयोगी क्रियाओं की व्यवस्था करना है। **(चित्र संख्या 6.1)**

6.25.2 प्रादेशिक स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का संगठन-

उ.प्र. में परिवार कल्याण कार्यक्रम के संगठनात्मक ढांचे के सर्वोच्च पद पर विशेष सचिव होताहै। यह सुयोग्य चिकित्साधिकारी होता है जिसका चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन निदेशक परिवार कल्याण कार्यक्रम, तथा परिवार कल्याण सेवाओं के अधीन होता है। यह परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कार्यक्रम के निम्न प्रमुख कार्य है -

(1) केन्द्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन निर्देशित योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

(2) कार्यक्रम के विस्तारण हेतु शैक्षिक एवं संगठनत्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए कार्यक्रम संचालित करना।

(3) परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफल क्रियन्वयन हेतु तकनीकी की सुझाव देना।

(4) परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रगति का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अलग-अलग कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यालय चार भागों में विभक्त हैं -

(i) कार्यक्रम विभाग (ii) प्रशिक्षण विभाग (iii) जनांकिकी एवं विकास विभाग (iv) मातृ–शिशु स्वास्थ्य विभाग। उ.प्र. परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यालय सहायक निदेशक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन होता है, इसके अधीन संयुक्त सचिव असिस्टेंट सचिव, सहायक सचिव, जनांकिकी विद, समाजशास्त्री, तथा सांख्यिकीय अधिकारी तथा कई सहायक निदेशक होते है। **(चित्र संख्या 6.1)**

6.25.3 जिला स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का संगठन-

जिला स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का संगठन कार्यक्रम की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समुचित कार्यान्वयन के

लिए यह सलाहकारी एवं प्रशासनिक प्राधिकरण है। यह संगठन सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. को गर्भ निरोधक उपकरणों, दवाइयों, की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। मुख्य चिकित्साधिकारी जिले के परिवार कल्याण कार्यक्रम का सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसके अधीन तीन सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी होते हैं जिनका कार्य कार्यक्रम संचालन एवं प्रगति रिपोर्ट देना होता है। यह कार्यक्रम का अधिशासी कार्यकारी होता है। जिला परिवार कल्याण कार्यक्रम के तकनीकी अधिकारियों में परिवार कल्याण कार्यक्रम अधिकारी, सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, सांख्यिकी निरीक्षक, कम्प्यूटर शाखा में फोटोग्राफर एवं एक प्रोजेक्टर होता है। (**चित्र संख्या 6.1**)

6.26 परिवार कल्याण कार्यक्रम की विधियां-

वर्तमान समय में परिवार कल्याण की विविध अवरोधक तथा सुधारक विधियां हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य, विलम्बित विवाह, विधवा विवाह पर रोक आदि अवरोधक विधियों का प्रचलन था। इस समय गर्भपात, बालहत्या आदि का भी प्रचलन था। आज के युग में विभिन्न यांत्रिक और रासायनिक विधाओं के प्रयोग से गर्भधारण को बिना काम-क्रिया पर नियन्त्रण से रोका जा सकता है। इन विधियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-

6.26.1 स्थाई विधियां-

परिवार कल्याण की स्थाई विधियों में बन्ध्याकरण ही ऐसी विधि है जिसे अपनाने के बाद गर्भ को स्थाई रूप से रोका जा सकता है।

6.26.1.1 महिला बन्ध्याकरण (ट्यूबेक्टोमी)-

महिला बन्ध्याकरण में आपरेशन करके फेलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है जिससे न तो शुक्राणु डिम्ब तक पहुंच पाते हैं और न डिम्ब ही डिम्बनलिका से बाहर आ पाता है। स्त्रियों का यह आपरेशन बच्चा होने के तीन चार दिन के भीतर कराना अधिक उपयुक्त होता है।

6.26.1.2 पुरुष बन्ध्याकरण (वेसेक्टोमी)-

पुरुष का बन्ध्याकरण शुक्राणु नली का कुछ भाग काटकर किया जाता है जिससे शुक्राणु जाने का रास्ता बंद हो जाता है। वर्तमान समय में बिना चीरे की नसबंदी लोकप्रिय होती जा रही

है 2001 में 1,00,166 लोगों ने इस विधि से बन्ध्याकरण कराया। 2000-2001 में कुल नसबंदी 45.9 लाख हुई। (भारत 2002)

5.26.2 अस्थाई विधियों-

अस्थाई विधियों द्वारा दम्पत्ति जब तक चाहें गर्भ को स्थगित कर सकते है। इनका प्रयोग लैंगिक सम्बद्ध स्थापना के पूर्व अथवा बाद में किया जाता है। इनका प्रयोग छोड़ने के बाद गर्भ की संभावना पुनः संभव हो जाती है। ये विधियाँ सामान्यतः उन दम्पत्तियों द्वारा अपनाई जाती है जोबच्चा देर से चाहते हैं या दो बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर चाहते हैं। इन अस्थाई विधियों में प्रमुख विधियां निम्न हैं-

1- कण्डोम, 2- डायाक्राम, 3- जेलीक्रीम, 4- ओरलपिल्स (खाने वाली गोलिया), 5- लूप निवेशन (आई.यू.सी.डी.), 6- रबर स्पंज, 7- ग्राफेन वर्गरिंग, 8- हाइड्रोजन पराक्साइड, 9- सेफ्टीनैक्स, 10, गर्भपात (एम.टी.पी.), 11- आत्म-संयम एवं सुरक्षित काल

6.26.2.1 कण्डोम-

प्रचलित अस्थाई विधियों में कण्डोम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। प्रयोगकर्ताओं का लगभग 95 प्रतिशत भाग इस विधि को अपनाता है। (सिंह एम.बी.2001) गर्भ निरोधकों की सामाजिक बिक्री के अन्तर्गत सरकार द्वारा इस पर 91 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसका प्रयोग पुरुष द्वारा लैंगिक सम्बद्ध स्थापित करने से पूर्व किया जाता है, प्रयोग के बाद इसे सावधानी से निकालना चाहिए जिससे कि शुक्राणु स्त्री के जननांग में प्रवेश न कर पाये। (ओझा आर. 1983) 2000-2001 में कण्डोम प्रयोगकर्ता भारत में 151.7 लाख रहे (भारत 2002)।

6.26.2.2 महिला कण्डोम- (एफ सी)-

भारत में गर्भ निरोधकों का उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान लेटेक्स लि. (एच एल एल) महिलाओं के लिए पहली बार पाली यूरेथिन से निर्मित कण्डोम उत्पादित कर रहा है। इससे जहां गर्भधारण पर रोक लगेगी वहीं दूसरी ओर एड्स जैसे यौन संक्रमित रोगों से बचाव होगा। इसकी निम्न विशेषता है-

(1) महिला कण्डोम (एफ सी) एक छल्ला होता है जो महिला गुप्तांग के बाहर रहता है। एक छल्ला भीतर भी होता है जो उसे गुप्तांग की ग्रीवा में अटकाए रखता है।

(2) इसे लैंगिक संपर्क से आठ घंटे पहले डाला जा सकता है। अंदर जाकर यह शारीरिक तापमान से अनुकूलित हो जाता है।

(3) महिला द्वारा एक बार धारण करने के बाद तीन बार लैंगिक संबंध बनाया जा सकता है।

एच एल एल शिकागो (यू एस ए) की फीमेल हेल्थ कंपनी (एफ एच सी) के साथ मिलकर तीन स्तरीय परीक्षण कर रहा है। यह एकमात्र कंपनी है जो एफ सी बनाती और उसका विक्रय करती है। एफ सी जारी करने की परियोजना को राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूएन एड्स द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। 2003 तक भारतीय बाजारों में इस कण्डोम की उपलब्धता की सम्भावन व्यक्त की गयी है। (चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे अक्टूबर 2002)।

6.26.2.3 ओरल पिल्स- (गर्भ-निरोधक गोलियां)-

गर्भ निरोधक गोलियों का स्त्रियों द्वारा सेवन करने पर गर्भ धारण की संभावना अत्यल्प रहती है। इन गोलियों को मासिक चक्र (एम.सी.) प्रारम्भ होने के पांचवे दिन से लेना चाहिए तथा अनवरत 20 दिन तक 1 गोली प्रतिदिन खानी चाहिए। गर्भधारण करने के लिए इन गोलियों का सेवन बंद कर देना चाहिए। 2000-2001 में इन गोलियों का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या 65.3 लाख रही।

6.26.2.4 लूप निवेशन (आई.यू.सी.डी.)-

भारत में लूप निवेशन का कार्य 1965 से प्रारम्भ हुआ। यह आंग्लभाषिक 'एस' से मिलता-जुलता प्लास्टिक से निर्मित होता है। महिला चिकित्सक द्वारा इसे गर्भाशय में लगाया जाता है, इससे गर्भ रहने की न्यूनतम संभावना रहती है। बच्चे की इच्छा होने पर इसे निकलवाया जा सकता। यह गर्भ नियन्त्रण की सर्वाधिक लोकप्रिय अस्थाई विधि हैं। 2000-2001 में लूप प्रवेशन की संख्या 60 लाख रही। (भारत 2002)

6.26.2.5 गर्भपात (एम.टी.पी.)-

भारत में गर्भपात के असुरक्षित तरीके अपनाने के कारण प्रतिवर्ष औसतन 12.5 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु होती है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी इस जोखिम से बचाने के लिए गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम 1971 लागू किया गया जो अप्रैल 1972 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के अनुसार महिलाएं 20 हफ्ते की गर्भावस्था तक का गर्भपात करा सकती हैं। यदि चिकित्सकीय जांच से स्पष्ट हो गया हो गया हो कि गर्भस्थ शिशु विकृत है। बलात्कार के मामलों में, तथा गर्भ निरोधक उपाय विफल हो गये हो तो कानूनी गर्भपात कराया जा सकता है। देश में 9528 मान्यता प्राप्त गर्भपात केन्द्र है। देश में प्रतिवर्ष 6 लाख गर्भपात कराये जाते हैं।

6.26.2.6 सुरक्षित काल-

सुरक्षित काल विधि एक मासिकचक्र से दूसरे मासिक चक्र (एम.सी.) के बीच कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करने पर गर्भधारण नहीं होता है। सामान्यतः मासिक चक्र प्रारम्भ होने से 16 दिनों तक स्त्री ऋतुमयी तथा गर्भधारण करने योग्य होती है, शेष 14 दिनों में गर्भाधान की संभावना नहीं रहती। क्योंकि गर्भाशय का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन मासिक चक्र अनियमित होने पर सुरक्षित काल का निर्धारण दुष्कर है।

6.27 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जनसंचार इकाइयों की भूमिका-

लोगों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के साथ-साथ उनको राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम नीतियों के प्रति जागरुक बनाने में जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयासों में लोगों की मदद करता है।

6.27.1 दूरदर्शन-

जनसेवा प्रसारण के प्रति समर्पित दूरदर्शन भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा विश्व के सबसे बड़े स्थलीय प्रसारणों में से एक है। इस समय दूरदर्शन के प्रमुख चैनल डी.डी.-1 तथा डीडी-2, 1042 स्थल ट्रांसमीटरों के जरिये 87 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा देखा जाता है। (भारत

2002) दूरर्शन पर परिवार कल्याण कार्यक्रम से सन्दर्भित विशेष विज्ञापन कार्यक्रम, नीतिगत विषय, एवं गर्भनिरोधकों के प्रचार से सम्बद्ध कार्यक्रम दिखाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का जनता के मनोभावों पर प्रभावी असर होता है तथा वे छोटे परिवार की अवधारणा को मानने लगे हैं।

6.27.2 आकाशवाणी-

आकाशवाणी केन्द्रं से प्रत्येक महीने प्रमुख भाषाओं में 12375 परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। (भारत 2002) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स, गर्भनिरोधक, यौन रोगों, बाल सुरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, बन्ध्याकरण आदि के बारे में महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा सफलता की कहानियां भी नियमित प्रसारित की जाती है।

6.27.3 फिल्म प्रभाग-

फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 में स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों को भारतीय रजत पटल पर रिकार्ड, प्रचारित तथा संरक्षित करने के लिए की गयी थी। परिवार कल्याण कार्यक्रम के संदर्भ में जनता को कार्यक्रम की नितियों से जोड़ने का यह सशक्त माध्यम है। 'एक पते की बात' कार्यक्रम छोटे परिवार की भावना को विकसित करने के लिए प्रसारित किया जाता है। 15 मिनट की अवधि वाली फिल्म 'जन-जन के कल्याण का कार्यक्रम' परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रचार के लिए प्रसारित किया जाता है। फिल्म प्रभाग द्वारा 'पापुलेशन क्लाक' मातृशिशु कल्याण कार्यक्रम विवाह की सही उम्र इत्यादि कार्यक्रम समय-समय पर प्रसारित किये जाते.हैं।

6.28 जनपद गाजीपुर में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धि-

जनपद गाजीपुर में परिवार कल्याण कार्यक्रम जनसंख्या नीति के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकृत है जिसका उद्देश्य परिवार का आकार छोटा करना तथा जीवन स्तर उठाकर सामाजिक आर्थिक विकास को द्रुत गति देना है। जनपद की जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति को द्रष्टव्य करते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम की विधियों की उपलब्धि तालिका 6.1 तथा, चित्र 6.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 6.1

जनपद गाजीपुरः परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धि

	बन्ध्याकरण			आई.यू.सी.डी.			कन्डोम			ओरल पिल्स		
वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
1990-91	13592	4874	35.85	26869	28282	105 25	25548	30303	118.60	3937	3157	80.18
1991-92	14310	5896	41.20	26397	16974	64.30	28290	29958	105.88	4289	5139	119.81
1992-93	10731	5414	50.45	27662	16008	57.87	30515	28760	94.07	5913	3443	58.22
1993-94	11539	6401	55.47	33658	33774	100.34	39824	39948	100.34	7139	7695	107.79
1994-95	10464	7111	67.95	37242	37684	101.18	7930	8145	102.71	46149	47721	103.40
1995-96	12358	7295	59.03	43931	36967	84.15	46149	56537	122.55	4348	9496	101.26
1996-97	9945	5604	56.35	40584	17495	43.84	44459	22850	51.40	10935	9242	84.52
1997-98	8916	6561	73.59	35665	37680	105.65	31207	31080	99 70	13374	13485	100.82
1998-99	9023	9050	100.29	37842	38972	102.98	35619	39412	100.64	15559	12177	77.94

स्रोत- जिला मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय जनपद गाजीपुर (2002)

6.28.1 बन्ध्याकरण-

संतति निरोध की स्थाई विधि का लक्ष्य 1990-91 में लक्ष्य 13592 था लेकिन प्राप्ति 4974 (35.85 प्रतिशत) हुई। लक्ष्य से अधिक प्राप्ति 1998-99 में 100.29 प्रतिशत रही। 1992 से 1997 तक प्राप्ति प्रतिशत क्रमशः 41.20, 50.45, 55.47, 67.95, 59.03, 56.35 तथा 73.59 प्रतिशत रही। **(तालिका 6.1, चित्र संख्या 6.2 A)**

6.28.2 लूप निवेशन (आई.यू.सी.डी.)-

महिलाओं के लिए संतति निरोध की यह अस्थाई विधि है 1990-91 में इसका प्राप्ति प्रतिशत 105.25 प्रतिशत था। 1992 में 64.30, 1993 में 57.87, 1996 में 84.95 प्रतिशत तथा 1994, 1995 तथा 1999 में प्रतिशत प्राप्ति 100 से अधिक रही। **(तालिका 6.1, चित्र संख्या 6.2 B)**

DISTRICT GHAZIPUR
ACHIEVEMENTS OF FAMILY WEL FARE TARGETS
(1990-91 TO 1998-99)
A
STERILIZATION
INDEX
TARGETS
ACHIEVEMENTS
STERILIZATION IN (000)
PERIOD
B
INTRA UTERINE CONTRACEPTIV DEVICE (I.U.C.D.)
I. U. C. D. IN (000)
PERIOD
C
CONDOM
CONDOM IN (000)
PERIOD
D
ORAL PILLS
PERIOD

Fig. 6.2

6.28.3 कण्डोम-

पुरुषों द्वारा प्रयुक्त यह गर्भ निरोध की अस्थाई विधि है, जनपद में 1991 से 1999 तक इसकी प्राप्ति प्रतिशता 1996, 1997, तथा 1998 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष 100 प्रतिशत से अधिक रही है। सर्वाधिक प्राप्ति 1991 में 118.60 प्रतिशत रही तथा न्यूनतम 1996-97 में 51.40 प्रतिशत रही, इसका प्रमुख कारण दम्पत्तियों द्वारा अन्य विधियों का अपनाया जाना है। **(तालिका 6.1, चित्र संख्या 6.2 C)**

6.28.4 ओरल-पिल्स-

महिलाओं द्वारा खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का प्राप्ति प्रतिशत जागरुकता बढ़ने के साथ ही साथ बढ़ता गया है। जहां प्राप्ति प्रतिशत 1990-91 में 80.18 प्रतिशत था जो बढ़कर 1999 में 100.82 प्रतिशत हो गया। **(तालिका 6.1, चित्र संख्या 6.2 D)**

6.29 जनपद गाजीपुर में स्वास्थ्य सेवाएं-

भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 74.28 प्रतिशत भाग गांवों में निवसित है। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात एवं संचार साधनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सीमित है। ग्राम्य स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु 1977 में 'ग्रामीण स्वास्थ्य योजना' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस योजना का मूलभाव 'जनता का स्वास्थ्य जनता के हाथों में' है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनपद में इस संस्था को केन्द्र बिन्दु मानकर ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। यह एक ऐसी संस्था है जो एक क्षेत्र विशेष के लोगों को सर्वांगीण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। साथ ही क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समन्वित रुप में प्रस्तुत करती हैं। जनपद गाजीपुर में 69 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 393 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र हैं। जनपद में 17 एलोपैथिक चिकित्सालय, 44 आयुर्वैदिक चिकित्सा केन्द्र, 24 होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा 10 यूनानी चिकित्सालय कार्यरत हैं। (समाज-आर्थिक समीक्षा 2000)

समाज आर्थिक समीक्षा 2000

तालिका 6.2

जनपद गाजीपुर में स्वास्थ्य सेवायें 2000

स्वास्थ्य सेवाएं	ग्राम में	1 किमी. से कम	1-3 किमी.	3-5किमी.	5 किमी. से अधिक
एलोपैथिक चिकि. औषधालय	66	191	536	559	1231
आर्युवैदिक चिकि. औषधालय	38	123	332	654	1436
यूनानी औषधालय	10	27	108	153	2285
होम्योपैथिक चिकि. औषधालय	18	55	208	269	2023
परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्र	400	514	1000	570	109
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	69	64	314	468	724

स्त्रोत- जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000

6.29.1 एलोपैथिक चिकित्सालय-

तालिका 6.2 से स्पष्ट है कि जनपद में एलोपैथिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों की संख्या 66 है। इन केन्द्रों से गांवों की दूरी का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि 1 किमी. से कम दूरी पर 191 गांव, 1-3 किमी. की दूरी पर 636 तथा 3-5 किमी. की दूरी पर 559, 5 किमी. से अधिक दूरी पर 1231 गांव है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति सिद्ध ज्ञान एवं तार्किक वैज्ञानिक मूल्यों पर आधारित हैं। यातायात एवं संचार साधनों की सुलभता, रोगों के प्रति परिवर्तन शील दृष्टिकोण के कारण लोग इस पद्धति को तेजी से अपना रहे हैं।

6.29.2 आयुर्वेदिक चिकित्सालय-

यह चिकित्सा पद्धति अत्यन्त प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ईसा की दूसरी सदी में 'सुश्रुत' तथा 'चरक' नामक दो महान आचार्यों ने इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से रोगों के उपचार की

विधि बताई। 'सुश्रुत संहिता' में मोतियाबिन्द, पथरी का शल्योपचार एवं शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख किया गया है। (शर्मा आर.एस. 1990) जनपद में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों की संख्या 38 है। 1 किमी. से कम दूरी पर 123, 1-3 किमी. पर 332, 3-5 किमी. पर 654 तथा 5 किमी. से अधिक दूरी पर गांवों की संख्या 1436 है। स्पष्ट है इन चिकित्सालयों की कम संख्या के कारण अधिक जनसंख्या लाभान्वित नहीं हो पा रही है।

6.29.3 होमियोपैथिक चिकित्सालय-

यह चिकित्सा पद्धति प्राचीन ऋषियों एवं हिप्पोक्रेट्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर आधारित है। डा. हेनीमैन ने 1810 में होमियोपैथी का धर्मग्रंथ 'आर्गन आफ द रेशनल आर्ट आफ हीलिंग' प्रकाशित की। डा. जान मार्टिन द्वारा 1839 में यह पद्धति भारत में आई, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में 1974 में शामिल किया गया। 1962 में स्थापित औषधिकोष प्रयोगशाला का केन्द्र गाजियाबाद में है। इस चिकित्सा पद्धति में रोग लक्षणों तथा औषधि द्वारा उत्पन्न लक्षणों में जितनी अधिक समानता होगी, इलाज उतना ही भली प्रकार होगा। सिम्पलेक्स प्रणाली पर आधारित यह चिकित्सा पद्धति एक बार में एक रोग के उपचार की पक्षधर है। जनपद गाजीपुर में होम्योपैथिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों की संख्या 18 है। 1किमी. से कम दूरी पर 55 गांव, 1-3 किमी. पर 108 गांव, 3-5 किमी. पर 153 तथा 5 किमी. से अधिक पर 2285 गांव है। 5 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित गाँव इस चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

6.29.4 पी एच सी, सी एच सी एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र-

जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी) की संख्या 69 है, जिसमें 1 किमी. से कम दूरी पर 64 गांव, 1-3 किमी. की दूरी पर 314, 3-5 किमी. पर 468 तथा 5 किमी. से अधिक दूरी पर 724 गांव है। सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित मानक के अनुसार 30000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 35 उपकेन्द्र होने चाहिए, इस आधार पर जनपद में 32 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की और आवश्यकता है तथा कुल 3557 उपकेन्द्र होने चाहिए जबकि विद्यमान उपकेन्द्र 400 है अतः पविार कल्याण कार्यक्रम की सुचारू सफलता के लिए जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबल आवश्यकता है।

13. India Planning Commission (1992-97) Eight Five Year Plan New Delhi PP 322-323 vol II
14. India 2001 (in Hindi) Prakashan Vibhag Ministary of Information and Broad Casting Government of India P 221-222
15. India 2002 (in Hindi) Prakashan Vibhag Ministary of Information and Broad Casting Government of India P 225
16. Ibid PP 285, 292, 307
17. Jagannadham V. (ed) 1973 ``Family Planning in India Policy and Administrative" New Delhi P 83, 89, 90
18. Khare P.C. and Sinha V.C. (1985) ``Samajik Janankikee Avam Jan Swasthya" National Publishing House New Delhi PP 199-208
19. Kumar Mithilesh and Sahani N. (1985) ``Jansankhya Shiksha Siddant Avam Tatva" Population Centre Indira Nagar Lucknow PP 137-141
20. Nav-Bharat Times (in Hindi) 12 Jul. 2002
21. Ojha R. (1983) ``Jansankhya Bhogol" Pratibha Prakashan Kanpur P 333
22. Ibid 23
23. Prachin Bharat (1990) NCERT P 258
24. Socio-Economic Analysis (2000) (in Hindi) District Ghazipur (U.P.) P 32
25. Singh M.B. (2000) ``Population Geography" (in Hindi) Rawat Publications Jawahar Nagar Jaipur P 292

अध्याय 7

परिवार कल्याण कार्यक्रम से सन्दर्भित अभिरूचियां एवं प्रभाव

विगत दो-तीन दशकों में व्यावहारिक रूप से संसार के विभिन्न देशों में जीवन के प्रत्येक पक्ष परिवर्तित हुए है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने मानव के समाज-आर्थिक विकास को प्रभावित किया है परिणामतः परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्र के विकास का स्वीकार्य कार्यक्रम बनता जा रहा है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में लोगों के मनोभावों एवं अभिरूचियों की निर्णयात्मक भूमिका होती है। इस सन्दर्भ में हमारी असफलता का मुख्य कारण रहा है कि कार्यक्रम ने लोगों के मनोभावों को प्रभावित करने में केन्द्रीय भूमिका नहीं निभाई। ऐसा इसलिए हुआ कि साधारण व्यक्ति के बुद्धि वादी सिद्धान्त तथा नीति निर्धारकों के सिद्धान्त में विशेष सामाजिक-आर्थिक वातावरण के कारण बहुत अन्तर रहा। परिवार कल्याण कार्यक्रम ऊपर से थोपा जाय नौकर शाही के जाल में फँसा हो सफल नहीं हो सकता। जन साधारण कार्यक्रम को तभी अंगीकार करेगा जब वह सामान्य जन के बुद्धि सम्मत होगा। यदि एक बार ऐसा सम्भव हो तो वह स्वतः उद्भूत व्यवस्था होगी। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता इस पर आधारित है कि उसे स्वतः उदभूत व्यवस्था कैसे बनाया जाय। लोग जब कार्यक्रम के आधार भूत विचारों से सहमत होते हैं तो उसकी सफलता अवश्यम्भावी है।

7.1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति अभिरूचियाँ-

भारतीय समाज में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति अभिरूचि विभिन्न प्रकार के सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों द्वारा अभिनियन्त्रित होती है। अध्ययन क्षेत्र की उच्च जनसंख्या वृद्धि में इन कारकों के महत्व को ध्यातव्य करते हुए व्यक्तिगत अध्ययन किया गया है। इन कारकों का प्रभाव एवं तदनुरुप जनसंख्या वृद्धि से भारत सहित अनेक विकासशील देश प्रभावित हैं। गर्भनिरोधकों के प्रति जनमानस की अभिरूचियों एवं संकल्पनाओं के अनुरूप ही परिवार कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियों को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकी, पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य आदि

कारकों का परीक्षण किया गया है। परस्पर अन्तर्सम्बन्धित इन कारकों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है।-

1. सांस्कृतिक कारक।
2. सामाजिक-आर्थिक कारक।
3. जनांकिकी कारक।

7.2 सांस्कृतिक कारक-

परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा गर्भनिरोधकों की स्वीकार्यता में सास्कृतिक कारकों की निर्णयात्मक भूमिका होती है। धार्मिक पृष्ठभूमि, जाति व्यवस्था, पुत्र-महत्व आदि कारक परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं (अबुसालेह एस. 1989) क्षेत्र में हिन्दू एवं मुस्लिम प्रमुख धार्मिक समुदाय है। हिन्दू धर्म की जातियों का अध्ययन तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त कर किया गया है—

सामान्य वर्ग- ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ।

अन्य पिछड़ा वर्ग- यादव, सोनार, कोइरी, नोनिया (चौहान) पाल (गड़ेरिया), राजभर, चौरसिया (बरई), बनियाँ, लोहार, कुम्हार।

अनुसूचित जातियाँ- हरिजन (चमार), धरकार, धोबी, दुषाद, खटिक, खरवार, गोड़ पासी आदि।

7.2.1 परिवार के आकार के प्रति दृष्टिकोण-

परिवार के आकार को तीन वर्गों बड़ा, संतुलित तथा छोटा में विभाजित कर उत्तरदाताओं के विचार को उद्धृत किया गया है। इस सन्दर्भ में 500 उत्तरदाताओं के विचारों को लिया गया है। तालिका 7.1 से स्पष्ट है कि 12.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परिवार के आकाार को बड़ा माना है।

संतुलित तथा छोटा परिवार को उपयुक्त बताने वालों का प्रतिशत क्रमशः 37.80 तथा 49.98 है। अध्ययन क्षेत्र में 189 उत्तरदाताओं ने 1-3 बच्चों के परिवार को छोटा कहा है, जबकि 60 उत्तरदाताओं ने 3-6 बच्चों वाले परिवार को छोटा परिवार कहा है। वस्तुतः 15 लोगों ने 1 या दो बच्चों वाले परिवार को संतुलित या छोटा परिवार कहा 1 लोगों में छोटे परिवार की भावना प्रबल हो रही है तथा लोग परिवार कल्याण कार्यक्रम से प्रभावित हुए हैं। **(तालिका 7.1)**

तालिका 7.1

परिवार के आकार के प्रति दृष्टिकोण

परिवार का आकार	बच्चों की संख्या 1	2	3	4	5	6	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
बड़ा	-	9	20	17	12	4	62	12.40
संतुलित	6	61	53	59	10	-	189	37.80
छोटा	33	90	66	51	9	-	249	49.89
योग	39	160	139	127	31	4	500	100.00

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

7.2.2 पुत्र के जन्म को वरीयता देने के कारण-

हिन्दू धर्मानुसार व्यक्ति को मुक्ति तभी मिलेगी जब कतिपय संस्कार उसके पुत्र द्वारा किये जाँय। 'मनु स्मृति' में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति तीनों ऋणों (देव, पितृ, ऋषि) के बिना मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है वह नरक का अधिकारी होता है- (श्रीवास्तव के.सी. 2000)

'अनधीत्यद्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान'।

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन ब्रजत्यद्यः॥

हर्ष कालीन महाकवि वाणभट्टकृत 'कादम्बरी' में कहा गया है- 'अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः।' भारतीय उत्पादकता के सन्दर्भ में पुत्र प्राप्ति की कामना इतनी प्रबल है कि भले ही 5-6 पुत्रियों के बाद पुत्र हो लेकिन प्राप्ति अवश्य हो। फलतः परिवार कल्याण कार्यक्रम असफल हो जाते हैं, इसे 'डिमोग्रैफिक फन्डामेन्टलिज्म' कहा गया, (बोस आशीष 1988)

तालिका 7.2

पुत्र के जन्म को वरीयता देने का कारण

कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
आमदनी के लिए	97	19.40
शक्ति के लिए	28	5.60
वंशवृद्धि के लिए	206	41.25
बुढ़ापे में सहारे के लिए	139	27.80
पिण्डदान के लिए	10	2.00
अन्य	20	4.00

स्रोत- व्यक्ति सर्वेक्षण 2002

तालिका 7.2 से स्पष्ट है। कि 41.25 प्रतिशत उत्तरदाता पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए आवश्यक समझते हैं। 19.40 लोग आय के लिए पुत्र प्राप्ति आवश्यक समझते हैं जिसमें दहेज की इच्छां प्रबलतम है। कुछ लोग यह मानते हैं पुत्र बढ़े होकर धन अर्जित कर उन्हें सुख प्रदान करेंगे। 27.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि बच्चे वृद्धावस्था में सहायक होंगे। 5.60 उत्तरदाता मानते हैं कि पुत्र रहने पर परिवार की शक्ति प्रतिष्ठा बनी रहती है।

7.2.3 पुत्री के जन्म को वरीयता न देने के कारण-

पुत्री के जन्म को प्रश्रय न देने के कारणों में दहेज की समस्या, विवाह की समस्या, पालन पोषण में कठिनाई, विवाह के बाद ससुराल वालों की ओर से समस्या, तथा लोगों में यह रुढ़िवादिता कि पुत्री विवाह के बाद ससुराल चली जायेगी जिस पर व्यय धनराशि बेकार चली जाती है इत्यादि हैं। उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तर तालिका 7.3 में प्रदर्शित है, 66.20 प्रतिशत उत्तदाताओं ने पुत्री के जन्म को वरीयता न देने का कारण दहेज बताया गया, जिससे समाज में व्याप्त इस कुप्रथा की भयंकरता का पता चलता है। इसके दूरीकरण के लिए दहेज कानूनों को सशक्त बनाने, एवं समाज में जागृति फैलाने की महती आवश्यकता है। 20.40 प्रतिशत लोगों ने पालन पोषण में, तथा पढ़ाई में अधिक खर्च को वरीयता न देने का कारण बताया।

तालिका 7.3

पुत्री के जन्म को वरीयता न देने का कारण

कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
दहेज की समस्या	331	66.20
अधिक खर्च	102	20.40
रुढ़िवादिता	53	10.60
कोई उत्तर नहीं	12	2.40
अन्य	02	0.40
योग	500	100.00

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

विवाह में बाधा आने की भय की मिथ्या भ्रान्ति के कारण ग्रामीण अपनी लड़कियों को डाक्टर के पास नहीं ले जाते (देवी गायत्री 1994) 10.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि लड़कियों की सामाजिक कर्मकाण्डों, वंश वृद्धि एवं प्रतिष्ठा के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती।

कुछ ने बताया कि लड़कियाँ होने पर विवाह के लिए सदा मानसिक तनाव बना रहता है। 2.40 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया।

7.2.4 धर्म एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति अभिरूचियाँ-

परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति अभिरूचि निर्धारण में धर्म एक महत्वपूर्ण कारक है। सन्तानोत्पत्ति को गर्भनिरोधकों द्वारा मियन्त्रित करना अधार्मिक कृत्य कहा गया है। मुस्लिम धर्म में गर्भ निरोधकों द्वारा सन्तति निरोध 'कुरान' के विपरीत कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसी औरत से विवाह करो जो तुमसे मुहब्बत करे और खूब उत्पादक हो। (ओझा आर. 1983).

अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू एवं मुस्लिम प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं, 500 उत्तरदाताओं में से 457 (91.40 प्रतिशत) हिन्दू तथा 43 (8.6 प्रतिशत) मुस्लिम हैं। तालिका 7.4 से स्पष्ट है कि कुल परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रयोगकर्ता 44.60 प्रतिशत है। हिन्दू धर्म में कुल 44.60 तथा मुस्लिम धर्म में 3 प्रतिशत प्रयोगकर्ता हैं। अन्य विधियों में 17.04 प्रतिशत कण्डोम, 14.43 प्रतिशत आई.यू.सी.डी. तथा 18.83 प्रतिशत ओरल पिल्स प्रयोगकर्ता हैं। मुस्लिम समुदाय में परिवार कल्याण कार्यक्रम की न्यून स्वीकार्यता उनके धार्मिक निर्देश के साथ ही साथ इस भावना पर भी आधारित है कि जितना संभव हो सके इस्लाम अनुयायियों की संख्या बढ़े। (खान एम.ई. 1979) **(तालिका 7.4, चित्र 7.1 A)**

तालिका 7.4

धर्म एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति अभिरूचियाँ

धर्म	उत्तरदाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी			कण्डोम	आई.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियाँ
				पुरुष	स्त्री	कुल			
हिन्दू	457	249	208	42	70	112	32	29	35
मुस्लिम	43	28	15	--	1	1	6	1	7
योग	500	272	223	42	71	113	38	30	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

7.2.5 जाति एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ-

जाति संरचना परिवार कल्याण कार्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उच्च जातियाँ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती हैं फलतः उनमें परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति रुझान अधिक होता है, अन्य पिछड़ी, अनुसूचित जातियों में अशिक्षा, निर्धनता, अन्धविश्वास के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति उपेक्षा भाव रहता है। अध्ययन क्षेत्र में 26.25 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च जाति के, 43.12 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति के तथा 3.62 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं। कुल प्रयोग कर्ताओं में 29.21 प्रतिशत ब्राह्मण, 44 प्रतिशत राजपूत, 46.02 प्रतिशत यादव 19.35 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियाँ तथा 42.85 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं। तालिका 7.5 से स्पष्ट है कि कुल नशबन्दी में सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जातियों का 57.14 एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा ब्राह्मणों में यह प्रतिशत 50.00 है। यादवों एवं राजपूतों का प्रतिशत क्रमशः 48.14 तथा 45.45 प्रतिशत है। निरोध, आई.यू.सी.डी. एवं गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग ब्राह्मणों में 15, 15 एवं 20 प्रतिशत, राजपूतों में 24.25, 12.14, 18.98, यादवों में 18.51, 9.87, 23.45, अनुसूचित जातियों में यह प्रतिशत क्रमशः 16.66 तथा 33.3 प्रतिशत है। **(तालिका 7.5 चित्र 7.1 B)**

तालिका 7.5

जाति एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

जाति	उत्तर दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आइ.यू. इ.सी. जी	गर्भ निरोधक गोलियां
ब्राह्मण	51	31	20	4	6	10	3	3	4
राजपूत	75	42	33	6	9	15	8	4	6
यादव	176	95	81	14	25	39	15	8	19
अ.पि. जातियाँ	31	25	6	1	2	3	1	--	2
अनुसूचित जातियाँ	147	84	63	15	21	36	11	5	11
योग	480	277	203	42	61	103	38	20	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

7.2.6 पुत्र महत्व एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम-

पुत्र की इच्छा सभी को रहती है, लेकिन अधिसंख्य लोग अधिक पुत्र की कामना करते हैं। भारतीय समाज में धार्मिक सामाजिक, आर्थिक तीनों ही दृष्टि से पुत्र आवश्यक समझा गया है। वेदों में विवाहित स्त्री को 'पुत्रवती भव' कहकर आशीर्वाद दिया गया है। वह पिता का वंश चलाता है, वृद्धावस्था का सहारा एवं मरने के बाद श्राद्ध करता है। इन कारणों से लोग अपने परिवार का आकार पुत्र प्राप्ति की लालसा में बढ़ाते रहते हैं, भारत की जन्‍दर में इस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है।

तालिका 7.6 से स्पष्ट है कि 4 प्रतिशत उत्तरदाता पुत्र-पुत्री में कोई अन्तर नहीं समझते, 7.8 प्रतिशत एक पुत्र की, 32 प्रतिशत दो पुत्र की तथा 56.20 प्रतिशत तीन पुत्रों को महत्व देते हैं। पुत्र को कोई वरीयता न देने वाले 70 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रयोगकर्ता है। जिसमें नशबन्दी 57.14, आई.यू.सी.डी. 7.14, कन्डोम 21.42 तथा ओरल पिल्स प्रयोगकर्ता 14.28 प्रतिशत हैं। एक पुत्र को वरीयता देने वाले 66.66 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रयोगकर्ता हैं जिसमेंसर्वाधिक नशबन्दी से 65.36 प्रतिशत सुरक्षित हैं। दो पुत्र को वरीयता देने वाले 60.62 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रयोगकर्ता हैं जिसमें नशबन्दी 80.41, आई.यू.सी.डी. 7.21, कन्डोम 5.15 तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोगकर्ता 7.21 प्रतिशत हैं। निम्न सामाजिक स्तर वाले 56.20 प्रतिशत उत्तरदाता शक्ति एवं आमदनी के लिए न्यूनतम तीन पुत्रों को वरीयता देते हैं जिसमें कुल नशबन्दी 11.62 प्रतिशत ही है। (**तालिका 7.6, चित्र 7.1 C)**

तालिका 7.6

पुत्र-महत्व एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

पुत्र की वरीयता	उत्तर दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी			कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियाँ
				पुरुष	स्त्री	कुल			
एक पुत्र को वरीयता	39	13	26	6	11	17	2	4	3
दो पुत्र को वरीयता	160	63	97	31	47	78	7	5	7
तीन पुत्र को वरीयता	281	195	86	3	7	10	20	26	30
कोई वरीयता नहीं	20	6	14	2	6	8	1	3	2

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

DISTRICT GHAZIPUR
CULTURAL DETERMINANTS OF FAMILY WEL FARE BEHAVIOUR
Non Adopters
Tubectomy
Vesectomy
I.U.C.D.
Condom
Oral Pills
(A) RELIGION
NO. OF RESPONDENTS
500
400
300
200
100
0
Hindu
Muslim
(B) CASTE
NO. OF RESPONDENTS
250
200
150
100
50
0
Brahman
Rajput
Yadav
S.C.
Other
(C) VALUE OF SON
NO. OF RESPONDENTS
250
200
150
100
50
0
One Son
Two Son
Three Son or more
No Preference
(D) TYPES OF FAMILY
NO. OF RESPONDENTS
350
280
210
140
70
0
0
Joint
Nuclear
(On the basis of personal sample survey-2002)

Fig. 7.1

7.2.7 परिवार के प्रकार एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति अभिरूचियां-

परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्वीकार्यता में परिवार का प्रकार एक महत्वपूर्ण कारक है। एकाकी परिवार में रहने वाले दम्पति परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए स्वतन्त्र होते हैं जबकि संयुक्त परिवारों में यह निर्णय परिवार के वरिष्ठ सदस्य करते हैं। तालिका 7.7 से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण उत्तरदाताओं में 33.19 प्रतिशत संयुक्त तथा 66.80 प्रतिशत एकाकी परिवारों के परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रयोगकर्ता है। संयुक्त परिवार में 55 प्रतिशत लोगों ने नशबन्दी कराई है जिसमें महिला नशबन्दी का योगदान 36.25 प्रतिशत है। कन्डोम, आई.यू.सी.डी. तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोगकर्ता क्रमशः 11.25, 17.5 तथा 16.25 प्रतिशत हैं। एकाकी परिवारों में कुल नशबन्दी 42.85 प्रतिशत जिसमें महिला नशबन्दी का योगदान 26.08 प्रतिशत है। एकाकी परिवारों में कन्डोम, आई.यू.सी.डी. तथा गर्भनिरोधक गोलियों के प्रयोग कर्ता क्रमशः 16.90, 13.04 तथा 20.42 प्रतिशत है। **(तालिका 7.7, चित्र 7.1 D)**

तालिका 7.7

परिवार के प्रकार एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति अभिरूचियां

परिवार के प्रकार	उत्तर दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी			कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
				पुरुष	स्त्री	कुल			
सयुक्त	197	117	80	15	29	44	09	14	13
एकाकी	303	142	161	27	42	69	21	24	29
योग	500	259	241	42	71	113	30	38	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

7.3 सामाजिक-आर्थिक कारक-

ऐतिहासिक रूप से अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य आनुभविक अध्ययन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं उत्पादकता में मजबूत सम्बन्ध है। परिवार की आय, व्यवसाय, स्त्री शिक्षा का स्तर, स्त्रियों का सामाजिक स्तर आदि परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियों को प्रभावित करते है। निर्धनता के कारण गरीब पिता को यह आशा होती है कि उसके बच्चे उसकी आय में बढ़ोत्तरी करें। (सिंह एम.बी. 2001)

ये अपने बच्चों को बुढ़ापे का पेंशन समझते हैं। फलतः वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं। गरीब व्यक्ति मनोरंजन के साधनों का अभाव, अज्ञानता, अशिक्षा के के कारण दूरस्थ स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों तक नहीं जा पाते तथा गर्भ निरोधकों को नहीं अपनाते जिससे जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।

7.3.1 व्यवसाय एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ-

परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों के प्रयोग कर्ताओं पर व्यवसाय का वैयक्तिक प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय सामाजिक आर्थिक स्तर के मापन का उत्तम सूचक है। उच्च आय वाले लोगों में शिक्षा का उच्च स्तर पाया जाता है। व्यवसायी स्त्रियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की विधियों की अधिक जानकारी होती है। (कार्टराइट 1970) वे दम्पति जो कृषि एवं अन्य परम्परागत व्यवसायों में लगे हैं उनमें गर्भ निरोधकों की निम्न स्वीकार्यता पायी है। इनके बच्चे अल्प आयु में ही इनके कार्यों में सहायता करते है। जिससे बड़े परिवार की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान अध्ययन में व्यवसाय को चार वर्गों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है- नौकरी, कृषि, मजदूरी, अन्य, इनमें लगे लोगों का प्रतिशत क्रमशः 16.40, 50.20, 26.00 एवं 7.40 है।

तालिका 7.8

व्यवसाय एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियां

व्यवसाय	उत्तर दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
नौकरी	82	26	56	5	9	14	5	12	25
कृषि	251	155	96	21	40	61	8	17	10
मजदूरी	130	81	49	14	17	31	10	5	3
अन्य	37	15	22	2	5	7	7	4	4
योग	500	277	223	42	71	113	30	38	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

तालिका 7.8 से स्पष्ट है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रयोग कर्ताओं में सर्वाधिक प्रतिशत नौकरी करने वालों का 68.29 है तत्पश्चात् कृषि, अन्य एवं मजदूरों का क्रमशः 38.24, 59.45 एवं 37.69 प्रतिशत है। नौकरी करने वालों में कुल नशबन्दी 25.00 प्रतिशत जिसमें

महिला नशबन्दी का प्रतिशत 16.07, निरोध प्रयोगकर्ता 21.42, आई.यू.सी.डी. प्रयोगकर्ता 8.92 तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोगकर्ता 44.64 प्रतिशत है। कृषि में संलग्न प्रयोग कर्ताओं में कुल नशबन्दी 63.54 प्रतिशत जिसमें महिला नशबन्दी 41.60 प्रतिशत है। ये उत्तरदाता 3 से अधिक बच्चे वाले हैं। इस व्यवसाय में कण्डोम, आई.यू.सी.डी. तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग कर्ता क्रमशः 17.70 प्रतिशत, 17.70 प्रतिशत तथा 10.41 प्रतिशत है। मजदूरी में लगे उत्तरदाताओं में 37.69 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों के प्रयोग कर्ता हैं जिसमें 63.26 प्रतिशत की नशबन्दी हो चुकी है जिसमें महिला नशबन्दी 34.69 प्रतिशत है। कण्डोम, आई.यू.सी.डी. तथा गर्भनिरोधक गोलियों के प्रयोग कर्ता क्रमशः 10.20, 20.40 तथा 6.12 प्रतिशत हैं। अन्य व्यवसायों के प्रयोग कर्ताओं में नशबन्दी 31.81 प्रतिशत, कण्डोम 18.18, आई.यू.सी.डी. 18.18 एवं गर्भ निरोधकों के प्रयोग कर्ता भी 18.18 प्रतिशत हैं। अन्य व्यवसायों में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है जो बेरोजगार हैं, दुकानदार, बढ़ई एवं कारीगर हैं। **(तालिका 7.8 एवं चित्र 7.2 A)**

7.3.2 मासिक आय एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियां-

परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियों के निर्धारण में परिवार की मासिक आय एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। कतिपय भारतीय अध्ययन इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि दम्पति का आर्थिक स्तर एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियों में धनात्मक संयोजन पाया जाता है। यू.एन.ओ. 1961 'पायनियरिंग मैसूर के जनसंख्या अध्ययन' की रपट में कहा गया कि 'आर्थिक स्तर एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ धनात्मक रूप से सम्बद्ध हैं' उच्च आय वर्गों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उन्नत विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। उपरोक्त विवेचन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि 'विकास सबसे उत्तम गर्भ निरोधक है'। निम्न आय वर्गों में बच्चे ही उत्पादक होते हैं क्योंकि वे अल्पायु में ही धनार्जन प्रारम्भ कर दते हैं लेकिन उच्च आय वाले दम्पति अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण पर पर्याप्त व्यय करते हैं फलतः वे उपभोक्ता होते हैं। उपरोक्त संकल्पना का परीक्षण तालिका 7.9 में विवरित है। मासिक आय को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है- 1000 से कम, 1000-2000, 2000-3000, 3000-4000 तथा 4000 से अधिक इन वर्गों में उत्तरदाताओं का प्रतिशत क्रमशः 26.40, 32.40, 10.6, 13.2 एवं 17.2 प्रतिशत है, परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रयोग कर्ताओं का प्रतिशत 1000 से

कम आय–वर्ग में 38.6 प्रतिशत, 1000-2000 में 26.54, 2000-3000 में 64.15, 3000-4000 में 55.22 तथा 4000 से अधिक आय-वर्ग में प्रयोग कर्ताओं का प्रतिशत 67.40 है। सर्वाधिक नशबन्दी 1000 से कम आय-वर्ग में है जिसमें महिला नशबन्दी का प्रतिशत 37.25 है। ये प्रयोगकर्ता बड़े परिवार वाले हैं जो 3 या अधिक बच्चों के बाद बन्ध्याकरण कराये हैं। कण्डोम के सर्वाधिक प्रयोग कर्ता 3000-4000 आय-वर्ग में एवं न्यूनतम 2000-3000 आय–वर्ग में क्रमशः 29.72 प्रतिशत एवं 11.76 प्रतिशत हैं। सर्वाधिक आई.यू.सी.डी. प्रयोग कर्ता 4000 से अधिक आय-वर्ग में 18.96 प्रतिशत एवं 1000 से कम आय-वर्ग में 9.80 प्रतिशत हैं। सर्वाधिक गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग कर्ता 4000 से अधिक आय वर्ग में 32.75 प्रतिशत एवं न्यूनतम 1000 से कम आय-वर्ग में 7.84 प्रतिशत हैं। **(तालिका 7.9, चित्र 7.2 B)**

तालिका 7.9

मासिक आय एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

आयवर्ग	उत्तर दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
1000 से कम	132	81	51	14	19	33	09	05	04
1000-2000	162	119	43	10	16	26	06	05	06
2000-3000	53	19	34	08	12	20	04	06	04
3000-4000	67	30	37	05	09	14	11	03	04
4000 से अधिक	86	28	58	05	15	20	08	04	19
योग	500	277	223	42	71	113	38	30	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

7.3.3 पति की शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियां-

शिक्षा का उत्पादकता दर पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। अशिक्षित व्यक्तियों के अधिक बच्चे तथा शिक्षित व्यक्तियों के कम बच्चे होते हैं। पति की शिक्षा एवं परिवार कल्याण के प्रति अभिरूचियों को तालिका 7.10 में प्रदर्शित किया गया है। 15.60 पत्नियों के पति अशिक्षित हैं। 13.40 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक, 17.00 प्रतिशत मिडिल, 19.60 हाईस्कूल, 24.20 इण्टरमीडिएट एवं 10.20 प्रतिशत पति स्नातक या अधिक शिक्षा प्राप्त किये हैं। इन शैक्षिक वर्गों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रयोग कर्ता क्रमशः 16.66, 25.37, 60.00, 42.85, 47.93 तथा 82.35 प्रतिशत हैं।

तालिका 7.10

पति की शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

शैक्षिक स्तर	उत्तर दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
अशिक्षित	78	65	13	05	08	13	--	--	--
प्राइमरी	67	50	17	05	10	15	--	--	02
मिडिल	85	34	51	08	17	25	09	07	10
हाईस्कूल	98	56	42	07	23	30	04	02	06
इण्टर-मीडिएट	121	63	58	16	10	26	10	11	11
स्नातक एवं अन्य	51	19	42	01	03	04	08	10	06
योग	500	277	223	42	71	113	38	30	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

जिन उत्तरदाताओं के शिक्षा का स्तर उच्च है उनमें परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों के प्रयोग का स्तर उच्च है। अशिक्षित, प्राइमरी एवं मिडिल स्तर के उत्तरदाताओं की नशबन्दी हो चुकी है, इन उत्तरदाताओं ने 2 या 3 बच्चों से अधिक होने पर नशबन्दी कराई है, जिसका प्रतिशत क्रमशः 100, 88.23 एवं 49.01 है। अशिक्षित लोगों में अज्ञानता के कारण अन्य गर्भ निरोधकों का प्रयोग नगण्य है। हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त प्रयोगकर्ताओं में नशबन्दी 71.42 प्रतिशत, कण्डोम प्रयोगकर्ताओं का प्रतिशत 9.52, आई.यू.सी.डी. 4.76 एवं गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोगकर्ता 14.28 प्रतिशत हैं। इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा प्राप्त लोगों की

नशबन्दी का प्रतिशत 44.82 है क्योंकि ये अन्य विधियों का प्रयोग कर सीमित परिवार की भावना कापालन कर रहे हैं यही भावना स्नातकों में भी पाई गयी है। इण्टरमीडिएट शिक्षा स्तर तक के उत्तरदाताओं में कण्डोम प्रयोगकर्ता 17.24 प्रतिशत एवं आई.यू.सी.डी. तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग कर्ता 18.96 प्रतिशत हैं। स्नातक एवं अन्य शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं में नशबन्दी कराने वालों का प्रतिशत 9.52 प्रतिशत जिसमें स्त्री नशबन्दी का प्रतिशत 7.14 प्रतिशत है तथा अन्य साधनों के प्रयोग कर्ताओं का प्रतिशत अधिक है जिसमें कण्डोम, आई.यू.सी.डी. एवं गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोगकर्ता क्रमशः 19.04, 23.80 एवं 14.28 प्रतिशत है। **(तालिका 7.10 एवं चित्र 7.2 C)**

7.3.4 पत्नी की शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियां

शैक्षणिक स्तर तथा प्रजननता में विलोम सह सम्बन्ध पाया जाता है, विशेषतः स्त्रियों की शिक्षा इसमें अधिक सहायक है। भारत के 17 वें नेशनल सेम्पुल सर्वे से यह तथ्य सामने आया कि यदि स्त्री ने 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की है तो उसके 2 बच्चे, 10 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की है तो 5 बच्चे अशिक्षित होने की दशा में 6.6 बच्चे । बी. गार्नियर के अनुसार यू.एस.ए. में 4 वर्ष तक विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त स्त्री को औसतन 1.86 बच्चे, 3.06 या 4.82 बच्चे उन स्त्रियों के हैं जो कभी स्कूल नहीं गयी हैं। स्पष्टतः स्त्रियों में शैक्षिक स्तर उन्नत कर प्रजननता को कम किया जा सकता है, जागरुक होने पर वे स्वतः ही छोटे परिवार को अपनाने लगती हैं।

तालिका 7.11

पत्नी की शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ-

शैक्षिक स्तर	उत्तर दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
अशिक्षित	199	134	65	17	23	40	07	11	07
प्राइमरी	124	78	46	12	17	29	06	5	06
मिडिल	67	27	40	06	17	23	05	05	07
हाईस्कूल	54	23	31	05	09	14	07	04	06
इण्टर मीडिएट	41	13	28	02	05	07	06	05	10
अन्य	15	02	13	--	--	--	07	--	06
योग	500	277	223	42	71	113	38	30	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

DISTRICT GHAZIPUR
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF FAMILY WEL FARE BEHAVIOUR
(A) OCCUPATION
(B) MONTHLY INCOME
(C) EDUCATIONAL STATUS (MALE)
(D) EDUCATIONAL (STATUS FEMALE)
Oral Pills
Condom
I U C.D.
Vesectomy
Tubectomy
Non Adopters
NUMBER OF RESPONDENTS
NO OF RESPONDENTS
NO OF RESPONDENTS
NO. OF RESPONDENTS
Service
Cultivator
Labourer
Others
< 1000
1000 2000
2000 3000
3000 4000
> 4000
Illiterate
Primary
Middle
High School
Intermediate
Graduate and Above
(On the basis of personal sample survey-2002)

Fig. 7.2

तालिका 7.11 से स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं की 39.80 प्रतिशत पत्नियाँ अशिक्षित हैं। प्राइमरी, मिडिल, हाईस्कूल, इण्डरमीडिएट, स्नातक एवं अन्य में क्रमशः 24.80, 13.40, 10.80, 8.2 एवं 3.0 प्रतिशत हैं। अशिक्षित उत्तरदाताओं में 32.60 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम.प्रयोग कर्ता हैं। इसमें कुल नशबन्दी 60.53 प्रतिशत जिसमें स्त्री नशबन्दी का प्रतिशत 35.38 है। कण्डोम, आई.यू.सी.डी. तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोगकर्ता क्रमशः 10.65, 16.92 एवं 10.70 प्रतिशत हैं। अशिक्षित वर्ग में नशबन्दी के अतिरिक्त अन्य विधियों के प्रयोग का मुख्य कारण इनके पतियों का शिक्षित होना है। प्राइमरी, मिडिल, हाईस्कूल, इण्डरमीडिएट एवं स्नातक स्तरों पर प्रयोग कर्ताओं का प्रतिशत क्रमशः 37.09, 59.70, 57.40, 68.29 एवं 86.66 प्रतिशत हैं। सर्वाधिक नशबन्दी प्राइमरी एवं मिडिल स्तर पर क्रमशः 63.04 एवं 52.27 प्रतिशत है। स्नातक एवं अन्य स्तरों पर कोई नशबन्दी नहीं हुई है क्योंकि ये उत्तरदाता कम उम्र वाले हैं जिन्हें 1 बच्चे हैं यां नहीं हैं। हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्य विधियों का प्रयोग अधिक हैं क्योंकि ये उत्तरदाता जागरुक है, ये दो बच्चों के बीच पर्याप्त अन्तर रखकर छोटे परिवार अपनाने की ओर उन्मुख हो रहे हैं। कण्डोम का प्रयोग सर्वाधिक स्नातक उत्तरदाताओं द्वारा किया गया है। आई.यू.सी.डी. का सर्वाधिक प्रयोग इण्टरमीडिएट स्तर पर 17.85 है क्योंकि ये दो बच्चों के बाद दीर्घकालिक गर्भ-निरोध अपना रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों में अन्तर एवं अभी सन्तान न होने पर भी इण्टरमीडिएट एवं स्नातक स्तर पर गर्भ निरोधक गोलिंयों का प्रयोग क्रमशः 35.71 एवं 46.15 प्रतिशत है। **(तालिका 7.11 एवं चित्र 7.2 D)**

7.4 जनांकिकी कारक-

अभिनव अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि जनांकिकी कारकों का परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता पर अवश्यमभावी प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों की स्वीकार्यता पर विवाह के समय दम्पति की आयु, अंगीकरण के समय दम्पति की आयु; एवं जीवित बच्चों की संख्या का परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियों से सन्दर्भित अध्ययन किया गया है-

7.4.1 विवाह के समय पति की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियां-

भारत के सन्दर्भ में यह सत्य है कि अपेक्षाकृत निम्न सामाजिक स्तर के कारण अल्प-वयस्कों का विवाह हो जाता है, जबकि उच्च शैक्षणिक-स्तर और विकसित अर्थव्यवस्था वाले समूहों में अपेक्षाकृत अधिक आयु में विवाह होता है। (यादव एच.एल. 1997) विवाह की आयु

में वृद्धि प्रजननता को कम करती है। विवाह के समय पुरुषों की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियों को तालिका 7.12 में प्रदर्शित किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि 55.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 21 वर्ष की उम्र में हो चुका है, 20-23 वर्ष की उम्र मे 29.40 प्रतिशत तथा 23 वर्ष से अधिक उम्र में 17.40 प्रतिशत का विवाह हुआ है। कम उम्र में विवाह उच्च प्रजनन दर को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक बध्याकरण 20-23 आयु वर्ग में 61.53 प्रतिशत है एवं न्यूनतम 23 वर्ष के बाद 23.72 प्रतिशत, कण्डोम के सर्वाधिक प्रयोगकर्ता 23 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 32.20, एवं आई.यू.सी.डी. 15.28 तथा गर्भ निरोधक गोलियों के 28.81 प्रतिशत प्रयोगकर्ता हैं। ये वे उत्तरदाता हैं जिनके पास एक या दो बच्चे हैं तथा वे बच्चों में अंतराल रखने के लिये इन विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों के न्यून प्रयोग कर्ताओं में वह उत्तरदाता सम्मिलित हैं जो 40 वर्ष से अधिक हैं जो नशबन्दी से सुरक्षित है तथा कुछ अज्ञानता वश इन विधियों का प्रयोग नहीं करते।

तालिका 7.12

विवाह के समय पति की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	कुल	कण्डोम	आई.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
21 से कम	276	164	112	26	41	67	11	19	15
20-23	147	95	52	10	22	32	8	02	10
23 से अधिक	87	28	59	06	08	14	19	09	17
योग	500	277	223	42	71	113	38	30	42

स्त्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

7.4.2 विवाह के समय पत्नी की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ-

परिवार कल्याण कार्यक्रम के स्तर निर्धारक जनांकिकी कारकों में विवाह के समय महिला की उम्र का नितान्त प्रभाव पड़ता है। अल्पायु में विवाह होने पर बार-बार गर्भधारण के कारण मातृ-शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। महिलाओं की विवाह आयु में वृद्धि के लिए उनकी शिक्षा, आधुनिक दृष्टिकोण, छोटे परिवार की महत्ता एवं जन जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

प्रस्तुत अध्ययन में इस संकल्पना का पता लगाया गया है कि क्या महिला की विवाह आयु में वृद्धि से परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है?

तालिका 7.13

विवाह के समय पत्नी की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

आयु-वर्ग	उत्तर-दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
18 से कम	235	149	86	17	41	58	11	08	09
18-20	169	98	71	18	21	39	10	12	10
20 से अधिक	96	30	66	07	09	16	17	10	23
योग	500	277	223	42	71	113	38	30	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

तालिका 7.13 से स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं में से 47 प्रतिशत पत्नियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में ही हो गया है। 33.80 प्रतिशत का 18.20 वर्ष की उम्र में एवं शेष का 20 वर्ष से अधिक उम्र में विवाह हुआ है। इन आयु वर्गों में परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों के प्रयोग कर्ताओं का प्रतिशत क्रमशः 52.6, 57.9 एवं 31.25 प्रतिशत रहा है। सर्वाधिक बन्ध्याकरण 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह होने वालों में 60.40 प्रतिशत क्योकि कम उम्र में विवाह होने पर इन्हें अधिक बच्चे पैदा करने का अवसर सुलभ हो जाता है, इनके औसत 4 से अधिक बच्चे हैं फलतः ये अधिक सुरक्षित विधि का प्रयोग करते हैं। 18-20 आयु–वर्ग में बन्ध्याकरण का प्रतिशत 54.92 जिसमें महिला बन्ध्याकरण 29.57 प्रतिशत है। इस आयु-वर्ग में कण्डोम, आई.यू.सी.डी. तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोगकर्ता क्रमशः 14.08, 16.90 एवं 14.08 प्रतिशत है। 20 से अधिक आयु-वर्ग में नशबन्दी का प्रतिशत सबसे कम 24.24 एवं अन्य विधियों के प्रयोग कर्ताओं का प्रतिशत सर्वाधिक है क्योंकि इनके पास 1 या 2 बच्चे हैं तथा ये बच्चों में अन्तराल के लिए दीर्घकालिक गर्भनिरोधकों का प्रयोग कर रहे हैं। **(तालिका 7.13 चित्र 7.3 A)**

7.4.3 अंगीकरण के समय पति की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ-

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता इस अवधारणा पर भी आधारित है कि गर्भ-निरोधकों के प्रयोग के समय प्रयोगकर्ता की उम्र क्या थी। प्रयोग के समय यदि उसकी उम्र 40 या 50 वर्ष से अधिक थी तो कार्यक्रम की सफलता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तालिका 7.14 में पति की उम्र एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियों को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 7.14

अंगीकरण के समय पति की उम्र एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

आयु वर्ग	उत्तर-दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आई.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
21-30	150	71	79	06	15	21	03	01	05
31-40	176	89	67	15	24	39	13	08	22
41-50	118	65	53	15	20	35	22	15	12
50 से अधिक	56	32	24	06	12	18	--	06	03
योग	500	277	223	42	71	43	38	30	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

तालिका 7.14 से स्पष्ट है कि 21-30, 31-40, 41-50 एवं 50 से अधिक की आयु में क्रमशः 29.03, 52.47, 48.47 एवं 27.88 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों के प्रयोग कर्ता हैं। सर्वाधिक 75.00 प्रतिशत नशबन्दी 50 से अधिक आयु वर्ग में है क्योंकि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए लोगों ने नशबन्दी कराई है। सबसे कम नशबन्दी 21-30 आयु वर्ग में 26.58 प्रतिशत है। 31-40 एवं 41-50 आयु वर्ग में नशबन्दी का प्रतिशत क्रमशः 58.20 एवं 66.03 प्रतिशत है। सर्वाधिक कण्डोम प्रयोग कर्ता 21-30 आयु वर्ग में हैं तथा आई.यू.सी.डी. एवं गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग कर्ता क्रमशः 16.45 एवं 18.98 प्रतिशत हैं। 31-40 आयु वर्ग में नशबन्दी, कण्डोम, आई.यू.सी.डी. तथा गर्भनिरोधक गोलियों के प्रयोगकर्ता क्रमशः 5.97, 4.47 एवं 31.34 प्रतिशत हैं। 41-50 आयु वर्ग में नशबन्दी

कराने वालों का प्रतिशत 66.03 है। कण्डोम आई.यू.सी.डी, एवं गर्भनिरोधक गोलियों के प्रयोग कर्ता क्रमशः 7.54, 15.09 एवं 11.32 प्रतिशत हैं। (**चित्र 7.3 B तालिका 7.14**)

7.4.4 अंगीकरण के समय पत्नी की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ-

पत्नी की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियों को तालिका 7.15 एवं चित्र 7.3 C में प्रदर्शित किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि 21 से कम, 21-30, 31-40 तथा 41-50 आयु वर्ग में परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों के प्रयोग कर्ताओं का प्रतिशत क्रमशः 29.03, 52.47, 48.46 एवं 27.88 प्रतिशत हैं। सबसे अधिक नशबन्दी 41-50 आयु वर्ग की पत्नियों की हुई है (68.96 प्रतिशत) क्योंकि इस उम्र में उनके अधिक बच्चे हो गये होते हैं फलतः वे कार्यक्रम से अधिक लाभान्वित होती है। अस्थाई गर्भ निरोधकों के सर्वाधिक प्रयोगकर्ता 21 से कम आयु वर्ग में हैं। क्योंकि इन पत्नियों के पास कम बच्चे हैं तथा बच्चों के अन्तराल के लिए इन विधियों का प्रयोग करती हैं।

तालिका 7.15

अंगीकरण के समय पत्नी की आयु एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

आयु वर्ग	उत्तर-दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियां
21 से कम	31	22	09	--	--	--	03	01	05
21-30	202	96	106	21	42	63	13	08	22
31-40	163	84	79	12	19	30	22	15	12
41-50	104	75	29	09	11	20	--	06	03
योग	500	277	223	42	71	113	38	30	42

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

7.4.5 जीवित बच्चों की संख्या एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ-

अध्ययन क्षेत्र में जीवित पुरुष बच्चों के साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम का धनात्मक सम्बन्ध पाया गया है। तालिका 7.16 से स्पष्ट है कि जिन दम्पतियों के पास 4 पुरुष एवं 1 स्त्री बच्चों का संयोजन हैं वे सर्वाधिक परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों को अपनाये हैं (78.12 प्रतिशत), इसके विपरीत जिनके पास 1 स्त्री शिशु है वे सभी अप्रयोगकर्ता हैं। इसी प्रकार जिनके पास 2 पुरुष एवं 1 स्त्री बच्चे हैं उनमें प्रयोग कर्ताओं का प्रतिशत 40.47 हैं। जिन दम्पतियों के पास पर्याप्त लड़के एवं लड़कियाँ हैं वे स्थाई गर्भ निरोधकों के प्रयोगकर्ता हैं। जबकि जिनके पास अभी लड़के नहीं हैं वे अस्थाई विधियों को अपनाये हुए हैं। **(तालिका 7.16, चित्र 7.3 D)**

तालिका 7.16

जीवित बच्चों की संख्या एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अभिरूचियाँ

जीवित बच्चे पुरुष	स्त्री	उत्तर दाताओं की संख्या	अप्रयोग कर्ता	प्रयोग कर्ता	नशबन्दी पुरुष	नशबन्दी स्त्री	नशबन्दी कुल	कण्डोम	आइ.यू. सी.डी.	गर्भ निरोधक गोलियाँ
1	0	25	22	03	--	--	--	01	01	01
	0	21	21	--	--	--	--	--	--	--
2	0	54	36	18	04	06	10	03	03	01
2	1	42	25	17	03	08	11	03	02	01
1	1	59	39	20	02	05	07	04	04	05
3	0	40	13	27	05	06	11	06	02	08
कुल 3≥		60	34	26	05	09	14	03	02	06
4	1	32	07	25	04	05	09	03	07	05
4≥	4	51	18	33	05	12	17	06	06	04
कुल 5 <		62	33	29	07	08	15	06	03	05
कुल 5 ≥		54	27	27	07	12	19	03	00	05
योग		500	277	223	49	71	113	38	30	42

स्त्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

DISTRICT GHAZIPUR
DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF FAMILY WEL FARE BEHAVIOUR
A
WIFE'S AGE AT MARRAGE (IN YEAR)
TUBECTOMY
VESECTOMY
I.U.C.D.
CONDOM
ORAL PILLS
NON ADOPTERS
NO. OF RESPONDENTS
240
200
160
120
80
40
0
< 18
18 - 20
> 20
B
AGE OF HUSBAND (IN YEAR)
NO. OF RESPONDENTS
180
140
100
60
20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
> 50
C
AGE OF WIFE (IN YEAR)
NO. OF RESPONDENTS
220
180
140
100
60
20
0
<21
21 - 30
31 - 40
> 40
D
SEX-COMBINATION OF LIVING CHILDREN
NO. OF RESPONDENTS
55
45
35
25
15
5
0
1M+NO F
NOM+1F
2M+NO F
2M+1F
1M+1F
3M+NO F
3M ≥ F
4M + 1F
4M ≥ 1F
5M < M
5M ≥ F
(On the basis of personal sample survey-2002)

Fig. 7.3

7.5 परिवार कल्याण कार्यक्रम न अपनाने के कारण-

'परिवार कल्याण कार्यक्रम' को न अपनाने के विभिन्न कारणों में धार्मिक भावना, अधिक पुत्र प्राप्ति की इच्छा, अज्ञानता, स्वास्थ्य समस्या, एवं बच्चों को ईश्वरीय वरदान समझना है। धार्मिक कारणों से 14.80 प्रतिशत उत्तरदाता गर्भनिरोधक विधियों को नही अपनाते इसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों एवं गर्भ निरोधकों के दुष्प्रभाव की मिथ्या डर के कारण क्रमशः 9.47 एवं 24.91 प्रतिशत लोग इन विधियों को नही अपानते हैं। 16.20 प्रतिशत लोगों में जानकारी का अभाव पाया गया। 27.07 प्रतिशत उत्तरदाता कम पुत्रों के कारण गर्भनिरोधकों का प्रयोग नहीं करते, इनमें अधिकांश अशिक्षित एवं निर्धन उत्तरदाता हैं। तालिका 7.17

तालिका 7.17

परिवार कल्याण कार्यक्रम न अपनाने के कारण

कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
धार्मि प्रवृत्ति	41	14.90
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या	27	9.74
अपनाने में कठिनाई	69	24.91
कम लड़के	75	27.07
जानकारी नहीं	45	16.20
कोई उत्तर नहीं	20	7.20
योग	277	100.00

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2002

उपरोक्त विवचनों के आधार पर यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि लोग आज भी सर्वाधिक वरीयता पुत्र को ही दे रहे हैं, यह भ्रमात्मक धारणा है कि अधिक पुत्र होने पर कुछ के मर जाने पर भी कुछ जीवित तो रहेंगे। एक पुत्र वाले कतिपय अशिक्षित उत्तरदाताओं द्वारा उन्हीं की भाषा में 'भइया एक आँख के कौन भरोसा' अर्थात कम से कम दो पुत्र तो होने ही चाहिए। अतः स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्त्री शिक्षा, वृद्धावस्था में असुरक्षा की भावना कम करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पूर्ण समर्पण एवं ईमानदारी के साथ चलाया जाना चाहिए। जो लोग जानकारी के अभाव में परिवार कल्याण कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो रहे उन्हें ए.एन.एम. एवं सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए।

REFERENCES

1. Abusaleh S. (1989) ``Demography of India": Journal of Indian Association Study of Population vol 18 P1
2. Bose A. (1988) ``India's Quest for Population Stabilisation: Progress Pilfalls and Policy Options", Lecture Delivered by Author at Bonn, Germany Quated in Demography of India vol 18 P 268
3. Cartwright A. (1970) ``Parents and Family Planning Services": Routledge and Kegan Poul London.
4. Devi Gayatri (1994) ``Gramin Parivaron Main Swasthya Paricharya Ka Samaj Vagyanik Adhyayan": Classical Publishing Co. New Delhi P 12
5. Khan M.E. (1979) ``Family Planning Among Muslims in India" New Delhi Mankar Publications.
6. Ojha R. (1983) ``Population Geography" (in Hindi) Pratibha Prakashan Kanpur P 324
7. Srivastava K.C. (2000) Ancient Indian History and Culture (in HIndi) United Book Dipot University Road Allahabad P. 167
8. Singh M.B. and Dubey K.K. (2001) ``Population Geography" (in Hindi) Rawat Publications Jaipur P 274
9. United Nations (1961) Mysore Population Study (ST/SOA/A/34) New York
10. Yadav H.L. (1997) ``Population Geography" (in Hindi) Vasundhara Prakashan Gorakhpur P 198

अध्याय 8

जनसंख्या समस्या एवं नियोजन

मानव स्वयमेय महत्वपूर्ण संसाधन है, किन्तु इसकी अधिकता विविध समस्याओं का कारण बन गयी है। निरन्तर बढ़ती जनसंख्या आज देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसे नियन्त्रित किये बिना सामाजिक न्याय, समानता और बेहतर जीवन स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। वर्तमान विकास योजनाएं बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगी। यदि जनसंख्या वृद्धि की यही रफ्तार रही तो खाद्य, वस्त्र, आवास तथा पेय जल की समस्याएं विकराल हो जायेंगी। शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार की समस्याएं बढ़ेंगी। प्रत्येक वर्ष 66 हजार नये प्राथमिक स्कूल खोलने होंगे, अनाज का उत्पादन बढ़ाना होगा तथा प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्र में 30 लाख लोगों को तथा गैर कृषि क्षेत्र में 50 लाख लोगों को रोजगार देना होगा। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या एक अरब को पार कर चुकी है, इसके मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसका लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है। वस्तुतः जनसंख्या समस्या कई स्तरों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित कर रही है, इसके समाधान पर ही 21 वीं सदी का स्वरूप निर्भर करेगा।

जनपद गाजीपुर की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, भूमि उपयोग में अव्यवस्था, परम्परागत कृषि व्यवस्था, अशिक्षा एवं तकनीकी अज्ञानता आदि इसके विकास में बाधक हैं। भूमि संसाधन पर निरन्तर बढ़ता जनभार न केवल खाद्य समस्या को जन्म देता है, अपितु आने वाली पीढ़ियों को न्यूनतम जीवन स्तर व्यतीत करने को भी बाध्य कर रहा है।

8.1 जनसंख्या समस्याएं-

8.1.1 भूमि पर जनसंख्या का दबाव-

जनसंख्या दबाव का तात्पर्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या एवं उपलब्ध संसाधनों का अनुपात है। जनपद में बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप भूमि पर जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है।

तालिका 8.1 से स्पष्ट हैकि 1961 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.255 हेक्टेयर थी जो 2001 में घटकर 0.111 हो गयी। इसी प्रकार कृषिगत क्षेत्रफल, शुद्ध बोई गयी भूमि, सकल बोई गयी भूमि, एक से अधिक बार बोई गयी भूमि, शुद्ध सिंचित भूमि की उपलब्धता में ह्रास का नैरन्तर्य बना हुआ है। खाद्यान्नों के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

तालिका 8.1

प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता (हेक्टेयर में)

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कृषिगत क्षेत्रफल	शुद्ध बोई गयी भूमि	सकल बोई गयी भूमि	एक से अधिक बार बोई गयी	शुद्ध सिंचित भूमि	खाद्यान्नों के अन्तर्गत भूमि
1961	0.255	0.240	0.198	0.236	0.053	0.071	0.131
1971	0.219	0.215	0.176	0.212	0.052	0.079	0.152
1981	0.171	0.169	0.132	0.170	0.053	0.086	0.155
1991	0.138	0.136	0.108	0.138	0.052	0.070	0.144
2001	0.111	0.086	0.086	0.132	0.045	0.069	0.116

स्रोत- जिला जनगणना सार पुस्तिका 1961, 1971, 1981, 1991 एवं सांख्यिकी पत्रिका 2000 तथा प्राविजनल पापुलेशन टोटल्स 2001

भारत में प्रतिव्यक्ति कृषि योग्य भूमि उपलब्धता 0.20 हेक्टेयर विश्व में 4.5 हेक्टेयर तथा जनपद में 0.086 हेक्टेयर है जो जनपद में अधिक जनसंख्या दबाव का प्रमाण है। (क्रॉनिकल अप्रैल 2002) जनपद का जनसंख्या घनत्व 2001 में 903, उत्तर प्रदेश का 689 एवं भारत का 324 रहा। स्पष्टतः जनपद में प्रांत एवं राष्ट्र की तुलना में क्रमशः 214 एवं 579 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. अधिक हैं। जनपद के कृषि संसाधनों तथा जनसंख्या के दबाव के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कार्यशील जनसंख्या रोजगार एवं भरण पोषण के लिए नगरों की ओर प्रस्थान कर रही है। फलतः नगरों में जनाधिक्य की समस्या, तथा मलिनावासों की समस्या उत्पन्न हो रही है।

8.1.2 जनसंख्या दबाव एवं खाद्य आपूर्ति-

जनपद में जनसंख्या दबाव मुख्यतः कृषि संसाधनों पर निर्भर है। सन् 2011 एवं 2021 में जनपद की जनसंख्या हेतु क्रमशः 7.137 एवं 9.706 लाख मीटरी टन धान की आवश्यकता

होगी। दाल, हरी सब्जी, दूध, फल इत्यादि खाद्य पदार्थों की आवश्यकता का अनुमान तालिका 8.2 में प्रदर्शित किया गया है। प्रो. मुखर्जी के अनुसार 5 प्रौढ़ व्यक्तियों वाले परिवार के भरण पोषण के लिए 2 हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र अनुकूल होता है जबकि जनपद में 5 व्यक्तियों पर 2001 में 0.345 हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र उपलब्ध है जो उपरोक्त मान्यता के अनुसार कम है।

तालिका 8.2

खाद्य पदार्थ	प्रतिव्यक्ति आवश्यकता		कुल आवश्यकता (लाख मीटरी टनों में)			
	प्रतिदिन (ग्राम)	प्रतिवर्ष (कुन्तल)	1991	2001	2011	2021
धान	480	1.75	4.233	5.342	7.137	9.706
दाल	70	0.255	0.616	0.777	1.030	1.,412
हरी सब्जी	150	0.547	1.323	1.665	2.228	3.030
अन्य सब्जियां	150	0.547	1.323	1.665	2.228	3.030
दूध	250	0.912	1.321	2.783	3.712	5.052
अण्डा, मांस, मछली	50	0.182	2.203	0.554	0.741	1.008
तिल एवं वसा	40	0.146	0.439	0.445	0.594	1.008
चीनी तथा गुड़	40	0.146	0.352	0.445	0.594	0.808
फल	50	0.182	1.20	0.54	0.741	1.008

8.1.3 तीव्र जनसंख्या वृद्धि-

अर्थ शास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक 'वेल्थ आफ नेशन' में जनसंख्या को आर्थिक विकास के लिए लाभदायक माना क्योंकि जनसंख्या मांग और पूर्ति का निर्णायक तत्व हैं। इस विचारधारा का समर्थन 'प्रो. हैन्सन', 'लुइस', प्रो. हर्षमेन, आदि अर्थशास्त्रियों किया। इसके विपरीत प्रो. विलाई, प्रो. आर्थर, प्रो. सिंगर आदि अर्थशास्त्रियो ने बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या, विकास पर बुरा प्रभाव डालती है तथा बोझ बनकर सामने आती है। (प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2000) उपरोक्त विचारधाराओं के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि विकासशील देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक है। जनपद में 1901 में कुल जनसंख्या 8,57,830 थी जो 2001 में 30,49,337 हो गयी। 1901 से 1951

की अवधि में 2,43,102 की वृद्धि तथा 1951 से 2001 में 19,48,405 की वृद्धि हुई इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्युदर में कमी आना है। जनपद में 1951-61 के दशक में 25.64, 1961-71, 1981-91 एवं 1991-2001 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्रमशः 14.58, 22:40, 25.01 तथा 25.82 प्रतिशत रही। इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या में 1961-71, 1971-81, 1981-91 एवं 1991-2001 में क्रमशः 52.80, 123.60, 15.57 एवं 30.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फलतः कृषियोग्य भूमि का निवास के लिए अधिग्रहण, बढ़ता हुआ भूमि मूल्य, पेयजल समस्या, प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ग्रामीण- नगरीय स्थानान्तरण से सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं कम हो रही है।

8.1.4 निर्भर जनसंख्या में वृद्धि-

जनपद गाजीपुर में आयु–लिंग पिरामिड का आधार विकास शील देशों की भांति चौड़ा है तथा शीर्ष पतला जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण है क्योंकि शिशु-मृत्यु-दर में ह्रास की अपेक्षा जन्मदर में अल्प ह्रास हुआ है। जनपद में जनसंख्या का निर्भरता अनुपात 1971, 1981, 1991 में क्रमशः 142.00, 141.00 एवं 140.34 प्रतिशत है। जनपद में कार्यशील जनसंख्या पर दवाब अधिक है फलतः सामाजिक आर्थिक विकास अवरूद्ध हो रहा है।

8.1.5 निम्न लिंगानुपात-

2001 की जनगणनानुसार जनपद का लिंगानुपात 974 है, जबक उत्तर प्रदेश एवं भारत का लिंगानुपात क्रमशः 898 एवं 933 है। यद्यपि यह प्रदेश एवं देश के अनुपात से अधिक है लेकिन सन्तुलित नहीं है क्योंकि लिंगानुपात में सन्तुलन जनांकिकी संरचना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

8.1.6 अल्प साक्षरता-

अशिक्षा और निरक्षरता से न केवल उत्पादकता पर असर पड़ता है बल्कि इससे समाज की सांस्कृतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी अवरूद्ध हो जाता है। सितम्बर 1984 में मैक्सिको में हुए 'विश्व जनसंख्या सम्मेलन' में साक्षरता को जनसंख्या नियन्त्रण का एक प्रमुख अस्त्र स्वीकार किया गया। साक्षरता एक गुणात्मक तत्व है जो किसी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का द्योतक है। जनपद की साक्षरता 2001 में 60.06 प्रतिशत है जिसमें पुरुष एवं महिला

साक्षरता क्रमशः 75.45 एवं 44.39 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की कुल, पुरुष एवं महिला साक्षरता क्रमशः 57.36, 70.23 एवं 42.98 है तथा भारत की 65.38, 75.85 एवं 54.16 है। जनपद में पुरुष एवं महिला साक्षरता में पर्याप्त असंतुलन है फलतः निम्न जीवन स्तर, एवं अनेक सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र में न्यून साक्षरता के प्रमुख कारणों में साक्षरता के महत्व की अवहेलना, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, एवं अन्य समाज- आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याएं हैं।

8.1.7 अल्पायु- विवाह-

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में 10-19 आयुवर्ग में 12.69 पुरुष एवं 28.80 प्रतिशत स्त्रियाँ विवाहित हैं। अल्पायु में विवाह का कारण सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ा पन है। जनगणना में 9 वर्ष से कम आयु वर्ग को अविवाहित श्रेणी में रखा गया है लेकिन चयनित गांवों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि अभी भी कुम्हार, लोहार, गोड़ तथा अनुसूचित जातियों में 9 वर्ष से कम उम्र में विवाह हो रहे हैं। अल्पायु में विवाह से अनुत्तम स्वास्थ्य एवं मातृ-शिशु मृत्युदर में वृद्धि होती है इसके अतिरिक्त अल्पायु से ही पारिवारिक उत्तरदायित्व वहन करने से मानसिक अवसाद एवं आर्थिक कठिनाइयां आती हैं।

8.1.8 व्यावसायिक असन्तुलन-

जनपद की कार्यरत जनसंख्या 27.01 प्रतिशत है, प्रांत की 29.22 प्रतिशत एवं राष्ट्र की 37.68 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि यह प्रांत एवं राष्ट्र की तुलना में कम है। जनपद की कार्यरत जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत 53.17 प्रतिशत है, कृषक मजदूरों का प्रतिशत 25.95 तथा उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगे लोगों का प्रतिशत 5.32 एवं अन्य कार्यों में 15.56 प्रतिशत लोग लगे हैं। ये आंकड़े जनपद को कृषि अर्थतंत्रीय प्रमाणित करते हैं। जहं उच्च जन्मदर के कारण रोजगार सम्भावनाएं कम हो रही हैं। फलतः लोग अन्य प्रांतों एवं नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

8.1.9 अनुसूचित–जाति-

जनपद में अन्य जातियों की अपेक्षा अनुसूचित जातियां सामाजिक आर्थिक स्तर में अत्यन्त पिछड़ी है। जनपद में ये कम भूमि धारक एवं कृषक मजदूरों के रूप में हैं। इनके उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद इनके सामाजिक तथा आर्थिक स्तर में विकास हुआ है लेकिन अभी अपेक्षित

विकास की आवश्यकता है। अभी भी इनके लिए अधिक बच्चे धनोपार्जन का साधन माने जाते हैं।

8.2 जनपद का विकास–स्तर- (2001)-

जनपद के विकास स्तरों का निर्धारण तीस विभिन्न अवयवों को लेकर परिकलित कर किया गया है। विकास स्तरों के परिसीमन हेतु इन अवयवों की सहायता से मानक संख्याओं की गणना की गयी है। तदुपरान्त प्रत्येक विकास खण्ड औसत मानक संख्या के आधार पर मध्यमान एवं मानक विचलन के द्वारा विकास स्तरों का निर्धारण किया गया है। जनपद का सबसे विकसित विकास खण्ड मुहम्मदाबाद एवं सबसे पिछड़ा विकास खंड भांवरकोल है।

8.2.1 निम्न श्रेणी-

(95 से कम) के अन्तर्गत 5 विकास खंड आते हैं यथा देवकली (91.90), कासिमाबाद (93.60), भांवरकोल (77.90), जमानियाँ (89.90), रेवतीपुर (82.40) (परिशिष्ट 8.1)

8.2.2 मध्यम श्रेणी-

(95-110) इस श्रेणी में जनपद के 8 विकास खंड आते हैं। यथा मनिहारी (101.90), सादात (101.60), सैदपुर (105.40), बिरनो (109.60), मरदह (107.40), करण्डा (99.01), बांराचंवर (95.80) तथा भदौरा (96.60) आते हैं। (परिशिष्ट 8.1)।

8.2.3 उच्च श्रेणी–

(110-120) इसमें जनपद के दो विकास खंड जखनियां (110.60), एवं गाजीपुर (115.00) आते हैं। (परिशिष्ट 8.1)

8.2.4 अति उच्च श्रेणी-

(120 से अधिक) के अन्तर्गत केवल एक विकास खंड मुहम्मदाबाद 122.90 आता है। (परिशिष्ट 8.1)

8.3 परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बद्ध समस्याएं-

तीव्र जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि, तज्जनित समस्याएं एवं उनके निदान सम्भवतः हमारे सामने विद्यमान प्रश्नों में अत्यंत ज्वलन्त एवं महत्वपूर्ण हैं। (गोष्ठी रिपोर्ट 1988) जनसंख्या का अनवरत बढ़ता दबाव, संसाधन ह्रास, पर्यावरणीय ह्रास एवं निम्न विकास गति का कारण है। भारत के नीति निर्माताओं ने जनसंख्या नियन्त्रण के महत्व को बहुत पहले ही 1951-52 में ही पूर्ण रुपेण समझ लिया था। उत्तर-स्वतंत्रता काल में मृत्यु दर को स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से कम कर लिया गया तथा गर्भ निरोधकों के प्रयोग से संदर्भित परिवार कल्याण कार्यक्रमों की असफलता एवं उपस्थित सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कारण जन्मदर नियन्त्रण पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी फलतः जनसंख्या विस्फोट से संधृत विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता सेवाओं की आपूर्ति, सरलतम पहुंच एवं गर्भ निरोधकों की जानकारी पर निर्भर करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों की मांग का अवबोध कर लोगों की जन्म नियन्त्रण एवं छोटे परिवार के प्रति अभिरुचियों का पता लगाया जाये। (बोस ए. 1998) परिवार कल्याण कार्यक्रम सेवाओं की आपूर्ति के निर्धारक कारकों में राजनीतिक इच्छाशक्ति, शैक्षिक स्तर, आधुनिक मान्यताओं की स्वीकार्यता प्रमुख है। जनपद में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निम्न समस्याएं हैं-

8.3.1 साधनों की अनुपलब्धता-

जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइयों, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच इत्यादि सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा देखरेख की सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को इस हेतु शहर जाना पड़ता है। जनपद में जनसंख्या के अनुरूप अभी 32 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है।

8.3.2 सीमित आर्थिक सहायता-

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए किये जा रहे खर्च को बढ़ाया जाये जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उचित दवाइयों एवं उपकरणों की व्यवस्था हो सके। प्रधानमंत्री द्वारा जनसंख्या कोष गठित किये जाने से इस क्षेत्र में उपयुक्त सुधार की संभावना व्यक्त की जा रही है।

आर्थिक सहायता से सम्बद्ध प्रमुख समस्या कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण से भी सम्बद्ध है क्योंकि जो भी धन प्रशासन द्वारा संस्तुत किया जाता है उसका अधिकांश भाग ये आपस में बांट लेते हैं यही नहीं ये दवाइयां भी बेंच देते हैं। फलतः ग्रामीण जनता लाभान्वित नहीं हो पाती।

8.3.3 आवासीय समस्या-

स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवास की समस्या के कारण सेवाओं का उचित आदान-प्रदान नहीं हो पाता। कई स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर, मिडवाइफ अन्य कर्मचारी इसलिए अनुपस्थित रहते हैं कि क्योंकि उनको रहने की जगह ही नहीं है।

8.3.4 प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी-

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ कर्मचारियों की कुशलता एवं उनके अनुभव पर आधारित है। इनकी अकुशलता, एवं उपेक्षा से ग्रामीण जनता में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति भ्रम एवं गलत धारणाएं उत्पन्न हो गयी हैं। ये कार्यक्रम के प्रति जनमानस को प्रेरित करने में असफल रहे हैं। लक्ष्य पूर्ति के लिए ये जनता को दिग्भ्रमित करते हैं फलतः लोगों में असंतोष है जिसका कार्यक्रम की सफलता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

8.3.5 जन सहयोग एवं विज्ञापनों का अभाव-

ग्रामीण जनता में अशिक्षा, परम्परागत दृष्टिकोण के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक रूझान का अभाव है। सर्वेक्षण में 16.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं में गर्भ निरोधकों के प्रयोग में जानकारी का अभाव बताया गया। संचार एवं प्रसारण सुविधाओं में विकास के बावजूद भी लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की महत्ता की जानकारी नहीं है अतः व्यापक विज्ञापन सुविधाओं के विकास को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

8.3.6 कर्मचारियों की उदासीनता-

स्वास्थ्य परिवार कल्याण केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारी अपना कार्य निष्ठा एवं पूर्ण समर्पण से नहीं करते, ये आंकड़ो की पूर्णता में ही अपने कार्य की पूर्णता समझते हैं। डाक्टरों की

उदासीनता उस समय देखी जा सकती है जब उनके द्वारा किये गये बन्ध्याकरण असफल हो जाते हैं। मिडवाइफें कतिपय सम्भ्रांत परिवारों से संपर्क स्थापित करती है हरिजन बस्तियों में तो कदाचित् ही जाती हैं, कभी-कभी तो जानकारी के अभाव में ये इन लोगों से दवाओं के पैसे भी लेती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टर निजी प्रेक्टिस में व्यस्त रहने के कारण जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं।

8.3.7 स्वास्थ्य कर्मियों का अधिक स्थानान्तरण-

स्वास्थ्य कर्मियों का बार-बार स्थानान्तकरण परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में बाधक है क्योंकि इन्हें ग्रामीण जनता से उचित संपर्क का अवसर नहीं मिल पाता। अधिक दूर के स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन साधनों के अभाव में असुविधा होती हैं जिससे वे अनुपस्थित रहते है, परिवार कल्याण कार्यक्रम केन्द्रों पर इनके आवास की समुचित व्यवस्था नितान्त आवश्यक है।

8.3.8 जन स्वास्थ्य रक्षकों की उपेक्षा-

परिवार कल्याण कार्यक्रम की ग्रामीण जनता तक सुगम बनाने के लिए 1977-78 जनस्वास्थ्य रक्षक योजना प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें ग्रामीण जनता को मुफ्त दवाइयां आवंटित करने, तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त गर्भ निरोधकों का वितरण सुनिश्चित किया गया। लेकिन आज इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता केवल 50 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि इनसे उचित सेवाएं ली जायें एवं इनके पारिश्रमिक को बढ़ाया जाये।

8.3.9 परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों की उपेक्षा-

परिवार कल्याण कार्यक्रम छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने एवं इस हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के कार्यक्रम के रुप में परिभाषित किया गया है। परिवार में अधिक जन्मों पर रोक लगाना एवं सन्तानहीन दम्पत्तियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सन्तोनोत्पत्ति योग्य बनाना भी इस कार्यक्रम का लक्ष्य है लेकिन सामाजिक- सांस्कृतिक उपेक्षा एवं जनांकिकी उपेक्षा के कारण यह कार्यक्रम पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा है।

8.3.10 सामाजिक उपेक्षा-

सामाजिक आधार पर यह कहा जाता है गर्भ निरोधकों के प्रयोग से युवक़-युवतियों का नैतिक पतन होगा क्योंकि लैंगिक संबंध सामान्य बात हो जायेगी, फलतः विवाह की पवित्रता नष्ट हो जायेगी। इन रूढ़िवादियों के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है।

8.3.11 यौन-शिक्षा का अभाव एवं उसके प्रति अस्वस्थ दृष्टिकोण-

समाज वैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात का पता लगाया जा चुका है कि जिस दम्पत्ति को विवाह के समय सेक्स एनाँटमी तथा प्रजनन प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता वे विवाहित जीवन के आरम्भिक काल में इन बुनियादी तथ्यों को जानने की इच्छा नहीं करते परिणामतः परिवार कल्याण कार्यक्रम असफल रहते हैं। यौन विषयों पर अधिक संकोच के कारण लैंगिक संबंध जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के प्रति संकोच एवं अरूचि होने लगती है, अशिक्षित एवं अल्प शिक्षित स्त्री-पुरुषों से इस विषय पर बात करना भी दुर्लभ होता है जिससे परिवार कल्याण कार्यक्रम में बाधा आती है।

8.3.12 धार्मिक विरोध-

साधारणतया लोग संतान को ईश्वर की देन समझते हैं तथा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। अधिकांश ग्रामीण जनता यह सोचती है कि जो पेट के साथ आता है वह उसे भरने के लिए अपने साथ दो हाथ एवं दो पैर भी लाता है फलतः अधिक बच्चे पैदा करना अभिशाप नहीं है। जिन दम्पत्तियों को संतान नहीं हैं उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती। कई धार्मिक संगठन परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों के प्रयोग का विरोध करते हैं।

8.3.13 पुत्र-महत्व-

अध्ययन क्षेत्र में डिमोग्रैफिक फन्डामेंटलिज्म की जड़ें अत्यन्त गहरी हैं, लोगों में पुत्र प्राप्ति की भावना इतनी प्रबल है कि भले ही 6-7 पुत्रियाँ हो जाये लेकिन पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप प्रजनन दर अधिक है तथा उच्च जनवृद्धि के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम असफल हो रहे हैं।

8.3.14 समाज में महिलाओं का स्तर-

समाज में महिलाओं का स्तर परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इनके स्तर से इनकी निर्णय क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। अभिनव वर्षों में शिक्षा, रोजगार, एवं आय के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है जिससे उत्पादकता में ह्रास आना अवश्यम्भावी है। जनपद में साक्षरता एवं लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति से इनकी श्रेष्ठ स्थिति का अनुमान नहीं होता है, 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 44.39 प्रतिशत तथा लिंगानुपात 978 प्रतिहजार हैं।

8.3.15 अशिक्षा-

जनपद में 40 प्रतिशत अशिक्षित जनसंख्या है जिसमें महिला एवं पुरुष अशिक्षित क्रमशः 55.61 एवं 24.55 है, अशिक्षित लोग बच्चे को ईश्वरीय देन समझते हैं गर्भ निरोधकों के प्रयोग के प्रति इनमें जागरूकता का सर्वथा अभाव है जिसका परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

8.3.16 परिवार- व्यवस्था-

संयुक्त परिवारों में बच्चे के पालन- पोषण एवं देखरेख का उत्तर दायित्व केवल दम्पत्ति का न होकर अन्य सदस्यों यथा दादी, बुआ आदि का भी होता है। परिवार के आकार का निर्धारण वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिससे उच्च प्रजननता के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। इसके विपरीत एकाकी परिवारों के दम्पत्ति पालन-पोषण की कठिनाई, एवं अन्य कारणों से गर्भ निरोधकों के प्रयोग द्वारा परिवार को सीमित रखते हैं।

8.4 जनसंख्या नियोजन-

जनपद गाजीपुर की जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं के मध्य अनुकूल संतुलन स्थापित करने के लिए निम्न तथ्यों का समावेश आवश्यक है। नियोजन से सम्बद्ध सुझाव निम्न है—

8.4.1 कृषि उत्पादन में सुधार-

जनपद में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गयी भूमि का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण हेतु प्रति हेक्टेयर कृषि में उत्पादन वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। अधिक उपज देने वाली फसलों का उपयोग, फसल–चक्र का ज्ञान, विद्युत एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, बहु-फसल-चक्र एवं गहन कृषि पद्धति के साथ भूमि की उर्वरता बनाये रखते हुए बढ़ती जनसंख्या का भरण-पोषण किया जाना चाहिए। भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के निमित्त मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, भेड़पालन एवं डेयरी उद्योग को विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु, कुटीर, पारिवारिक उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा ऋण एवं सब्सिडी दी जानी चाहिए।

8.4.3 शैक्षिक स्तर में विकास-

शैक्षिक स्तर एवं प्रजननता में अत्यन्त घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शिक्षित लोग जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम कोअधिक महत्व देते हैं। मानव के सामाजिक- आर्थिक विकास के साथ ही साथ प्रजननता में कमी आती है। अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में निम्न साक्षरता बाधक है। स्त्री साक्षरता पर विशेष ध्यान देते हुए बेरोजगारी एवं गरीबी निवारण हेतु रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बालिका शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं चलायी जानी चाहिए। साक्षर स्त्रियों परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन क्षेत्र में 12 वीं तक शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा एवं आंगनबाड़ी कार्यों की समीक्षा कर उसमें सुधार किया जाना चाहिए। गैर जिम्मेदार कर्मचारियों का तत्काल निष्कासन किया जाये।

8.4.4 आश्रित जनसंख्या भार में कमी-

यह समस्या, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण करके तथा जनपद में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करके दूर की जा सकती है। कुटीर उद्योगों, लघु

3- लोगों को पौष्टिक आहार के प्रति जागरुक बनाया जाय तथा हरे शाक-सब्जी एवं फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाये।

4- संक्रामक बीमारियों पर नियन्त्रण हेतु व्यापक जन-आन्दोलन चलाया जाये एवं धार्मिक रूढ़ियों पर कुठाराघात कर स्वस्थ सामाजिक वातावरण का विकास किया जाये। लड़कियों की बजाय लड़कों को वरीयता देने संबंधी सामाजिक मान्यता को समाप्त किया जाये।

5- परिवार कल्याण कार्यक्रम को सशक्त एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। बन्ध्याकरण के बाद सम्बद्ध स्त्री-पुरुषों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाये। पुरुष नसबंदी को प्रभावी बनाने लिए इस भ्रांति को दूर किया जाये कि नसबंदी के बाद यौन-क्रियाओं में कष्ट होते हैं।

6- सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कानून बनाया जाये कि उनके अधिकतम दो बच्चे हों। परिवार कल्याण कार्यक्रम में इनके योगदान को इनके चरित्र पंजिका में लिखा जाये तथा इन्हें पदोन्नति में वरीयता दी जाये।

7- स्कूल, कालेजों तथा प्रौढ़ शिक्ष केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बंधी विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायें एवं निश्चित अंतराल पर उनका निरीक्षण किया जाये। अकर्मण्य कर्मचारियों/अधिकारियों को निलम्बित कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

8- बन्ध्याकरण कराने वालों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की जाये एवं प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाये।

9- महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसका सीधा संबंध परिवार कल्याण कार्यक्रम से है, साथ ही साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत की जानी चाहिए।

10- विभिन्न उत्पादों के लेबल पैकिंग पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रतीक एवं संदेश लिखना कानूनन अनिवार्य किया जाये तभी कार्यक्रम के प्रति राष्ट्रीय भावना का विकास होगा।

11- लड़के तथा लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक उम्र क्रमशः 25 वर्ष एवं 22 वर्ष की जानी चाहिए यदि इससे कम पर विवाह हो तो उनके अभिभावकों को दण्डित किया जाये।

12- लोग दहेज को अभिशाप मानते हैं इसलिए भी पुत्र को अधिक महत्व देते हैं अतः इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए और कठोर कानून बनाये जांये।

13- स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाये क्योंकि लगभग प्रत्येक वर्ग में लोग तब तक बच्चा पैदा करते रहते हैं जब तक कि पुत्र न हो जाये। ऐसी लघु मानसिकता का निराकरण किया जाये।

14- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम का अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। तथा अनुकूल परिणाम मिलने पर वहां विकास कार्य किये जांये।

15- परिवार कल्याण कार्यक्रम को केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय का दायित्व न समझकर उसे जन-आंदोलन के रूप में चलाया जाना चाहिए, किन्तु इसमें जोर जबरदस्ती को बढ़ावा न दिया जाये, इससे लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है तथा कार्यक्रम असफल हो जाता है, क्योंकि यह पूरे सामाजिक-आर्थिक विकास एवं रूपान्तरण का हिस्सा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के कारण जब शिशु मृत्युदर घटेगी, नई चेतना से जब लड़के-लड़की का भेद मिटेगा, महिलाएं शिक्षित होगी तथा परिवार एवं समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी तो जन्म दर घटेगी तब निश्चित रूप से परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वतः उद्भूत प्रक्रिया बनेगा तथा सफल होगा।

REFERENCES

1. Bose A. (1989) ``Demographic India" Journal of the Indian Association for the Study of Population vol 18 no. 1 and 2 P 1
2. Civil Services Chronicle April 2002 P 88
3. Chaudhuri D.P. (1974) Effects of Farmer's Education and Agricultural Productivity: A Case Study of Panjab and Haryana States of India I.L.O. Geneva.
4. Pratiyogita Darpan (Oct. 2000) P 467/7
5. ``Population Profile": Women Population and Development P no. 7 P 10
6. Rapid Population Growth: Response Patterne Seminar Report (1988) Geo-Science Journal N.G.S.I., B.H.U. Part I P 46

BIBLIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

Archana Kumari and Mukherji S. (1997) 'Male Migration and Regional Disaparities In Bihar' Vol. 43 N.G.S.I. B.H.U

Agrawal S.N. (1978) 'India's Population Problems' Tata McGrow Hill New Delhi.

Abusaleh S. (1989) 'Demography of India', Journal of Indian Association Study of Population.

Azmi, I. (1976) 'Differential Fertility in Peasant Communities A study of Iranian villages' Population Studies Vo. 30 No. 3.

Acharya H. (1976) 'Public Health And Family Welfare Programme in India' eds. M.M. Geandotra and Das N. Population Policy in India. Blackie & Sons Publishers Pvt. Ltd. Delhi.

Bhatia S.S. (1967) 'A New Measurement of Agricultural Efficiency in U.P.' Economic Geography Vol. 43.

Bansal S.C. (1999) 'Advanced Geography of India' (in Hindi) Minakshi Prakashan Merrut.

Bogue D. (1969) 'Principle of Demography' NewYork Johnwiley And Sons Ltd.

Bogue D. (1969) 'Internal Migration In O. Duncan and Houser' (eds) The Study of Population An Inventory And Appraisal Chicago Uni. Press.

Bhugole Ke Siddhant Part II NCERT.

Bose A. (1988) 'India's Quest for Population Stabilisation: Progress Pitfalls and policy options', Lecture Delivered By Author at Bonn, Germany Quated in Demography of India Vol. 18.

Bose A. (1989) 'Demographic India' Journal of the Indian

Association for the Study of Population Vol. 18.

Bebarta P.C. (1977) 'Attitude of Woman Towards Family Planning ' A Study of Differences By Family Types In Six Villages of Delhi' Quarterly Journal of India Studies in Social Sciences 1(1).

Berelson B. (1969) 'Beyond Family Planning' Studies in Family Planning No. 38(2).

Clark J.I. (1972) Population Geography Pergaman Oxford Press.

Chandana R.C. (1997) Population Geography (in Hindi) Kalyani Publishers New Delhi.

Census of India (2001) series .10 U.P. Provisional Population Totals Paper I of 2001.

Chandana R.C. and Sidhu M.S. (1980) Introduction to Population Geography Kalyani Publishers New Delhi.

Cartwright A. (1970) Parents and Family Planning Services: Routledge Kegan Poul London.

Civil Services Chronicale April 2002.

Chaudhari D.P. (1974) 'Effects of Former's Education of Agricultural Productivity: A Case Study of Punjab And Haryana Atates of India' I.L.O. Geneva.

Chandrasekhar S. (1979) 'India's Population Facts. Problems and Policy' Allied Publishers, Bombay (Mumbai).

Doi K. (1975) 'The Industrial Structure of Japanese Prefectures Proceading of I.G.U. Regional Confrence in Japan'.

Demko G.J. (1970) 'Population Geography : A Reader' McGrow Hill Com. New York.

District Census Hand Hand Book (1951) Ghazipur.

Davise K. (1955) 'Social And Demographic Aspects of Economic Development In India.' eds. Simson Kuznets et at Duke Uni. Press Durnam.

Doza B. (1975) 'Dynamics of Family and Fertility' Dept. of Sociology University of Chittgong.

Devi Gayatri (1994) 'Gramin Parivaron Main Swasthya Paricharya Ka Samaj Vagyanic Adhyayan.' Classical Comp. Publishing New Delhi.

Ehrlich P.R. (1977) Ehrlich, A.H. and Holdren J.P. Eco-Science. Population, Resource Environment W.H. Freeman & Comp. Sanfransisco.

Everett M. Rogers (1973) 'Communication Strategies for Family Planning' The Free Press a Division of Macmillion Publishing Co.

Franklin S.H. (1956) 'The Patterns of Sex Ratio in Newzealand' Economic Geography Vol. 32.

Freedman, Ronala, J.T. and T.H. Sun (1964) Fertility And Family Planning in Taiwan. A Case Study of Demographic Transition American Journal of Sociology 70(1).

Gazettear: District Ghazipur U.P. 1971.

Gosal G.S. (1961) 'Internal Migration in India- A Regional Analysis' Indian Geographical Journal Vol. 36.

Gosal G.S., Krishan G. (1975) 'Patterns of Internal Migration in India' Methuen and Co. Ltd. London.

Government of India (1946) Health Survey and Development Committee Report Vol. II New Delhi.

Govt. Publications.

Government of India (1951) Planning Commission First Five Year Plan New Delhi.

Government of India (1956) Planning Commission Second Five Year Plan New Delhi.

Government of India (1961) Planning Commission Third Five Year Plan New Delhi.

Government of India (1969) Planning Commission Forth Five Year Plan New Delhi.

Government of India (1980) Planning Commission Sixth Five Year Plan New Delhi.

Government of India (1985-90) Planning Commission Seventh Five Year Plan New Delhi Vol. II.

Government of India (1992-97) Planning Commission Eighth Five Year Plan New Delhi.

Goyal R.P. 'Fertility and Family Planning in U.P.' India a Survey Delhi Demographic Research Centre Institute of Economic Growth (Mimeo).

Hussain M. (1970) 'Patterns of Crop Concentration in U.P.' Geographical Revew of India XXXI.

Hussain M. (1999) 'Human Geography' (in Hindi) Rawat Publications Jawahar Nagar Jaipur.

Hussain M. (1998) 'Urbanisation in India Appraisal' N.G.S.I. B.H.U.

Hartshorne R. (1939) 'The Nature of Geography' Association of American Geographers Rancaster.

Hashmi S.S. (1965) Examples of Application of Analysis Varience in the Study of Fertility Word Population Conference Vol. III New York.

Hull V. J. (1975) Socio Economic Status And The Position of Women in a Javanese village unpublished Ph.D. Thesis Deptt. of Demography Canverra Australian National University.

Information Centre District Ghazipur U.P. 1999.

Indian Statistical Institute National Sample Survey 16nt Round June 1960-61 Table with notes on Family Planning Culcutta. 1961.

India Planning Commission (1992-97) Eight Five year plane New Delhi vo II.

India 2001 (in Hindi) Prakashan Vibhag Ministry of Information and Broadcasting Government of India.

India 2002 (in Hindi) Prakashan Vibhag Ministry of Information and Broadcasting Government of India.

Jha D. (1963) 'Economics of crop pattern of Irrigated forms in North Bihar', Indian Journal of Agricultural Economics vol XVIII no. 1.

Joglekar N.M. (1963) Study of Cropping of Pattern On An Urban Fringe Journal of Agricultural Economocs vol 18 no. 1.

Jagannadham V. (ed.) 1973, 'Family Planning In India Policy and Administrative' New Delhi.

Jain S.P. (1939) Relationship between Fertility and Economic status in Panjab. Punjab Board of Inquiry no. 64.

Jones H.K. (1981) 'A Population Geography'. Harper and Row Publishers London.

Khare; P.C. and Sinha V.C. (1985) 'Samajik Janankee Avam Janswasthya' National Publishing House New Delhi.

Kumar Mithilesh and Shahani N. (1985) 'Jansankhya Siksha Siddhant Avam Tatva'. Population Centre Indira Nagar Lucknow.

Khan, M.E. (1979) 'Family Planning Among Muslims in India' New Delhi Manker Publications.

Karim M.S. (1974) `Fertility Defferentials by Family type' the Pakistan Developmen. Review 13 (2)

Khan N. (1983) 'Studies in Human Migration' Rajesh Publications New Delhi.

Lokanathan P.S. (1963) 'Cropping Pattern In M.P.' National council of Aplied Economic Research New Delhi.

Lee, E.S. (1966) Theory of Migration Demography vol 3 Mc. Graw Hill New York.

Louis, H. (1976) 'Population Analysis Two Models' Edward Arnold.

Learmouth A.T.A. (1958) Medical Geographer in India and Pakistan. Indian Geographicla Journal vol 33.

Mehrotra C.L. (1968) Soilsurey and Soil work in U.P. Government Printing and stationary Allahabad.

Mamoria, C.B. (1999) `Human and Economic Geography (in Hindi) Sahitya Bhawan Publications Agara.

Majumdar D.M. (1980) Ek Auoduogik Shahar ka Samajic Contoor Kanpur, Shivlal Agrawal and Com. Agara.

Mahopatra A.C., Nazarene V.M. (1998) Litracy and the Poor: Study of Selected steem of Shillong N.G.S.I., B.H.U. Vol 44.

Mishra J.P. (2001) Censas of India 2001 (in Hindi) Shahitya Bhawan Publications Agara.

Mukerjee R.N. and Kulshrasth G.C. (1998) 'Rural Sociology of India' (in Hindi) Prakash Book Dipot Badabazar Bareilly.

Majumdar P.S. and Majumdar I. (1978) 'Rural Migrants In An Urban Setting', Hindustan Publishing Corporation Delhi.

Matthus, T.R. (1966) 'An Eassay on Principles of Population As It Effects The Future Improvement of Society First Essay on Population 1978 London Macmillon (Re-Issued)

Mamoria C.B. (1961) 'India's Population Problems Kitab Mahal Private Ltd. Allahabad.

Mukherjee B.N. (1975) `Status of Women as related to family Planning' Journal of Population Research 2(1)

Nag, M. (1967) `Family Type and Fertility' in Proceedings of word population Conference 1965 vol-2 New York U.N.

Nartman D.L. (1982) `Family Planning Programmes the Population Council, New York.

Nav-Bharat Times (in Hindi) 2002

Ojha S.S. (2001) 'Geography of India' (in Hindi) Bhaugolik

Adhyayan Sansthan Allahabad.

Ojha R. (1983) 'Jansankhya Bhugale' Pratibha Prakashan Kanpur.

Omprakash (1973) 'Population Geography of U.P.' Published Ph. D. Thesis B.H.U.

O. Kediji F.O.J.C. Coldwell P.Coldwell and H. Ware (1976) 'The changing African Family Project 'Studies in Family Planning 7(5)

Provisional Population Totals District Ghazipur U.P. Table I and II 2001.

Panda B.P. (1995) 'Jansankhya Bhugole' M.P. HIndi Acedemy Bhopal.

Pant, J.C. (1983) 'Janankikee' Goyal Publishing House Meerut.

Prachin Bharat (1990) N.C.E.R.T.

Population Profile: Women Population and Development.

Prakash K. and C. Malker (1967) 'The Relationship between family Type And Fertility Millbank Memorial Fund Quarterly, 45.

Palmore, J.A. 'Population change Conjugal Status and the Family'. In Population Aspect of Social Development Asian Population Studies Series no. 11 Bangkok ESCAP.

Pandey, O, (1941) Techniques of Population Study I.G.J. vol XV

Peterson, W. (1969) 'Readings in Population' New Yrok.

Pratiyogita Darpan Oct. 2000

Ramlingon C. (1963) 'Some Economic Aspect of Cropping Pattern' vol XVII.

Rov. B.P. (1993) Human Geography (in Hindi) Vasundhara Prakashan Gorakhpur.

Roy, Kumkum (1989) 'Fatehpur District : A Study In Rural Settlement Geography'. D. Phil. Thesis Allahabad University Allahabad.

Rapid Population Growth (1988) Response Pattern Semminor Report Geo-Science Journal N.G.S.I., B.H.U. Part I.

Ronal G. Ridker (1969) `Synosis of a Proposal For Family Bond' Studies in Family Planning 1(43)

Stamp, L.D. (1962) 'The Land of Britain Its Use And Misuse' III edition.

Steel, R.W. (1955) 'Land and Population in British Tropical Africa'.

Srivastava K.C. (2000) 'Prachin Bharat Ka Itihas Tatha Sanskriti' United Book Depot Allahabad.

Saxena, C.B. (1971) `Indian Population in Trasition' Commercial Publication Bureau New Delhi.

Sen, J.C. (1963) `The sex composition of the population of India' The Deccan Geographers vol II.

Siddique, F.A. (1984) `Regional Analysis of Population Structure A Study of U.P. India Concept Publishing Company New Delhi.

Smith, T.L. Fundmental of Population study Lippincott Co. New York

Snow, C.P. (1959) The Two Culture And the Scientific Revolution Combridge University Press, London.

Spate, O.H.K. and Learmonth, A.T.A. (1954) 'India and Pakistan a General and Regional Geography' Methuen and Co. London.

Sharma R.N. and Sharma R.K. (1983) `Demography and Population Problems' Rajhans Prakashan Mandir Meerut.

Singh B.B. (1979) 'Agricultural Geography' Tara Publication, Varanasi.

Singh J. (1996) 'Arthik Bhugole Ke Mool Tatva'Gyanodaya Prakashan Gorakhpur.

Singh R.L. and Singh K.N. `Readings in Rural settlement Geography.

Singh M.B. and Dubey K.K. (2001) `Jansankhya Bhugol Rawat Publication, Jaipur.

Singh. Savindra (2000) `Paryavaran Bhugole' Pryage Pustak Bhawan University Road Allahabad.

Singh, D.K. (1993) 'Gramin Jansankhya ka Shaharon Kee Or Palayan' Geo-Science Journal vol 8 N.G.S.I., B.H.U.

Singh, D.N. (1997) 'Rapid Population Growth and Sustainable Development With Particular Reference To Developing Countries' N.G.S.I., B.H.U.

Singh, S.N. (1970) 'Demographic Structure of Surrounding Area of Varanasi city' Uttar Bharat Bhugole Patrika Gorakhpur.

Singh, R.L. (1971) 'India : A Regional Geography' N.G.S.I., B.H.U.

Singh Rana P.B. (1977) 'Clan Settlement In The Saran Plain (middle Ganga Valley): A Study in Cultural Geography.' N.G.S.I. B.H U.

Singh, R.L. (1977) 'Role of Geography as in Integrating Science N.G.S.I. Varanasi,

Sawminathan M.S. (1995) 'Agriculture, Food Security and Employment : Changing Times Uncommon Opportunities, Nature and Resources' (UNESCO) vol 31, no. 1.

Trewartha, G.T. (1969) 'A Geography of Population Word Pattern' Jhon Wiley And Sons New York.

Trewartha, G.T. (1953) 'A Case For Population Geography' Annals of the Association of American Geographers vol 43.

Thompson, W.S. (1951) 'Population Progress in For Est London' Mc. Graw Hill Book Co.

Thampson, W.S. and Lewis, D.T. (1965) 'Population N.Y. Mc. Graw Hill Book Co.

Tyagi, N. (1982) 'A Geographical study of Hill Resorts of U.P. Himalaya' Unpublished Ph. D. Thesis University of Gorakhpur.

Tillara, K.S. (1979) 'Principles of Demography' Publishing Centre Lucknow.

U.N.O. (1961) The Mysore Population Study ST/SOA/Series, A. 34 New York.

United Nations (1961) `Methodology of Demographic Sample Sarveys ST/TAO/Ser./4119 series M.N.C. 51 New York.

Wadia D.N. (1961) 'Geology of India' London.

Wong, W. and Lee, E.S. 'General Theory of Movement'. 'Population Geography A Reader'.

Yadav. H.L. (1997) 'Jansankhya Bhugole' Vasundhara Prakashan Gorakhpur.

Yadav. H.C.S. (1990) 'Water Resources of Deoria District (U.P.)' Unpublished Ph. D. Thesis B.H.U.

Yadav. N.L.S. (1996) 'Gram Budhanpur Ka Samajik Arthik Avan Bhaugolic Adhyayan' Dissertation Thesis For M.A. (1996) B.H.U.

Yadav Rana P.S. (1997-1998) Population 'Study of Sadat Block District Ghazipur U.P.': A Dissertation Work For Degree For M.A., B.H.U.

Yadav K.M.S. (1989), 'Rural-Urban Migration in India: Determinants, Patterns and Consequences' Independents Publishers Company, Delhi.

Zeelinsky W.B. (1966) 'Prologue to Population Geography' Prentice Hall Inc. N.J.

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

भूमि उपयोग 1984-85 (प्रतिशत)

विकास खण्ड	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कृषि योग्य बंजर भूमि	ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि	परती भूमि	चरागाह	उद्यान एवं वृक्ष
जखनियाँ	20368	77.15	3.31	1.96	8.02	7.18	0.66	0.80
मनिहारी	22273	75.83	3.43	1.77	7.45	10.17	0.77	0.54
सादात	22644	72.45	2.21	3.18	9.47	10.66	1.41	0.59
सैदपुर	21691	77.37	1.80	1.24	10.52	7.47	0.90	0.67
देवकली	22226	77.40	1.68	1.36	11.07	7.17	0.35	0.94
बिरनो	154447	79.39	3.02	1.54	8.27	6.57	0.25	0.78
गाजीपुर	15980	71.28	1.94	1.13	19.23	5.29	0.06	0.50
मरदह	18561	77.58	2.86	1.46	6.00	10.83	0.51	0.72
करण्डा	15526	73.54	1.04	4.04	13.87	6.74	0.06	0.67
कासिमाबाद	22897	76.58	2.32	1.65	7.18	10.78	0.3 i	1.14
बाराचँवर	19930	78.02	1.19	1.30	8.33	9.31	0.25	1.57
मुहम्मदाबाद	17430	82.45	0.63	0.90	9.82	4.48	0.02	1.87
भाँवरकोल	25059	82.96	0.37	0.70	11.06	3.93	0.003	0.96
जमानियाँ	27255	79.31	0.60	4.70	10.34	4.15	0.04	0.65
रेवतीपुर	22386	78.66	0.68	3.27	9.90	5.50	0.02	2.00
भदौरा	20589	82.14	0.80	1.10	11.05	3.30	0.004	1.57

स्त्रोत- जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 1986

परिशिष्ट 1.2

भूमि उपयोग 1999-2000 (प्रतिशत)

विकास खण्ड	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कृषि योग्य बंजर भूमि	ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि	परती भूमि	चरागाह	उद्यान एवं वृक्ष
जखनियाँ	2058	82.44	2.02	1.16	9.80	1.37	0.41	0.63
मनिहारी	22288	81.78	3.10	1:89	8.35	0.87	0.58	0.61
सादात	22639	76.94	2.09	2.63	10.13	1.82	0.92	1.06
सैदपुर	21691	79.59	1.40	1.16	10.01	1.93	0.51	0.69
देवकली	22226	78.78	1.31	1.63	10.75	1.18	0.34	0.48
बिरनो	15447	81.33	1.77	1.17	9.96	2.10	0.15	0.76
गाजीपुर	15980	69.33	0.77	1.22	22.49	1.63	0.001	0.70
मरदह	18561	81.20	1.99	1.18	8.20	2.29	0.20	0.63
करण्डा	15526	79.20	0.44	1.69	18.13	0.83	0.001	1.14
कासिमाबाद	22316	79.25	1.46	1.48	7.64	3.05	0.19	1.58
बाराचँवर	19642	81.41	1.62	1:66	9.02	1.37	0.20	1.72
मुहम्मदाबाद	17922	84.04	0.64	0.78	9.86	0.86	-	1.73
भाँवरकोल	25298	81.90	0.43	0.48	9.93	1.07	0.001	1.73
जमानियाँ	27327	77.86	0.06	3.21	15.47	0.43	-	0.97
रेवतीपुर	22386	77.36	1.38	0.59	14.54	1.34	0.187	1.30
भदौरा	20589	81.56	0.24	0.95	11.53	1.48	-	1.10

स्रोत- जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2000

परिशिष्ट 1.3

जनपद गाजीपुर शस्य प्रतिरूप (प्रतिशत) 1984 - 1985

विकास खण्ड	सकल बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	धान	गेहूँ	जौ	ज्वार-बाजरा	मक्का	अन्य धान्य	कुल धान्य
जखनियाँ	23336	35.70	35.94	2.32	2.37	1.04	0.57	77.95
मनिहारी	25248	35.31	35.11	2.53	5.46	0.61	0.54	79.56
सादात	25337	37.73	36.56	2.00	2.32	2.06	0.60	81.22
सैदपुर	24338	26.10	39.18	2.70	7.60	3.30	0.47	79.37
देवकली	24429	29.88	37.57	2.04	9.63	1.11	0.34	80.57
बिरनो	19786	39.02	36.31	2.38	3.12	0.15	0.45	81.45
गाजीपुर	17660	24.33	35.45	3.14	8.16	1.01	0.50	72.70
मरदह	20148	39.80	39.78	1.73	1.94	0.70	0.15	84.11
करण्डा	16051	12.72	31.82	6.12	18.01	0.72	0.32	69.76
कासिमाबाद	24963	37.86	36.95	2.70	4.07	0.14	0.30	82.03
बाराचँवर	21617	29.46	34.90	3.23	7.40	0.11	0.86	75.97
मुहम्मदाबाद	20765	19.36	37.08	1.96	12.70	0.34	0.52	71.97
भाँवरकोल	24199	8.59	27.08	2.42	13.71	0.28	0.96	53.03
जमानियाँ	31614	32.37	28.33	3.08	7.43	0.22	0.35	71.78
रेवतीपुर	20439	14.10	31.52	4.37	8.40	0.21	0.44	59.00
भदौरा	23295	38.22	33.65	4.00	3.17	0.05	0.18	79.27

स्रोत-जनपद सांख्यिकी पात्रिका 1986

परिशिष्ट 1.4

जनपद गाजीपुर शस्य प्रतिरूप 1999-2000 (प्रतिशत में)

विकास खण्ड	सकल बोया गया क्षेत्र	धान	गेहूँ	जौ	ज्वार-बाजरा	मक्का	अन्य धान्य	कुल धान्य
जखनियाँ	25166	41.98	40.92	1.19	0.61	0.15	0.03	84.80
मनिहारी	28066	41.69	40.18	1:25	0.64	0.13	0.04	83.93
सादात	26632	42.40	43.59	1.00	1.02	0.53	0.06	88.60
सैदपुर	19859	25.95	51.11	1.31	10.35	0.67	0.03	89.42
देवकली	22913	29.24	43.76	0.78	12.76	0.24	0.03	68.81
बिरनो	21152	38.88	42.01	1.46	0.50	0.04	-	82.89
गाजीपुर	19404	33.40	33.05	1.38	3.51	0.22	8.4	79.96
मरदह	24325	44.74	43.45	1.00	0.46	-	0.01	89.66
करण्डा	17686	16.23	39.20	3.01	14.23	0.10	0.05	72.82
कासिमाबाद	29392	37.90	42.40	1.66	1.17	0.31	0.32	83.76
बाराचँवर	25782	33.12	37.39	2:03	2.06	0.79	0.01	75.40
मुहम्मदाबाद	22023	25.14	36.42	1.53	5.63	0.81	0.02	69.55
भाँवरकोल	24749	17.70	24.18	3.69	5.36	0.77	0.05	51.75
जमानियाँ	37608	39.34	34.92	2.89	4.85	0.005	0.01	82.02
रेवतीपुर	22987	26.16	36.91	4.26	2.84	0.10	0.03	70.30
भदौरा	27244	36.94	36.30	3.17	1.05	0.007	14.37	91.84

स्रोत-जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000

परिशिष्ट 1.5

जनपद गाजीपुर शस्य-संयोजन प्रदेश (2000)

प्रथम स्तरीय	द्वितीय स्तरीय	तृतीय स्तरीय	चतुर्थ स्तरीय	विकास खण्ड
गेहूँ	1. गेहूँ, धान	1. गेहूँ, धान, ज्वार	1. गेहूँ, धान, ज्वार बाजरा, गन्ना	सैंदपुर, देवकली
	2. गेहूँ, धान चना	2. गेहूँ, धान, गन्ना		मुहम्मदाबाद
		3. गेहूँ, ज्वार, बाजार, चना	2. गेहूँ, धान, गन्ना, चना	जखनियाँ
		4. गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान	3. गेहूँ, धान, ज्वार आलू	गाजीपुर
	3. गेहूँ, चना	5. गेहूँ, चना, धान	4. गेहूँ धान, ज्वार, चना	बाराचँवर
धान-प्रधान	धान, गेहूँ	6. धान, गेहूँ, गन्ना	5. गेहूँ, ज्वार, बाजरा चना, धान।	भाँवरकोल
		7. धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा,		
		8. धान, गेहूँ, चना	6. गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, अरहर	करण्डा
		9. धान, गेहूँ, गन्ना		
			7. गेहूँ, चना, धान, ज्वार, बाजरा	रेवतीपुर
गेहूँ, चना			8. धान,	सादात, बिरनो, मरदह।
			9. धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना	जमानियाँ
			10. धान गेहूँ, चना, जौ	भदौरा
			11. धन, गेहूँ, गन्ना ज्वार, बाजरा	कासिमाबाद मनिहारी

परिशिष्ट 2.1

जनपद गाजीपुर आँकिक जनसंख्या

घनत्व 1961-1191

(व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.)

विकास खण्ड	1961	1971	1981	1991
जखनियाँ	381.84	446.00	592.00	716.21
मनिहारी	351.64	403.00	511.00	641.09
सादात	360.59	448.00	544.13	637.98
सैदपुर	453.73	523.80	667.00	858.70
देवकली	364.28	411.00	551.00	772.14
बिरनो	360.00	430.00	587.41	762.84
गाजीपुर	581.02	756.52	960.42	1365.70
मरदह	341.62	413.00	522.00	660.41
करण्डा	364.50	437.00	539.00	658.00
कासिमाबाद	373.13	457.00	559.71	723.32
बाराचँवर	387.47	396.00	525.00	639.30
मुहम्मदाबाद	542.02	628.20	792.00	1010.18
भाँवरकोल	351.58	470.00	475.00	516.26
जमानियाँ	371.65	414.00	532.07	687.06
रेवतीपुर	328.36	365.52	466.00	528.14
भदौरा	402.14	469.00	605.26	728.07

स्रोत-जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971, 1981 एवं जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2000

परिशिष्ट 2.2

जनपद-गाजीपुर ग्रामीण आंकिक जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)

विकास खण्ड	1961	1971	1981	1991
जखनियाँ	381.84	446.00	572.00	716.21
मनिहारी	351.64	403.00	511.00	641.09
सादात	360.59	448.00	572.00	631.00
सैदपुर	428.99	495.00	638.00	775.00
देवकली	364.28	411.00	551.00	722.14
बिरनो	360.00	430.00	551.00	709.00
गाजीपुर	436.66	538.00	669.00	762.84
मरदह	341.62	413.00	522.00	660.41
करण्डा	364.50	437.00	539.00	658.00
कासिमाबाद	373.13	457.00	528.00	673.00
बाराचँवर	387.47	396.00	525.00	639.30
मुहम्मदाबाद	502.04	516.00	688.00	872.00
भाँवरकोल	351.58	470.00	475.00	516.26
जमानियाँ	371.65	414.24	500.00	609.00
रेवतीपुर	324.36	365.52	466.00	528.14
भदौरा	402.14	469.00	466.00	685.00

स्रोत-जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1961, 1971, 1981 एवं जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2000

परिशिष्ट 4.1

भारत के अन्य प्रान्तों से ग्रामीण आब्रजिल जनसंख्या (प्रतिशत) 1991

वर्ष (प्रतिशत)	प्रान्तों की संख्या	क्षेत्रांश	प्रतिशत सहित प्रान्तों का नाम
0-0.10 से कम	6	0.38	उड़ीसा (021), राजस्थान (0.10), हिमांचल प्रदेश (0.04), कर्नाटक (0.02), महाराष्ट्र (0.01)
0-10-1.00 तक	4	1.17	आन्ध्र प्रदेश (0.76), गुजरात (0.28), असम (0.01), मध्य प्रदेश (0.12)
1.00-10.00 तक	1	1.32	पश्चिमी बंगाल (1.32)
10.00 से 20.00	-	-	-
20.00 से अधिक	-	-	बिहार (97.13)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका उ.प्र. माइग्रेशन टेबुल 1991

परिशिष्ट 4.2

भारत के अन्य प्रान्तों से नगरीय आब्राजित जनसंख्या (प्रतिशत) 1991

वर्ष (प्रतिशत)	प्रान्तों की संख्या	क्षेत्रांश (प्रतिशत)	प्रतिशत सहित प्रान्तों का नाम
1 से कम	9	2.45	उड़ीसा (065), आंध्र प्रदेश (0.52), महाराष्ट्र (0.36), कर्नाटक (0.18), राजस्थान (036), दिल्ली (0.18), केरल (0.08), अरुणांचल प्रदेश (0.09), जम्मू-कश्मीर (0.03)
1-10.00	4	9.37	असम (3.10), मणिपुर (1.24), मध्य प्रदेश (2.43), पंजाब (2.60)
10-20.00	-	-	-
20.00 से अधिक	2	88.18	बिहार (58.25), प. बंगाल (29.93)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका उत्तर प्रदेश माइग्रेशन टेबुल 1991

परिशिष्ट 4.3

अन्य प्रान्तो में ग्रामीण प्रवजित जनसंख्या (प्रतिशत) 1991

वर्ग (प्रतिशत)	प्रान्तों की संख्या	क्षेत्रांश (प्रतिशत)	प्रतिशत सहित प्रान्तों का नाम
0.50 से कम	11	0.97	हिमाचल प्रदेश (0.05), जम्मू-कश्मीर (0.04), नागालैण्ड (0.03), हरियाणा (0.05), तमिलनाडु (0.06), आन्ध्र-प्रदेश (0.09), उड़ीसा, (0.01), म0प्र0 (0.16), राजस्थान (0.07), गुजरात (0.32), असम (0.06)
50-3.0	3	2.03	पंजाब (0.52), प. बंगाल (1.51), महाराष्ट्र (1.01)
3.0-20.00	-	-	-
20.00 से अधिक	1	97.00	बिहार (97.00)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका उ.प्र. माइग्रेशन टेबुल 1991

परिशिष्ट 4.4

अन्य प्रान्तों में नगरीय प्रवजित जनसंख्या (प्रतिशत) 1991

वर्ग (प्रतिशत)	प्रांतों की संख्या	क्षेत्रांश (प्रतिशत)	प्रतिशत सहित प्रान्तों का नाम
01.0 से कम	8	3.40	केरल (0.29), उड़ीसा (0.72), हरियाणा (0.56), तमिलनाडु (0.62), कर्नाटक (0.65), हरिमाणा प्रदेश (0.25), जम्मू कश्मीर (0.10), गोवा (0.21)
1.0-5.0	6	-	असम (2.64), राजस्थान (2.43), म0प्र0 (3.14), दिल्ली (2.15), गुजरात (2.97), आ.प्र. (1.01)
5.0-15.0	-	-	-
15-30.00	3	82.26	बिहार (28.90), पश्चिम बंगाल (30.90), महाराष्ट्र (23.36)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका उ0प्र0 'माइग्रेशन टेबुल 1991

परिशिष्ट 4.5

अन्य जिलों में ग्रामीण आव्रजित जनसंख्या (प्रतिशत) 1991

वर्ग (प्रतिशत)	जिलों की संख्या	क्षेत्रांश	प्रतिशत सहित जिलों का नाम
0.10 से कम	30	0.99	गढ़वाल (0.0081), सहारनपुर (0.0078), मुजफ्फर नगर (0.0058), मेरठ (0.0039), उत्तर काशी (0.0045), टिहरी गढ़वाल (0.0043), देहरादून (0.0012), रामपुर (0.0028), बुलन्द शहर (0.0012). शाहजहाँपुर (0.0032), बांदा (0.0098), झाँसी (0.0085), रायबरेली (0.0029), हम्मीरपुर (0.0048), खीरी (0.018), प्रतापगढ़ (0.038), सीतापुर (0.089), गोण्डा (0.10), लखनऊ (0.14), उन्नाव (0.006), गाजियाबाद (0.0234), नैनीताल (0.045), बाराबंकी (0.034), मुरादाबाद (0.18), आगरा (0.082), मथुरा (0.08), बरेली (0.12), ललितपुर (0.03), एटा (0.0164)
0.10-1.00 तक	6	1.44	इलाहाबाद (0.23), गोरखपुर (0.48), फैजाबाद (0.23), कानपुर (0.21), सुल्तानपुर (0.17), पिथौरागढ़ (0.12)
1.00-10.00 तक	4	10.14	जौनपुर (6.76), बस्ती (1.05), मिर्जापुर (1.18), देवरिया (1.03)
10 से अधिक	3	87.43	बलिया (32.99), बाराणसी (20.27) आजमगढ़ (34.27)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका उ0प्र0 माइग्रेशन टेबुल

परिशिष्ट 4.6

अन्य जिलों में नगरीय आव्रजित जनसंख्या (प्रतिशत) 1991

वर्ग (प्रतिशत)	जिलों की संख्या	क्षेत्रांश (प्रतिशत)	प्रतिशत सहित जिलों का नाम
0.10 से कम	9	0.45	देहरादून (0.06), उतरकाशी (0.04), जालौन (0.08), मथुरा (0.05), फर्रुखाबाद (0.05), हरदोई (0.04), उन्नाव (0.05), बहराइच (0.03), पिथौरा (0.09)
0.10-1.00 तक	21	7.25	सुल्तानपुर (0.68), बस्ती (0.85), बाराबर्की (0.23), गोडा (0.76), प्रतापगढ़ (0.58), लखनऊ (0.94), रायबरेली (0.53), खीरी (0.21), सीतापुर (0.27), झाँसी (0.31), बाँदा (0.13), एटा (0.39), फतेहपुर (0.23), अलीगढ़ (0.32), आगरा (0.11), मुजफ्फरनगर (0.10), बिजनौर (0.20), मेरठ (0.15), बरेली (0.10), नैनीतल (0.23)
1.00-10.00 तक	7	21.65	इलाहाबाद (3.24), गोरखपुर (2.82), फैजाबाद (2.13), मुरादाबाद (1.01), देवरिया (1.82), मिर्जापुर (3.58), जौनपुर (7.01)
10.00 से अधिक	3	70.65	बलिया (19.99), आजमगढ़ (21.94), वाराणसी (28.72)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका, उ0प्र0 'माइग्रेशन टेबुल' 1991

परिशिष्ट 4.7

अन्य जिलों में ग्रामीण प्रव्रजित जनसंख्या (प्रतिशत) 1991

वर्ग (प्रतिशत)	जिलों की संख्या	क्षेत्रांश (प्रतिशत)	प्रतिशत सहित जिलों का नाम
0.10 से कम	19	0.75	सुल्तानपुर (0.07), सीतापुर (0.04), गोंडा (0.08), हमीरपुर (0.05), झाँसी (0.02), फतेहपुर (0.03), फरुखाबाद (0.08), मैनपुरी (0.01), आगरा (0.05), मुज्जफरनगर (0.02), शाहजहाँपुर (0.02), बुलन्दशहर (0.03), सहारनपुर (0.04), रामपुर (0.09), बिजनौर (0.04), अल्मोड़ा (0.04), चमोली (0.01), गढ़वाल (0.03), उत्तरकाशी (0.02)
0.10-1.00	15	6.48	लखनऊ (0.18), फैजाबाद (0.19), उन्नाव (0.43), रायबरेली (0.15), प्रतापगढ़ (0.96), बस्ती (0.31), गोरखपुर (0.67), देवरिया (0.38), नैनीताल (0.75), खीरी (0.92), हरदोई (0.15), देहरादून (0.38), मेरठ (0.45), कानपुर (0.44), इटावा (0.12)
1-10.00	3	17.18	मिर्जापुर (4.57), बहराइच (7.38), इलाहाबाद (5.23)
10-20	2	24.83	जौनपुर (9.16), वाराणसी (15.67)
20.00 से अधिक	2	49.76	आजमगढ़ (29.31), बलिया (20.45)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका उ0प्र0 माइग्रेशन टेबुल 1991

परिशिष्ट 4.8

अन्य जनपदों में नगरीय प्रव्रजित, जनसंख्या (प्रतिशत) 1991

वर्ग (प्रतिशत)	जिलों की संख्या	क्षेत्रांश प्रतिशत	प्रतिशत सहित जिलों का नाम
0.50 से कम	21	7.40	बाराबंकी (0.50), प्रतापगढ़ (0.41), सुल्तानपुर (0.23), गोण्डा (0.51), बहराइच (0.41), हरदोई (0.18), उन्नाव (0.41), रायबरेली (0.29), इटावा (0.13), फतेहपुर (0.41), जालौन (0.13), हम्मीरपुर (0.38), मुजफ्फरनगर (0.11), बुलन्दशहर (0.31), एटा (0.16), मैनपुरी (0.14), खीरी (0.29), बिजनौर (0.31), गढ़वाल (0.10), चमोली (0.02), उत्तरकाशी (0.01), टिहरी गढ़वाल (0.06), पीलीभीत (0.91), अल्मोड़ा (0.23), बदायूँ (0.05), मथुरा (0.43), बाँदा (0.29)
0.50-3.0	12	10.92	देवरिया (1.43), फैजाबाद (1.35), बस्ती (0.68), नैनीताल (0.73), बरेली (0.84), सहारनपुर (0.53), मेरठ (1.38), आगरा (1.31), देहरादून (0.63), मुरादाबाद (0.82), सीतापुर (0.71), झाँसी (0.51)
3.0-10.0	6	33.30	इलाहाबाद (7.32), बलिया (5.13), मिर्जापुर (7.11), जौनपुर (3.41), गोरखपुर (5.13), लखनऊ (5.25)
10.0-20.0	2	21.33	कानपुर (10.12), आजमगढ़ (11.21)
20.00 से अधिक	1	27.00	वाराणसी (27.00)

स्रोत- जनगणना पुस्तिका उ0प्र0 माइग्रेशन टेबुल 1991

परिशिष्ट 5.1

जनपद गाजीपुर की आयु संरचना (प्रतिशत)

	1981			1991		
आयु वर्ग	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
0-9	30.00	30.91	29.09	29.56	29.96	29.15
10-19	21.35	22.32	20.58	20.82	21.35	20.26
20-29	13.73	12.50	14.96	14.28	12.98	15.65
30-39	11.29	10.27	12.33	11.66	11.07	12.26
40-49	9.17	8.85	9.50	9.10	8.94	9.21
50-59	6.43	6.72	6.15	6.25	6.50	6.90
60 से अधिक	6.60	8.36	4.85	7.70	8.29	7.10

स्त्रोत- जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1981, 1991 (सोशल एण्ड कल्चरल टेबुल)

परिशिष्ट 5.2

आयु वर्गानुसार वैवाहिक स्तर 1971 (प्रतिशत में)

	अविवाहित		विवाहित		विधवा/विधुर		तलाकशुदा	
आयु वर्ग	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
0-9	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
10-19	78.24	54.86	21.74	44.85	0.14	0.06	0.01	0.01
20-29	18.37	2.27	80.49	96.94	1.07	0.78	0.23	0.02
30-39	3.38	0.26	93.22	95.05	3.26	4.66	0.27	0.06
40-49	2.33	0.22	88.78	87.09	7.40	12.55	0.17	0.16
50-59	1.81	0.19	86.38	72.16	11.64	27.49	0.25	-
60-69	1.49	0.02	79.94	50.54	21.43	49.29	0.29	0.08
70 से अधिक	1.03	-	64.55	26.83	34.10	78.83	0.13	-

स्त्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका सोशल एण्ड कल्चरल टेबुल 1971

परिशिष्ट 5.3

आयुवर्गानुसार वैवाहिक स्तर 1981 (प्रतिशत)

	अविवाहित		विवाहित		विधवा/विधुर		तलाकशुदा	
आयु वर्ग	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
0-9	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
10-19	85.23	62.16	14.63	34.1	0.11	0.99	0.05	0.07
20-29	23.04	3.70	75.80	95.47	1.76	0.55	0.25	0.22
30-39	4.32	0.46	93.21	96.62	2.15	2.52	0.32	0.36
40-49	1.76	0.11	93.89	91.92	4.17	7.70	0.17	0.27
50-59	1.73	0.10	88.60	80.91	9.26	18.73	0.33	0.29
60-69	2.02	0.16	81.40	34.18	16.40	42.65	0.15	0.45
70 से अधिक	1.99	0.17	68.35	56.70	29.38	65.15	0.38	0.51

स्त्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1981, सोशल एण्ड कल्चरल टेबुल

परिशिष्ट 5.4

आयुवर्गानुसार वैवाहिक स्तर (प्रतिशत) 1991

आयु वर्ग	अविवाहित		विवाहित		विधवा/विधुर		तलाकशुदा	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
0-9	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
10-19	87.19	71.09	12.69	28.80	0.05	0.07	0.06	0.03
20-29	17.38	2.60	81.88	96.84	0.58	0.48	0.16	0.09
30-39	2.95	0.031	95.07	97.79	1.77	1.78	0.19	0.11
40-49	0.11	0.33	93.60	94.69	3.50	4.85	0.17	0.02
50-59	1.53	0.30	90.64	87.97	7.50	11.60	0.24	0.11
60-69	1.72	0.17	84.65	69.56	13.54	30.13	0.06	0.11
70 से अधिक	5.27	2.86	69.82	44.69	24.5	52.13	0.38	0.30
योग	52.49	44.57	44.89	51.17	2.60	4.19	0.10	0.07

स्त्रोत- जनपद साँख्यिकीय पत्रिका 2002

परिशिष्ट 5.5

साक्षरता 1971

विकास खण्ड	कुल	पुरुष	स्त्री
जखनियाँ	15.60	24.50	5.80
मनिहारी	19.70	28.40	6.10
सादात	17.80	29.10	4.80
सैदपुर	18.20	28.30	6.40
देवकली	18.60	28.40	6.00
बिरनो	21.90	34.40	9.10
मरदह	18.30	28.70	7.90
गाजीपुर	26.42	40.00	11.40
करण्डा	24.00	33.40	9.70
कासिमाबाद	17.10	24.00	8.00
बाराचँवर	19.40	28.70	9.50
मुहम्मदाबाद	20.40	30.40	9.80
भाँवरकोल	21.10	30.20	12.60
जमानियां	20.10	34.00	9.00
रेवतीपुर	28.00	43.30	12.20
भदौरा	28.30	42.40	14.40

स्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1971

परिशिष्ट 5.6

साक्षरता 1981

विकासखण्ड	कुल	पुरुष	स्त्री
जखनियाँ	22.04	35.93	8.63
मनिहारी	22.29	36.18	9.95
सादात	29.20	43.86	14.66
सैदपुर	26.93	42.77	11.45
देवकली	26.27	41.46	11.19
बिरनो	22.11	35.76	8.67
मरदह	23.73	38.36	9.00
गाजीपुर	34.56	48.00	20.23
करण्डा	28.40	43.22	13.46
कासिमाबाद	21.05	35.76	8.67
बाराचँवर	22.50	34.26	10.55
मुहम्मदाबाद	23.52	35.97	10.60
भाँवरकोल	27.84	38.58	16.99
जमानियाँ	28.25	42.57	13.51
रेवतीपुर	32.50	46.95	17.52
भदौरा	33.35	47.34	19.00

स्त्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 198

परिशिष्ट 5.7

साक्षरतां 1991

विकासखण्ड	कुल	पुरुष	स्त्री
जखनियाँ	38.00	56.80	19.30
मनिहारी	38.60	57.50	19.90
सादात	39.30	58.30	20.90
सैदपुर	42.70	62.60	22.90
देवकली	41.00	59.60	21.90
बिरनों	39.10	58.20	19.90
मरदह	37.03	55.20	18.70
गाजीपुर	39.40	58.70	18.70
करण्डा	46.90	66.80	18.70
कासिमाबाद	38.40	56.30	26.60
बाराचँवर	37.30	54.30	19.60
मुहम्मदाबाद	40.70	59.00	20.90
भाँवरकोल	45.60	62.90	27.60
जमानियाँ	44.10	63.90	23.40
रेवतीपुर	45.90	63.30	27.60
भदौरा	49.40	67.10	30.70

स्रोत- जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2000

परिशिष्ट 5.8

आयु वर्गानुसार साक्षरता

आयुवर्ग	1971			1981			1991		
	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
कुल	20.14	30.75	9.28	27.77	42.00	13.44	27.30	61.40	24.40
0-4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5-9	15.10	19.68	9.40	16.45	22.23	10.45	23.61	28.77	17.95
10-14	44.47	57.45	22.63	45.68	66.32	24.37	61.19	76.89	44.14
15-19	39.85	61.07	18.14	44.63	65.02	24.12	59.58	78.88	37.95
20-24	26.27	47.88	11.67	28.30	55.57	12.25	48.09	73.43	26.79
25-34	21.90	36.99	9.28	23.30	38.47	10.00	41.15	64.82	19.71
35 से अधिक	15.19	25.98	4.10	16.28	28.23	5.67	28.85	46.48	7.90

परिशिष्ट 5.9

जनपद गाजीपुर में शैक्षिक-स्तर

शैक्षिक स्तर	1971			1981			1991		
	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
शिक्षित (बिना शैक्षिक स्तर के)	43.55	31.09	12.45	34.60	23.95	10.66	30.23	21.06	9.07
प्राइमरी	29.89	21.98	7.81	28.64	19.80	8.84	23.10	14.44	8.66
मिडिल	14.45	12.85	1.60	16.27	13.56	2.71	19.70	14.53	5.17
मैट्रिक/ हाईस्कूल	10.95	10.13	0.82	16.91	14.96	1.95	21.83	17.85	3.98
डिग्री के असमान गैर-तकनी का डिप्लोमा	--	--	--	0.03	0.02	0.09	0.40	0.27	0.10
डिग्री के असमान तकनी की डिप्लोमा	0.08	0.07	0.01	0.092	0.09	0.002	0.16	0.14	0.02
स्नातक एवं उससे अधिक	1.14	1.05	0.09	3.42	3.07	0.35	4.64	3:99	0.65

स्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1971, 1981 एवं जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2000

परिशिष्ट 5.10

जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना 1971 (प्रतिशत में)

विकास खण्ड	कुल कार्यरत	कृषक	कृषक मजदूर	उद्योग एवं निर्माण कार्य	अन्य	अकार्यरत
जखनियाँ	27.91	67.80	21.00	4.45	6.75	72.09
मनिहारी	28.80	66.45	20.64	5.87	6.94	71.20
सादात	31.06	50.56	31.71	7.80	9.93	68.94
सैदपुर	26.33	62.60	23.79	6.40	7.20	73.77
देवकली	29.70	72.39	15.79	3.23	8.57	70.30
बिरनो	29.28	56.87	28.02	5.63	9.51	70.72
गाजीपुर	29.09	60.57	20.05	6.32	13.04	70.90
मरदह	30.59	55.57	32.12	5.16	7.15	69.41
करण्डा	27.28	48.46	32.13	6.23	13.14	72.72
कासिमाबाद	31.19	55.25	30.51	7.36	6.88	68.81
बाराचँवर	33.90	46.24	42.92	3.95	6.87	66.10
मुहम्मदाबाद	34.40	48.67	35.94	5.58	9.80	66.55
भाँवरकोल	30.78	40.24	44.75	6.54	8.47	69.22
जमानियाँ	30.07	43.46	36.67	6.39	13.48	69.93
रेवतीपुर	28.77	40.69	43.48	6.17	9.65	71.23
भदौरा	27.53	38.00	40.80	7.00	14.20	42.47

स्त्रोत- जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1971

परिशिष्ट 5.11

व्यवसायिक संरचना 1981 (प्रतिशत में)

विकास खण्ड	कृषक	कृषक मजदूर	उद्योग एवं निमार्ण	अन्य	कुल कार्यरत मुख्य	कुल कार्यरत सीमांतिक	अकार्यरत
जखनियाँ	69.59	7.18	3.57	19.66	24.13	2.96	72.90
मनिहारी	71.57	12.09	2.68	13.66	26.08	1.60	72.3.
सादात	71.20	10.53	3.26	15.01	24.54	3.00	72.60
सैदपुर	59.50	12.85	4.05	23.35	24.65	2.40	72.90
देवकली	64.41	9.29	4.00	22.30	24.70	2.46	72.70
बिरनो	65.38	12.92	2.60	19.10	27.23	2.92	69.84
गाजीपुर	54.58	13.57	4.80	27.05	27.29	1.67	71.04
मरदह	66.77	11.80	3.11	28.32	26.67	4.87	68.46
करण्डा	52.99	20.63	4.95	21.42	24.00	1.90	74.04
कासिमाबाद	62.09	16.64	3.45	17.90	26.56	1.52	71.90
बाराचँवर	49.45	30.08	3.78	16.69	28.48	2.07	69.45
मुहम्मदाबाद	53.28	24.69	4.50	17.53	26.75	1.30	71.94
भाँवरकोल	40.81	39.09	4.27	15.83	27.00	1.01	71.90
जमानियाँ	51.83	35.88	1.50	10.79	25.84	0.54	73.62
रेवतीपुर	40.13	38.87	3.37	18.63	26.[illegible]0	0.62	72.90
भदौरा	45.78	33.32	2.37	18.53	23.16	0.80	75.80

स्रोत-जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1981 जनपद गाजीपुर (उ0प्र0)

परिशिष्ट 5.12

व्यावसायिक संरचना 1991 (प्रतिशत में)

विकास खण्ड	कृषक	कृषक मजदूर	उद्योग एवं निमार्ण	अन्य	कुल कार्यरत मुख्य	कुल कार्यरत सीमांतिक	अकार्यरत
जखनियां	62.60	11.99	6.47	19.06	25.02	3.23	71.53
मनिहारी	61.57	16.09	5.24	16.91	28.16	3.45	68.39
सादात	65.27	17.73	4.45	13.23	28.03	2.01	69.96
सैदपुर	57.00	18.06	6.88	18.13	25.56	2.70	71.74
देवकली	62.35	13.67	4.71	13.90	26.38	2.83	71.61
बिरनो	57.05	13.15	4.01	14.67	27.43	6.02	67.60
गाजीपुर	53.34	22.80	13.94	22.00	24.67	0.73	74.60
मरदह	60.32	13.13	3.88	14.43	27.17	4.34	68.49
करण्डा	50.00	23.22	4.96	17.29	26.45	2.80	70.75
कासिमाबाद	51.50	29.76	3.70	14.21	28.26	2.04	69.70
बाराचँवर	47.84	31.75	4.11	15.82	28.60	1.45	69.95
मुहम्मदाबाद	48.18	32.88	9.02	16.57	27.27	1.19	71.54
भाँवरकोल	38.44	47.06	2.37	14.01	29.16	1.16	69.68
जमानियाँ	45.73	36.87	6.83	15.45	29.17	1.34	69.49
रेवतीपुर	36.26	47.27	2.71	15.12	28.58	1.06	70.36
भदौरा	38.11	39.84	3.84	20.23	17.27	0.70	82.03

स्त्रोत- जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000

परिशिष्ट 5.13

नगरीय केन्द्रों की व्यावसायिक संरचना (प्रतिशत) 1991

नगर केन्द्र	कृषक	कृषक मजदूर	उद्योग एवं निमार्ण	अन्य	कुल कार्यरत मुख्य	कुल कार्यरत सीमांतिक	अकार्यरत
सैदपुर	14.15	11.29	18.34	55.10	24.64	0.23	75.13
सादात	19.62	4.67	27.89	51.85	24.54	0.26	75.20
गाजीपुर	4.25	1.68	18.63	75.09	21.77	0.07	78.16
जंगीपुर	20.05	5.95	18.41	44.32	23.31	2.53	74.16
मुहम्मदाबाद	10.21	8.55	17.95	63.70	23.68	0.32	76.00
बहादुरगंज	13.32	8.58	45.09	23.95	25.79	2.54	71.67
जमानियां	16.74	11.89	16.85	52.78	20.06	0.33	79.61
दिलदारनगर	5.94	8.46	11.51	7268	20.16	0.28	79.56

स्रोत- डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी सेन्सस एब्सट्रैकट 1991

परिशिष्ट 8.1

जनपद गाजीपुर विकास स्तरों का विनिर्धारण

1999-2000

विकास खण्ड	1	2	3	4	5	6	7
जखनियां	38.00	28.25	6.47	3.23	19.06	25.28	1382
मनिहारी	38.60	31.61	5.24	3.45	16.91	23.67	1362
सादात	39.30	30.04	4.45	2.01	13.23	24.70	1301
सैदपुर	42.70	28.26	6.88	2.70	18.13	22.69	1193
देवकली	41.00	29.21	4.71	2.83	13.90	23.47	1135
बिरनों	39.10	33.45	4.01	6.02	14.67	24.77	1203
गाजीपुर	39.40	25.40	13.94	0.73	22.00	21.41	1266
मरदह	37.03	31.51	3.88	4.34	14.43	25.61	1213
करण्डा	46.90	29.25	4.96	2.80	17.29	18.79	1140
कासिमाबाद	38.40	30.29	3.70	2.04	14.21	22.01	1222
बाराचँवर	37.30	30.05	4.11	1.45	15.82	20.05	1133
मुहम्मदाबाद	40.70	28.46	9.02	1.19	16.57	19.96	1403
भाँवरकोल	45.60	30.32	2.37	1.16	14.01	18.82	1148
जमानियाँ	44.10	30.51	6.83	1.34	15.45	17.68	1263
रेवतीपुर	45.90	29.64	2.71	1.06	15.12	18.74	1312
भदौरा	49.40	17.97	3.84	0.70	20.23	14.71	1133

1. साक्षरता (प्रतिशत)
2. कुल परिवार (प्रतिशत)
3. उद्योग एवं निर्माण कार्य (प्रतिशत)
4. सीमांतिक कर्मकार (प्रतिशत)
5. अन्य सेवाएं (प्रतिशत)
6. अनुसूचित जाति जनजाति (प्रतिशत)
7. खाद्यान्न उत्पादन (किग्रा प्रति हक्टेयर)

क्रमशः

विकास खण्ड	8	9	10	11	12	13	14	15
जखनियां	842.3	174.74	716.21	100.00	30.43	117.60	12.07	79.71
मनिहारी	783.3	181.28	641.09	100.00	15.80	122.20	14.28	57.14
सादात	798.6	184.24	631.00	100.00	36.60	126.50	19.12	98.36
सैदपुर	909.6	183.24	775.00	100.00	22.80	117.40	12.80	64.40
देवकली	760.9	170.78	722.14	100.00	27.90	105.40	24,18	73.95
बिरनो	841.5	189.90	709.00	100.00	51.51	118.70	34.09	71.96
गाजीपुर	926.3	224.50	762.84	100.00	16.39	107.30	18.39	80.03
मरदह	916.4	169.76	660.41	100.00	30.45	138.80	18.03	81.96
करण्डा	904.4	185.99	958.00	100.00	38.20	137.51	33.70	68.96
कासिमाबाद	675.0	178.85	673.00	100.00	12.66	100.40	7.42	66.26
बाराचँवर	666.0	219.25	639.30	100.00	44.19	104.20	32.04	51.96
मुहम्मदाबाद	1099.3	159.32	872.00	100.00	26.92	126.20	31.73	88.39
भाँवरकोल	567.6	172.56	516.26	100.00	37.24	109.90	15.17	83.17
जमानियाँ	565.6	158.87	609.00	100.00	36.22	92.90	11,81	66.89
रेवतीपुर	461.5	159.87	528.14	100.00	53.96	87.40	07.9	68.25
भदौरा	758.3	165.13	685.00	100.00	32.25	110.70	22.50	96.77

8. पक्की सड़कें (प्रति हजार वर्ग किमी0)
9. कृषि घनत्व
10. ग्रामीण घनत्व
11. विद्युतीकृत ग्राम (प्रतिशत)
12. एलोपैथिक चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (3 किमी0 पर)
13. पक्की सड़कों की लम्बाई (प्रति लाख जनसंख्या पर)
14. आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय (3 किमी0 पर)
15. परिवार मातृशिशु कल्याण केन्द्र (3 किमी0 पर)

क्रमशः

विकास खण्ड	16	17	18	19	20	21	22	23
जखनियां	85.02	13.52	89.37	92.30	149.84	91.53	8.64	160
मनिहारी	75.00	--	91.83	87.50	153.65	84.24	9.45	
सादात	98.90	--	91.25	86.40	154.13	86.03	8.43	122
सैदपुर	69.60	--	100.00	76.60	114.90	72.97	7.13	207
देवकली	55.80	--	96.27	71.30	130.42	71.67	7.04	145
बिरनो	63.63	--	71.96	94.30	168.34	92.43	10.03	201
गाजीपुर	78.73	26.43	91.95	90.80	175.80	86.15	12.40	235
मरदह	87.70	--	59.01	93.40	161.50	88.43	8.23	200
करण्डा	75.28	--	79.77	82.70	157.76	69.13	6.15	184
कासिमाबाद	52.24	--	99.56	84.80	166.22	84.14	9.62	168
बाराचँवर	90.60	--	100.00	91.90	161.40	91.11	8.13	133
मुहम्मदाबाद	69.71	11.53	75.00	76.00	146.28	75.45	10.23	205
भाँवरकोल	82.06	--	78.62	47.80	119.40	50.17	4.68	134
जमानियाँ	88.97	8.66	100.00	83.60	176.59	82.40	2.62	145
रेवतीपुर	87.30	--	65.07	65.60	132.64	51.61	2.23	136
भदौरा	69.35	--	80.64	73.90	153.20	71.25	2.01	192

16. डाकघर (3 किमी0 पर)
17. तारघर (5 किमी0 पर)
18. बैंकिग सुविधा (5 किमी0 पर)
19. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (प्रतिशत)
20. फसल गहनता (प्रतिशत)
21. सिंचाई गहनता (प्रतिशत)
22. मुद्रादायिनी फसल (प्रतिशत)
23. उर्वरक अपयोग (किग्रा प्रति हेक्टेयर)

क्रमशः

विकास खण्ड	24	25	26	27	28
जखनियां	57.48	28.01	100.00	98.06	54.06
मनिहारी	42.85	39.28	105.61	63.77	83.52
सादात	52.00	--	91.25	74.31	84.04
सैदपुर	57.20	37.15	58.00	76.80	93.93
देवकली	43.72	--	97.20	60.93	70.80
बिरनो	85.61	54.5	100.00	102.22	68.99
गाजीपुर	81.03	49.42	82.75	67.80	106.12
मरदह	63.27	1.63	100.00	82.78	53.80
करण्डा	51.68	--	89.88	50.66	53.57
कासिमाबाद	77.72	28.82	93.44	59.39	89.10
बाराचँवर	88.39	34.80	98.89	96.68	66.90
मुहम्मदाबाद	32.69	45.67	92.78	76.92	99.46
भाँवरकोल	46.89	--	93.10	52.41	66.44
जमानियाँ	51.95	23.62	100.00	25.19	74.52
रेवतीपुर	71.42	--	100.00	68.25	48.62
भदौरा	66.12	20.63	100.00	77.41	31.87

24. पशु चिकित्सालय (5 किमी0 पर)
25. शीत गोदाम (5 किमी0 पर)
26. बीज गोदाम एवं उर्वरक भण्डार (5 किमी0 पर)
27. बाजार (5 किमी0 पर)
28. पक्की सड़क (3 किमी0 पर)

क्रमशः

विकास खण्ड	29	30	मानक संख्या	संयुक्त सूचकांक
जखनियां	72.94	90.82	+1.06	110.60
मनिहारी	5.10	100.00	+0.19	101.90
सादात	43.71	85.79	+0.16	101.60
सैदपुर	46.40	73.60	+0.54	105.40
देवकली	49.30	63.25	-0.81	91.90
बिरनो	4.54	87.87	+0.96	109.60
गाजीपुर	39.09	89.08	+1.55	115.00
मरदह	--	78.68	+0.74	107.40
करण्डा	28.03	89.88	-0.09	99.10
कासिमाबाद	--	65.93	-0.64	93.60
बाराचँवर	42.54	94.47	-0.42	95.80
मुहम्मदाबाद	50.96	89.90	+2.29	122.90
भाँवरकोल	--	85.50	-2.21	77.90
जमानियाँ	22.04	100.00	-1.01	89.90
रेवतीपुर	71.42	68.25	-1.67	82.40
भदौरा	95.16	79.03	-0.34	96.60

29.रेलवे स्टेशन (5 किमी0 पर, प्रतिशत)

30.बस स्टेशन (5 किमी0 पर, प्रतिशत)

मान संख्या = $\sum_{1}^{30}=1\frac{x-\bar{x}}{\sigma}$

जहाँ x = अवयवों का मान

$\bar{x}$ = मध्यमान

σ = मानक विचलन

संयुक्त सूचकांक = (मानक संख्या +10) 10

स्रोत- जनपद सांख्यिकी पत्रिका 2000 गाजीपुर (उ0प्र0)